वार्षिक रिपोर्ट
2011-2012

राष्ट्रीय महिला आयोग
4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली–110002
http:www.ncw.nic.in

विषय–सूची

			पृष्ठ संख्या
	संदेश		i-ii
	प्राक्कथन		iii-v
1.	भूमिका		1-22
2.	राष्ट्रीय महिला आयोग और अन्य संगठनों द्वारा आयोजित/प्रायोजित प्रैस कांफ्रेंस, सेमिनार, कार्यशालाएं, जन सुनवाईयां, बैठकें		23-35
3.	शिकायत एवं जांच (सी एंड आई) प्रकोष्ठ		37-49
4.	प्रवासी भारतीय प्रकोष्ठ		51-56
5.	विधिक प्रकोष्ठ		57-59
6.	अनुसंधान एवं अध्ययन प्रकोष्ठ		61-79
7.	सिफारिशें		81-98
8.	सूचना का अधिकार		99-101
9.	आयोग के लेखे		103-145
10.	अनुलग्नक–I	संगठनात्मक चार्ट	147
11.	अनुलग्नक–II	राष्ट्रीय महिला आयोग (प्रक्रिया) विनियम, 2005	148-163
12.	अनुलग्नक–III	शिकायतों को बंद करने के लिए प्रक्रिया	164-167
13.	अनुलग्नक–IV	राष्ट्रीय महिला आयोग में वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान पंजीकृत शिकायतों का श्रेणी–वार ब्योरा	168-169
14.	अनुलग्नक–V	राष्ट्रीय महिला आयोग में वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान पंजीकृत शिकायतों का राज्य–वार ब्यौरा	170-171

15.	अनुलग्नक–VI	महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम	172-191
16.	अनुलग्नक–VII	दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 – पत्नी, बच्चों और माता–पिता के भरण–पोषण हेतु आदेश	192-210
17.	अनुलग्नक–VIII	प्रो. पी.जी. कुरियन, संसद सदस्य द्वारा राज्य सभा में 5 अगस्त, 2011 को पुरःस्थापित विवाह पर अत्यधिक और असीमित व्यय का निवारण विधेयक, 2011	211-212
18.	अनुलग्नक–IX	प्रो. एम.एस स्वामीनाथन, संसद सदस्य का महिला कृषक अधिकार विधेयक, 2011	213-215
19.	अनुलग्नक–X	उन गैर–सरकारी संगठनों/संगठनों की राज्यवार सूची जिन्हें राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा वर्ष 2011–12 के दौरान जागरूकता कार्यक्रम/लोक सुनवाई प्रायोजित की गई	216-217
20.	अनुलग्नक–XI	उन गैर–सरकारी संगठनों/संगठनों की राज्यवार सूची जिन्हें राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा वर्ष 2011–12 के दौरान राज्य/क्षेत्रीय स्तर/राष्ट्रीय स्तर के संगोष्ठियां प्रायोजित की गई	218-229
21.	अनुलग्नक–XII	उन गैर–सरकारी संगठनों/संगठनों की राज्य–वार सूची जिन्हें राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा वर्ष 2011–12 के दौरान अनुसंधान अध्ययन प्रायोजित किए गए	230-232
22.	अनुलग्नक–XIII	उन गैर–सरकारी संगठनों/संगठनों की राज्यवार सूची जिन्हें राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा वर्ष 2011–12 के दौरान विधिक जागरूकता कार्यक्रम (एलएपी) प्रायोजित किए गए	233-248
23.	अनुलग्नक–XIV	उन गैर–सरकारी संगठनों/संगठनों की राज्यवार सूची जिन्हें राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा वर्ष 2011–12 के दौरान पारिवारिक महिला लोक अदालतें प्रायोजित की गई	249-250
24.	अनुलग्नक–XV	भारत में, अन्य बातों के साथ–साथ, अनैतिक मानव व्यापार को रोकने के संबंध में हुई संगोष्ठी पर सिफारिशें तथा प्रेक्षण	251

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार
नई दिल्ली–110001
MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE)
MINISTRY OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT
GOVERNMENT OF INDIA
NEW DELHI-110001

कृष्णा तीरथ
Krishna Tirath

संदेश

मुझे यह जानकर खुशी है कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने वर्ष 2011–12 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 13 की शर्तों को पूरा करने के लिए इसके किए गए कार्यकलाप दिए गए हैं।

राष्ट्रीय महिला आयोग एक सांविधिक निकाय है जिसका गठन महिलाओं के हितों की रक्षा करने और उनको बढ़ावा देने तथा महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के अंतर्गत 31 जनवरी, 1992 को किया गया था।

वर्ष 2011–12 के दौरान आयोग ने अपनी अधिदेशित भूमिका और कार्यकलापों का अनुसरण करना जारी रखा, जिसमें महिलाओं से संबंधित कानूनों की समीक्षा करना और महिलाओं से संबंधित कानूनों में संशोधनों का सुझाव देना, महिलाओं पर अत्याचार, उत्पीड़न, उनके अधिकारों के हनन और शोषण की शिकायतों की जांच करना और महिलाओं के वैध अधिकारों को पुनः प्रतिष्ठित करने और उनकी गरिमा को बनाए रखने संबंधी शिकायतों के विशेष मामलों में स्वतः कार्रवाई करना प्रमुख है। आयोग ने राज्य महिला आयोग के साथ बेहतर तालमेल के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा के माध्यम से नेटवर्क भी विकसित किया है। आयोग द्वारा महिलाओं से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम जैसे कि अनुसंधान अध्ययन, कानून जागरूकता कार्यक्रम, पारिवारिक लोक अदालत, कार्यशालाएं, सम्मेलन और परामर्श तथा जन सुनवाई आरंभ किए गए। आयोग ने गुजरात में प्रयोग के तौर पर व्यथित महिलाओं के लिए टोल फ्री 24X7 हेल्पलाइन/कॉल सेंटर जहां वे अपनी शिकायतें दर्ज करवाने के लिए कॉल कर सकती हैं, शुरू करने के लिए एक एजेंसी रखने के प्रबंध किए हैं।

वर्ष 2011–12 के दौरान, आयोग द्वारा शुरू किए गए विशेष कार्यकलाप कार्यक्रमों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिला अधिकार अभियान, महिला अधिकार कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक और अन्य प्रचार, मेट्रो स्टेशनों पर विज्ञापन, पान इंडिया अभियान, विभिन्न महिला मुद्दों पर वीडियो स्पॉटों का प्रसारण, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न पर विशेष अभियान और आयोग ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा के लिए आचार संहिता भी विकसित की।

वर्ष 2011–12 के दौरान, आयोग द्वारा शुरू किए गए विशेष क्रियाकलापों में से एक "घर बचाओ, परिवार बचाओ" जिसका पुनः नामकरण "हिंसा मुक्त घर–महिलाओं का अधिकार" है जिसका उद्देश्य महिलाओं के प्रति अत्याचारों के मामलों से निपटने के लिए पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षित करना और सुग्राही बनाना, वैवाहिक विवादों के मामले में मेल–मिलाप कराना, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन, भारतीय दंड संहिता की धारा 498क के अधीन शिकायतें और इस प्रयोजन के लिए गैर–सरकारी संगठनों और राष्ट्रीय महिला आयोग के बीच उपयुक्त नेटवर्किंग सुनिश्चित करना है।

आयोग की अध्यक्षा और सदस्यों ने जेलों और अन्य संस्थाओं का दौरा किया तथा उपयुक्त संस्तुतियां दीं। मैं यह देखकर संतुष्ट हूं कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने लंबित शिकायतों से निपटने और डाटा बेस को अद्यतन बनाने के लिए कई सकारात्मक उपाय किए हैं।

मुझे यह देखकर खुशी है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, राष्ट्रीय महिला आयोग ने विपत्ति में अदम्य हिम्मत और साहस के लिए और महिलाओं के अधिकारों के लिए कार्य करने के लिए अपना जीवन समर्पित करने के लिए जमीनी स्तर पर कार्य करने वाली महिलाओं, जिनमें आंखों से और शारीरिक रूप से अपंग महिलाएं भी शामिल हैं, को सम्मानित किया और "भारत में लिंग अनुपात को समझना, 2012" पर पूरी जानकारी देने वाली एक रिपोर्ट जारी की।

मुझे आशा है कि इस रिपोर्ट में अन्तर्निहित के कार्यान्वयन से पूरे देश की महिलाओं के लिए बेहतर, निरापद और सुरक्षित जीवन हेतु चल रही प्रक्रिया में मजबूती तथा तेज़ी आएगी। देश की महिलाओं के समग्र रूप से सशक्तीकरण के लिए काफी कार्य किया गया है और अभी भी बहुत कुछ करना शेष है। राष्ट्रीय महिला आयोग इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास कर रहा है।

मुझे विश्वास है कि अध्यक्षा श्रीमती ममता शर्मा के सफल नेतृत्व में आयोग अपने अधिदेश को प्राप्त करने के लिए नई ऊंचाइयां छुएगा।

(कृष्णा तीरथ)

प्राक्कथन

मुझे राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 13 की संकल्पना के अनुसार राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्ष 2011–12 की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यधिक हर्ष हो रहा है।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, आयोग ने अपने अधिदेश को प्राप्त करने के लिए निरंतर कार्य किया और पूर्व वर्ष की अपनी कार्यवाहियों को आगे बढ़ाया और महिलाओं के मुद्दों को उठाकर, महिलाओं से संबंधित कानूनों में संशोधनों का सुझाव देकर और महिलाओं के प्रति जघन्य अपराधों के मामलों में स्वतः संज्ञान लेकर महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में अनवरत प्रयास किया। तदनुसार, उपयुक्त कार्रवाई के लिए संबंधित प्राधिकारियों को संस्तुतियां की।

वर्ष 2011–12 के दौरान, आयोग ने 16,637 शिकायतों में हस्तक्षेप किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपनी वेबसाइट के माध्यम से ऑन–लाइन शिकायतें दर्ज करना भी प्रारंभ कर दिया है ताकि देश के दूरस्थ इलाकों की भी आयोग तक पहुंच संभव हो सके।

आयोग को प्राप्त अधिदेश का अनुसरण करते हुए, आयोग ने घरेलू हिंसा से महिलाओं का बचाव अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए प्रारूप स्कीम को भी संशोधित किया, दहेज निरोधक अधिनियम, 1961 में संशोधनों का सुझाव दिया और पत्नियों, बच्चों तथा माता–पिता के सम्पोषण के लिए अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में भी संशोधनों का सुझाव दिया और 'विवाह पर अत्यधिक और असीमित व्यय का निवारण विधेयक, 2011' और 'महिला किसानों की पात्रता विधेयक, 2011' पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने टिप्पणियां दीं। इसके अलावा, आयोग ने भारतीय दंड संहिता की धारा 498क में संशोधन करने के लिए याचिका के विशेष संदर्भ में उठाए गए मुद्दों पर भी जवाब दिए।

वर्ष के दौरान, आयोग ने महिलाओं के उनके मूलभूत कानूनी अधिकारों और विभिन्न कानूनों के अंतर्गत उपलब्ध उपचारात्मक उपायों की व्यावहारिक जानकारी से अवगत कराने के लिए कई विधिक जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए। साथ ही, महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने के प्रयोजन से आयोग ने राज्य महिला आयोगों अथवा राज्य/जिला विधिक सेवा प्राधिकारियों के सहयोग से पारिवारिक लोक अदालतों का आयोजन किया।

आयोग ने महिला चुनौतियों, महाराष्ट्र के लिए चुनौतियां और अभिमुखीकरण, महिला सशक्तिकरण, 'भारत में अनैतिक मानव व्यापार को रोकना और इसका विरोध करना', 'महिला सशक्तिकरण विकास मुद्दे और चुनौतियां', निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं का प्रतिनिधित्व, महिलाओं को डाइन का नाम देना – समस्याएं और समाधान, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के निवारण पर कार्यशाला, 'महिला अनुकूल कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समर्थन की योजना बनाने' आदि पर कार्यशालाएं/परामर्श आयोजित किए और प्रायोजित किए। इसके अलावा, आयोग ने अपराध पीड़ित महिलाओं को क्षतिपूर्ति, 'जनगणना 2011 – घटते लिंग अनुपात को रोकने के लिए कार्यनीतियां और अभिगमों को विकसित करना',

भूमि तक महिलाओं की पहुंच और नियंत्रण सुनिश्चित करना, आदि पर परामर्श आयोजित किए। इसके अतिरिक्त, महिलाओं की मूलभूत समस्याओं का विश्लेषण करने के लिए महिला संबंधी मुद्दों पर अनुसंधान अध्ययनों को प्रायोजित किया।

आयोग को प्राप्त अधिदेशों का अनुसरण करते हुए, आयोग ने रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए विभिन्न कदम उठाए और उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कार्य किया। आयोग के सदस्यों और अधिकारियों ने आयोग / गैर–सरकारी संगठनों द्वारा आयोजित बैठकों / सेमिनारो।/ कार्यशालाओं / जन सुनवाईयों में भाग लेने और महिलाओं के प्रति किए गए अत्याचारों के विभिन्न मामलों की जांच करने के लिए देश के विभिन्न भागों का दौरा किया। इसके अलावा, उन्होंने अभिरक्षण संस्थाओं जैसे जेलों का दौरा किया और महिलाओं के सामने आ रही समस्याओं के बारे में प्राथमिक जानकारी प्राप्त करने के लिए और उपचारात्मक सुझाव देने तथा मुद्दों को संबंधित अधिकारियों के साथ उठाने के उद्देश्य से गैर–सरकारी संगठनों तथा अन्य संगठनों द्वारा आयोजित महिलाओं के कानूनी अधिकारों पर कानूनी जागरूकता शिविरों में भाग लिया। आयोग ने विभिन्न संगत मुद्दों का अध्ययन करने के लिए विशेष समितियां भी गठित की।

आयोग ने देश में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए कई पहलें शुरू की हैं जैसे महिला अधिकार अभियान, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिला अधिकार कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक, अन्य प्रचार, मेट्रो स्टेशनों पर विज्ञापन, पान इंडिया अभियान, विभिन्न महिला मुद्दों पर वीडियो स्पॉटों का प्रसारण, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न पर विशेष अभियान और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के प्रति महिलाओं के बचाव के लिए आचार संहिता विकसित की।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने नानकपुरा पुलिस थाना, नई दिल्ली में महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष पुलिस यूनिट की वेबसाइट को आरंभ किया।

आयोग ने गुजरात में प्रायोगिक परियोजना के रूप में व्यथित महिलाओं के लिए टोल फ्री आवाज संवाद 24x7 कॉल सेंटर जहां वे अपनी शिकायतें दर्ज करवाने के लिए कॉल कर सकती हैं, शुरू करने के लिए एक एजेंसी रखने के प्रबंध किए हैं।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने वृंदावन की विधवाओं को विशिष्ट पहचान पत्र जारी करने के लिए महानिदेशक और मिशन निदेशक, यूआईडी के साथ मामले को उठाया है जो उनकी दुर्दशा को सुधारने के लिए और सुविधाएं जैसे राशनकार्ड आदि प्रदान करने के प्रति पहला कदम होगा।

राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोगों के बीच सहक्रिया को सुकर बनाने के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा के माध्यम से दोनों के बीच नेटवर्किंग विकसित की गई।

महिला मुद्दों से निपटने के लिए पुलिस को सुग्राही बनाने के लिए 'घर बचाओ, परिवार बचाओ' जिसका अब पुनः नामकरण 'हिंसा मुक्त घर–महिलाओं का अधिकार' के रूप में किया गया, को मार्च, 2013 तक जारी रखने का निर्णय

लिया। एसआईयू के आधार पर स्टॉफ के पुनर्गठन के प्रस्ताव पर कार्रवाई की गई और प्रस्ताव को आगे विचारार्थ नोडल मंत्रालय को भेज दिया गया। पुरानी शिकायतों की विचारधीनता के निपटान के लिए सकारात्मक कार्य के रूप में पुरानी शिकायतों का डाटा आधारित प्रबंधन/अपलोडिंग भी शुरू की गई।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया और इस अवसर पर, विपत्ति में अदम्य हिम्मत और साहस के लिए और महिलाओं के अधिकारों के लिए कार्य करने के लिए अपना जीवन समर्पित करने के लिए मुख्यतः आधार स्तर वाली महिलाओं जिनमें आंखों से और शारीरिक रूप से अपंग महिलाएं भी शामिल हैं, को सम्मानित किया। यूएन वीमेन द्वारा तैयार की गई 'भारत में लिंग अनुपात को समझना, 2012' रिपोर्ट भी जारी की गई।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के प्रति अपराधों की रिपोर्टों पर चिंता व्यक्त की और मामलों की जांच करने और उन पर विचार–विमर्श करने के लिए विभिन्न राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र का दौरा किया।

इस अवसर पर, मैं सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, विभिन्न राज्य सरकारों एवं राज्य महिला आयोगों, आयोग में अपने सहयोगियों, आयोग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के प्रति अपना कृतज्ञ आभार व्यक्त करती हूं जिन्होंने परस्पर मिलकर अत्यधिक सौहार्दपूर्ण वातावरण में कार्य किया और चालू वर्ष के दौरान हमारे लक्ष्यों तथा उद्देश्यों की प्राप्ति को संभव बनाया तथा आयोग के कार्य को निर्बाध रूप से आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करना जारी रखा।

ममता शर्मा

(ममता शर्मा)
अध्यक्षा,
राष्ट्रीय महिला आयोग

1 भूमिका

महिलाओं के हितों की रक्षा करने के प्रयोजन से पारित राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के अनुपालन में, राष्ट्रीय स्तर पर एक सांविधिक निकाय के रूप में 31 जनवरी, 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया। आयोग को मिले व्यापक अधिदेश में महिलाओं के विकास से संबंधित लगभग सभी मुद्दे आते हैं, अर्थात् संविधान एवं अन्य विधियों में महिलाओं को प्रदत्त रक्षोपायों का विश्लेषण और जांच करना और उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सिफारिशें करना; संविधान एवं अन्य विधियों में महिलाओं को प्रभावित करने वाले विद्यमान प्रावधानों की पुनरीक्षा करना तथा ऐसी विधियों में किसी कमी, अपर्याप्तता या त्रुटियों को दूर करने के लिए संशोधनों की सिफारिश करना; महिलाओं के अधिकारों आदि की वंचनाओं संबंधी विषयों पर प्राप्त शिकायतों को देखना तथा ऐसे मामलों का स्वतः संज्ञान लेना और उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ इन मुद्दों को उठाना; महिलाओं से संबंधित मुद्दों का अध्ययन/शोध करना; महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक विकास की प्रक्रिया में भाग लेना और उस पर परामर्श देना तथा इस संबंध में हुई प्रगति का मूल्यांकन करना; जेलों, सुधार–गृहों आदि जहां महिलाओं को रखा जाता है, का निरीक्षण करना और जहां आवश्यक हो उपचारात्मक कार्रवाई करना।

अपने इस अधिदेश के अनुसरण में, आयोग ने रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान महिलाओं की स्थिति सुधारने की दिशा में विभिन्न कदम उठाए और उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कार्यवाही की। आयोग की अध्यक्षा, सदस्यों एवं अधिकारियों ने देश के विभिन्न भागों में महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर राष्ट्रीय महिला आयोग/गैर–सरकारी संगठनों द्वारा आयोजित बैठकों/सेमिनारों/कार्यशालाओं/जन सुनवाई बैठकों आदि में भाग लिया और महिलाओं पर किए गए अत्याचारों के विभिन्न मामलों की जांच की। इसके अतिरिक्त, वे जेल, अस्पतालों में भी गए और गैर–सरकारी संगठनों/विश्वविद्यालयों के महिला अध्ययन केन्द्रों द्वारा महिलाओं के कानूनी अधिकारों के संबंध में आयोजित किए गए कानूनी जागरूकता कैम्पों में भाग लिया ताकि वहां महिलाओं के सामने आ रही समस्याओं के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त की जा सके और उपचारात्मक उपायों का सुझाव दिया जा सके और संबंधित प्राधिकारियों के साथ इन मामलों को उठाया जा सके। आयोग में महिलाओं से संबंधित विभिन्न मामलों पर सिफारिशें करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का भी गठन किया गया है।

आयोग को बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुईं और त्वरित न्याय दिलाने के लिए उसने कई मामलों का स्वतः संज्ञान लिया। आयोग ने लैंगिक आधार पर भेदभाव के बारे में जागरूकता कार्यक्रमों, महिला अधिकार अभियानों, पारिवारिक महिला लोक अदालतों आदि को प्रायोजित किया तथा सेमिनारों/कार्यशालाओं/परामर्शों आदि का आयोजन किया एवं कन्या भ्रूण हत्या, महिलाओं के प्रति हिंसा, बाल विवाह, दहेज रोधी और महिलाओं से संबंधित अन्य मुद्दों आदि सामाजिक बुराइयों के विरूद्ध समाज में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से प्रिंट मीडिया और टेलीविजन चैनलों में विज्ञापन, नुक्कड़ नाटक आदि के माध्यम से प्रचार अभियान चलाया। इन कार्यक्रमों के आयोजनों में कुछ गैर–सरकारी संगठनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

संघटन

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम के अनुसार, आयोग में एक अध्यक्ष, एक सदस्य सचिव और 5 गैर–सरकारी सदस्य होंगे।

आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों जिन्होंने वर्ष 2011–12 के दौरान कार्य किया, का ब्यौरा नीचे दिया गया है। बाकी के पद रिक्त पड़े रहे।

(i) डॉ. गिरिजा व्यास, अध्यक्षा – 16.02.2005 से 15.02.2008 तक कार्यभार संभाला। पुनः मनोनीत की गईं और 09.04.2008 से 08.04.2011 तक कार्यभार संभाला।

(ii) श्रीमती यास्मीन अब्रार, सदस्य – 24.05.2005 से 23.05.2008 तक कार्यभार संभाला। पुनः मनोनीत की गईं और 15.07.2008 से 14.07.2011 तक कार्यभार संभाला।

(iii) श्रीमती ममता शर्मा, अध्यक्षा – 02.08.2011 को कार्यभार संभाला।

(iv) डॉ. चारू वलीखन्ना, सदस्य – 02.08.2011 को कार्यभार संभाला।

(v) श्रीमती वांसुक सीयम, सदस्य – 26.09.2008 से 28.09.2011 तक कार्यभार संभाला। पुनः मनोनीत की गईं और 15.03.2012 को कार्यभार संभाला।

(vi) सुश्री हेमलता खेरिया, सदस्य – 15.03.2012 को कार्यभार संभाला।

(vii) श्रीमती निर्मला सामंत प्रभावलकर, सदस्य – 19.03.2012 को कार्यभार संभाला।

(viii) श्रीमती जोहरा चटर्जी, सदस्य सचिव – 26.03.2010 से 19.09.2011 तक कार्यभार संभाला।

(ix) श्रीमती अनीता अग्निहोत्री, सदस्य सचिव – 17.10.2.11 से 04.05.2012 तक कार्यभार संभाला।

आयोग के कार्य मुख्यतः इसके चार प्रकोष्ठों अर्थात् शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ, विधिक प्रकोष्ठ, अनुसंधान एवं अध्ययन प्रकोष्ठ तथा अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ में बांटे गए हैं। प्रत्येक प्रकोष्ठ के क्रियाकलापों का वर्णन उत्तरवर्ती अध्यायों में किया गया है। आयोग का संगठनात्मक चार्ट अनुलग्नक–। में दिया गया है।

आयोग की बैठकों में लिए गए निर्णयों का सार

वर्ष 2011–12 के दौरान, आयोग ने महिलाओं से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों और आयोग के कार्यों से संबंधित निर्णय लेने के लिए 7 बैठकें आयोजित की, उनमें से कुछेक का उल्लेख नीचे किया गया है :

8 अप्रैल, 2011 को आयोजित आयोग की बैठक

1. आयोग ने वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए कार्रवाई योजना अनुमोदित की जिसमें वित्तीय, भौतिक लक्ष्य और नई स्कीमें शामिल थी।

2. आयोग ने लेखा अनुभाग द्वारा सौंपा गया वर्ष 2010–11 के लिए व्यय का अनंतिम विवरण अनुमोदित किया। पीएओ ने सूचित किया कि अंतिम व्यय को अंतिम लेखा परीक्षित लेखों सहित यथासंभव सौंप दिया जाएगा।

3. समिति ने निम्नलिखित समितियों का गठन करने का निर्णय लिया :

   क. सरकारी, संगठित और असंगठित क्षेत्रों में विशाखा दिशानिर्देशों सहित लिंग समानता कानूनों और स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए।

   ख. अल्पसंख्यक महिलाओं के सामने आ रही चुनौतियों पर ध्यान देने के लिए।

   ग. अनैतिक व्यापार – रोधी उपायों के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग करने के लिए।

यह भी निर्णय लिया गया कि जागरूकता फैलाने के लिए 'चलो गांव की ओर' अभियान को दोहराया जाए। दिशानिर्देशों के अनुसार चयनित गैर–सरकारी संगठनों/राज्य महिला आयोगों को कम से कम 5 जागरूकता शिविर आबंटित किए जाएं ताकि वे प्रारंभ में प्रत्येक राज्य के कम से कम 5 जिलों को कवर करने में समर्थ हों। इन शिविरों के सफलतापूर्वक पूरा करने पर, और स्वीकृति पर विचार किया जाए। गैर–सरकारी संगठनों से प्रस्तावों का इंतजार किए बिना, सदस्यों की संस्तुति पर गैर–सरकारी संगठनों के पूर्व निष्पादन के आधार पर उनका चयन किया जाना चाहिए। आबंटित राज्यों में अभियान के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग सदस्य कर सकते हैं।

19 मई, 2011 को आयोजित आयोग की बैठक

1. यह सूचित किया गया कि तीन समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं अर्थात् (क) राष्ट्रीय महिला आयोग और इंडियन विजन फाउंडेशन और नवज्योति फाउंडेशन के बीच जिसका उद्देश्य शिकायतों का निवारण प्रदान करना और सामान्य जनता की कानूनी जागरूकता और प्रशिक्षण तथा संकाय सहायता प्रदान करना है, (ख) राष्ट्रीय महिला आयोग और वीमेन पॉवर कनेक्ट के बीच जिसका उद्देश्य समर्थन और सिविल सोसायटी की सहभागिता के माध्यम से महिला अनुकूल कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सहायक माहौल तैयार करना है और राज्य महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, वीमेन पॉवर कनेक्ट राज्य भागीदारों और सरकारी अधिकारियों के बीच भागीदारी बनाना है; (ग) राष्ट्रीय महिला आयोग, दिल्ली पुलिस और टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, मुंबई के बीच दिल्ली के सभी 11 जिलों में 'घर बचाओ, परिवार बचाओ' पहल के अंतर्गत विशेष प्रकोष्ठों के विस्तार के माध्यम से महिलाओं के प्रति हिंसा के सभी रूपों पर ध्यान देना है।

   महिलाओं के प्रति अपराध कक्ष, नानकपुरा ने राष्ट्रीय महिला आयोग से सामाजिक कार्यकर्ता और परामर्शदाता को देय पारिश्रमिक को बढ़ाने का अनुरोध किया है क्योंकि वर्तमान दरों पर इन पदों के लिए उपयुक्त उम्मीदवार प्राप्त करना संभव नहीं है। उन्होंने पिछली बैठक में अनुमोदित राशि के भीतर व्यय को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त परामर्शदाताओं की संख्या घटाने का भी प्रस्ताव किया। यह निर्णय लिया गया कि कार्यक्रम के उद्देश्यों से समझौता

किए बिना वित्तीय प्रभावों और कुशल परामर्शदाताओं की संख्या को घटाने की संभावना सहित इस मामले की विस्तार से जांच की जाए।

यह भी बताया गया कि यदि समझौता ज्ञापन के अंतर्गत आयोग को एक भागीदार के रूप में कार्य करना है तो उनके द्वारा शुरू किए जाने वाला प्रत्येक कार्यकलाप, समझौता ज्ञापन के अनुसार राष्ट्रीय महिला आयोग के परामर्श से शुरू किया जाना चाहिए। यह भी निर्णय लिया गया कि समझौता ज्ञापनों के सभी भागीदारों को एक पत्र भेजा जाए और संगठन की वर्तमान स्थिति और कार्रवाई योजना का पता लगाने के लिए फीडबैक अपेक्षित होगा। यह भी निर्णय लिया गया कि सभी समझौता ज्ञापनों के भागीदारों की यथासमय एक बैठक भी बुलाई जाए।

2. आईसीसीडब्ल्यू के साथ पट्टा करार के लिए प्रस्ताव के अनुमोदन और इसकी बढ़ी हुई दर की अदायगी के संबंध में, आयोग को विस्तार से पूरे मामले के बारे में बताया गया। यह निर्णय लिया गया कि महिला और बाल विकास मंत्रालय के माध्यम से आईसीसीडब्ल्यू को निम्नलिखित प्रस्ताव भेजे जाएं :

   क. चूंकि राष्ट्रीय महिला आयोग निकट भविष्य में अपने स्वयं के आवास में स्थानांतरित कर लेगा, इसलिए, किराया नहीं बढ़ाया जाना चाहिए और मौजूदा निबंधन और शर्तों पर किराया अदा करना जारी रहना चाहिए।

   ख. मौजूदा निबंधन और शर्तों पर 31.03.2011 तक किराया अदा किया जाए और 01.04.2011 से किराया 10 प्रतिशत बढ़ाया जाए बशर्ते राष्ट्रीय महिला आयोग को बढ़ी हुई राशि के लिए मंत्रालय द्वारा अतिरिक्त बजट प्रदान किया जाए।

3. आयोग द्वारा गैर–सरकारी संगठनों/राज्य महिला आयोग के सहयोग से अधिमानतः पंजाब राज्य जहां कपटपूर्ण अप्रवासी भारतीय विवाहों के मामले काफी ज्यादा हैं, में जून, 2011 में प्रवासी भारतीय विवाहों पर लोक सुनवाई आयोजित करना अनुमोदित किया गया।

4. संबंधित राज्य आयोग के सहयोग से प्रत्येक पूर्वोत्तर राज्य में राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार आयोजित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

5. आयोग द्वारा रिजल्ट फ्रेमवर्क दस्तावेज (आरएफडी) नोट किया गया और यह इच्छा व्यक्त की गई कि समय से सभी लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिएं।

6. राष्ट्रीय महिला आयोग में निधियों की उपलब्धता की स्थिति की समीक्षा करते समय यह निर्णय लिया गया कि आरएफडी में उल्लिखित लक्ष्यों के अनुसार शेष तिमाही बजट के वित्तीय और भौतिक ब्यौरे बनाए जाने चाहिएं और तदनुसार, प्रथम तिमाही के दौरान निधियों को जारी करने के लिए महत्वपूर्ण प्रस्तावों को सूचीबद्ध किया गया। चयनित प्रस्तावों को अनुमोदन के लिए फाइल में प्रस्तुत किया जाए। केवल चयनित प्रस्तावों को ही आयोग की वेबसाइट पर डाला जाए और आयोग को अगली बैठक में सूचित किया जाए।

यह भी निर्णय लिया गया कि 'चलो गांव की ओर' तर्ज पर प्रत्येक सदस्य द्वारा 5 कार्यक्रम आयोजित किए जाएं जिनमें जागरूकता फैलाने और महिलाओं से संबंधित कानूनों और स्कीमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में गैर–सरकारी संगठन, संबंधित मंत्रालय के अधिकारी और आम जनता एकत्रित हो। कार्यक्रम को इस प्रकार तैयार किया जाए ताकि प्रति कार्यक्रम 1 लाख ₹ के सीमित बजट के साथ प्रत्येक कार्यक्रम में जन सुनवाई और जागरूकता अभियान कवर किया जा सके।

7. यह निर्णय लिया गया कि आयोग उन परिस्थितियों, जब न तो अध्यक्ष न ही संबंधित सदस्य दौरे पर होने अथवा अन्यथा उपलब्ध न होने पर, अत्यावश्यक मामलों में सुनवाई करने और तारीख देने के लिए संयुक्त सचिव, उप सचिव और अवर सचिव को प्राधिकृत करता है।

11 जुलाई, 2011 को आयोजित आयोग की बैठक

1. समझौता ज्ञापनों के संबंधित भागीदारों से वर्तमान स्थिति और उनकी कार्रवाई योजना का पता लगाने के लिए दिनांक 07 जुलाई, 2011 को पत्र भेजा गया।

2. आयोग द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग के एक सदस्य द्वारा जिला जेल, गाजियाबाद के दौरे की रिपोर्ट को अनुमोदित किया गया। यह निर्णय लिया गया कि आवश्यक कार्रवाइ करने के लिए और की गई कार्रवाई रिपोर्ट मंगवाने के लिए संबंधित जेल प्राधिकारी को एक पत्र भेजा जाए।

3. आयोग ने लॉयर्स कोलक्टिव के सहयोग से घरेलू हिंसा से महिलाओं का बचाव अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन की स्थिति पर नोडल विभागों की एक बैठक आयोजित करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया।

4. आयोग ने 'चलो गांव की ओर' कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में 10 जन सुनवाईयों/क्षेत्रीय सेमिनारों/कानूनी जागरूकता कार्यक्रमों जिनको किसी गैर–सरकारी संगठन द्वारा आयोजित किया जाएगा, के आयोजन को अनुमोदन प्रदान किया।

5. राष्ट्रीय महिला आयोग का इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट साइकेट्री के साथ सहयोग जो अध्यक्ष, इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट साइकेट्री (आईएपीपी) से प्राप्त हुआ था, पर आयोग द्वारा विचार किया गया और सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित किया गया। प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाए और बाद में सेमिनार के आयोजन सहित योजना बनाई जाए। तदनुसार, आईएपीपी के सहयोग से एक राष्ट्रीय सम्मेलन को अनुमोदित किया गया।

6. आयोग द्वारा विदेशों में परित्यक्त महिलाओं को कानूनी/वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एमओआईए स्कीम में संशोधनों पर विचार किया गया और उनको अनुमोदित किया गया, आयोग ने संतुष्टि के साथ नोट किया कि इसके प्रस्तावों को एमओआईए द्वारा अपनी प्रारूप स्कीम में सम्मिलित कर लिया गया है। स्कीम में राष्ट्रीय महिला

आयोग द्वारा सुझाए गए परिवर्तनों पर तीव्र कार्रवाई करने के लिए आयोग की चिंता जताने और इसके शीघ्र कार्यान्वयन की उम्मीद के लिए एमओआईए को एक पत्र भेजा जाए।

7. आयोग द्वारा स्क्रीनिंग समिति के लिए प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाना सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित किया गया। तथापि, स्क्रीनिंग समिति के गठन, कोरम और टीओआर आदि के संबंध में आगे की कार्रवाई के लिए इसे नई अध्यक्षा के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

8. अयोग द्वारा मेघालय के मातृवंश समाज में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध–कारण और निवारण तथा मेघालय पुलिस की भूमिका पर एक सेमिनार अनुमोदित किया गया।

9. आयोग ने अविवाहित महिला पर एक राष्ट्रीय सेमिनार और जन सुनवाई को अनुमोदित किया।

10. 'दक्षिणी राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में हथकरघा क्षेत्र में महिला कार्मिकों की स्थिति' पर अनुसंधान अध्ययन के लिए एक प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। आयोग के मानकों के अनुसार बजट का पता लगाया जाए।

11. 'राजस्थान के उदयपुर जिले के गिरवा ब्लॉक स्थित कढ़ाई और हथकरघा उद्योगों में महिलाओं की स्थिति' पर एक सेमिनार आयोजित करने के लिए एक प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। आयोग के मानकों के अनुसार बजट का पता लगाया जाऐ।

1 सितंबर, 2011 को आयोजित आयोग की बैठक

1. वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए उप–शीर्षों में बजट के आवंटन पर अनुमोदनार्थ विचार किया गया। योजना और गैर–योजना के अतर्गत बजट आबंटन को राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम के खंड 11 के अंतर्गत आयोग की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न उप–शीर्षों के अंतर्गत पुनः आवंटित किया जाए।

यह देखा गया है कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत, ऐसी राशि खर्च कर सकता है जिसे यह अधिनियम के अंतर्गत कार्यों के अनुपालन के लिए उपयुक्त समझे और ऐसी राशि को उप–धारा (1) में उल्लिखित अनुदानों में से देय व्ययों के रूप मे माना जाएगा। विस्तृत विचार–विमर्श के पश्चात, आवंटन को अनुमोदित कर दिया गया।

एक सदस्य ने बताया कि राष्ट्रीय महिला आयोग को पूर्वोत्तर क्षेत्र में व्यय को सुधारने के लिए और पहलें शुरू करने की आवश्यकता है। यह सुझाव दिया गया कि राज्य महिला आयोग के अलावा, संबंधित राज्यों के महिला और बाल विकास विभाग अथवा समाज कल्याण विभाग के साथ सहयोग से भी कार्यक्रमों को आयोजित किया जा सकता है।

यह निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय महिला आयोग के कुछ अधिकारियों को पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रत्येक कार्यक्रम के लिए नोडल अधिकारी बनाया जाए। यदि यह राज्य सरकार के लिए छोड़ दिया जाए तो बिलों का समायोजन समस्याएं

पैदा करेगा। संबंधित नोडल अधिकारी लेखों के अनुरक्षण और उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा करवाने के लिए जिम्मेवार होगा।

2. आयोग की वार्षिक कार्रवाई योजना और रिजल्ट फ्रेमवर्क दस्तावेज के बारे मे बताया गया, जिनको नोट कर लिया गया। आयोग ने लक्ष्यों की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए नियमित मॉनीटरिंग की इच्छा व्यक्त की।

3. जांच समिति के गठन के लिए प्रक्रिया और आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान के मामलों में जांच करने के संबंध में, आयोग ने इसे नोट कर लिया। यह महसूस किया गया कि 500/– ₹ का मानदेय अपर्याप्त है और समिति के गैर–सरकारी सदस्यों के लिए इसे बढ़ाकर 2000/– ₹ किया जाए। यह नोट किया गया कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम के अध्याय–5 की धारा 17(2)(क) और (ख) के अनुसार, आयोग को नियम बनाने का अधिकार है।

4. जसोला में भवन के निर्माण के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि मामले को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा की केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मुखिया के साथ बैठक बुलाई जाए।

5. राष्ट्रीय महिला आयोग के स्टॉफ के पुनर्गठन के लिए प्रस्ताव के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रकट की गई शंकाओं का शीघ्रता से उत्तर दिया जाना चाहिए। उत्तर देने के बाद, राष्ट्रीय महिला आयोग के स्टॉफ के नियमितीकरण के लिए प्रस्ताव जो विभिन्न कारणों की वजह से काफी समय से लंबित पड़ा है, को आगे बढ़ाने के लिए माननीय अध्यक्षा इस संबंध में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), महिला और बाल विकास से मुलाकात करेंगी।

6. विचाराधीनता को क्लीयर करने के संबंध में शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ से संबधित कार्य को आउटसोर्स करने पर विचार किया गया। अध्यक्षा की इच्छा थी कि फाइलों के पुराने बंडलों जिन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, को मैरिट के आधार पर देखने और कार्रवाई करने अथवा मामले को औपचारिक रूप से बंद करने की आवश्यकता है। यह निर्णय लिया गया कि इस कार्य को आउटसोर्स किया जाए और सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 184 को अपनाते हुए उपयुक्त व्यक्तियों/एजेंसियों को अभिनिर्धारित किया जाए और चयन द्वारा आउटसोर्सिंग के लिए नियुक्त किया जाए। इसके लिए कार्य का क्षेत्र स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाए।

7. 'डायन प्रथा पर केन्द्रीय विधान की आवश्यकता' पर क्षेत्रीय और राष्ट्रीय परामर्श को अनुमोदित किया गया। विषय को 'महिलाओं को डायन अथवा डायन का नाम देकर उनके प्रति अत्याचार' को रोकने के लिए केन्द्रीय विधान की आवश्यकता पर 'क्षेत्रीय और राष्ट्रीय परामर्श' के रूप में संशोधित किया गया।

8. भारतीय दंड संहिता की धारा 498क के संबंध में याचिका संबंधी समिति, माननीय राज्य सभा के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रतिक्रिया को अनुमोदित किया गया।

6 सितबर, 2011 को आयोजित आयोग की बैठक

1. अनुसंधान अध्ययनों, सेमिनारों/कार्यशालाओं और जागरूकता कार्यक्रमों के लिए विषयों के चयन के लिए प्रक्रिया के संबंध में यह सूचित किया गया कि अनुसंधान अध्ययनों के लिए चयनित विषयों में तर्कसंगतता तथा संबंद्धता लाने के लिए और प्रयोक्ता विभागों की आवश्यकता के अनुसार अध्ययनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोग ने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से अध्ययन के लिए विषयों का सुझाव देने का अनुरोध किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा उन विषयों जिनका महिलाओं के साथ सीधा संबंध और जिनका महिलाओं पर प्रभाव है और जिनके लिए वास्तविक आंकड़ों की कमी है जैसे विशाखा निर्णय और भारतीय दंड संहिता की धारा 498क के कार्यान्वयन, को विशेष रूप से शुरू किया जाना चाहिए। प्रस्तावित तर्ज पर अध्ययनों को शुरू करने के लिए तुरंत प्रयास किए जाने चाहिएं। वर्ष 2011–12 के लिए आरएफडी में उल्लिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रस्तावों की स्क्रीनिंग की वर्तमान प्रणाली जारी रहनी चाहिए।

2. सदृश प्रकृति वाले कानूनी जागरूकता कार्यक्रमों और जागरूकता कार्यक्रमों को मिला दिया जाए। मूल्य वृद्धि का ध्यान रखने के लिए वित्तपोषण पैटर्न को पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा अन्य राज्यों के लिए 30,000/– ₹ से बदलकर 50,000/– ₹ और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 40,000/– ₹ से बदलकर 60,000/– ₹ किया जाए।

3. पारिवारिक महिला लोक अदालत – यह सूचित किया गया कि इस कार्यक्रम को उपयुक्त रूप से आयोजित करने के लिए जिला न्यायालय और जिला विधिक सेवा प्राधिकारियों को प्रभावी रूप से सम्मिलित करने की आवश्यकता है। यह निर्णय लिया गया कि इस मुद्दे पर विचार–विमर्श करने और इसके लिए तौर–तरीके निकालने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकारियों के साथ बैठकें आयोजित करने की आवश्यकता है।

4. अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त नहीं होने की वजह से 3 गैर–सरकारी संगठनों को काली सूची में डालने के लिए प्रक्रिया शुरू करने हेतु आयोग की अनुमति पर विचार किया गया। सभी चूककर्ता गैर–सरकारी संगठनों के संबंध में सदृश प्रक्रिया नियमित रूप से अपनाई जाए और उपयुक्त कम्प्यूटरीकृत मॉनीटरिंग सुनिश्चित की जाए।

5. गैर–सरकारी संगठनों को अदायगी जारी करने के लिए प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाने के संबंध में यह सूचित किया गया कि गैर–सरकारी संगठनों को अदायगी जारी करने में विलंब मुख्यतः गैर–सरकारी संगठनों द्वारा मूल बिल/वाउचर जमा नहीं करवाने की वजह से होता है। इससे अनुसंधान एवं अध्ययन प्रकोष्ठ में विचाराधीनता में वृद्धि भी होती है। अनुसंधान अध्ययनों आदि के लिए गैर–सरकारी संगठनों को अदायगी जारी करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया का पता लगाने का निर्णय लिया गया और उसी को आयोग द्वारा अपनाने के लिए विचार किया जा सकता है।

6. यह निर्णय लिया गया कि स्क्रीनिंग समिति के गठन, कार्यक्षेत्र और विचारार्थ विषयों के संबंध में स्क्रीनिंग समिति को सरल और कारगर बनाने के लिए प्रक्रिया को औपचारिक रूप दिया जाए।

7. अनुसंधान एवं अध्ययन प्रकोष्ठ में मामलों की विचाराधीनता और इसके सुदृढ़ीकरण करने की आवश्यकता के संबंध में, अनुसंधान एवं अध्ययन प्रकोष्ठ में अधिक पारदर्शिता और उपयुक्त डाटा प्रबंधन की आवश्यकता काफी महसूस की गई। जब प्रस्तावों को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो यह वांछनीय है कि रिपोर्ट, उपयोगिता प्रमाणपत्रों को सौंपने में लिए गए समय और सामान्यतः पूर्व निष्पादन, बैंक गारंटी की वैधता आदि सहित संगठन को आवंटित कार्यक्रमों का ब्यौरा आयोग को प्रस्तुत डाटा प्रस्ताव में पूरी तरह से दर्शाया जाता है। यह निर्णय लिया गया कि कम से कम पिछले 5 वर्षों के लिए संस्वीकृत सभी प्रस्तावों की डाटा एंट्री का कार्य एनआईसीएसआई, एक सरकारी संगठन के माध्यम से आउटसोर्स किया जाए जो इस कार्य को करने के लिए अनुसंधान एवं अध्ययन प्रकोष्ठ में पर्याप्त डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रदान करेगा।

8. विभाग संबंधी मानव संसाधन विकास संबद्ध संसदीय स्थायी समिति से प्राप्त कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न के प्रति महिलाओं का संरक्षण विधेयक, 2010 पर प्रश्नावली के उत्तरों को अनुमोदित किया गया।

9. एमओआईए के साथ संयुक्त रूप से अनिवासी भारतीय विवादों से संबंधित समस्याओं पर जागरूकता सह प्रचार अभियान को सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित किया गया।

24 नवंबर, 2011 को आयोजित आयोग की बैठक

1. एलएपी के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि इनको राजस्थान के बूंदी और अन्य दूरस्थ स्थानों तथा उत्तराखंड के देहरादून और अन्य दूरस्थ स्थानों पर आयोजित किया जाए।

2. जरूरतमंद महिलाओं को सहायता, मार्गदर्शन और कानूनी परामर्श प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय महिला आयोग ने पारंपरिक और आधुनिक तकनीकों दोनों का उपयोग करते हुए महिलाओं की सहायता करने के लिए बहुल चैनलों को प्रारंभ किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने निकट भविष्य में 'कभी भी, कहीं भी और किसी भी द्वारा' संकल्पना के आधार पर व्यथित महिलाओं की सहायता करने के लिए टोल फ्री आवाज संवाद 24 x7 कॉल सेंटर सुविधा/हेल्प लाइन प्रस्तावित किया। दो जिलों, गुजरात से एक और हरियाणा से एक, में एक प्रायोगिक स्कीम शुरू की जानी है।

3. भारत सरकार के रिकॉर्ड प्रबंधन की अनुसूची के अनुसार, श्रेणी 'ग' जिसका अर्थ 'विनिर्दिष्ट अवधि के लिए रखना' की फाइलों/मामलों जो 10 वर्ष पुराने हैं, की छंटनी की जा सकती है।

   यह निर्णय लिया गया कि वर्ष 1999 से शुरू होकर सभी वर्षों के लिए बंद मामलों जो 10 वर्ष से ज्यादा पुराने हैं, की उप सचिव/अवर सचिव के स्तर से 10% मामलों की परीक्षण जांच करने के पश्चात् छंटनी की जाए। इस प्रक्रिया से काफी कार्यालय स्थान मिल जाएगा और इसके परिणामस्वरूप कार्यालय में समग्र माहौल में सुधार होगा।

   यह निर्णय लिया गया कि शिकायतों को बंद करने के लिए प्रक्रिया को पुराने मामलों के लिए भी अपनाया जाए। एक बार अनुमोदित होने पर रिकॉर्डों की छंटनी के लिए, पुरानी फाइलों को नष्ट करने के लिए श्रेडर उपलब्ध करवाए जाएं।

4. वर्तमान मामलों के निपटान को सुधारने और प्रणाली को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से, अनुसंधान एवं अध्ययन प्रकोष्ठ में और जनशक्ति की आवश्यकता है। चूकि, आयोग द्वारा पेशेवर परामर्शदाताओं को कार्य पर नहीं रखा जा सकता, इसलिए, यह निर्णय लिया गया कि एनआईसीएसआई, एक सरकारी संगठन, से और डाटा एंट्री ऑपरेटरों को लिया जाए और इनकी तैनाती अनुसंधान एवं अध्ययन प्रकोष्ठ में की जाए।

5. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह (8–14 मार्च, 2012) के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम अनुमोदित किया गया।

6. उन प्रस्तावों जिनको वर्ष 2010–11 के दौरान स्क्रीनिंग समिति की बैठकों में अनुमोदित नहीं किया गया था, की छंटनी के अनुमोदन के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि अनुमोदित प्रस्तावों को राष्ट्रीय महिला आयोग की वेबसाइट पर लोड किया जाए और गैर–अनुमोदित प्रस्तावों की अलग–अलग उपयुक्त भौतिक पुष्टि और जांच करने के पश्चात् छंटनी की जाए। प्रकोष्ठ में अधिक स्थान बनाने के लिए उनको भौतिक रूप से हटा दिया जाए।

पारिवारिक महिला लोक अदालत : महिलाओं की शिकायतों के निवारण के लिए पीएमएलए, आयोग के महत्वपूर्ण कार्यकलापों में से एक कार्यकलाप है और इसको यथोचित महत्व दिया जाना चाहिए। यह निर्णय लिया गया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा पीएमएलए आयोजित की जानी चाहिए। पूरे देश में एकरूप प्रचार को प्राप्त करने के लिए इस कार्यकलाप के लिए क्षेत्र–वार लक्ष्य निर्धारित किए जाएं।

21 मार्च, 2012 को आयोजित आयोग की बैठक

आयोग की बैठक कार्य सौंपने के मामले पर विचार करने के लिए हुई और काफी विचार–विमर्श के पश्चात् टोल–फ्री 24x7 हेल्पलाइन पर प्रायोगिक परियोजना का कार्य मै. अहमदाबाद वीमेन एक्शन ग्रुप (एडब्ल्यूएजी) जो एल1 है, को सौंपना अनुमोदित किया गया।

विदेशी और अन्य प्रतिनिधि मंडलों का आयोग दौरा

इस अवधि के दौरान, आयोग की कार्यप्रणाली और महिलाओं के हितों की रक्षा करने में इसकी भूमिका की पूरी जानकारी लेने तथा राजनीति एवं सशक्तीकरण में भारतीय महिलाओं की स्थिति को समझने के लिए देश से और देश के बाहर के कई प्रतिनिधि मंडलों ने आयोग का दौरा किया।

1. राष्ट्रीय महिला आयोग की कार्यप्रणाली, महिलाओं से संबंधित द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार–विमर्श करने और राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्राप्त शिकायतों पर विचार करने के लिए अपनाई गई कानूनी प्रक्रियाओं के बारे में पता लगाने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अधिकारियों सहित बांग्लादेश के एक प्रतिनिधिमंडल ने आयोग का दौरा किया।

2. राजनीति में भारतीय महिलाओं की स्थिति और महिला सशक्तीकरण एवं विकास को समझने के लिए थाइलैंड से तीन अनुसंधानकर्ताओं वाले एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रीय महिला आयोग का दौरा किया। राष्ट्रीय महिला आयोग

के सदस्य ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया और इसके अधिदेश को समझाया तथा उप सचिव ने इसके संघटन और कार्यप्रणाली के बारे में बताया। अनुसंधानकर्ताओं ने बताया कि थाइलैंड में राष्ट्रीय महिला आयोग जैसा कोई सांविधिक निकाय नहीं है।

3. पूरे देश से उच्च न्यायिक अधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों/पुलिस उपायुक्तों, अभियोजन अधिकारियों, रक्षा अधिकारियों और जेल/सुधारक प्रशासकों ने राष्ट्रीय महिला आयोग का दौरा किया और सदस्यों तथा अधिकारियों के साथ बातचीत की। दहेज, एफआईआर दर्ज नहीं करने, पुलिस और न्यायपालिका का असंवेदनशील व्यवहार, देखे गए भ्रष्टाचार की समस्याएं और पुलिस की अयोग्यता, बलात्कार के मामलों में घटिया और लंबी जांच आदि से संबंधित मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया। तथापि, धारा 498क के संबंध में भिन्न–भिन्न विचार थे। कुछ का सुझाव था कि यह समाधेय (कंपाउंडेबल) होना चाहिए, दूसरों ने महसूस किया कि यदि इसे समाधेय बना दिया जाएगा, तो इससे महिलाओं का उत्पीड़न और बढ़ेगा। सदस्य सचिव ने बैठक की अध्यक्षता की।

4. महिला और मानवाधिकार मामलों संबंधी संसदीय समिति के एक उच्च स्तरीय अफगानिस्तान प्रतिनिधिमंडल ने 27 जनवरी, 2012 को आयोग का दौरा किया। सदस्य सचिव ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया और राष्ट्रीय महिला आयोग के विभिन्न कार्यकलापों के बारे में बताया। भारत में महिलाओं के विभिन्न विषयों के बारे में प्रतिनिधियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के बारे में स्पष्ट किया गया।

5. कर्नाटक से महिला निगम पार्षदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिनांक 31.01.2012 को राष्ट्रीय महिला आयोग का दौरा किया जिसका आयोजन शहरी अनुसंधान केन्द्र, बंगलौर द्वारा शहरी क्षेत्रों में स्थानीय लोकतंत्र और नागरिक भागीदारी के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम के भाग के रूप में आयोजित किया गया था। माननीय अध्यक्षा, राष्ट्रीय महिला आयोग ने प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए उनको राज्य विधानसभाओं और संसद में भी महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण के लिए मांग उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। अध्यक्षा ने कहा कि आयोग, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए कानूनी जागरूकता कार्यक्रम, महिला लोक अदालत आदि के आयोजन के लिए कर्नाटक के प्रस्तावों का स्वागत करता है। निगम पार्षदों को ग्रामीण क्षेत्रों में महिला कानूनों की विशेषता बताने के लिए पहलशक्ति करनी चाहिए।

आयोग की अध्यक्षा, सदस्यों के विदेशी दौरे

1. श्रीमती यासमीन अब्रार, सदस्य और कार्यकारी अध्यक्षा, राष्ट्रीय महिला आयोग ने 'राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों और प्रवासियों के सांस्कृतिक अधिकार; कानूनी पहलू और कार्यान्वयन' पर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में अजरबैजान का दौरा किया।

2. सदस्य (डब्ल्यूएस) ने 14–15 जुलाई, 2011 को जकार्ता का दौरा किया। कोम्नास पेरेम्पूयान द्वारा आयोजित एशिया–पेसिफिक क्षेत्र में महिलाओं के अधिकारों की प्रगति पर द्वितीय क्षेत्रीय सम्मेलन में भाग लिया। इसका विषय 'धर्म और संस्कृति के संदर्भ में महिलाओं के प्रति भेदभाव को दूर करने के संदर्भ में महिलाओं के प्रति हिंसा' था।

सदस्य ने भारत में महिलाओं के प्रति हिंसा की व्याप्त स्थिति– इसके कारण और निदान तथा समस्या को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न उपायों के बारे में भी बोला।

3. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय महिला आयोग ने दक्षिण एशियाई राष्ट्रीय महिला संगठनों के लिए लिंग मेनस्ट्रीमिंग परामर्श मिशन में भाग लेने के लिए सितंबर, 2011 में मनीला, फिलीपिंस का दौरा किया।

अभिरक्षक संस्थाओं का दौरा

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम की धारा 10(10) के अनुसार, राष्ट्रीय महिला आयोग को सौंपे गए कार्यों में से एक कार्य जेलों, रिमांड गृहों, महिला संस्थाओं अथवा हिरासत का कोई अन्य स्थान जहां महिलाओं को कैदी के रूप में अथवा अन्यथा रखा जाता है, का निरीक्षण करना है अथवा निरीक्षण करने की वजह है और उपचारात्मक कार्रवाई यदि आवश्यक पाई जाए, के लिए मामले को संबंधित प्राधिकारियों के साथ उठाना है। हिरासत में महिलाओं की स्थिति का निर्धारण और विश्लेषण करने के लिए, वर्ष 2011–12 के दौरान आयोग की अध्यक्षा और सदस्यों ने निम्नलिखित जेलों का दौरा किया और टिप्पणियां/संस्तुतियां दीः

1. आयोग के एक सदस्य ने उप–मंडल अधिकारी, गाजियाबाद के साथ 15 जून, 2011 को जिला जेल, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश का दौरा किया और जेल अधीक्षक, जेलर सहित अन्य जेल अधिकारियों तथा चिकित्सक से मुलाकात की और जेल की वर्तमान स्थिति पर विचार–विमर्श किया। इसके पश्चात, जेल के महिला वार्ड का दौरा किया। 130 महिला कैदी थी, जिनमें से 24 अभिशंसित थी और धारा 420, 376 तथा अधिकतर 498क के अंतर्गत 104 विचाराधीन कैदी थी। अभिशंसित कैदियों और विचाराधीन कैदियों के बच्चे जिनकी संख्या 21 थी, भी उनके साथ ठहर रहे थे।

   सभी सहवासी, जेल प्राधिकारियों द्वारा प्रदान किए गए प्रबंधन से संतुष्ट थे सिवाए इसके कि वे अपने घरों को वापिस जाना चाहते थे। गर्भवती महिलाओं को उनके प्रसव के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। वहां पर प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर परिचर्या भी थी। जेल में स्थायी पुरूष चिकित्सक था और आपातकाल में अथवा आवश्यकता पड़ने पर जिला अस्पताल, गाजियाबाद की महिला चिकित्सक की सेवाओं का उपयोग किया जाता है।

   निम्नलिखित सुझाव दिए गए :–

   क. चूंकि विचाराधीन कैदियों और अभिशंसितों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए स्थायी महिला चिकित्सक और बाल रोग विशेषज्ञ की बहुत जरूरत है।

   ख. सहवासी, पिछले 18 महीने से 3–4 वर्ष तक जेल में हैं, उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा सकता है ताकि वे सीख सकें और कुछ धन कमा सकें।

2. आयोग के एक सदस्य ने दिनांक 20.09.2011 को उप जेल साडा, वास्को, गोवा का दौरा किया और सहवासियों की समस्याओं की जानकारी लेने के लिए उनसे मिले। एक हाल में 30 सहवासी रखे गए थे और औसत स्थिति का एक शौचघर था। संबंधित अधिकारियों को निम्नलिखित संस्तुतियां की गईं :–

(1) अतिसंकुलता की समस्या का समाधान करने के लिए राज्य सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए।

(2) स्वच्छता को सुधारने के लिए कदम उठाए जाने चाहिएं।

(3) महिला सहवासियों को नियमित आधार पर व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसे हथकरघा, कढ़ाई, कांटे से बुनाई कार्य और सिलाई आदि दिया जाना चाहिए।

(4) महिला कैदियों के लिए एक नियमित मिडिल स्कूल खोला जाना चाहिए।

(5) सहवासियों को उचित चिकित्साएं प्रदान की जानी चाहिएं।

(6) महिला कैदियों को कानूनी सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

(7) उनमें से कुछ को उनके अपराध के बारे में नहीं पता था, उनके मामलों की समीक्षा की जानी चाहिए।

3. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिनांक 09.11.2011 को महिला सुधारक गृह, अलीपुर का दौरा किया। महिला सहवासियों की कुल संख्या 270 थी। उन द्वारा किए गए अपराध दहेज, हत्या, भगाने, अपहरण आदि से संबंधित थे।

महिला सुधारक गृह की स्थिति तुलनात्मक साफ थी और बच्चे जो अपनी माताओं के साथ रह रहे थे, का स्वास्थ्य अच्छा था। तथापि, काफी महिलाओं विशेषकर विदेशी नागरिकों को अपने मामलों को आगे बढ़ाने के लिए कानूनी परामर्श और सहायता की आवश्यकता थी।

4. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिनांक 07.12.2011 को महाराष्ट्र में येरवाडा महिला जेल का दौरा किया। जेल में कुल 340 सहवासी थे जिनमें से 17 महिलाओं के साथ बच्चे थे। उनका सामाजिक–आर्थिक प्रोफाइल दर्शाता है कि उनमें से अधिकतर गरीब और अशिक्षित थीं। उनके अपराधों में हत्या, दहेज संबंधी अपराध, चोरी, डकैती, जेबकतरी, भगाना, अपहरण आदि सम्मिलित थे। इसके अलावा, लगभग 66 विचाराधीन कैदी थी, कुल 274 अभिशंसित थी।

जेल परिसर कार्यात्मक है और तर्कसंगत रूप से पर्याप्त परंतु काफी भीड़भाड़ वाला है। सहवासियों को रात के समय सोने के लिए पर्याप्त स्थान मिलने में असुविधा होती है और नहाने तथा शौच के लिए सामान्य सुविधाएं उपयोग करने में असुविधा होती है। कैदियों की अधिक संख्या को देखते हुए चिकित्सा सुविधाएं अपर्याप्त हैं और जेल में एक पूर्णकालिक चिकित्सक तथा एक और जेलर की आवश्यकता है।

5. आयोग के एक सदस्य ने दिनांक 04.10.2011 को महिला पुलिस थाना, सवाई माधोपुर का दौरा किया और पुलिस में भरोसे और विश्वास के संबंध में संबंधित अधिकारियों के साथ मामले पर विचार–विमर्श किया। महिला डेस्क पर रखे रजिस्टर की भी जांच की। उन्होंने महिला पुलिस थाने के साथ स्थित, सवाई माधोपुर से एक गैर सरकारी संगठन द्वारा संचालित महिला सुरक्षा और सलाह केन्द्र का दौरा भी किया जो घरेलू घटनाओं की रिपोर्टें फाइल करने वाली लड़कियों को परामर्श प्रदान करती है।

6. राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ने दिनांक 03.12.2011 को राजस्थान में जयपुर जेल का, दिनांक 05.03.2012 को सिक्किम जेल का और दिनांक 16.03.2012 को उदयपुर जेल का दौरा किया और सहवासियों की समस्या को कम करने के लिए सुझाव दिए।

आयोग की नई पहलें

1. महिला अधिकार अभियान

क. राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा 19 नवंबर, 2011 को कोटा में एक गैर–सरकारी संगठन के सहयोग से महिला अधिकार अभियान शुरू किया गया। बाद में, इसी कार्यक्रम के एक भाग के रूप में दूसरे गैर–सरकारी संगठन द्वारा सुल्तानपुर के ग्रामीण क्षेत्र में दूसरा कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कोटा, राजस्थान में 'महिला अधिकार अभियान' के अवसर पर
श्रीमती ममता शर्मा, अध्यक्षा, राष्ट्रीय महिला आयोग जनसमूह को संबोधित करते हुए

अभियान का उदघाटन करते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती ममता शर्मा ने कहा कि अभी भी महिलाएं धोखे और अन्याय का शिकार होती हैं, जब वे पुलिस थानों में अपनी शिकायतें दर्ज करवाने आती हैं तो उनकी शिकायतें दर्ज नहीं की जाती हैं। यद्यपि, महिलाओं के पक्ष वाले कानूनों को आयोजित करने का निर्णय लिया है। आधिक्य है फिर भी इनको उचित तरीके से कार्यान्वित नहीं किया जाता है और महिलाओं को उनसे कोई राहत नहीं मिलती है।

इसलिए, महिलाओं के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए शिक्षा और विकास तथा महिला अधिकार कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना आवश्यक है। उन्होंने यह बताया कि इस प्रकार राष्ट्रीय महिला आयोग ने शुरू में ऐसे कार्यक्रम 4 राज्यों – राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश और केरल में करना तय किया।

ख. बाद में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा एक गैर–सरकारी संगठन के सहयोग से उदयपुर में महिला अधिकार अभियान आयोजित किया गया।

उदयपुर में महिला अधिकार अभियान' के अवसर पर श्रीमती ममता शर्मा, अध्यक्षा, राष्ट्रीय महिला आयोग जनसमूह को संबोधित करते हुए

ग. यह 16.12.2011 को बूंदी में भी आयोजित किया गया।

घ. देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भी महिला अधिकार कार्यक्रम आयोजित किए गए।

2. **नुक्कड़ नाटक और अन्य प्रचार**

15 अगस्त, 2011 को राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं से संबंधित मुद्दों और उनके अधिकारों पर जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से नई दिल्ली के बुराड़ी और रघुबीर नगर में 2 नाटक मंडलियों द्वारा नुक्कड़ नाटक आरंभ करवाए क्योंकि नुक्कड़ नाटकों को लक्षित श्रोताओं में समकालीन मुद्दों पर संदेशों के सीधे प्रचार–प्रसार का साधारण और प्रभावी तरीका माना जाता है।

नाटक, मुख्यतः कन्या भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, लड़कियों की शिक्षा के लिए आवश्यकता, लिंग समानता आदि जैसे मुद्दों पर केन्द्रित होते हैं; और उन दंडों और सजाओं को भी बताते हैं जो उन अपराधकर्ताओं जो महिलाओं से संबंधित कानूनों का उल्लंघन करते हैं, को मिलती हैं।

3. मेट्रो स्टेशनों पर विज्ञापन – 12 अगस्त, 2011 को राष्ट्रीय महिला आयोग ने यूएन वीमेन के सहयोग से मेट्रो स्टेशनों के माध्यम से विज्ञापन देकर विभिन्न महिला मुद्दों पर तीन माह का अभियान शुरू किया। इस अभियान में दिल्ली मेट्रो लाइन 1 और लाइन कवर की गई थी। यह 12 नवंबर, 2011 तक चला।

4. (क) राष्ट्रीय महिला आयोग ने 20 अगस्त, 2011 को प्रिंट मीडिया के माध्यम से कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम,, बलात्कार, दहेज, घरेलू हिंसा, अनिवासी भारतीयों जैसे पांच मुद्दों पर पान इंडिया अभियान शुरू किया। 30 अगस्त, 2011 को प्रिंट मीडिया के माध्यम से सदृश पान इंडिया अभियान को उर्दू भाषा में शुरू किया गया।

(ख) पान इंडिया अभियान के रूप में, राष्ट्रीय महिला आयोग ने गैर–सरकारी संगठनों के तकनीकी सहयोग से आसानी से समझे जानी वाली पुस्तिका तैयार की जो घरेलू हिंसा, दहेज, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, अनिवासी मुद्दों आदि पर कानूनी साक्षरता में सहायता करेगी।

(ग) राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिनांक 11.03.2012 से 17.03.2012 तक की अवधि के दौरान दूरदर्शन और विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय के माध्यम से घरेलू हिंसा के विरुद्ध, बाल विवाह, गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक अधिनियम और संबंधित विषयों पर अखिल भारतीय अभियान कार्यक्रम का प्रारंभ किया।

(घ) राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिनांक 24.03.2012 से 30.03.2012 तक की अवधि के दौरान घरेलू हिंसा, अनिवासी भारतीय विवाह मुद्दों, दहेज, गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक अधिनियम और संबंधित विषयों पर विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा तैयार किए गए वीडियो स्पॉट्स का विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय के माध्यम से टेलीविजन पर प्रसारण किया।

(ड.) राष्ट्रीय महिला आयोग ने समाचार पत्रों के माध्यम से क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम पर विशेष अभियान प्रारंभ किया।

5. राष्ट्रीय महिला आयोग ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के प्रति महिलाओं की रक्षा के लिए 'आचार संहिता' को विकसित करके महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने में एक कदम आगे बढ़ाया है। एनटीपीसी के सहयोग से सार्वजनिक उद्यमों के स्थायी सम्मेलन (स्कोप) द्वारा आयोजित एक सेमिनार में 29 नवंबर, 2011 को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती ममता शर्मा ने 'आचार संहिता' को विस्तार से बताने वाला एक पोस्टर जारी किया।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से महिलाओं की सुरक्षा के लिए 'आचार सहिंता' दर्शाते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा तैयार किया गया और स्कोप पर जारी किया गया एक पोस्टर

डॉ. चारू वलीखन्ना, सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग ने यौन उत्पीड़न पर प्रस्तावित विधेयक पर एक प्रस्तुति दी। इस अवसर पर स्कोप अध्यक्ष और सीएमडी, एनटीपीसी, महानिदेशक, स्कोप ने भी भाषण दिया।

6. राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ने नानकपुरा पुलिस थाना, नई दिल्ली में महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष पुलिस यूनिट की वेबसाइट को आरंभ किया और उन्होंने कहा कि इस वेबसाइट से महिलाओं और बच्चों को अपनी शिकायतें और परिवादों को बिना किसी भय अथवा हिचक के दर्ज करवाने में सहायता मिलेगी। आयोजकों से वेबसाइट हिन्दी में भी बनाने का अनुरोध किया गया ताकि हिन्दी बोलने वाली महिलाएं इसको आसानी से समझ सकें। पुलिस कर्मचारियों से महिलाओं के साथ मैत्रीपूर्ण बर्ताव करने का अनुरोध किया गया।

7. आयोग ने गुजरात में प्रायोगिक आधार पर व्यथित महिलाओं के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन आवाज संवाद 24x7 कॉल सेंटर सुविधा जहां पर महिलाएं अपनी शिकायतें दर्ज करवाने के लिए फोन कर सकती हैं, आरंभ करने के लिए एक एजेंसी रखने की व्यवस्था की है। इस संबंध में बजटीय आवश्यकता का एक प्रस्ताव महिला और बाल विकास

मंत्रालय को भेजा गया और वर्ष 2011–12 के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग को आबंटित एकमुश्त बजट में से इस प्रयोजन के लिए 30 लाख ₹ अलग से रख दिए गए।

8. राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती ममता शर्मा ने विशेषकर महिलाओं पर किए गए घोर अपराधों जैसे बलात्कार, दहेज, मौत, घरेलू हिंसा, अनैतिक व्यापार, यौन प्रहार आदि से संबंधित मामलों में तीव्र निपटान और अनुकरणीय दंड देने के लिए 'एकमात्र' फास्ट ट्रैक न्यायालय स्थापित करने के लिए केन्द्रीय कानून मंत्री को एक पत्र लिखा है।

अध्यक्षा ने विधि कार्य मंत्रालय से महिलाओं के प्रति अपराधों से निपटने के लिए 'एकमात्र' फास्ट ट्रैक न्यायालय की स्थापना के मुद्दे को राज्यों के मुख्य न्यायधीशों के साथ उठाने का अनुरोध किया और यह भी अनुरोध किया कि इस मुद्दे पर समग्र रूप से ध्यान देने के लिए पर्याप्त बजटीय प्रावधान सहित न्यायिक अधिकारियों, जो संबंधित कानूनों में निपुण हों, की पर्याप्त संख्या में विशेष भर्ती और प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी।

9. राष्ट्रीय महिला आयोग ने उच्चतम न्यायालय के आदेशों पर वृंदावन की विधवाओं पर एक सर्वेक्षण करवाया और इसके पश्चात् अपने निष्कर्ष अप्रैल, 2010 में उच्चतम न्यायालय में जमा करवाए।

सर्वेक्षण के निष्कर्षों में एक निष्कर्ष यह था कि कई विधवाएं राशन कार्ड और अन्य प्रासंगिक लाभ प्राप्त करने में असमर्थ हैं क्योंकि उनके पास निवास का प्रमाण पत्र नहीं है।

एक महत्वपूर्ण पहल में, राष्ट्रीय महिला आयोग ने महानिदेशक और मिशन निदेशक, यूआईडी को ऐसी विधवाओं को विशिष्ट पहचान कार्ड जारी करने का मामला उठाया है जो उनको और सुविधाएं जैसे राशन कार्ड आदि प्रदान करने के प्रति पहला कदम होगा।

10. राष्ट्रीय महिला आयोग ने राज्य महिला आयोगों में अध्यक्ष के रिक्त पदों को भरने के लिए कुछ मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है।

11. राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक प्रेस कांफ्रेंस में एक राज्य के पुलिस महानिदेशक द्वारा की गई टिप्पणियों जिसमें बलात्कार मामलों में वृद्धि को महिलाओं के कपड़ों से जोड़ा गया है और बाद में इस मुद्दे पर विभिन्न सामाजिक मंचों द्वारा की गई टिप्पणियों पर चिंता व्यक्त की।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने राज्य सरकार से इस मामले में टिप्पणियों सहित एक रिपोर्ट मांगी है।

12. आयोग ने एक समाचार पत्र में प्रकाशित उस समाचार का स्वतः संज्ञान लिया है जिसमें प्रशासन ने वाणिज्यिक संस्थापनों को यदि कोई महिला कर्मचारी निर्धारित समय के बाद कार्य करना चाहती है, के लिए श्रम विभाग से पूर्व अनुमति लेने के लिए निर्देश दिए हैं। नियोक्ता को महिलाओं, यदि उनको सायं 8 बजे के बाद कार्य करने की अनुमति दी जाती है, को घर पहुंचाने के लिए वाहन भी उपलब्ध करवाने के अनुदेश दिए गए।

विशेष अधिनियम, 1958 से संबंधित पुलिस उपायुक्त द्वारा संदर्भ और रात्रि शिफ्टों में कार्य करने के लिए महिलाओं को अनुमति देने के लिए श्रम विभाग से अनुमति प्राप्त करने की नियोक्ताओं की जिम्मेदारी के परिणामस्वरूप वास्तव में किसी भी तरह से चौबीसों घंटे कार्यस्थल पर महिलाओं की पहुंच न बनाएं। इस मामले में राज्य सरकार से एक रिपोर्ट मंगवाई गई।

13. वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा के माध्यम से राज्य महिला आयोगों के साथ राष्ट्रीय महिला आयोग की नेटवर्किंगः– आयोग को अपनी भूमिका मजबूत और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अन्य मुख्यालयों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिग सुविधा के माध्यम से राष्ट्रीय महिला आयोग मुख्यालय को जोड़ने की आवश्यकता थी जिसका उद्देश्य विभिन्न सांझे मुद्दों पर कांफ्रेंस करना था, ऐसी प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता की संस्तुति महिला सशक्तिकरण संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने भी की थी। पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के राज्य महिला आयोगों के साथ ड्राई रन किया गया है। विभिन्न राज्य महिला आयोगों को राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा स्थापित तरीकों और प्रौद्योगिकी पर संबोधित किया गया।

14. महिला मुद्दों को संभालने के लिए पुलिस को सुग्राही बनाने के लिए 'घर बचाओ परिवार बचाओ' परियोजना जिसका अब 'हिंसा मुक्त घर – महिलाओं का अधिकार' के रूप पुनः नामकरण किया गया है, को मार्च 2013 तक जारी रखने की अनुमति दी गई।

15. एसआईयू के आधार पर स्टॉफ के पुनर्गठन के प्रस्ताव पर कार्रवाई की गई और प्रस्ताव को आगे विचारार्थ नोडल मंत्रालय महिला और बाल विकास मंत्रालय को भेजा गया।

डाटा आधारित प्रबंधन/पुरानी शिकायतों की अपलोडिंग

16. आयोग में वर्ष 2000–06 के दौरान प्राप्त शिकायतों को कई कारणों की वजह से पहले डाटाबेस में अपलोड नहीं किया गया था। माननीय अध्यक्षा के निर्देशों पर, सरकारी संगठन एनआईसीएसआई के माध्यम से सहायक प्रोग्रामर और डाटा एंट्री ऑपरेटरों जैसे पेशेवरों की आउटसोर्सिंग करके नवंबर, 2011 में यह कार्य शुरू किया गया। वर्ष 2000–05 से संबंधित लगभग 49,298 पुराने मामलों को क्लोजर/डीम्ड क्लोज स्थिति सहित डाटा बेस में डाल दिया गया है जबकि वर्ष 2006 के लिए प्रविष्टि कार्य प्रगति में है।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया

17. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए, राष्ट्रीय महिला आयोग ने नई दिल्ली में एक समारोह आयोजित किया। कार्यक्रम की शुरूआत दीपक जलाकर की गई। इसके पश्चात, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, गीत और नाटक प्रभाग की एक मंडली ने 'वंदे मातरम' का गायन किया।

'भारत में लिंग अनुपात को समझना, 2012' रिपोर्ट, राष्ट्रीय महिला आयोग और यूएन वीमेन की एक संयुक्त पहल, जारी की गई। यह रिपोर्ट किसी क्षेत्र/राज्य के सूचक/सूचकों पर गहन अध्ययन प्रदान करने के अवसर प्रदान करती है और यह सामाजिक वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं और कार्यकर्ताओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

यह रिपोर्ट मंत्रालयों और आयोगों से एकत्रित अनुपूरक आंकड़ों की विस्तृत प्रस्तुति और विश्लेषण है। समानता के संकेतकों को तीन अलग–अलग श्रेणियों – महिला उत्तरजीविता, महिला स्वतंत्रता और महिला प्रत्यक्षता में विभाजित किया गया है। महिला प्रत्यक्षता वाले अध्याय में पेशेवर व्यावसायों और राजनैतिक भागीदारी सहित सभी मोर्चों पर महिलाओं की भागीदारी पर विचार सम्मिलित हैं।

राष्ट्रीय महिला आयोग, संयुक्त राष्ट्र संघ की महिलाओं के साथ 'भारत में लिंग समानता को समझना' विषय पर रिपोर्ट जारी करते हुए

इस अवसर पर बोलते हुए, श्रीमती वीना मजुमदार, विशेष आमंत्रित, ने भारत में महिलाओं की स्थिति पर वर्ष 1974 में प्रकाशित पहली रिपोर्ट को याद किया। उन्होंने कहा कि प्रतिष्ठित सामाजिक वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं और महिला कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदान की गई प्रचुर सहायता की वजह से ही रिपोर्ट को तैयार करना संभव हुआ।

रिपोर्ट से उद्धृत करते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की एक सदस्य ने विशेष उल्लेख किया कि कैबिनेट पदों पर 8 प्रतिशत से कम, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में 9 प्रतिशत से कम और प्रशासकों एवं प्रबंधक के पदों पर 12 प्रतिशत से कम महिलाएं हैं।

इस अवसर पर बोलते हुए, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती ममता शर्मा ने शिकायतों से निपटने, अनुसंधान अध्ययन शुरू करने, विधान की समीक्षा करने, संशोधन प्रस्तावित करने और महिलाओं के अधिकारों के गंभीर उल्लंघन का स्वतः संज्ञान लेने सहित विभिन्न क्षेत्रों में पिछले वर्षों के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा शुरू की गई पहलों और किए गए कार्यों को संक्षिप्त रूप से बताया। उन्होंने कहा 'इस वर्ष राष्ट्रीय महिला आयोग का केन्द्र बिंदु पंचायत और ग्राम स्तरों तक महिलाओं के पास पहुंचकर लिंग असमानता को दूर करना है क्योंकि कई महिलाओं को अपने अधिकारों का पता नहीं होता है।' अध्यक्षा ने शिक्षा द्वारा अदा की जाने वाली भूमिका और

सरकारी स्कीमों जिनका लक्ष्य महिलाओं का संपूर्ण सशक्तिकरण है, के उपयुक्त कार्यान्वयन और महिलाओं को अधिकार देना सुनिश्चित करने पर जोर दिया। श्रीमती शर्मा ने जोर दिया कि आने वाले वर्ष में राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्य केन्द्र बिंदु शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ की कार्यप्रणाली को सुदृढ़ बनाने और सुधारने, राज्य महिला आयोगों के साथ नेटवर्किंग, वीडियो–कांफ्रेंसिंग संपर्क स्थापित करने, घटते लिंग अनुपात पर कार्य करने, कारपोरेट और सरकारी क्षेत्र में यौन उत्पीड़न के निवारण के क्षेत्रों में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार मॉनीटरिंग करने, पीडब्ल्यूडीवी अधिनियम के उपयुक्त कार्यान्वयन के समर्थन पर होगा।

बाद में, कार्यक्रम में, दुर्भाग्य के बावजूद अपने अदम्य उत्साह और साहस तथा महिलाओं के अधिकारों हेतु कार्य करने के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाली महिलाओं जिनमें आंखों से और शारीरिक रूप से अपंग महिलाएं भी शामिल थीं, का सम्मान किया गया।

माननीय अध्यक्षा, राष्ट्रीय महिला आयोग 13 मार्च 2012 को 'अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस' के अवसर पर कुछ पुरस्कार विजेताओं के साथ

वात्सल्य मेले में भागीदारी:

18. राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिनांक 14.11.2011 से दिनांक 19.11.2011 तक की अवधि के दौरान, दिल्ली हाट में महिलाओं से संबंधित स्कीमों, कार्यक्रमों और महिला अधिकारों के बारे में सूचना के प्रसार के माध्यम से राष्ट्रीय महिला आयोग सहित महिला और बाल विकास मंत्रालय के कार्यकलापों को उजागर करने के लिए वात्साल्य मेले में भाग लेने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय के साथ समन्वय किया। आयोग को संबंधित स्टॉल में घरेलू हिंसा, दहेज, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, अनिवासी भारतीय विवाहों से संबंधित समस्याओं, नुक्कड़ नाटकों के

माध्यम से व्यस्क लड़कियों जैसे महिला मुद्दों का व्यापक प्रचार किया और विभिन्न संगठनों के समन्वय से विचार–विमर्श भी आयोजित किया गया।

सरोजनी नायडू सेंटर फॉर वीमेन स्टडीज, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के सहयोग से दिनांक 15.11.2011 को राष्ट्रीय महिला आयोग ने घरेलू हिंसा पर विचार–विमर्श आयोजित किया। सरोजनी नायडू सेंटर फॉर वीमेन स्टडीज की अवैतनिक निदेशक ने घरेलू हिंसा के विभिन्न रूपों–शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, भावात्मक, आर्थिक और यौन दुर्व्यवहार पर ध्यान आकर्षित किया।

स्टॉल में, महिलाओं संबंधी मुद्दों और कार्यकलापों पर सूचना के प्रचार के लिए बालिका बचाओ, दहेज, घरेलू हिंसा जैसे विभिन्न विषयों पर पोस्टर, दहेज और घरेलू हिंसा पर पुस्तिकाएं तथा महिलाओं संबंधी कानूनों पर पुस्तिकाएं रखी गई थीं।

19. दो सदस्यों और सदस्य सचिव वाले एक तीन सदस्यीय दल ने विशेषकर महिलाओं के प्रति अपराधों में हाल ही में हुई तेजी को देखते हुए पश्चिम बंगाल का दौरा किया। इस दल ने मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, पुलिस आयुक्त और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की और महिलाओं से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार–विमर्श किया। मुख्य सचिव ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार ने बलात्कार की घटनाओं सहित महिलाओं के प्रति प्रहारों और हिंसा का संज्ञान ले लिया है और जांच चल रही है।

बाद में, प्रतिनिधिमंडल ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी से मुलाकात की और राष्ट्रीय महिला आयोग की चिंता के क्षेत्रों पर विस्तृत विचार–विमर्श किया। इस दल ने मुख्यमंत्री के सकारात्मक व्यवहार और इस आश्वासन कि महिलाओं के प्रति अपराधों की सभी घटनाओं की निष्पक्ष जांच की जाएगी, की सराहना की।

बाद में, इस दल ने राज्य महिला आयोग और अन्य महिला समूहों से मुलाकात की और अपनी चिंताओं को जताया। अपनी सिफारिशें देते हुए, दल ने अन्य बातों के अलावा, सभी मामलों में तटस्थ जांच, पीड़ितों को वित्तीय क्षतिपूर्ति, के लिए समय–बद्ध जांच, पीड़ित की तुरंत चिकित्सा जांच और पश्चिम बंगाल के लिए 24x7हेल्प लाइन स्थापित करने का सुझाव दिया।

आयोग का सूचनापत्रः राष्ट्र महिला

20. आयोग द्वारा प्रकाशित सूचनापत्र 'राष्ट्र महिला' आयोग द्वारा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित मासिक सूचनापत्र 'राष्ट्र महिला' के माध्यम से देशभर में महिला कार्यकर्ताओं, कानून जगत के सदस्यों, प्रशासकों, न्यायपालिका के सदस्यों, गैर–सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों, विद्वानों और छात्रों को आयोग के कार्यक्रमों के बारे में सूचना पहुंचाना जारी रखा गया। इस सूचनापत्र में आयोग के क्रियाकलापों तथा साथ ही आयोग में दायर की गई शिकायतों के निपटान और महिलाओं के हितों को प्रभावित करने वाले महत्त्वपूर्ण अदालती और सरकारी निर्णयों का विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है। मुद्रण की बढ़ती लागत के बावजूद, यह सूचनापत्र सभी पाठकों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। मासिक सूचनापत्र आयोग की वेबसाइट www.ncw.nic.in. पर भी उपलब्ध है।

2 राष्ट्रीय महिला आयोग और अन्य संगठनों द्वारा आयोजित/प्रायोजित प्रैस कांफ्रेंस, सेमिनार, कार्यशालाएं, जन सुनवाईयां, बैठकें

1. राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास ने अपने 6 वर्ष के कार्यकाल के दौरान मीडिया के समर्थन और सहयोग के लिए धन्यवाद देते हुए 06.04.2011 को एक प्रैस कांफ्रेंस बुलाई। उनकी पहली प्राथमिकता महिलाओं का सशक्तीकरण थी। उन्होंने आधार स्तर की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 'चलो गांव की ओर' कार्यक्रम शुरू किया।

   उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान बलात्कार, संपोषण, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न आदि से संबंधित महत्वपूर्ण कानूनों को सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया।

   विषम लिंग अनुपात पर एक प्रश्न का उत्तर देते हुए डॉ. व्यास ने कहा कि यद्यपि गर्भधारण–पूर्व और प्रसव–पूर्व नैदानिक तकनीक अधिनियम एक प्रभावशाली विधान है परंतु इसमें कुछ कमियां थी जो राष्ट्रीय महिला आयोग ने सरकार को बताई हैं।

2. राष्ट्रीय महिला आयोग की कार्यकारी अध्यक्षा के रूप में कार्यभार ग्रहण करने पर सदस्य श्रीमती यासमीन अब्रार ने दिनांक 21.05.2011 को मीडिया के साथ बातचीत करने के लिए एक प्रैस कांफ्रेंस बुलाई।

   कार्यकारी अध्यक्षा ने कहा कि वे आयोग के चल रहे कार्यक्रमों को जारी रखेंगी और आधार स्तर की महिलाओं के साथ सीधा संपर्क स्थापित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यक्रम 'चलो गांव की ओर' पर विशेष जोर रहेगा।

   महिलाओं की सुरक्षा पर एक प्रश्न का जवाब देते हुए, श्रीमती अब्रार ने कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने पुलिस आयुक्त के साथ कई बैठकें की हैं जिन्होंने महिलाओं की रक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपाय करने का आश्वासन दिया।

3. श्रीमती ममता शर्मा जिन्होंने 02 अगस्त, 2011 को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा के रूप में कार्यभार ग्रहण किया, ने आयोग को और प्रभावी बनाने के लिए अपनी कार्रवाई योजना और प्राथमिकताओं के बारे में विस्तार से बताया। अध्यक्षा ने कहा कि आयोग का मुख्य केन्द्र बिंदु अधिक से अधिक महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक बनाकर उनको सशक्त बनाना होगा। आयोग ने अधिक लोगों विशेषकर महिलाओं तक पहुंचने के लिए महिलाओं के विभिन्न मुद्दों के बारे में स्थानीय भाषा में विज्ञापन देने के लिए राज्यों से कहा है। इसके अलावा, आयोग ने महिला रक्षित विभिन्न सरकारी स्कीमों को उपयुक्त रूप से लागू करने के लिए राज्य सरकारों से कहा है। दैनिक कार्यों में राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने आ रही बाधाओं के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि आयोग को और

शक्तियां देने तथा कमियों को पूरा करने के लिए सभी स्तरों पर और स्टाफ प्रदान करने की आवश्यकता है। उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों की नियुक्ति में तेजी लाने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय को भी पत्र लिखा है।

4. आयोग में 90 दिन पूरे होने पर, अध्यक्षा श्रीमती ममता शर्मा ने एक प्रैस कांफ्रेंस आयोजित की और अध्यक्षा के रूप में कार्यभार ग्रहण करने पर मीडिया को राष्ट्रीय महिला आयोग की प्राथमिकताओं और उद्देश्यों के बारे में बताया।

आयोग में 90 दिन पूरे करने पर श्रीमती ममता शर्मा, अध्यक्षा, राष्ट्रीय महिला आयोग, सदस्य और सदस्य–सचिव के साथ नवंबर, 2011 को नई दिल्ली में महिला अधिकार अभियान का लोगो लॉंच करते हुए

अध्यक्षा ने बताया कि वे न केवल महिलाओं के सशक्तीकरण पर ध्यान केन्द्रित करेंगी बल्कि स्वास्थ्य परिचर्या और शिक्षा सहित उनकी वृद्धि और विकास पर भी ध्यान केन्द्रित करेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं के प्रति किए गए अत्याचारों को नीचे लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय महिला आयोग, पुलिस और मीडिया के बीच पारस्परिक संपर्क होना चाहिए। श्रीमती शर्मा ने कहा कि आयोग की योजना व्यथित महिलाओं के लिए एक टोल फ्री हेल्पलाइन शुरू करने की है जहां महिलाएं अपनी शिकयतें दर्ज कराने के लिए फोन कर सकती हैं।

हेल्प लाइन/कॉल सेंटर जरूरतमंद महिलाओं को परामर्श और तुरंत सहायता भी प्रदान करेगा।

अध्यक्षा ने यह भी वादा किया कि आयोग में कई वर्षों से लंबित मामलों पर तेजी से कार्यवाही की जाएगी और कारपोरेट सेक्टर में कार्यरत महिलाओं को त्वरित न्याय दिया जाएगा यदि वे कार्यस्थल पर सामाजिक और यौन उत्पीड़न की शिकार बनती हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के अधिकारों के बारे में 14 नवंबर, 2011 को

एक जागरूकता अभियान प्रारंभ में पांच राज्यों अर्थात् राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, केरल और पंजाब में शुरू करने का भी निर्णय लिया है।

5. अध्यक्षा, राष्ट्रीय महिला आयोग ने भोपाल में जन सुनवाई में भाग लिया और इंदौर तथा अन्य जिलों का दौरा किया जहां उन्होंने कई प्रैस कांफ्रेंस आयोजित की।

आयोग द्वारा आयोजित अथवा प्रायोजित/सह–प्रायोजित महत्वपूर्ण सेमिनार/कार्यशालाएं/ परामर्श/बैठकें

1. महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुरोध के अनुसार राष्ट्रीय महिला आयोग के कांफ्रेंस रूम में 2 मई, 2011 को दहेज निरोधक अधिनियम, 1961 में संशोधनों पर एक परामर्श आयोजित किया गया जिसमें पुलिस अधिकारियों, राज्यों के महिला और बाल विभागों के अधिकारियों और संबंधित मंत्रालयों और संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया जिन्होंने विधि और न्याय मंत्रालय के प्रारूप दहेज निरोधक (संशोधन) विधेयक, 2010 पर विचार–विमर्श किया। बैठक की शुरूआत प्रारूप संशोधन पर प्रस्तुति के साथ शुरू हुई जिसके पश्चात् भारतीय दंड संहिता की धारा 498(क) पर विस्तृत विचार–विमर्श हुआ तथा यह सुझाव दिया गया कि सजा को और सख्त बनाया जाए।

   सामान्यतः निम्नलिखित के संबंध में सहमति थी:–

   क. 'विवाह के संबंध में' शब्द का विलोपन।

   ख. दहेज देने वाले को सजा नहीं दी जानी चाहिए।

   ग. कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, पीडब्ल्यूडीवी अधिनियम के साथ दहेज निरोधक अधिनियम को संगत करने पर आम सहमति थी। संरक्षण अधिकारी दहेज निरोधक अधिकारी भी हो सकता है बशर्ते अधिकारी की पूर्णकालिक नियुक्ति हो। पर्याप्त अवसंरचना और सहायक स्टॉफ उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। ऐसे मामलों से निपटने के लिए महिला जेल में संरक्षण अधिकारियों के स्थान निर्धारण की प्रणाली हरियाणा में सफलतापूर्वक चल रही है और इसको पूरे देश में दोहराया जा सकता है।

   घ. भारतीय दंड संहिता की धारा 304(ख) में 7 वर्ष की सीमा को निकाल देना चाहिए।

2. राजभाषा के रूप में हिन्दी पर विभिन्न मुद्दों पर 05.08.2011 को राष्ट्रीय महिला आयोग में एक सेमिनार आयोजित किया गया।

3. राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों के एक गैर–सरकारी संगठन द्वारा मुंबई में 28.08.2011 को 'अपराध पीड़ित महिलाओं को क्षतिपूर्ति' पर एक सेमिनार आयोजित किया गया।

   न्यायमूर्ति ए. के. गांगुली, न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय ने मुख्य भाषण दिया।

   मजलिस संगठन के निदेशक ने राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा यथा–संस्तुत बलात्कार पीड़ितों के लिए राहत और पुनर्वास की स्कीम के पर्यावलोकन को बताया और उन्होंने कहा कि दावा करने का भार व्यक्तिगत पीड़ित पर नहीं

थोपा जाना चाहिए। पुलिस स्टेशनों और सार्वजनिक अस्पतालों को सूचना अवश्य दी जानी चाहिए जहां पीड़ित सबसे पहले जाता है और बलात्कार पीड़ितों को कम से कम अंतरिम क्षतिपूर्ति अवश्य अदा की जानी चाहिए।

उदघाटन भाषण की अध्यक्षता करते हुए, डॉ. चारूवलीखन्ना, सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग ने राष्ट्रीय महिला आयोग के अधिदेश और अपराध पीड़ित महिलाओं की पीड़ाओं को सुधारने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा उठाए गए कदमों पर भाषण दिया। बाद में, परामर्श ने विभिन्न राज्यों द्वारा अंगीकार की गई विभिन्न स्कीमों पर विचार–विमर्श किया और यह खोज की कि क्या स्कीम के वर्तमान कार्यक्षेत्र को बलात्कार के अलावा अपराध पीड़ितों को शामिल करने के लिए बढ़ाया जा सकता है।

परामर्श में 80 से ज्यादा भागीदारों ने भाग लिया जिनमें वकील, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद् और गैर–सरकारी संगठन सम्मिलित थे।

4. नई दिल्ली में 26.08.2011 को राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा एक कानूनी संगठन के सहयोग से पीडब्ल्यूडीवीए, 2005 के कार्यान्वयन की स्थिति पर नोडल विभागों की एक बैठक बुलाई गई थी।

5. राष्ट्रीय महिला आयोग ने 29.08.2011 को मुंबई में महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग के साथ राज्य स्तरीय पारस्परिक संपर्क में भाग लिया।

6. राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ने 27.09.2011 को वाराणसी में कार्मेल स्कूल के परिसर में 'महिला सशक्तीकरण' पर आयोजित एक सेमिनार में भाग लिया।

इस अवसर पर बोलते हुए श्रीमती शर्मा ने कहा कि देश के कई दूरस्थ भागों में महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा के संरक्षण के लिए प्रवर्तित कानूनों के बारे में महिलाएं पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं। उन्होंने गैर–सरकारी संगठनों से आगे आने और आधार स्तर की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कार्य करने का अनुरोध किया और ऐसे अपराधों को करने वालों के लिए कठोर दंड की सिफारिश की।

7. सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग ने उत्तराखंड महिला आयोग द्वारा आयोजित घरेलू हिंसा पर कानूनी साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 22.09.2011 को देहरादून का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान, सदस्य ने अविवाहित महिलाओं की व्यथाओं को सुना।

उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के साथ भी मुलाकत की और घरेलू हिंसा के बढ़ते मामलों विशेषकर हल्द्वानी, ऊधमसिंह नगर आदि, के मुद्दे पर विचार–विमर्श किया।

8. राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ने 24.09.2011 को इंदौर में कन्या भ्रूणहत्या और प्रसव–पूर्व नैदानिक तकनीक अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम, महिलाओं के प्रति अपराधों की घटनाओं के संबंध में इंदौर के संबंधित जिला प्राधिकारियों के साथ बैठक की।

9. आयोग के एक सदस्य ने 03.10.2011 को सवाई माधोपुर में 'महिला सशक्तीकरण विकास – मुद्दें और चुनौतियां' पर एक सेमिनार में भाग लिया।

10. राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से केनरा बैंक द्वारा 15.10.2011 को बंगलौर में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न' पर एक कार्यशाला में भाग लिया। भागीदारों में विजय बैंक, सिंडीकेट बैंक, कारपोरेशन बैंक और स्टेट बैंक ऑफ मैसूर के प्रतिनिधि सम्मिलित थे।

इस अवसर पर बोलते हुए, केनरा बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ने कहा कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से महिला कर्मचारियों की रक्षा करना प्रत्येक संगठन की जिम्मेदारी है।

इस अवसर पर, अंग्रेजी अनुवाद सहित कन्नड़ में 'कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देश' पर एक पुस्तक भी जारी की गई।

11. नई दिल्ली में विज्ञान भवन में 23 नवंबर, 2011 को राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा संयुक्त रूप से 'भारत में मानव अवैध व्यापार को रोकना और उसका सामना करना' पर एक राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया तथा इसमें वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, राज्य महिला आयोगों के अध्यक्षों और गैर–सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

उदघाटन–भाषण देते हुए, अध्यक्षा, राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा कि मानव अवैध व्यापार का सामना करने के लिए, सभी स्तरों पर कई लघुकालिक और दीर्घकालिक उपाय शुरू करने की आवश्यकता है। मानव अवैध व्यापार के बारे में लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने की तत्काल आवश्यकता है जिसमें मीडिया एक बहुत प्रभावी भूमिका निभा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि इसका सामना करने के लिए गरीबी–उन्मूलन उपाय भी आवश्यक हैं।

श्रीमती ममता शर्मा, अध्यक्षा, राष्ट्रीय महिला आयोग, विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 'भारत में अनैतिक मानव व्यापार' विषय पर राष्ट्रीय सेमीनार को संबोधित करते हुए

यह सूचित किया गया कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं और लड़कियों के अवैध व्यापार का सामना करने के मुद्दे पर स्त्रोत पर ही समस्या पर ध्यान देने के लिए संयुक्त रूप से कार्य करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके यूनिफेम के साथ भागीदारी आरंभ की है। अवैध व्यापार को रोकने के लिए समुदाय कार्रवाई को सुग्राही बनाने के

लिए 6 राज्यों में शुरू की गई है। प्राथमिकता वाली कवायदों में से एक कवायद अध्ययनों के द्वारा स्त्रोत क्षेत्रों की मैपिंग करना और सेमिनारों के माध्यम से जागरूकता पैदा करना होगा। राजस्थान, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में सुभेद्य मैपिंग की गई है।

इस अवसर पर बोलते हुए, श्री राजीव शर्मा, महासचिव, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस खतरे का सामना करने के लिए विशेष कार्रवाई योजना बनाने और इस जघन्य कार्य में संलिप्त लोगों को पकड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉ. चारू वलीखन्ना, सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग ने मुद्दे की गंभीरता पर विचार किया और कुछ केस अध्ययनों का उद्धरण दिया। श्रीमती अनीता अग्निहोत्री, सदस्य सचिव, राष्ट्रीय महिला आयोग ने अवैध व्यापार को रोकने के प्रयासों को जारी रखने की आवश्यकता पर जोर दिया।

दिन में बाद में, मानव अवैध व्यापार–सुभेद्य मैपिंग, मानव अवैध व्यापार से निपटना: कानूनी ढांचा और अवैध व्यापार पीड़ितों के सशक्तीकरण के लिए कार्यक्रमों/स्कीमें तथा मानव अवैध व्यापार का सामना करने के लिए एकीकृत कार्रवाई योजना के मुद्दों पर तीन पैनल विचार–विमर्श आयोजित किए गए।

12. अध्यक्षा, राष्ट्रीय महिला आयोग ने जबलुपर में 10.11.2011 को महिलाओं के प्रति बढ़ते अत्याचारों के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ बैठक की।

13. आयोग के सदस्य सचिव ने 08.11.2011 को कोलकाता में पश्चिम बंगाल राज्य महिला आयोग और चुनिंदा गैर–सरकारी संगठनों के साथ महिलाओं की कानूनी पात्रता और आजीविका से संबंधित प्रमुख क्षेत्रों पर बैठक की।

14. कोलकाता आधारित सामाजिक संगठन ने कोलकाता में 10 और 11 दिसंबर, 2011 को 'महिलाओं का सशक्तीकरण राष्ट्र का सशक्तीकरण है' पर एक सेमिनार और फोटोग्राफी प्रदर्शनी का आयोजन किया।

इसने सफलता प्राप्त तीन महिलाओं का सम्मान किया।

सेमिनार का उदघाटन करते हुए, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ने कहा कि 'उच्चतर शिक्षा के माध्यम से कार्य के सभी क्षेत्रों में महिलाओं का गौरव और प्रतिष्ठा बढ सकती है। महिलाएं राजनीति और प्रबंधन में भाग ले सकती हैं यदि वे शिक्षित हैं। शिक्षा से महिलाएं बेहतर पारिवारिक स्वास्थ्य परिदृश्य सहित बेहतर माताएं बन सकती हैं। महिलाएं परिवार की आमदनी में बराबर का अंशदान भी कर सकती हैं। इसके परिणामस्वरूप वे परिवार में अपनी स्थिति और निर्णय लेने की शक्ति को बढ़ा सकती हैं। यह समानता और सशक्तीकरण के प्रति एक बड़ा कदम है। गैर–सरकारी संगठन जो महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, के साथ नेटवर्क की भी आवश्यकता है।' कार्यक्रम महिलाओं के सशक्तीकरण पर एक फिल्म के साथ समाप्त हुआ।

15. सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग 29 दिसंबर, 2011 को अहमदाबाद में गुजरात स्टेट नॉन–रेजीडेंट गुजराती फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित 'अनिवासी भारतीयों से संबंधित विवाह मामले' पर एक सेमिनार में मुख्य अतिथि थी। सेमिनार को गुजरात चैंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित किया गया था जिसमें से ज्यादा भागीदारों ने भाग लिया।

डॉ. वलीखन्ना ने 'अनिवासी विवाहों में फंसी' महिलाओं के लिए 'बाहर निकलने के रास्ते' पर एक प्रस्तुति दी और अपराध प्रक्रियाओं, उपलब्ध सिविल उपचार, परित्यक्त भारतीय महिलाओं के लिए एमओआईए स्कीमें और बच्चों के कानून और बच्चों की निगरानी पर भाषण दिया। सदस्य ने सूचित किया कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग को समन्वयक एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है तथा भारत और विदेशों से प्राप्त शिकायतों से निपटने के लिए 24 सितंबर, 2009 को राष्ट्रीय महिला आयोग ने अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ का उदघाटन किया गया। इस अवसर पर भाषण देने वालों में गुजरात के स्वास्थ्य, पर्यटन, परिवार और कल्याण मंत्री, गुजरात सरकार के प्रमुख सचिव (एनआरआई और एआरटी), अध्यक्ष, गुजरात चैंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री सम्मिलित थे।

16. आयोग के सदस्य सचिव ने दीमापुर में 15.12.2011 को 'निर्णय लेने की प्रक्रिया पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व' पर सेमिनार में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया।

17. रांची में झारखंड राज्य महिला आयोग (जेएसडब्ल्यूसी) द्वारा 19.12.2011 को राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित 'महिलाओं को डायन का नाम देना – समस्याएं और समाधान' पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। दिनभर चले विचार–विमर्श में समस्या, इसकी उत्पत्ति, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, सामाजिक कलंक, कानूनी पहलू और आगे के रास्ते पर केन्द्रित रहे। उदघाटन सत्र का उदघाटन करते हुए, अध्यक्षा, झारखंड राज्य महिला आयोग (जेएसडब्ल्यूसी) ने कहा कि राज्य आयोग मानव अवैध व्यापार को रोकने के तरीके ढूढ़ने, घरेलू हिंसा को कम करने और डायन के शिकार के विरूद्ध कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है।

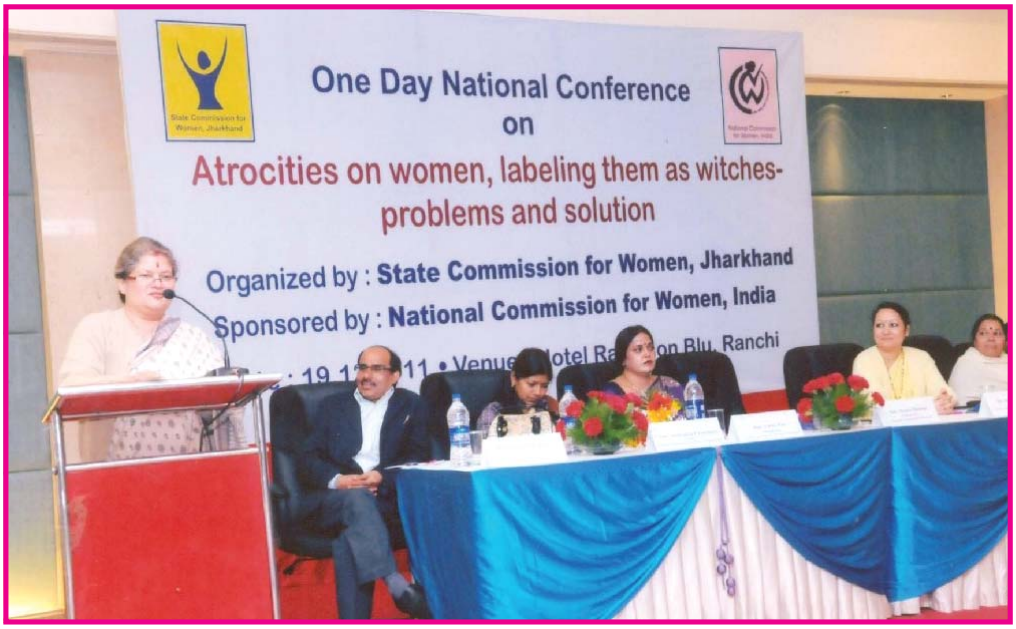

श्रीमती ममता शर्मा, अध्यक्षा, राष्ट्रीय महिला आयोग, रांची, झारखंड में 'महिलाओं पर अत्याचार, उन्हें डायन/जादूगरनी के रूप में दर्शाना – समस्या और समाधान' विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का संबोधित करते हुए

इस अवसर पर बोलते हुए, अध्यक्षा, राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा कि डायन का शिकार एक सामाजिक मुद्दा है जिसको पुलिस, प्रैस और आयोग की सक्रिय सहभागिता की आवश्यकता है।

इस सामाजिक बुराई पर काबू पाने का रास्ता महिलाओं को संपत्ति, शिक्षा का अधिकार देना और महिलाओं की राजनैतिक सहभागिता है। उन्होंने यह भी कहा 'इस प्रकार की बुरी प्रथाओं से केवल महिलाओं को सशक्त बनाकर ही लड़ा जा सकता है।'

छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा ने डायन पर मौजूदा विधानों की जांच करने तथा इसको और सख्त बनाने के लिए उपबंधों का पुनः मसौदा तैयार करने की आवश्यकता पर जोर दिया। गैर–सरकारी संगठनों के सदस्यों, राज्य के विभिन्न महिला पुलिस थानों के निरीक्षकों और कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सम्मेलन में भाग लिया।

18. आयोग की सदस्य सचिव ने महिलाओं पर विभिन्न विधानों के संबंध में 2.12.2011 को प्रमुख सचिव, महिला और बाल विकास विभाग, महाराष्ट्र सरकार, राज्य महिला आयोग और प्रमुख गैर–सरकारी संगठनों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं से मुलाकात की।

19. मुंबई में 14.01.2012 को गर्भधारण–पूर्व और प्रसव–पूर्ण नैदानिक तकनीक अधिनियम के अंतर्गत केन्द्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड की बैठक में सदस्य सचिव ने भाग लिया।

20. नई दिल्ली में 19 जनवरी, .2012 को पीडब्ल्यूडीवीए के प्रभावी कार्यान्व्यन के लिए प्रारूप केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम पर राष्ट्रीय परामर्श आयोजित किया गया। विभिन्न राज्यों से सिविल सोसायटियों के प्रतिनिधियों सहित हितधारियों के साथ मामले पर विस्तृत विचार–विमर्श हुआ। परामर्श की अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में, कई विशेषज्ञों की एक प्रारूप समिति गठित की गई। तदनुसार, प्राप्त इनपुट्स के आधार पर योजना को संशोधित किया गया और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भेजा दिया गया।

21. राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से 23 जनवरी, 2012 को बैंक ऑफ इंडिया, प्रबंधन विकास संस्थान, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। बैंक ऑफ इंडिया की सभी शाखाओं सहित 76 सहभागियों ने भाग लिया। इस अवसर पर कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शून्य सहनशीलता के लिए पुस्तिका सहित 'आचार संहिता' पोस्टर जारी किया गया।

सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग ने मुख्य भाषण दिया और प्रमुख सत्र की अध्यक्षता की। उन्होंने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए दिशानिर्देशों पर चर्चा की। सहभागियों का विचार था कि ऐसे कई कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिएं।

22. चेन्नई में 25 जनवरी, 2012 को एक गैर–सरकारी संगठन और राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा 'महिला अनुकूल कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समर्थन की कार्यनीति बनाना' पर दक्षिण क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। इसने केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सरकारी एजेंसियों, विधिक निकायों, शिक्षाविदों और गैर–सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों को एक साथ मिलाया। सदस्य सचिव ने उदघाटन भाषण दिया।

कार्यशाला में पूरे भारत में महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन पर ध्यान देने के लिए तीन विधानों अर्थात् बाल विवाह निषेध अधिनियम, गर्भधारण–पूर्व और प्रसव–पूर्व नैदानिक तकनीक अधिनियम और पीडब्ल्यूडीवीए अधिनियम पर ध्यान केन्द्रित किया और चारों राज्यों को प्रत्येक कानून के कार्यान्वयन और प्रभाव की समीक्षा के लिए तथा पूरे भारत में लिंग–अनुकूल विधान को सुदृढ़ करने के लिए कार्यनीतियां भी तैयार करने के लिए एक प्लेटफार्म प्रदान किया।

23. श्रीमती अनीता अग्निहोत्री, सदस्य सचिव, राष्ट्रीय महिला आयोग ने इंडियन लॉ कालेज, पुणे में 11.02.2012 को नारीवाद और कानून पर अंतर्राष्ट्रीय कांफ्रेंस में भाग लिया।

24. सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग ने 07.02.2012 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की पूरे आयोग की सांविधिक बैठक में भाग लिया।

25. राष्ट्रीय महिला आयोग की एक सदस्य गुजरात राज्य महिला आयोग द्वारा 04.03.2012 को बडोदरा में अनिवासी विवाह और परित्यक्त महिलाओं पर आयोजित सेमिनार में मुख्य अतिथि थी। समारोह का उदघाटन गुजरात के महिला और बाल कल्याण मंत्री द्वारा किया गया था जिसमें 'अनिवासी अभिघात' से पीड़ित सैकड़ों लड़कियों और माता–पिता ने भाग लिया।

इस अवसर पर, डॉ. चारू वलीखन्ना, सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग ने राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित दिशानिर्देशों की पुस्तिका वितरित की जिसमें अन्य सूचनाओं के अलावा, भारतीय और विदेशी एजेंसियों के हेल्पनंबरों और विदेशों में भारतीय दूतावासों के बारे में सूचना दी गई है।

26. राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक गैर–सरकारी संगठन के सहयोग से आंध्र प्रदेश में महिलाओं द्वारा की जा रही चिंताओं को प्रभावी रूप से दूर करने के लिए कार्यनीति तैयार करने पर सेमिनार को प्रायोजित किया।

27. राष्ट्रीय महिला आयोग और डब्ल्यूपीसी ने अन्य संगठन की मदद से पुणे में 'महाराष्ट्र के लिए महिला परिवर्तन, चुनौतियां और अभिमुखी योजना' पर एक राज्य स्तरीय सेमिनार को संयुक्त रूप से आयोजित किया। श्रीमती ममता शर्मा, अध्यक्षा, राष्ट्रीय महिला आयोग ने मुख्य अतिथि के रूप में सत्र की अध्यक्षता की।

सेमिनार का उद्देश्य महिलाओं की शिकायतों को प्रभावी रूप से दूर करने के लिए कानूनों और नीतियों में संशोधन करना है जो आधार स्तर की महिलाओं का प्रभावी रूप से संरक्षण करेगी।

इस अवसर पर बोलते हुए, कार्यक्रम निदेशक, आरएससीडी ने घटते लिंग अनुपात, महिलाओं के प्रति हिंसा, आहार का अधिकार, महिलाओं को संपत्ति का अधिकार और राजनीति में महिला भागीदारी के महिलाओं की चिंता के पांच प्राथमिकता वाले विषयों की विशिष्टताओं को बताया।

मुख्य भाषण देते हुए, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ने कहा कि 'यद्यपि, महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तीकरण के लिए कई अधिनियम हैं और उनके कल्याण के लिए विभिन्न स्कीमें हैं, फिर भी सफल कार्यान्वयन की कमी है और महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं। स्थिति पर काबू पाने के लिए, सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है।'

अध्यक्षा, राष्ट्रीय महिला आयोग ने यह भी उल्लेख किया कि 'राजनैतिक आरक्षण से महिलाओं के मुद्दों का समाधान नहीं होगा, उनको उनके अधिकारों के बारे में जागरूक बनाना होगा और लाभ आधार स्तर तक पहुंचाए जाने चाहिएं।

अध्यक्षा ने कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने बाल विवाह, महिला अधिकार, घरेलू हिंसा आदि जैसे विभिन्न महिला मुद्दों पर क्षेत्रीय भाषाओं में महिला जागरूकता किट को प्रिंट करने और नुक्कड़ नाटकों एवं टेलीविजन के माध्यम से जागरूकता पैदा करने की योजना बनाई है।

सेमिनार में विभिन्न गैर–सरकारी संगठनों, एमआरए के लगभग प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

28. सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग ने मानवाधिकारों और महिला अधिकारों की जागरूकता पर पलवल, हरियाणा में एक गैर–सरकारी संगठन द्वारा आयोजित एक सेमिनार में भाग लिया।

मुख्य भाषण देते हुए सदस्य ने कहा कि महिलाओं के प्रति हिंसा बढ़ रही है और इसके रूप बदल रहे हैं। रोगों की जांच और निदान के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की बजाए, इसका उपयोग लिंग निर्धारण और लिंग चयन उन्मूलन के लिए उपयोग किया जा रहा है। सदस्य ने चेतावनी दी कि स्वास्थ्य मंत्रालय सहित राष्ट्रीय महिला आयोग जैसी एजेंसियां चौकन्नी हैं। यदि किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर को ऐसे कदाचार में संलिप्त पाया जाता है तो उसके लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है।

29. एक गैर–सरकारी संगठन द्वारा कोलकाता में बांगर हाउस में महिला सशक्तीकरण पर एक सेमिनार आयोजित किया गया।

इस अवसर पर बोलते हुए, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ने कहा कि सबसे बड़ी समस्या यह है कि महिलाओं को उनके लिए बनी सरकारी स्कीमों के बारे में पता नहीं होता है।

उन्होंने यह भी कहा कि कानून बनाना ही काफी नहीं है परंतु गैर सरकारी संगठनों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को उनके लाभ के लिए बने कानूनों, कन्या भ्रूण हत्या, दहेज घुड़की का विरोध करने और घरेलू हिंसा, सम्मान के नाम पर हत्या और डायन के रूप में महिलाओं का शोषण बंद करने के विरूद्ध अपनी आवाज उठाने के बारे में जागरूक बनाना चाहिए।

30. अध्यक्षा और सदस्य डॉ. चारू वलीखन्ना ने भोपाल में गैर–सरकारी संगठन द्वारा आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान, आयोग को बलात्कार, घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, पुलिस उदासीनता आदि से संबंधित 125 शिकायतें प्राप्त हुई। अधिकतर शिकायतों की अध्यक्षा और सदस्य द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई की गई। तदनुसार, मध्य प्रदेश राज्य के पुलिस महानिदेशक को भी संक्षेप में बताया गया।

31. जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित '21 वीं शताब्दी में मानवाधिकार–चुनौतियां और परिदृश्य पर राष्ट्रीय सेमिनार में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा मुख्य अतिथि थी।

सेमिनार में लगभग 250 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। विचार–विमर्श मानव अधिकार – वैचारिक आयाम – आर्थिक परिप्रेक्ष्य और महिला मानव अधिकार और असुविधाजनक बच्चे और कानून आदि के चारों ओर केन्द्रित रहा।

32. राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य सचिव ने नई दिल्ली में दि सेंटर ऑफ एडवोकैसी एंड रिसर्च द्वारा आयोजित 'जनगणना 2011 – घटते शिशु लिंग अनुपात को काबू करने के लिए सामान्य कार्यनीतियां और अभिगमों को तैयार करना – विशेषज्ञों और कार्यान्वयन करने वाले गैर–सरकारी संगठनों के बीच बातचीत को सुकर बनाना' पर परामर्श में एक सत्र की अध्यक्षता की।

परामर्श का इरादा महिलाओं और लड़कियों द्वारा सामना की जा रही हिंसा पर रोक लगाकर लिंग अनुपात में सुधार करके जागरूकता पैदा करना था और इसमें घटते लिंग अनुपात पर काम कर रहे विशेषज्ञों और गैर–सरकारी संगठनों ने भाग लिया। इसने इस मुद्दे पर अनुभव बांटने के लिए एक प्लेटफार्म प्रदान किया और कार्यनीतियों ने क्या किया है, का मूल्यांकन करने तथा घटते लिंग अनुपात को रोकने और कानून का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कौन से परिवर्तनों की आवश्यकता है, चिकित्सा भ्रातृसंघ को बदल देने तथा लड़कियों के प्रति समाज की सोच को बदलने के लिए भागीदारों को प्रेरित किया।

33. राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य सचिव नई दिल्ली में ओक्सफाम इंडिया के सहयोग से डब्ल्यूपीसी द्वारा आयोजित 'भूमि तक महिलाओं की पहुंच और नियंत्रण सुनिश्चित करना' पर राष्ट्रीय परामर्श की सम्माननीय अतिथि थी।

34. राष्ट्रीय महिला आयोग ने समाज कल्याण विभाग, मेघालय के सहयोग से पश्चिम गारो हिल्स जिले में तुरा में महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा पर 'चलो गांव की ओर कार्यक्रम' आयोजित किया।

इस अवसर पर बोलते हुए मेघालय के मुख्यमंत्री डॉ. मुकुल संगमा ने कहा कि घरेलू हिंसा एक ऐसा मुद्दा है जो जाति, धर्म, वर्ग, लिंग की पूर्वाभिमुखीकरण की सीमाओं के पार हो जाता है और महिलाओं के घरों की पवित्रता के भीतर स्थान बना लेता है। उन्होंने कहा कि यह जरुरी है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का बचाव अधिनियम उचित तरीके से कार्यान्वित किया जाए।

जन स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी मंत्री श्री शितलांग पाले ने अपने भाषण में परिवार, समाज और संपूर्ण रूप से राष्ट्र के विकास के लिए महिलाओं के सशक्तीकरण की आवश्यकता पर जोर दिया।

राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य, श्रीमती वांसुक सियम ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाओं को उनके अधिकारों और कानूनों के बारे में जागरूक बनाया जाना चाहिए और उनको प्रक्रियाओं की अच्छी जानकारी दी जानी चाहिए ताकि वे अपने कानूनी अधिकारों का लाभ उठा सकें। उन्होंने इस बात पर दुख व्यक्त किया कि कई राज्यों ने संरक्षण अधिकारी नियुक्त नहीं किए हैं अथवा हिंसा के प्रति कानून के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त बजटीय आबंटन प्रदान नहीं किया है।

विचार–विमर्श के बाद उभरे सुझाव ये थेः (क) अधिक जागरूकता कार्यक्रमों की आवश्यकता, (ख) कानूनी और चिकित्सा सहायता, विवाह परामर्श को सुदृढ़ किया जाना चाहिए, (ग) पूर्णकालिक संरक्षण अधिकारियों का प्रावधान,

(घ) एफआईआर दर्ज करने पर व्यापक प्रचार, निःशुल्क कानूनी सहायता पर अधिक सूचना तथा सभी लिंग समूहों के बीच मजबूत नेटवर्किंग।

35. राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से बैंक ऑफ बड़ौदा स्टाफ कालेज द्वारा अहमदाबाद में 'कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकना' पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल की महिला अधिकारियों ने भाग लिया।

इस अवसर पर बोलते हुए, राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य ने इस तथ्य पर जोर दिया कि महिलाओं को एक सुरक्षित और अनुकूल माहौल में कार्य करने और समान वेतन, भत्तों और नौकरी प्रोन्नति के अवसरों का लाभ उठाने का अधिकार है। उन्होंने यह भी कहा कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत किसी महिला के लिंग समानता के मौलिक अधिकार और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सम्मानता के साथ जीने के अधिकार का उल्लंघन करते हैं।

इस अवसर पर 'कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न' के बारे में बताएं, उसका विरोध करें' शीर्षक वाली एक पुस्तक भी जारी की गई।

36. राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक गैर–सरकारी संगठन और महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से महाराष्ट्र में बीड़ जिला मुख्यालय में 'चलो गांव की ओर' मॉडल पर एक राज्य स्तरीय कार्यशाला और एक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम प्रायोजित और आयोजित किया।

श्रीमती ममता शर्मा, अध्यक्षा, राष्ट्रीय महिला आयोग तथा सुश्री अनिता अग्निहोत्री, सदस्य सचिव बीड, महाराष्ट्र में वार्तालाप सत्र के दौरान राज्य स्तर की कार्यशाला एवं विधिक जागरूकता कार्यक्रम में प्रतिभागियों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए

एडवोकेट वर्षा देशपांडे जो गर्भधारण–पूर्व और प्रसव–पूर्व नैदानिक तकनीक अधिनियम के कार्यान्व्यन के लिए विजेता और कार्यकर्ता हैं, ने जिला प्रशासन के सहयोग से इस कार्यक्रम की योजना बनाई थी।

औरंगाबाद, महाराष्ट्र से 140 किमी की दूरी पर स्थिति बीड़, एक जिला मुख्यालय अपने कम शिशु लिंग अनुपात (801) और 83 बिंदुओं में अत्यधिक गिरावट – वर्ष 2001 और वर्ष 2011 की जनगणना के बीच देश में सबसे अधिकतम जो लड़की की उत्तरजीविता के लिए सबसे बड़े खतरे का संकेत है, की वजह से एक निशचित विकल्प था। कार्यक्रम में पूरे मराठवाड़ा से चिकित्सा पेशेवरों, छात्रों, नव–विवाहितों, गर्भवती महिलाओं और लड़कियों के माता–पिता, कार्यकर्ताओं और गैर–सरकारी संगठनों ने भाग लिया। सदस्य सचिव, राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी कार्यशाला में भाग लिया। अध्यक्षा, राष्ट्रीय महिला आयोग ने लड़की के पूरे जीवनकाल में उसकी परिचर्या, उसको सशक्त बनाने को सुनिश्चित करने तथा सख्ती से गर्भधारण–पूर्व और प्रसव–पूर्व नैदानिक तकनीक अधिनियम कार्यान्वित करने के बारे में बोला। दोपहर के खाने के बाद प्रतिभागियों को तकनीकी सत्र के लिए समूहों में बांटा गया व यह निर्णय लिया गया कि गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों में इस आयोजन की पुरज़ोर वकालत के लिए और गर्भधारण–पूर्व और प्रसव–पूर्व नैदानिक तकनीक अधिनियम को संकेंद्रित तौर पर कार्यान्वित करने हेतु एक अनुवर्ती कार्यक्रम किया जाए।

37. राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ने महिलाओं संबंधी मामलों पर स्थानीय अधिकारीयों से चर्चा करने के लिए कोटा और बूंदी का दौरा किया व बाद में, अध्यक्षा ने जयपुर का दौरा किया और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तथा राज्य महिला आयोग के अधिकारियों के साथ बैठकें कर के महिलाओं की समस्याओं तथा उनके समाधान के बारे में चर्चा की।

3 शिकायत एवं जांच (सी एंड आई) प्रकोष्ठ

शिकायत एवं जांच (सी एंड आई) प्रकोष्ठ आयोग का एक महत्वपूर्ण संघटक है। यह समूचे देशभर से प्राप्त ऐसी शिकायतों को सुलझाता है, जहां कहीं किसी महिला के अधिकार का कोई हनन हुआ हो अथवा महिलाओं के साथ अन्याय अंतग्रर्स्त होने वाला कोई मुद्दा शामिल हो। शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ मौखिक, लिखित रूप में अथवा आयोग की वेबसाइट www.ncw.nic.in के जरिए ऑनलाइन प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई करता है। इसके अतिरिक्त, आयोग महिलाओं के साथ हुए जघन्य अपराधों के संबंध में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 10 के अंतर्गत स्वतः संज्ञान लेकर भी कार्रवाई करता है।

शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ की क्रियाविधिः

जैसे ही राष्ट्रीय महिला आयोग में कोई शिकायत प्राप्त होती है (किसी भी तरीके से), उसे पंजीकरण हेतु शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ में भेजा जाता है, जहां उसकी आयोग मे प्राप्ति की तिथि, संख्या, प्रेषक का नाम तथा पता, मामला संख्या, श्रेणी तथा राज्य आदि जैसे ब्यौरों को शिकायत रजिस्टर में लिखा जाता है। यह पंजीकरण, शिकायत की प्राप्ति की तिथि के 24 घंटे के भीतर किया जाता है। इसके पश्चात, एक जांच समिति गठित करने की अध्यक्षा की शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रायः संज्ञान में ली गई शिकायतों को क्रम–वार नोट किया जाता है और शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ के विभिन्न परामर्शदाताओं के बीच वितरित किया जाता है। प्रत्येक परामर्शदाता एक सदस्य के साथ संबद्ध होता है, जो किसी विशेष मामले में निर्णय लेने के लिए अंतिम प्राधिकारी है।

परामर्शदाता शिकायतों की संक्षिप्त प्रसारण रिपोर्ट (बीटीआर) तैयार करते हैं, जिसमें वे राष्ट्रीय महिला आयोग की शक्ति तथा अधिदेश के अनुसार मामले में की जाने वाली कार्रवाई का सुझाव देते हैं। उक्त रिपोर्ट को फिर अनुमोदन हेतु संबंधित सदस्य के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। परामर्शदाता तदनुसार आवश्यक कार्रवाई करता है। शिकायतकर्ता को उसकी शिकायत के संबंध में की गई कार्रवाई के बारे में सूचित किया जाता है। संबंधित प्राधिकारियों से प्राप्त की गई कार्रवाई की रिपोर्ट की एक प्रति शिकायतकर्ता को मुहैया कराई जाती है और उससे की गई कार्रवाई रिपोर्ट पर आयोग को अपनी टिप्पणियां उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाता है। यदि शिकायतकर्ता को की गई कार्रवाई रिपोर्ट पर कोई आपत्ति नहीं होती है तो शिकायत को संबंधित सदस्य के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और उनके अनुमोदन से उस शिकायत को बंद कर दिया जाता है। तथापि, यदि शिकायतकर्ता, की गई कार्रवाई रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है तो उसकी टिप्पणियों को मंगवाया जाता है तथा उसके पश्चात, उनके मद्देनजर उचित कार्रवाई की जाती है।

आयोग की अध्यक्षा एवं सदस्यों द्वारा किसी घटना/घटनाओं पर स्वत संज्ञान लेने, संबंधित प्राधिकारियों से की गई कार्रवाई रिपोर्ट मंगवाने, सुनवाई हेतु पक्षों को बुलाने, सुनवाई करने तथा बयानों को दर्ज करने, परामर्श सत्र आयोजित करने तथा समाधान लाने और रिपोर्टों पर सिफारिशें करने के संबंध में निर्णय लिया जाता है। शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ उप सचिव/संयुक्त सचिव के पर्यवेक्षण में और संबंधित सदस्य के समग्र पर्यवेक्षण तथा दिशानिर्देश में कार्य करता है।

अंतिम निर्णय संबंधित सदस्य द्वारा लिया जाता है, जो यह निर्णय करता है कि क्या मामले को बंद कर दिया जाए अथवा और आगे सुनवाई की जाए अथवा संबंधित प्राधिकारियों से और रिपोर्टें प्राप्त की जाए अथवा आयोग के अनुमोदन से एक जांच समिति के गठन की सिफारिश की जाए। तथापि, समिति का गठन केवल अध्यक्षा द्वारा उचित अनुमोदन के पश्चात् ही किया जाता है। सामान्यतया शिकायत के अंतिम निपटान के समय सभी मामलों में शिकायतकर्ता को एक पत्र भेजा जाता है, चाहे आयोग द्वारा संज्ञान लिया गया हो अथवा नहीं। शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ में शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और विनियमों का ब्यौरा 'राष्ट्रीय महिला आयोग (प्रक्रिया) विनियम, 2005, भाग–II (शिकायतों पर कार्रवाई करने संबंधी प्रक्रिया)' और 'शिकायतों को बंद करने की प्रक्रिया (शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ), 2010' में दिया गया है।

शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ शिकायतकर्ता को उचित राहत प्रदान करने और शिकायतकर्ता की शिकायतों के उचित समाधान को सुनिश्चित करने के लिए प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई करता है। सामान्यतया, मामले के निपटान हेतु निम्नलिखित तरीके अपनाए जा रहे हैं:

- पुलिस उदासीनता/पुलिस निष्क्रियता के मामलों को यथासंभव और निष्पक्ष जांच हेतु संबधित राज्य सरकारों को भेजा जाता है। इस प्रकार संबंधित राज्यों से प्राप्त की गई कार्रवाई रिपोर्टों की जांच की जाती है और उन पर आगे निगरानी रखी जाती है;
- पारिवारिक विवादों/वैवाहिक विवादों को परामर्श के माध्यम से सुलझाया जाता है। दोनों पक्षों को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग में बुलाया जाता है और उनका वैवाहिक घर बचाने के प्रयास में उनको परामर्श दिया जाता है;
- गंभीर अपराधों हेतु आयोग एक जांच समिति का गठन करता है, जो मौके पर जाकर जांच करती है, विभिन्न साक्षियों से पूछताछ करती है, साक्ष्य एकत्र करती है तथा सिफारिशों के साथ एक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ऐसी जांच हिंसा तथा अत्याचार से पीड़िता को तत्काल राहत तथा न्याय दिलवाने में सहायक होती है। आयोग ऐसे मामलों को संबधित राज्य सरकारों/प्राधिकारियों के समक्ष उठाकर जांच समितियों की सिफारिश के क्रियान्वयन की स्थिति पर निगरानी रखता है;
- कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों में संबंधित संगठन/विभाग को **विशाखा बनाम राजस्थान सरकार मामले (एआईआर 1997 उच्चतम न्यायालय 3011)** में, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के संबध में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार एक आंतरिक शिकायत समिति गठित करने के लिए प्रेरित किया जाता है, जो व्यथित महिला कर्मचारी की शिकायत पर जांच करेगी और आयोग को तत्संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
- कुछ शिकायतों जहां आवश्यक हो, को विभिन्न राज्य महिला आयोगों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग और उनके राज्यीय प्रतिपक्षों को उनकी तरफ से उपयुक्त कार्रवाई शुरू करने के लिए भेजा जाता है।

ऐसी शिकायतें, जिन पर आयोग द्वारा सामान्यतः कार्रवाई नहीं की जाती :

निम्नलिखित प्रकार की शिकायतों/मामलों में आयोग द्वारा सामान्यतः कार्रवाई नहीं की जाती है :–

क. ऐसी शिकायतें जो स्पष्टतः पढ़ी न जा सकें या संदिग्ध हों, गुपचुप तरीके से की गई हों या उपनाम से की गई हों; या

ख. यदि उठाया गया मुद्दा पक्षों के बीच सिविल विवाद (दीवानी मामले) से संबंधित हो, जैसेकि संविदात्मक अधिकार दायित्व आदि से संबंधित मामले;

ग. यदि उठाया गया मुद्दा सेवा मामलों से संबंधित हो, जिनमें महिला अधिकारों की वंचना शामिल न हो;

घ. यदि उठाया गया मुद्दा श्रम/औद्योगिक विवादों से संबंधित हो, जिनमें महिला अधिकारों की वंचना शामिल न हो;

ड यदि मामला किसी न्यायालय/अधिकरण के समक्ष न्यायाधीन हो;

च. राष्ट्रीय महिला आयोग ऐसे किसी भी मामले में जांच नहीं करेगा, जो किसी राज्य महिला आयोग या तत्समय प्रवृत्त किसी भी कानून के अंतर्गत विधिवत गठित किसी अन्य आयोग में लंबित हों;

छ. यदि मामले पर राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा पहले ही निर्णय दिया जा चुका हो;

ज. यदि मामला किसी अन्य आधार पर राष्ट्रीय महिला आयोग की परिधि से बाहर हो;

ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण प्रणाली

राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायतों के पंजीकरण की ऑनलाइन प्रणाली शिकायतों को जल्द और आसानी से पंजीकृत कराए जाने की दृष्टि से स्थापित की गई है। इस सुविधा से, आयोग के वेबसाइट www.ncw.nic.in के जरिए और आयोग के ई–मेल अर्थात ncw@nic.in के जरिए शिकायतें पंजीकृत कराई जा सकती हैं। अब भारत के या विश्व के किसी भी भाग से कोई भी व्यक्ति इस वेबसाइट पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। कथित शिकायत को एक पंजीकरण नम्बर दिया जाता है और किसी परामर्शदाता विशेष के नाम चढ़ा दी जाती है। तत्पश्चात इसका निपटान उसी प्रक्रिया से किया जाता है जो डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से या अन्यथा प्राप्त शिकायत के बारे में अपनाई जाती है। यदि शिकायतकर्ता अपने मामले की प्रगति के बारे में जानना चाहे तो उसे केवल वेबसाइट पर लॉग–इन करना होता है और अपने मामले की संख्या और संगत पासवर्ड टाइप करने के बाद वह अपने मामले में हुई कार्यवाही तथा प्रगति के बारे में जान सकता है।

शीर्ष, जिनके अंतर्गत शिकायतों का पंजीकरण किया जाता है :

आयोग में प्राप्त और पंजीकृत शिकायतों को मुख्य रूप से निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रखा जा सकता है :

क्रम.सं.	श्रेणी	उप–श्रेणी
(1)	तेजाब से हमला	
(2)	अन्य गमन	

क्रम.सं.	श्रेणी	उप–श्रेणी
(3)	हत्या का प्रयास	
(4)	बलात्कार का प्रयास	क. नाबालिग बालकों की अभिरक्षा
		ख. सामूहिक बलात्कार
		ग. वैवाहिक बलात्कार
(5)	द्वि–विवाह / व्यभिचार	
(6)	जाति, समुदाय आधारित हिंसा	क. प्रतिष्ठा अपराध – के नाम पर
		ख. प्रतिष्ठा हत्या – के नाम पर
(7)	ससुराल वालों द्वारा शिकायतें	क. पति द्वारा शिकायतें
		ख. ससुर
		ग. सास
		घ. अन्य
(8)	दंगों संबंधी शिकायतें / सामुदायिक हिंसा के शिकार	
(9)	साइबर अपराध	
(10)	डायन प्रथा	
(11)	संपत्ति के अधिकार से वंचित करना	
(12)	पति द्वारा परित्यक्त	
(13)	तलाक	
(14)	घरेलू हिंसा	क. वैवाहिक विवाद संबंधी
		ख. वैवाहिक विवाद संबंधी नहीं
(15)	दहेज मृत्यु	
(16)	दहेज की मांग / दहेज के लिए उत्पीड़न	
(17)	बालिका शिशु हत्या / भ्रूणहत्या / लिंग पहचान	
(18)	लिंग भेदभाव	
(19)	कार्यस्थल पर उत्पीड़न	क. सरकारी क्षेत्र
		ख. निजि क्षेत्र
		ग. असंगठित क्षेत्र

क्रम.सं.	श्रेणी	उप–श्रेणी
(20)	विधवा उत्पीड़न	
(21)	महिला और बाल अनैतिक व्यापार	
(22)	स्त्री अशिष्ट रूपण	
(23)	अपहरण/भगा ले जाना	
(24)	शादी किए बिना पति–पत्नी की तरह साथ रहना	
(25)	भरण–पोषण दावा	
(26)	बच्चों की अभिरक्षा संबंधी मामले	
(27)	विविध	
(28)	महिला के साथ छेड़छाड़ करना/उसे तंग करना	
(29)	हत्या	
(30)	भरण–पोषण की राशि न देना	
(31)	पुलिस की उदासीनता	
(32)	पुलिस द्वारा उत्पीड़न/अत्याचार	
(33)	विवाह–पूर्व धोखा	
(34)	संपत्ति	
(35)	बलात्कार	क. नाबालिग
		ख. सामूहिक बलात्कार
		ग. वैवाहिक बलात्कार
(36)	सेवा मामले	क. विधवाओं की पेंशन/मुआवज़ा अदा न करना
		ख. अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति
(37)	यौन मामले	क. सरकारी कर्मचारी
		ख. गैर–सरकारी कर्मचारी
(38)	कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न	क. सरकारी क्षेत्र
		ख. निजि क्षेत्र
		ग. असंगठित क्षेत्र

क्र.सं.	श्रेणी	उप–श्रेणी
(39)	पीड़ित को आश्रय और पुनर्वास	
(40)	आत्महत्या	क. प्रयास
		ख. उकसाना
(41)	टोनी प्रथा/काला जादू /वूडू	
(42)	स्त्री अधिकारों से वंचित करना	

वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान पंजीकृत शिकायतें (श्रेणी–वार और राज्य–वार):

वर्ष के दौरान शिकायत और जांच प्रोकोष्ठ में 16637 शिकायतें/मामले पंजीकृत किए गए। वित्त वर्ष 2011–12 के दौरान आयोग में पंजीकृत शिकायतों/मामलों का श्रेणी–वार और राज्य–वार विवरण क्रमशः अनुलग्नक 4 और 5 में दिया गया है। शिकायतों को 37 श्रेणियों/शीर्षों के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है।

राष्ट्रीय महिला आयोग को प्राप्त सर्वाधिक 4029 शिकायतें घरेलू हिंसा के बारे में और उसके बाद 3699 पुलिस उदासीनता के बारे में थीं। संपत्ति (विधवा संपत्ति, माता–पिता की संपत्ति, स्त्रीधन, आदि) से संबंधित शिकायतों की संख्या 1221 थी। ससुराल वालों द्वारा की गई शिकायतों की संख्या 689 थी। बलात्कार से संबंधित शिकायतों की संख्या 635 तथा पुलिस उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की संख्या 558 थी। दहेज मृत्यु के मामलों की संख्या 505, महिलाओं के साथ छेड़छाड़/तंग करने के मामलों की संख्या 476 थी। कार्य स्थल पर उत्पीड़न के मामलों की संख्या 468 थी और 402 सेवा मामले थे जबकि 2343 शिकायतें विविध श्रेणी में दर्ज की गईं।

ऊपर से अवरोही क्रम में दस मुख्य श्रेणियों की सूची, जिनमें शिकायतें अधिक संख्या में प्राप्त हुई हैं, निम्नानुसार है:

क्रम सं.	श्रेणी	शिकायतों की संख्या
1.	घरेलूहिंसा/वैवाहिक विवाद	4029
2.	पुलिस की उदासीनता	3699
3.	संपत्ति	1221
4.	बलात्कार	635
5.	पुलिस द्वारा उत्पीड़न	558
6.	दहेज हत्या	505
7.	महिलाओं के साथ छेडछाड करना/तंगकरना	476

क्रम सं.	श्रेणी	शिकायतों की संख्या
8.	कार्यस्थल पर उत्पीड़न	468
9.	जाति, समुदाय आधारित हिंसा	387
10.	बलात्कार का प्रयास	263

'टिप्पणीः उपर्युक्त सारणी में विविध/अनधिदेशित श्रेणियों के अंतर्गत पंजीकृत शिकायतों को शामिल नहीं किया गया है।

वित्त वर्ष 2011–12 के दौरान आयोग को प्राप्त राज्य–वार शिकायतों/मामलों को अनुलग्नकः 5 में दर्शाया गया है। आयोग को उत्तर प्रदेश से 8986 शिकायतें/मामले, जबकि दिल्ली से 2391 शिकायतें, राजस्थान से 1268 शिकायतें प्राप्त हुईं जिससे राजस्थान इस मामले में तीसरे स्थान पर है। आयोग को प्राप्त हुई शिकायतों के मामले में हरियाणा चौथे स्थान पर और मध्य प्रदेश पांचवें स्थान पर है, जहां से आयोग को क्रमशः 997 और 612 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

ऊपर से अवरोही क्रम में दस राज्यों की सूची, जिनसे शिकायतें अधिक संख्या में प्राप्त हुई हैं, नीचे दशाई गई हैः

क्रम सं.	श्रेणी	शिकायतों की संख्या
1.	उत्तर प्रदेश	8986
2.	दिल्ली	2390
3.	राजस्थान	1268
4.	हरियाणा	997
5.	मध्य प्रदेश	612
6.	बिहार	463
7.	उत्तराखंड	342
8.	महाराष्ट्र	280
9.	पंजाब और झारखंड प्रत्येक	225
10.	पंजाब	206

अतः यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीय महिला आयोग विपदाग्रस्त महिलाओं तथा साथ ही समाज को भी अत्यधिक महत्त्वपूर्ण सेवा प्रदान कर रहा है। शिकायतों के निपटान में आयोग द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया/प्रणाली से शिकायतों के निपटान में अनेक सफलताएं मिली हैं, जिनमें से कुछ चुनिंदा सफल मामलों का विवरण नीचे दिया गया हैः

राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) द्वारा निपटाई गई शिकायतों के संबंध में कुछ चुनिंदा कार्यकलाप

1. श्रीमती एक्स ने राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) से संपर्क किया तथा बताया कि उनके साथ उनके पति तथा ससुरालवालों एवं माता–पिता द्वारा घरेलू हिंसा/उत्पीड़न किया गया/उन्हें जान लेने की धमकी दी गई। उन्होंने अपने पति, ससुरालवालों तथा माता–पिता से अलग रहने का निवदेन किया। आयोग के हस्तक्षेप से यह लड़की आश्रम गृह में अलग रह रही है तथा कम्प्यूटर पाठ्यक्रम का अध्ययन कर रही है और वह स्नातक की पढ़ाई भी पूरी कर रही है।

2. राष्ट्रीय महिला आयोग को श्रीमती ए, चितौड़गढ, राजस्थान की एक निवासी से शिकायत प्राप्त हुई। शिकायतकर्ता की पुत्री को प्रतिपक्षी पक्ष द्वारा शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया जब उनकी वित्तीय स्थितियों के बारे में झूठे चित्रण के आधार पर पुत्री का उनके कजिन से विवाह किया गया था। यह मामला आयोग द्वारा उठाया गया तथा परामर्श सत्र आयोजित किए गए जिनमें दोनों पक्षों ने पारस्परिक तलाक के लिए अपनी सहमति दी और शिकायतकर्ता को प्रतिपक्षी पक्ष द्वारा 15 लाख रू. का मुआवजा दिया गया।

3. शाहदरा, दिल्ली की एक शिकायतकर्ता को उनके पति तथा ससुराल वालों द्वारा शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया तथा घर से बाहर फेंक दिया गया और अपने बच्चों से उन्हें अलग कर दिया गया। यह मामला आयोग द्वारा उठाया गया तथा दो सुनवाई एवं परामर्श सत्रों के बाद, प्रतिपक्षी पक्ष ने उन्हें वापस लेने पर सहमति दी। अब, शिकायतकर्ता अपने बच्चों के साथ अपने वैवाहिक घर में शान्तिपूर्वक तरीके से रह रही है।

4. शिकायतकर्ता ने यह कहते हुए आयोग से संपर्क किया कि वह और उनके पति पर शारीरिक हमला किया गया तथा जान लेने की धमकी दी गई। उन्होंने इस मामले में पुलिस की उदासीनता का भी आरोप लगाया। आयोग ने महिलाओं की सुरक्षा तथा सम्मान सुनिश्चित करने के लिए उचित कार्रवाई करने हेतु संबंधित पुलिस को निर्देश दिया तथा उसके अनुपालन में शिकायतकर्ता को उचित सुरक्षा प्रदान की गई।

5. राष्ट्रीय महिला आयोग को भरतपुर, राजस्थान की 13 वर्षीय दलित लड़की के साथ हिंसा तथा बलात्कार करने की कोशिश के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले को उठाया तथा पुलिस अधीक्षक से एटीआर मांगी गई। **तत्पश्चात, अभियुक्त के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 341 तथा 354 के तहत मामला दर्ज किया गया। अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम की शिफारिशें को भी इस मामले में लागू किया गया।**

6. राष्ट्रीय महिला आयोग को श्री एक्स से एक शिकायत मिली जिसमें उसकी बहन की उसके पति तथा ससुराल वालों द्वारा हत्या की बात कही गई। इसके बाद पुलिस अधीक्षक से एटीआर मांगी गई। भारतीय दंड सहिता की धारा 498 क तथा 304 के तहत सभी अभियुक्तों के विरूद्ध मामला दर्ज किया गया और उन्हें गिरफ्तार किया गया।

7. श्रीमती जेड ने राष्ट्रीय महिला आयोग में एक शिकायत दर्ज की जो उसके साथ उसके पति एवं ससुराल वालों द्वारा की गई घरेलू हिंसा तथा मौखिक गालीगलौज के संबंध में थी। इस मामले को आयोग द्वारा उठाया गया तथा

सुनवाई की मांग की गई। दोनों पक्ष सुनवाई के लिए उपस्थित हुए और मुद्दालेह पक्ष ने लिखित रूप से यह बयान दिया कि वह एक अलग घर ले कर मामले को निपटाने के लिए तैयार है जहां शिकायतकर्ता एवं उसके पति ससुराल वालों के हस्तक्षेप के बगैर अलग रह सकते हैं। इस प्रकार, यह मामला पहली सुनवाई में ही सुलझ गया।

8. राष्ट्रीय महिला आयोग को लखनऊ, उत्तरप्रदेश की एक निवासी, श्रीमती क्यू से एक शिकायत मिली। शिकायतकर्ता को प्रतिपक्षी पक्ष की दहेज की मांगे पूरी न करने के लिए उसके वैवाहिक घर में शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। स्थानीय पुलिस भी शिकायतकर्ता की समस्या के प्रति कथित रूप से उदासीन थी जैसा कि वह शिकायतकर्ता को गाली देती थी तथा उसकी अवहेलना करती थी और उन्होंने एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया था। यह मामला, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा उठाया गया जिसके बाद अभियुक्तों के विरूद्ध पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई।

9. राष्ट्रीय महिला आयोग को रायबरेली, उत्तरप्रदेश की एक निवासी श्रीमती आर से यह शिकायत मिली कि उसके साथ प्रतिपक्षी पक्षों द्वारा कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया गया, तथापि, पुलिस को मामले की सूचना देने के बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। शिकायतकर्ता के अनुसार स्थानीय पुलिस ने अभियुक्त के विरूद्ध आरोप तय करने से इनकार कर दिया। इस मामले को राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा उठाया गया जिसके परिणामस्वरूप मुख्य अपराधी को आत्मसमर्पण करना पड़ा तथा अन्यों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोप तय किए और बलात्कार सिद्ध हुआ। इसके अलावा, स्थानीय पुलिस को उस क्षेत्र में ऐसी विधि–व्यवस्था कायम रखने की सूचना दी गई कि भविष्य में ऐसी कोई घटना घटित न हो सके।

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 10(1) तथा 10(4) के तहत की गई जांच– पड़ताल

राष्ट्रीय महिला आयोग मीडिया की रिपोर्टों तथा महिलाओं के अधिकारों के वंचन की शिकायतों के आधार पर तथा महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अधिनियमित कानूनों के कार्यान्वयन के अभाव में स्वतः ही मामलों का संज्ञान लेता है। आयोग द्वारा एक जांच समिति गठित की जाती है जो संलिप्त लोगों के विरूद्ध ऐसी कार्रवाई, जो उचित लगे, करने के लिए आयोग के समक्ष अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करती है। विगत वर्ष निम्नलिखित मामले उठाए गए थे :–

1. फर्रूखाबाद, उत्तरप्रदेश की एक 15 वर्षीय लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार तथा उसकी हत्या

राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक 15 वर्षीय लड़की जिसके साथ जिला फर्रूखाबाद, उत्तरप्रदेश के बख्तरेपुरा ग्राम में कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया गया था तथा जिसकी हत्या कर दी गई थी, के साथ हुई घटना की जांच करने के लिए एक तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की।

इस समिति ने 13 मई, 2011 को जिले का दौरा किया तथा मृतक के परिवार के सदस्यों, डाक्टरों तथा संबंधित अधिकारियों के साथ मुलाकात की तथा घटना–स्थल का भी निरीक्षण किया। यह मामला बख्तेरपुरा पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 376, के तहत दर्ज किया गया। रिपोर्ट में निहित सिफारिशें राज्य सरकार को भी अग्रेषित कर दी गईं। यह मामला न्यायालय के समक्ष लंबित है।

2. भट्टा परसौल ग्राम, ग्रेटर नौएडा, उत्तरप्रदेश में किसानों के आंदोलन का मामला

एक शिकायत तथा प्रेस रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस घटना के संबंध में एक तीन सदस्यीय जांच समिति गठित करके इस मामले की जांच करने के लिए घटना का स्वतः ही संज्ञान लिया है। इस घटना में ग्रामवासियों तथा प्रशासन के बीच संघर्ष के बाद गांव के 7000 निवासियों में से केवल महिलाएं, बच्चे तथा वृद्ध व्यक्ति कथित रूप से बचे रह गए। सभी व्यक्यिों को या तो प्रान्तीय सशस्त्र पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया या वे गांव से, जैसा कि सूचना मिली है, भाग गए तथा महिलाओं पर हमला किया गया है।

समिति ने उक्त गांव का दौरा किया, ग्रामवासियों से भेंट की।

जांच समिति ने आयोग को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपी जिसे आयोग द्वारा राज्य सरकार को उचित कार्रवाई हेतु अग्रेषित कर दिया गया। अंतिम रिपोर्ट की एक प्रति महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय को भी अग्रेषित की गई है।

3. नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार तथा हत्या का मामला, लखीमपुर खीरी, उत्तरप्रदेश

राष्ट्रीय महिला आयोग ने उत्तरप्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में एक नाबालिग लड़की के साथ किए गए सामूहिक बलात्कार तथा उसकी हत्या की कथित नृशंस घटना जिसकी सूचना समाचार–पत्रों में दी गई थी, का स्वतः ही संज्ञान लिया। एक तीन–सदस्यीय जांच समिति गठित की गई।

समिति ने 21 जून, 2011 को घटना–क्षेत्र का दौरा किया तथा मृतक की माता एवं परिवार के अन्य सदस्यों तथा संबंधित अधिकारियों से भेंट की। समिति ने घटना–स्थल का भी निरीक्षण किया। जांच समिति द्वारा इस रिपोर्ट को उत्तरप्रदेश सरकार के पास सिफारिशें के मद्देनजर उचित कार्रवाई हेतु अग्रेषित किया गया।

4. एक 19 वर्षीय लड़की जिसे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में कथित तौर पर अगवा किया गया तथा उसके साथ तीन व्यक्तियों द्वारा गन्ने के खेत में सामूहिक बलात्कार किया गया।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के गांव में तीन व्यक्तियों द्वारा किशोर दलित लड़की के कथित तौर पर अगवा किए जाने तथा उसके साथ सामूहिक बलात्कार की घटना की जांच करने के लिए एक चार सदस्यीय जांच समिति गठित की।

यह भी आरोप लगाया गया कि जब उसे अगवा किया गया तो पुलिस ने कार्रवाई नहीं की और अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में देरी की।

जांच समिति ने 09.08.2011 को स्थान का दौरा किया तथा पीड़ित लड़की सहित सभी संबंधितों से भेंट की। भारतीय दंड संहिता की धारा सभी 376 (छ), 506 तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धाराओं 3(1) 12 के तहत मामला दर्ज किया गया। समिति की रिपोर्ट आयोग द्वारा राज्य सरकार को अग्रेषित की गई थी।

5. एक किशोर दलित लड़की को कथित तौर पर तब जला दिया गया जब उसने सीतापुर जिला, उत्तर प्रदेश में पांच युवा व्यक्तियों द्वारा बलात्कार की कोशिश का प्रतिरोध किया

राष्ट्रीय महिला आयोग ने प्रेस क्लिपिंग का स्वतः ही संज्ञान लिया तथा उस घटना जिसमें एक 15 वर्षीय लड़की को कथित तौर पर तब जला दिया गया जब उसने उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में पांच युवाओं द्वारा बलात्कार कोशिश का प्रतिरोध किया की जांच करने के लिए एक तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया।

समिति ने नगर अस्पताल का दौरा किया जहां पीड़ित लड़की को 6 अगस्त, 2011 को भर्ती किया गया था तथा उसके माता–पिता और संबंधित अधिकारियों से भेंट की। भारतीय दंड संहित की धारा 147/506/354/452/307/376/506 के तहत तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3 (1) 12 के तहत रामकोट पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। रिपोर्ट में निहित सिफारिशें भी सरकार को अग्रेषित की गई जिन्होंने मुआवजे के तौर पर मृतक के परिवार को 25000/– रू. प्रदान किए हैं। यह मामला न्यायालय के समक्ष लंबित है।

6. एक छात्रा जिसका शिलांग, मेद्यालय के स्कूल परिसर में कथित तौर पर एक सहपाठी छात्र द्वारा बलात्कार किया गया तथा उसे बुरी तरह से मारा–पीटा गया।

आयोग ने जैन्तिया पहाड़ी, शिलांग, मेद्यालय के स्कूल में एक सहपाठी छात्र द्वारा एक लड़की के कथित तौर पर बलात्कार तथा उसके साथ मार–पीट की कथित घटना का स्वतः ही संज्ञान लिया। एक तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की गई।

समिति ने 13–08–2011 को शिलांग का दौरा किया तथा मामले की जांच–पड़ताल करने वाले संबंधित पुलिस अधिकारियों, पीड़ित लड़की तथा उसके परिवार के सदस्यों से मुलाकात की तथा घटना–स्थल का निरीक्षण किया। भारतीय दंड संहिता की धारा 325/376/506 के तहत खलिएहरियत पुलिस स्टेशन, शिलांग में मामला दर्ज किया गया। रिपोर्ट में निहित सिफारिशें राज्य सरकार को भी अग्रेषित की गई।

7. आंगनवाडी कामगार (एएनडब्ल्यू) का कथित अपरहण एवं हत्या

आयोग ने प्रेस में छपी एक प्रेस रिपोर्ट का भी स्वतः संज्ञान लिया है जो राजस्थान के बिलादा जिले के (एएनडब्ल्यू) जिसका कथित तौर पर अपहरण एवं हत्या कर दी गई थी, के मामले के संबंध में है। आयोग को राज्य सरकार से एक कृत कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त हुई। भारतीय दंड संहिता की धारा 364, 365, 12 ख, 216 के तहत तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा (2)(5) के तहत बिलादा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया।

8. उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में दहेज की वजह से महिला को जिंदा जलाए जाने का मामला

राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक महिला जिसे उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के सदारनपुर ग्राम में दहेज की वजह से जिंदा जलाया गया था, की कथित घटना का स्वतः ही संज्ञान लिया था।

एक तीन सदस्यीय जांच समिति ने दिनांक 20–07–2012 को घटना के क्षेत्र का दौरा किया तथा मृतक महिला के पुत्र एवं पति से भेंट की तथा बयान लिए। इंचोली पुलिस स्टेशन, मेरठ में भारतीय दंड सहिता की धारा 320 तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दर्ज किया गया।

जांच समिति ने आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी।

9. एक तीस वर्षीय महिला जिसे मध्य प्रदेश के मुरेना जिले के डिम्मरी पुलिस स्टेशन लहर ग्राम में कथित तौर पर पीट–पीट कर मार डाला गया तथा उसके शरीर को कथित तौर पर उसके परिजन द्वारा सार्वजनिक रूप से आंखो के सामने जला दिया गया था।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक तीस वर्षीय महिला जिसे मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के डिम्मरी पुलिस स्टेशन, लहर ग्राम में कथित तौर पर पीट–पीट कर मार डाला तथा शरीर को कथित तौर पर उसके परिजन द्वारा सार्वजनिक रूप से आंखों के सामने जला दिया गया था। आगे यह भी सूचित किया गया कि यह झूठी शान के नाम पर जान से मारने का एक संदेहास्पद मामला है।

जांच समिति ने घटना–स्थल का दौरा किया तथा कथित घटना का पता लगाने के लिए सभी संबंधितों से भेंट की। इस मामले को भारतीय दंड संहिता की धारा 302,201,34 के तहत दर्ज किया गया। रिपोर्ट में निहित सिफारिशें आयोग द्वारा राज्य सरकार को अग्रेषित कर दी गई थी।

10. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली की एक नर्सिंग छात्रा (बीएससी) के साथ कथित उत्पीड़न का मामला

राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक चार सदस्यीय जांच समिति गठित की जिसने घटना की जांच करने के लिए दिनांक 15.11.2011 को अस्पताल का दौरा किया तथा कथित घटना का पता लगाने के लिए पीड़ित छात्रा सहित सभी संबंधितों के साथ मुलाकात की। रिपोर्ट में निहित सिफारिशें आयोग द्वारा अस्पताल प्राधिकारियों को उपयुक्त कार्रवाई हेतु अग्रेषित कर दी गई थी।

11. एक 35 वर्षीय महिला जिसे राजस्थान के उदयपुर जिले में सितंबर, 2011 में गांव में निर्वस्त्र धुमाया गया तथा उसके बाद उसके बाल काट दिए गए।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने कथित घटना की जांच करेन के लिए जांच समिति गठित की तथा परिणामस्वरूप इसके पांच सदस्यों ने दिनांक 12–01–12 को उदयपुर का दौरा किया। रिपोर्ट में निहित सिफारिशें राज्य सरकार को अग्रेषित कर दी गई थीं।

12. पीपली, उड़ीसा में एक दलित लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार का मामला

आयोग ने उड़ीसा की एक 19 वर्षीय लड़की के बलात्कार की कथित घटना की जांच करने के लिए स्वतः ही संज्ञान लिया। सदस्य सचिव, राष्ट्रीय महिला आयोग ने मामले के तथ्यों का मूल्यांकन करने के लिए फरवरी, 2012 में

उडीसा का दौरा किया तथा पीड़ित लड़की की माता तथा परिवार के अन्य सदस्यों तथा राज्य सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ भेंट की। रिपोर्ट में निहित सिफारिशें उड़ीसा सरकार को उपयुक्त कार्रवाई हेतु अग्रेषित कर दी गई थीं।

13. पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर अत्याचार की घटनाओं की बढ़ती हुई संख्या

राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं पर कथित अत्याचार की पश्चिम बंगाल से सूचित घटनाओं का जायजा किया जैसा कि कोलकाता के पार्क स्ट्रीट क्षेत्र में दो बच्चों की मां का चलती गाड़ी में 5 व्यक्तियों द्वारा बंदूक की नोक पर कथित बलात्कार, बांकुड़ा मेडिकल कॉलेज में एक डाक्टर द्वारा बधिर लड़की का कथित बलात्कार तथा राज्य में महिलाओं एवं आईसीडीएस कार्यकर्ताओं पर हालिया बढ़ते हुए हमलों जैसी घटनाओं की बढ़ती हुई संख्या। इसने आयोग के तीन सदस्यों वाली एक जांच समिति गठित की।

एक जांच समिति ने उस क्षेत्र का दौरा किया तथा राज्य के माननीय मुख्यमंत्री एवं राज्य के अन्य संबंधित अधिकारियों से भेंट की। जांच समिति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट उपयुक्त कार्रवाई के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को अग्रेषित की गई।

14. एक 14 वर्षीय लड़की जिसने गंभीर रूप से चोटिल एक दो–वर्षीय बच्चे को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अभिघात केंद्र में लाया था का मामला

राष्ट्रीय महिला आयोग ने प्रेस क्लिपिंग तथा अन्य क्लिपिंग एवं अन्य मीडिया रिपोर्टों का स्वतः ही संज्ञान लिया तथा एक जांच समिति गठित की। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार लड़की कथित तौर पर स्वयं लगातार यौन शोषण की शिकार थी तथा उसने दावा किया कि उसे एक पड़ोसी द्वारा देह व्यापार के धंधे में कथित तौर पर धकेला गया तथा पिता सहित अन्य व्यक्तियों द्वारा उसका कथित तौर पर शोषण किया गया। संभावित अनैतिक व्यापार के दृष्टिकोण के प्रति जागरूक होकर आयोग ने संबंधित प्राधिकारी से कृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी थी।

15. सिंतबर, 2011 में गोवा में शिकायतकर्ता की पुत्री को आत्महत्या के लिए कथित तौर पर उकसाने से संबंधित शिकायत की जांच की गई। तीन सदस्यों वाली जांच समिति ने जांच पड़ताल की है तथा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। उक्त रिपोर्ट भी राज्य सरकार को अग्रेषित कर दी गई है जिससे संबंधित कृत कार्रवाई नोट की प्रतीक्षा है।

16. गाजियाबाद में पुलिसकर्मी द्वारा एक 26 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार की कथित घटना की शिकायत के संदर्भ में जांच की गई। जांच समिति के सदस्यों द्वारा पाया गया कि शिकायत सही नहीं थी।

17. नवंबर, 2011 में बारन शहर, कोटा में लड़कियों द्वारा कथित आत्महत्या की घटना की 3 सदस्यों वाली एक समिति द्वारा जांच की गई। रिपोर्ट राज्य सरकार को अग्रेषित की गई जिसके संबंध में कृत कार्रवाई रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

18. नवंबर, 2011 में कथित तौर पर खनन माफिया द्वारा जिला पाकुड़ (झारखंड) के चैरिटी ऑफ जेशस एंड मैरी की एक सिस्टर की हत्या से संबंधित शिकायत के संदर्भ में 5 सदस्यों वाली एक समिति द्वारा जांच की गई। रिपोर्ट राज्य सरकार को अग्रेषित कर दी गई जिसके संबंध में कृत कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त हो गई है।

4 प्रवासी भारतीय प्रकोष्ठ

भारत सरकार द्वारा, "प्रवासी पतियों द्वारा परित्यक्त भारतीय महिलाओं की दुर्दशा" विषय पर, महिला सशक्तीकरण पर संसदीय समिति (14वीं लोक सभा) की सिफारिशों के आधार पर प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के दिनांक 28 अप्रैल, 2009 के पत्र द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग को प्रवासी भारतीयों की शादियों से सम्बंधित मामलों को देखने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर समन्वयक एजेंसी के रूप में नामित किया गया। इस विषय पर अंतर मंत्रालयीन समिति की 7 जुलाई, 2008 को हुई बैठक में गहन विचार–विमर्श किया गया।

इस दिशा में आगे कदम बढ़ाते हुए 24 सितम्बर, 2009 को प्रवासी भारतीय प्रकोष्ठ का औपचारिक उदघाटन किया गया। प्रवासी भारतीय प्रकोष्ठ विदेश में हुई शादियों में महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित रखने अथवा उनके प्रति घोर अन्याय संबंधी देश और विदेश से प्राप्त मामलों को देखता है। इसके प्रारंभ से 31 मार्च, 2012 तक प्रवासी भारतीय प्रकोष्ठ में 912 मामले पंजीकृत किए गए जिनमें से 115 मामले विभिन्न कारणों से बंद कर दिए गए।

वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान प्रवासी भारतीय प्रकोष्ठ में प्राप्त मामलों के राज्य–वार आंकड़े :

राज्य	शिकायतों की कुल संख्या
दिल्ली	39
उत्तर प्रदेश	25
हरियाणा	15
पंजाब	33
महाराष्ट्र	30
गुजरात	15
आंध्र प्रदेश	18
तमिलनाडु	18
राजस्थान	13
मध्य प्रदेश	08
उत्तराखंड	03
केरल	03
बिहार	05

राज्य	शिकायतों की कुल संख्या
उड़ीसा	03
कर्नाटक	07
पश्चिम बंगाल	10
झारखंड	02
जम्मू व कश्मीर	02
गुमनाम	17
कुल	**266**

वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान प्रवासी भारतीय प्रकोष्ठ में प्राप्त शिकायतों के देश–वार आंकड़े :

देश का नाम	शिकायतों की कुल संख्या
भारत	266
संघ राज्य क्षेत्र अमरीका	15
ऑस्ट्रेलिया	11
यू.के.	09
अरब	08
जापान	02
कनाडा	05
नेपाल	01
जर्मनी	01
बेल्जियम	01
पाकिस्तान	01
फिलीपिन	01
दक्षिण अफ्रीका	02
न्यूज़ीलैंड	01
साऊदी अरब	01

देश का नाम	शिकायतों की कुल संख्या
स्वीडन	01
कुवैत	01
फ्रांस	01
कुल	**328**

प्राप्त शिकायतों की प्रकृति के अनुसार उन पर निम्नानुसार कारवाई की जाती है :

क. यदि शिकायत का संज्ञान लिया जाता है तो विपक्षी पक्ष/पक्षों को नोटिस भेजा जाता है कि वह/वे आयोग में प्राप्त शिकायत का उत्तर दें या उन्हें विनिर्दिष्ट तारीख को आयोग के समक्ष प्रस्तुत होकर दावे का जवाब देने के लिए सम्मन भेजे जाते हैं।

ख. सम्बंधित पुलिस स्टेशन, जहाँ जांच के लिए कोई मामला लंबित है या दर्ज की गई शिकायत के संबंध में उचित कार्रवाई नहीं की गई है, को पत्र लिखा जाता है।

ग. यदि शिकायत को बाहर एम्बैसी को भेजने की आवश्यकता होती है तो ऐसा किया जाता है।

घ. सम्मन, जारी किए गए वारंट या किसी उपयुक्त न्यायलय द्वारा पास किए गए किसी आदेश को भेजने और अन्य संबद्ध मामलों के लिए जब भी और जहाँ भी आवश्यक हो, शिकायतकर्ता की जानकारी में ओवरसीज़ भारतीय मंत्रालय, विदेश कार्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय तथा विधि एवं न्याय मंत्रालय को लिखा जाना होता है।

ड. पीड़ित महिला को विधिक और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, ओवरसीज़ भारतीय मंत्रालय की योजना के अनुसार, मंत्रालय को या विदेश में भारतीय राजदूतावास को लिखना होता है।

च. पासपोर्ट संबंधी किसी मामले में पासपोर्ट प्राधिकरण को लिखा जाना चाहिए।

छ. अगर आवश्यक हो तो शिकायत प्रतिवादी पति के नियोक्ता को, उसके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने के लिए भेजी जा सकती है।

प्रवासी भारतीय प्रकोष्ठ की सफलता के कुछ उदहारणः

1. **'क' की शिकायत** : राष्ट्रीय महिला आयोग ने महा–वाणिज्यदूत को एक पत्र लिखा है जिसके साथ श्रीमती क की शिकायत भेजी है जिसमें उसने अपने पति, जोकि विदेशी नागरिक है, के विरुद्ध शारीरिक और मानसिक यातना देने, यौन आक्रमण और घरेलू हिंसा का आरोप लगाया। वहां से प्राप्त उत्तर में लिखा गया है कि शिकायतकर्ता से व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया गया और उसे देश के क़ानून के अनुसार उचित सलाह दी गई तथा उसकी सहायता कर उसका ध्यान रखा गया और उसे अन्य लिंक सेवाएं प्रदान की गईं।

2. **'ख' की शिकायत** : शिकायतकर्ता यह शिकायत लेकर आयोग के पास आई कि पुलिस को की गई शिकायत में लगाए गए आरोपों के लिए पुलिस भारतीय दंड सहिंता के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मामले को पुलिस के उच्च अधिकारियों के साथ उठाया जिसके फलस्वरूप जांच की गई और लगाए गए आरोपों के लिए सभी सम्बंधित धाराएं शामिल करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई।

3. **'ग' की शिकायत** : शिकायतकर्ता इस शिकायत के साथ राष्ट्रीय महिला आयोग के पास आई कि उसके आरोपी पति के भारतीय न्यायालयों द्वारा घोषित अपराधी ठहराए जाने के बावजूद वह पिछले तीन वर्षों से भगोड़ा है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने यह मामला उचित कार्रवाई के लिए विदेश मंत्रालय के साथ उठाया। उन्होंने अपने उत्तर में सूचित किया कि पासपोर्ट प्राधिकरण द्वारा उसका पासपोर्ट ज़ब्त कर लिया गया है।

4. **'घ' की शिकायत** : राष्ट्रीय महिला आयोग ने श्रीमती घ की शिकायत सम्बंधित सी.जी.आई. को भेजी क्योंकि शिकायतकर्ता के पति ने न्यायालय में तलाक के लिए याचिका दायर की है और बच्चों की अभिरक्षा का मामला न्यायालय में लंबित है। शिकायतकर्ता अपने बच्चों को अपनी अभिरक्षा में लेना चाहती है। सी.जी.आई. ने उसका मामला विधि सलाहकार को भेजा। बाद में शिकायतकर्ता ने सी.जी.आई. को सूचित किया कि उनके तलाक का मामला 30 दिन में निपट जाएगा और बच्चे उसकी अभिरक्षा में दे दिए जाएंगे। सी.जी.आई. ने उसे नियमानुसार हर सहायता देने का वायदा किया।

5. **'ड.' का मामला** : कथित रूप से शिकायतकर्ता का उसके पति और ससुराल वालों ने दहेज की मांग के कारण परित्याग कर दिया था। आयोग ने उसकी शिकायत सी.जी.आई. को भेजी। आयोग ने समीचीन रूप से उसके मामले में प्रतिक्रिया की और एक गैर सरकारी संगठन के माध्यम से मुकद्दमा लड़ने के लिए विधिक सलाह दी।

6. **'च' का मामला** : शिकायतकर्ता को कथित रूप से उसके विदेशी नागरिक पति और भारत में रह रहे उसके परिवार ने यातनाएं दीं तथा उसका परित्याग किया। वह 2008 से लगातार विभिन्न क्षेत्राधिकार के पुलिस प्राधिकारियों के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए जाती रही। उसने अपने ससुराल वालों से मिल रही कथित धमकियों और पुलिस अधिकारियों के असहयोग के बावजूद अपनी लड़ाई बड़े साहस के साथ लड़ी। राष्ट्रीय महिला आयोग के हस्तक्षेप से दिल्ली में हुए कथित अपराधों के लिए जनवरी, 2012 में एफ.आई.आर. दर्ज की गई। महिला वर्तमान में अपनी विधवा मां के साथ दिल्ली में ही रह रही है।

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रवासी भारतीयों/विदेशी पतियों द्वारा परित्यक्त भारतीय दुल्हनों की समस्याओं के संबंध में की गई पहल:

1. प्रवासी भारतीय प्रकोष्ठ में ऑनलाइन भी शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं ताकि भारत में अथवा विदेश में रह रही महिलाएं आसानी से अपनी शिकायत कर सकें।

2. उत्तर भारतीय राज्यों में प्रवासी भारतीय/विदेशी शादियों की बढ़ती हुई समस्याओं को कम करने के लिए जुलाई, 2011 में चंडीगढ़ में एक गैर– सरकारी संस्था के सहयोग से जन सुनवाई आयोजित की गई।

3. विदेशों में रह रही परित्यक्त महिलाओं को विधिक/वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एम.ओ.आई.ए. के पुनरीक्षण की आवश्यकता महसूस की गई। राष्ट्रीय महिला आयोग ने प्रस्ताव किया था कि उक्त योजना का कार्यक्षेत्र व्यापक किया जाए। आयोग के सुझाव के अनुसार 20.04.2011 को सचिव, एम.ओ.आई.ए. की अध्यक्षता में हुई अंतर मंत्रालयीन बैठक में एम.ओ.आई.ए. ने स्कीम का कार्यक्षेत्र व्यापक करने के लिए इसमें संशोधन किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार संशोधित स्कीम (30 नवंबर, 2011) से लागू हो चुकी है।

4. राष्ट्रीय महिला आयोग ने विदेश मंत्रालय की स्थायी समिति की 21 जून 2011 और 8 दिसंबर, 2011 को "विदेश में भारतीय शादियों संबंधी समस्याओं; विदेशी भारतीय पतियों द्वारा परित्यक्त भारतीय महिलाओं को विधिक/वित्तीय सहायता/पुनर्वास देने के लिए स्कीम" विषय पर हुई बैठकों में भाग लिया।

5. प्रवासी भारतीयों/विदेश में हुए विवाहों संबंधी समस्याओं के विविध मामलों में कमी लाने के लिए, जहाँ कहीं उचित हो, वर्तमान विधान में कई प्रावधानों के पुनरीक्षण और कुछ विशिष्ट संशोधन/नए विधान की सिफारिश करने की आवश्यकता भी महसूस की गई। आयोग ने यह कार्य अपने हाथ में लिया है। इन अधिनियमन की ऐसी पुनरीक्षा में विशेष तौर पर विदेशी/प्रवासी भारतीय पतियों के साथ विवाहों की वैधता, विवाह और तलाक के कानून का चुनाव, न्यायालयों क्षेत्राधिकार, विवाह संबंधी अपराधों और परित्यक्त पत्नी के संपत्ति में अधिकार आदि विषय शामिल होंगे ऐसे अधिनियमन/पुनरीक्षा हेग कन्वेंशन के अनुरूप होगी। तदानुसार, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 10 के साथ पठित धारा 8 के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसरण में एक पांच सदस्यों की विशेषज्ञ समिति तथा चार सदस्यों की उप–समिति गठित की गई। विशेषज्ञ समिति की 27.03.2012 को हुई बैठक में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो आयोग में विचाराधीन है।

6. राष्ट्रीय महिला आयोग विदेश में गैर–सरकारी संगठनों और सामुदायिक संगठनों के साथ अधिक प्रभावी लिंक स्थापित करने के लिए पहलें कर रहा है।

7. अध्यक्षा, राष्ट्रीय महिला आयोग ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अधीनस्थ न्यायालयों को उचित अनुदेश जारी करने के लिए विधि एवं न्याय मंत्री को एक पत्र लिखा है ताकि पूरे देश में प्रवासी भारतीय विवाहों संबंधी मुकदम्मों का शीघ्र निपटान हो सके।

8. ऐसे विवाहों में फंसी भोली–भाली भारतीय महिलाओं को उपलब्ध विधिक और अन्य सहायता प्रदान करने के प्रयास में राष्ट्रीय महिला आयोग ने हिन्दी तथा अंग्रेज़ी में "प्रवासी भारतीय विवाहों में फंसी परित्यक्त भारतीय महिला" नाम से एक जानकारी–पूर्ण पुस्तिका निकाली है।

9. राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रकाशन "नोवेअर ब्राइड्स – ए रिपोर्ट ऑन एन.आर.आई. मैरेजिज़" तथा "प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू एन.आर.आई. मैरेजिज़ – डूज़ एंड डोनट्स" व्यापक रूप से परिचालित किए जा रहे हैं।

10. राष्ट्रीय महिला आयोग की वेबसाईट विदेश में भारतीय शादियों संबंधी समस्याओं; विदेशी भारतीय पतियों द्वारा परित्यक्त भारतीय महिलाओं को विधिक/वित्तीय सहायता/पुनर्वास देने के लिए एम.ओ.आई.ए. की स्कीम के अंतर्गत सूचीबद्ध विदेशी गैर–सरकारी संगठनों की सूची से जुडी हुई है तथा इस सूची का लिंक "अदर यूजफुल लिंक्स" भाग में भी दिया गया है। यह लिंक राष्ट्रीय महिला आयोग के "प्रवासी भारतीय प्रकोष्ठ" में शीर्ष "नेटवर्किंग विद एन.जी.ओज़" के अंतर्गत भी डाला गया है।

11. राष्ट्रीय महिला आयोग इस मामले पर दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को अपनी वेबसाईट में डालकर निरंतर इसे अद्यतन करता रहता है।

12. आयोग ने जालंधर, पंजाब में प्रवासी भारतीय/विदेशी विवाहों संबंधी समस्याएँ कम करने के लिए एक राष्ट्रीय सेमीनार आयोजित करना अनुमोदित किया है। यह सेमीनार पंजाब पुलिस के सहयोग से आयोजित किया जाएगा जिसमें राष्ट्रीय महिला आयोग के पंजाबी में प्रकाशन को व्यापक रूप से परिचालित किया जाना है।

5 विधिक प्रकोष्ठ

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 10 के अंतर्गत आयोग को प्रदत्त अधिदेश के अनुसरण में, आयोग ने वर्ष 2011–12 के दौरान विभिन्न कानूनों की समीक्षा की। आयोग द्वारा महिलाओं के हितों को प्रभावित करने वाले नए कानूनों/नीतियों के अधिनियमन और साथ ही मौजूदा कानूनों में संशोधन के संबंध में की गई सिफारिशों का नीचे संक्षेप में उल्लेख किया गया है :

1. गर्भधारण–पूर्व और प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक अधिनियम, 1994 का कार्यान्वयन

राष्ट्रीय महिला आयोग ने गर्भधारण–पूर्व और प्रसव–पूर्व नैदानिक तकनीक अधिनियम, 1994 का कार्यान्वयन, 1994 में प्रस्तावित संशोधनों को सम्मिलित करने हेतु तुरंत कार्रवाई शुरू करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को पत्र लिखा है। यह भी सुझाव दिया गया है कि इस विषय पर उच्चतम स्तर पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए केन्द्रीय परामर्श बोर्ड की बैठक बुलाई जाए। इस संबंध में, राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस समस्या पर माननीय प्रधानमंत्री और महिला एवं बाल विकास मंत्री का ध्यान भी आकर्षित किया है।

आयोग ने माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को गर्भधारण–पूर्व और प्रसव पूर्व नैदानिकतकनीक अधिनियम, 1994, जैसा यह आज मौजूद है, के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संबंधित स्तरों को उपयुक्त दिशानिर्देश जारी करने का अनुरोध किया है और इस प्रयोजन के लिए प्रारूप दिशानिर्देश प्रदान किए हैं।

2. 24 मई, 2011 को हुई विशेषज्ञ समिति की बैठक

वैवाहिक, भरण–पोषण, दहेज, अनिवासी भारतीय मुद्दों आदि के समाधान के संबंध में उपबंधों को जांचने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की मई, 2011 में एक बैठक बुलाई गई थी। बैठक में विभिन्न मुद्दों जैसे अविवाहित महिलाओं के अधिकारों पर फोरम फॉर सिंगल वीमेन'स राइट्स (एफएसडब्ल्यूएस) से प्राप्त ज्ञापन, प्राइवेट मेम्बर का विधेयक शीर्षक 'महिलाओं का सशक्तिकरण विधेयक, 2011' और चिकित्सीय गर्भपात अधिनियम, 1971 की समीक्षा, पीडब्ल्यूडीवीए के कार्यानवयन के लिए राज्य सरकारों को सहायता देने की स्कीम, आदि पर विचार–विमर्श किया गया।

3. दायर की गई याचिका के विशेष संदर्भ में माननीय याचिका संबंधी समिति, राज्य सभा द्वारा उठाए गए मुद्दों पर राष्ट्रीय महिला आयोग के जवाब

याचिका संबंधी समिति, राज्य सभा ने एक याचिका की समीक्षा की जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 498क में संशोधनों के लिए याचिकाकर्ता ने प्रार्थना की कि धारा 498क को जमानती, गैर–संज्ञेय और समाधेय बनाया जाए।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने यह राय दी कि धारा 498क एक बहुत महत्वपूर्ण कानूनी सहारा है जो क्रूरता और उत्पीड़न का विरोध करने के लिए महिलाओं को मिला हुआ है। आयोग उपबंध में किसी भी संशोधन अथवा मंदन के हक में नहीं है। इस उपबंध के अंतर्गत शिकायतों का निपटारा उसी तरह से किया जाना चाहिए जैसे किसी अन्य गंभीर अपराध के अंतर्गत शिकायतों का किया जाता है। तदनुसार, राष्ट्रीय महिला आयोग ने तदनुसार अध्यक्षा के अनुमोदन से माननीय समिति को धारा 498क के तथाकथित दुरूपयोग पर अपने विचार और भारतीय दंड संहिता की धारा 498क में प्रार्थित संशोधनों के लिए याचिका पर टिप्पणियां दिनांक 29 दिसंबर, 2010 और 18 फरवरी, 2011 के पत्रों के तहत भेजे। दिनांक 10 जनवरी, 2011 को हुई आयोग की बैठक में इसने इस धारा में कोई भी संशोधन अथवा मंदन नहीं करने की जोरदार सिफारिश की।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने जुलाई, 2011 में माननीय समिति के समक्ष भी बयान दिया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कुछ पूर्व अध्ययनों को एकत्रित किया और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, विजयवाड़ा में, पंजाब में जालंधर, कपूरथला और अमृतसर में प्रत्येक से तीन पुलिस थानों से 5 वर्ष के आंकड़ों से संबंधित तथ्य निष्कर्षक अध्ययन भी शुरू किए और इनके इनपुट्स माननीय समिति को भेजे।

4. कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के प्रति महिलाओं का बचाव– मानव संसाधन विकास संबद्ध विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति से प्राप्त प्रश्नावली पर राष्ट्रीय महिला आयोग का जवाब

राष्ट्रीय महिला आयोग ने अगस्त, 2011 में माननीय स्थायी समिति के समक्ष बयान दिया। आयोग ने 'कर्मचारी' की परिभाषा में 'घरेलू कार्मिकों' को सम्मिलित करने और 'कार्यस्थल' की परिभाषा में 'घर अथवा निवास स्थान' को सम्मिलित करने की अपनी सिफारिशों को दोहराया।

5. 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–2017) के लिए 'महिलाओं की एजेंसी और सशक्तिकरण' संबंधी कार्यकारी समूह के अध्यक्ष द्वारा गठित उप समूह।। की बैठक

सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–2017) के लिए 'महिलाओं की एजेंसी और सशक्तिकरण' संबंधी कार्यकारी समूह के अध्यक्ष द्वारा 'महिलाओं के लिए कानूनी ढांचे' पर विचार–विमर्श करने के लिए उप समूह गठित किया गया था। सदस्य सचिव, राष्ट्रीय महिला आयोग को उप समूह की अध्यक्षा और श्रीमती कीर्ति सिंह, एडवोकेट को सह–अध्यक्षा नियुक्त किया गया था। प्रारूप रिपोर्ट सितंबर, 2011 में सौंप दी गई थी।

6. राष्ट्रीय महिला आयोग ने लायर्स क्लेक्टिव के सहयोग से इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली में 26 अगस्त, 2011 को एक दिवसीय प्री कांफ्रेंसिंग बैठक का आयोजन किया। बैठक में राज्यों के नोडल विभाग (सामाजिक कल्याण/महिला और बाल विकास) के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक का उद्देश्य घरेलू हिंसा से महिलाओं का बचाव अधिनियम, 2005 के कार्यकरण के प्रभावी कार्यान्वयन अथवा मॉनीटरिंग

के लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा रखी गई अवसंरचना को सूचित करना तथा सरकार द्वारा शुरू की गई किसी अन्य पहल को भी सूचित करना था। इसके अलावा, 30 जनवरी, 2012 को रशियन कल्चरल सेंटर, नई दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग और लायर्स क्लेक्टिव द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित कार्यक्रम में अकेले रहना के अलावा, पीडब्ल्यूडीवीए पर 5वीं मॉनीटरिंग और मूल्यांकन रिपोर्ट को जारी किया गया।

7. पीडब्ल्यूडीवीए के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रारूप केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम

19 जनवरी, 2012 का पीडब्ल्यूडीवीए के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रारूप केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम पर आयोजित राष्ट्रीय परामर्श के परिणामस्वरूप, संशोधित स्कीम तैयार की गई है जो अनुलग्नक–6 में दी गई है।

8. अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 125 127 में प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में इनपुट्स– अनुलग्नक–7

9. विधि और न्याय मंत्रालय से प्राप्त 'विवाह पर अत्यधिक और असीमित व्यय का निवारण विधेयक, 2011' पर राष्ट्रीय महिला आयोग की टिप्पणियों को 4 नवंबर, 2011 को विधि और न्याय मंत्रालय को भेज दिया गया – अनुलग्नक–8

10. 'महिला किसानों की पात्रता विधेयक, 2011' पर टिप्पणियां – महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से प्रो. एम. एस. स्वामीनाथन द्वारा पेश किया गया 'महिला किसानों की पात्रता विधेयक, 2011' पर प्रारूप विधेयक राष्ट्रीय महिला आयोग में प्राप्त हुआ। इस मामले पर राष्ट्रीय महिला आयोग के विचार 19 दिसंबर, 2011 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भेज दिए गए – अनुलग्नक–9।

11. क्षमता निर्माण

राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं संबंधी विधियों के उचित कार्यान्वयन के लिए न्यायायिक तथा पुलिस अधिकारीयों के क्षमता निर्माण के लिए एक योजना प्रारम्भ की है जिसके अंतर्गत महाराष्ट्र ज्यूडिशियल एकेडमी, एमिटी ला स्कूल, नोएडा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, मरोल, मुंबई तथा हरियाणा पुलिस एकेडमी, मधुबन में पांच कार्यशालाएं आयोजित की है।

12. राष्ट्रीय महिला आयोग ने वूमेन पॉवर कनेक्ट के सहयोग से भुवनेश्वर, चैनेई, गौहाटी और उदयपुर में, क़ानून के महिलाओं के हित में प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सेमीनार आयोजित किए।

6 अनुसंधान एवं अध्ययन प्रकोष्ठ

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 10 (1) (ज) के अंतर्गत आयोग को, सभी क्षेत्रों में महिलाओं का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके विकास में बाधा पहुंचाने वाले कारकों का पता लगाने के तरीके सुझाने के लिए विकासात्मक तथा शैक्षणिक अनुसंधान करना होता है। इस संबंध में आयोग ने लिंग समानता और सशक्तीकरण के मामलों जैसे उच्च प्राथमिकता वाले विषयों पर जानकारी प्राप्त करने के लिए कई सेमीनार, जन सुनवाई, कार्यशालाएं और अनुसंधान अध्ययन किए।

वर्ष 2011–12 के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं संबंधी समस्याओं और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए जागरूकता पैदा करने से सम्बंधित कार्यक्रमों के लिए मंजूरी दी। पिछड़े और कम विकसित ग्रामीण क्षेत्रों, जहाँ की अधिकतर महिलाएं अनपढ़ और भोली–भाली हैं, के मामलों में जागरूकता पैदा करने पर विशेष बल दिया गया।

कुल 9 गैर सरकारी संगठनों को जागरूकता कार्यक्रम/जनसुनवाई का कार्य सौंपा गया, 177 निकायों को विधिक जागरूकता कार्यक्रम करने के लिए प्रायोजित किया गया, 12 पारिवारिक महिला लोक अदालतें लगाई गईं। इसके अतिरिक्त, 103 राष्ट्रीय स्तर/क्षेत्रीय स्तर/राज्य स्तर के सेमीनार/कार्यशालाएं आयोजित की गईं और महिलाओं संबंधी मामलों तथा समस्याओं का गहराई से अध्ययन करने के लिए 20 अनुसंधान अध्ययन भी प्रायोजित किए गए।

उन संगठनों जिनके लिए 2011–12 के दौरान जागरूकता कार्यक्रम/जनसुनवाई, राज्य स्तर/क्षेत्रीय स्तर/राष्ट्रीय स्तर के सेमीनार और अनुसंधान अध्ययन आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता मंजूर की गई, की सूची क्रमशः अनुलग्नक – **X**, अनुलग्नक – **XI** और अनुलग्नक – **XII** में दी गई है। 2011–12 के दौरान प्रायोजित सेमीनार/जागरूकता कार्यक्रम/जनसुनवाई की संख्या निम्नलिखित तालिका में दी गई है :

क्रम सं	राज्य	सेमीनारों की कुल संख्या	जागरूकता कार्यक्रमों/ जनसुनवाई की कुल संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	2	-
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	-
3.	असम	5	-
4.	चंडीगढ	-	1
5.	दिल्ली	12	4
6.	हरियाणा	5	-
7.	गुजरात	1	`-
8	झारखंड	1	-

क्रम सं	राज्य	सेमीनारों की कुल संख्या	जागरूकता कार्यक्रमों / जनसुनवाई की कुल संख्या
9.	मध्य प्रदेश	3	-
10.	महाराष्ट्र	8	-
11.	मणिपुर	5	-
12.	मेघालय	5	-
13.	उड़ीसा	7	-
14.	पंजाब	1	-
15.	राजस्थान	10	2
16.	तमिलनाडु	1	-
17.	त्रिपुरा	1	-
18.	उत्तर प्रदेश	33	1
19.	उत्तराखंड	1	
20.	पश्चिम बंगाल	1	1
	कुल	**103**	**9**

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित विधिक जागरूकता कार्यक्रम और पारिवारिक महिला लोक अदालत

आयोग ने 2011–12 के दौरान 177 निकायों को विधिक जागरूकता कार्यक्रम और 12 पारिवारिक महिला लोक अदालत के लिए मंजूरी दी है। जिन गैर सरकारी संगठनों को विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने और पारिवारिक महिला लोक अदालत लगाने के लिए वित्तीय सहायता मंजूर की गई, उनकी सूची क्रमशः अनुलग्नक – XIII और अनुलग्नक – XIV पर दी गई है। मंजूर किए गए विधिक जागरूकता कार्यक्रमों और पारिवारिक महिला लोक अदालतों की राज्य–वार संख्या निम्नलिखित तालिका में दी गई है :

क्रम सं.	राज्य	आयोजित किए गए विधिक जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	आयोजित की गई पारिवारिक महिला लोक अदालतों की कुल संख्या
1.	असम	4	–
2.	आंध्र प्रदेश	4	–
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	1
4.	बिहार	6	3

क्रम सं.	राज्य	आयोजित किए गए विधिक जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	आयोजित की गई पारिवारिक महिला लोक अदालतों की कुल संख्या
5.	छत्तीसगढ़	1	–
6.	दिल्ली	8	2
7.	गुजरात	1	–
8.	हरियाणा	12	–
9.	हिमाचल प्रदेश	1	–
10.	कर्नाटक	1	–
11.	मध्य प्रदेश	7	–
12.	महाराष्ट्र	2	1
13.	मिजोरम	1	–
14.	मणिपुर	11	–
15.	उड़ीसा	7	–
16.	पंजाब	1	–
17.	राजस्थान	23	–
18.	तमिलनाडु	2	–
19.	त्रिपुरा	2	–
20.	उत्तर प्रदेश	70	3
21.	उत्तराखंड	8	1
22.	पश्चिम बंगाल	1	1
	कुल	**177**	**12**

हिंसा मुक्त घर–महिला का अधिकार

राष्ट्रीय महिला आयोग ने मई, 2008 में दिल्ली पुलिस के साथ एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की। घर बचाओ, परिवार बचाओ नामक परियोजना का उद्देश्य पुलिसकार्मियों को महिलाओं की समस्याओं का प्रभावीपूर्वक हल करने में उन्हें समर्थ करने के लिए थाना/पुलिस स्टेशन पर उन्हें सहायता प्रदान करना है। परियोजना के चरण को दिल्ली में महाराष्ट्र के मॉडल के आधार पर महिलाओं एवं बच्चों के लिए तीन विशेष प्रकोष्ठ स्थापित करने के लिए शुरू किया गया है। प्रकोष्ठों का प्रमुख कार्य महिलाओं के विरूद्ध हिंसा (वीए डब्ल्यू) के मामलों को निपटाना, आपराधिक शिकायतों के संबंध

में पुलिस सहायता की व्यवस्था, परिवार सेवा एजेन्सियों को रेफर करना, महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के संबंध में परामर्श, विधिक सहायता देना तथा जागरूकता पैदा करना है। इस परियोजना को राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा वित्तपोषित किया जाता है तथा यह टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टीआईएसएस) के सहयोग से कार्य कर रही है। परियोजना की सफलता को देखते हुए इसका कार्यकाल 31 मार्च, 2013 तक एक और वर्ष के लिए विस्तुत कर दिया गया है। अब इस परियोजना का नाम 'घर बचाओ, परिवार बचाओ' के स्थान पर 'हिंसा–मुक्त घर– महिला का अधिकार' रखा जाएगा।

अनुसंधान अध्ययन

निम्नलिखित अनुसंधान अध्ययन वर्ष 2011–12 के दौरान पूरे किए गए थे, जिनका सार नीचे दिया गया है:

1. ग्रामीण जागरूकता एवं विकास संगठन, रोहतक, हरियाणा द्वारा हरियाणा के रोहतक जिले में पंचायत में महिलाओं के संबंध में अनुसंधान अध्ययन के उद्देश्य

उद्देश्य अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित उद्देश्य थे।

- महिला–निर्वाचित प्रतिनिधियों (डब्ल्यू ई आर) की सामाजिक–आर्थिक रूपरेखा की पहचान करना।
- हरियाणा पंचायती राज अधिनियम के बारे में डब्ल्यू ई आर की जागरूकता के स्तर का मूल्यांकन करना।
- पंचायती राज संस्थाओं में डब्ल्यू ई आर की भागीदारी की प्रकृति एवं मात्रा का मूल्यांकन करना।
- विभिन्न विकास योजनाओं के बारे में जागरूकता के स्तर का मूल्यांकन करना।
- डब्ल्यू ई आर के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए उपाय सुझाना।

कार्यप्रणाली

- 21 जिलों में से रोहतक का अध्ययन हेतु चयन किया गया।
- रोहतक में 141 ग्राम पंचायतों (पीपी) में से 48 ग्राम पंचायतों की प्रमुख महिलाएं थी जिनमें से 30 का चयन अध्ययन के लिए किया गया।
- रोहतक से पांच खंड अर्थात 11 (ग्राम पंचायत) कलानौर से 5, मेहम खंड से 5, लखान मजरा ग्राम पंचायतों से 3 तथा रोहतक जिले के सांपला खंड से 6 ग्राम पंचायतों का अध्ययन के लिए चयन किया गया।
- प्राथमिक आंकड़ों को संरचनाबद्ध साक्षात्कार अनुसूची तथा फोकस सामूहिक चर्चा के जरिए एकत्र किया गया।

निष्कर्ष– अन्य बातों के साथ–साथ

- डब्ल्यू ई आर की रूपरेखा से प्रकट हुआ कि अधिकतर मुद्दालेह अधेड़ आयु वर्ग, मध्यम स्तरीय शिक्षा अर्थात् उच्चतर माध्यमिक तक तथा अधिकतर सामान्य जाति के थे।

- पंचायती राज संस्थाओं की विभिन्न संरचना तथा कार्यों के संबंध में डब्ल्यू ई आर की जागरूकता के स्तर में अत्यधिक भिन्नता थी। पंचायती राज प्रणाली का कार्यकाल एकमात्र ऐसा पहलू है जिसके बारे में अधिकतर मुद्दालेह अवगत थे। उन्हें, पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों के आरक्षण, ग्राम पंचायत की गणपूर्ति, पंचायतों में स्थायी समितियों की संख्या ग्राम पंचायत के कार्यों की ज्यादा जानकारी नहीं थी।
- 6.7 प्रतिशत डब्ल्यू ई आर चुनाव के बहुत से दौरों में सफल थे। यह भी देखा गया कि किसी भी मुद्दालेह ने जिला परिषद के लिए चुनाव नहीं लड़ा था तथा 13.3 प्रतिशत डब्ल्यू ई आर ने खंड समिति के सदस्यों के रूप में चुनाव लड़ा था। केवल 3 प्रतिशत मुद्दालेह को अनारक्षित सीट पर चुनाव लड़ा।
- 70 प्रतिशत मुद्दालेह ने सूचना दी कि पंचायत की बैठक के दौरान परिवार के प्ररूप सदस्य सर्वदा उनके साथ रहे।
- कन्या भ्रूणहत्या एवं दहेज को भी गांवों के समग्र विकास में प्रमुख सामाजिक अवरोधों के रूप में देखा गया।
- अधिकतर मुद्दालेह (68 प्रतिशत) ने सूचित किया कि उन्हें निर्वाचित होने के बाद कोई प्रशिक्षण या अभिविन्यास नहीं मिला था।
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (नरेगा) तथा इंदिरा आवास योजना (आई ए वाई) सभी योजनाओं में सर्वाधिक लोकप्रिय प्रतीत होती है जिसके बारे में 76.6 प्रतिशत परिवारों को जानकारी है। उन्हें महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई जननी सुरक्षा योजना तथा लाडली योजना की भी जानकारी थी।
- करीब 70 प्रतिशत ने अपने गांवों में सीबीओ की उपस्थिति की सूचना दी।

2. पर्यावरण के संबंध में मातृ भूमि फाउंडेशन, दिल्ली द्वारा कराया गया अनुसंधान अध्ययन जो बीपीओ/एमएनसी द्वारा उनकी महिला कर्मचारियों को प्रदान किया गया।

अध्ययन के उद्देश्य अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित थे:

- बीपीओ क्षेत्र में कार्यान्वित विभिन्न मानव संसाधन पद्धितयों का अध्ययन करना तथा बीपीओ/ एमएनसी में कार्यरत महिलाओं की समस्याओं की समस्याओं तथा उनके कार्य जीवन के संबंध में उनके लाभ तथा हानि को उजागर करना।
- सुरक्षा पुलिस के साथ सभी महिला कर्मचारियों के सुरक्षित परिवहन की पद्धित तथा महिला के स्वास्थ्य पर बेवक्त कार्य घंटे के प्रभाव का अध्ययन करना।
- यौन उत्पीड़न का परिहार करने तथा कार्य दशाओं में सुधार के लिए महिला कर्मचारियों के लिए बीपीओ/

एमएनसी द्वारा किए गए उपायों का अध्ययन करना।

कार्यप्रणाली

- महिला कर्मचारियों, उनके माता–पिता, पुलिस, मीडिया तथा 708 मुद्दालेह जिनमें से 542 महिलाएं थी, के कंपनी प्रबंधन प्राधिकारियों से संरचनाबद्ध प्रश्नावली, फोकस सामूहिक साक्षात्कार तथा मामले के अध्ययन के जरिए प्राथमिक आंकड़े एकत्र किए गए।
- दिल्ली, गाजियाबाद, नौएडा, फरीदाबाद तथा गुड़गांव का चयन अध्ययन के लिए किया गया।

निष्कर्ष

- बीपीओ सेक्टर में कार्यरत महिलाकार्मियों को कोई भी अतिरिक्त लाभ दिए बगैर एक दिन में 10–11 घंटें तक कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है और उन्हें सप्ताहांत छुट्टियों को छोड़कर आकस्मिक छुट्टियां, अर्द्ध दिवस छुट्टियां, मातृ छुट्टियां, चिकित्सीय छुट्टी जैसी उपयुक्त छुट्टियां प्रदान नहीं की जा रही हैं।
- नई भर्ती महिला कर्मी दीर्घ कार्य समय का सामना नहीं कर पाती हैं और अपने कॅरियर के मध्य में ही नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर हो जाती हैं।
- आईटी–बीपीओ में कार्यरत अधिकतर महिलाएं कंप्यूटर के अधिकाधिक इस्तेमाल और घटिया प्रकाश व्यवस्था, चौंध तथा विकर्षित प्रतिबिंबन, स्क्रीन की झिलमिलाहट के कारण दृष्टि संबंधी रोग लक्षण की का अनुभव करती हैं।
- कार्य स्थल पर पुरूष अधिकारियों द्वारा अप्रत्यक्ष दबाव बनाकर किए जाने वाला यौन उत्पीड़न एक मुख्य समस्या है।
- रात्रि में कैब में यात्रा करते समय कैब ड्राइवर द्वारा दुर्व्यवहार के खिलाफ उनकी शिकायत पंजीकृत करने के लिए कोई भी आंतरिक हॉटलाइन और एसएमएस सेवा मौजूद नहीं है।
- महिला कर्मियों के लिए भविष्य निधि, उपदान, सामूहिक मेडिक्लेम सुविधाओं के जरिए पर्याप्त सुरक्षा नहीं हैं।
- रात्रि में घर देर से लौटते हुए अपर्याप्त सुरक्षा उपायों के कारण आईटी–बीपीओ में कार्यरत महिला कर्मियों के खिलाफ अपहरण, बलात्कार, हत्या, छेड़छाड़, अभद्र टिप्पणियों जैसे अपराध दर में वृद्धि हुई है।

3. मदर्स लैप–चेरिटेबल आर्गेनाइजेशन, आंध्र प्रदेश द्वारा सामाजिक परिवर्तन पर दहेज प्रतिषेध अधिनियम के प्रभाव के संबंध में किया गया अनुसंधान अध्ययन

अन्य बातों के साथ–साथ अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित थे:

- आंध्र प्रदेश में दहेज प्रतिषेध अधिनियम अधिनियमित होने के उपरांत सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति और परिमाण का अध्ययन करना।

- दहेज के भुक्तभोगियों की सामाजिक–आर्थिक संस्कृति और मनोविज्ञानी परिवर्तन का विश्लेषण करना।
- दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत दर्ज किए गए मामलों की संख्या का अध्ययन करना।
- दहेज प्रतिषेध अधिनियम के कार्यान्वयन के बारे में माता–पिता/समाजसेवी समूहों/गैर सरकारी संगठनों/मीडिया की अवधारणा को समझना।
- दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज करवाने के उपरांत महिलाओं और उनके परिवार के सदस्यों के जीवन का अध्ययन करना।
- "दहेज उत्पीड़न से निपटने के लिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम कैसे सहायक हुआ है" को समझना और इसका अध्ययन करना।

कार्यप्रणाली

- 833 मुद्दालेह के मामला संबंधी अध्ययन और फोकस समूह साक्षात्कारों, संस्थागत प्रश्नावलियों के जरिए प्राथमिक डाटा एकत्र किया गया था जिसमें से 79 दहेज की भुक्तभोगी, 237, परिवार के पीड़ितों के 158 बच्चे और 280 अन्य श्रेणी के थे।
- इस अध्ययन में विशाखापट्टनम, विजयनगरम, श्रीकाकुलम, पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी और कृष्णा शहरों को कवर किया गया था।

निष्कर्ष

- मुद्दालेह महसूस करते हैं कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम जीवन की वास्तविकताओं के साथ मेल नहीं खाता है।
- पक्षकारों ने दहेज प्रतिषेध अधिनियम पर ध्यान दिए और प्रारंभिक चरण पर विवाह संबंधी प्रस्तावों को स्वीकार करते समय दहेज का विरोध नहीं किया।
- यदि वर पारिवारिक समझौते में से विवाह के उपरांत दहेज की मांग करेगा तो वधू के माता–पिता दहेज की अवैध मांग की शिकायत के लिए जाएंगे।
- ग्रामीण क्षेत्रों में गांवों में अधिकतर महिलाओं को इस अधिनियम के बारे में जानकारी नहीं है।
- कुछ वर्ग अपनी सामाजिक हैसियत का प्रदर्शन करने के लिए स्वेच्छा से दहेज देते हैं।
- इसमें एक डर यह है कि यदि वे दहेज नहीं देंगें तो उन्हें अच्छा जीवनसाथी नहीं मिलेगा।
- लोगों की यह धारणा है कि यदि दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज हो जाएगा तो उन्हें अपने पतियों के साथ फिर से रहने का अवसर नहीं मिलेगा।
- यह एक विचलित करने वाली सच्चाई है कि अत्यधिक पढ़े–लिखे और संपन्न माता–पिता इस प्रथा में संलिप्त होते हैं।

- दहेज की बड़ी मांग के कारण अधिकतर गरीब लड़कियां या तो किसी के साथ भाग जाती हैं अथवा वेश्यावृत्ति में पड़ जाती हैं।
- यदि दहेज देने वाले और दहेज लेने वाले दोनों को दंडित किया जाएगा तो मौजूदा डीपी अधिनियम इस विभीषिका की रोकथाम के लिए पर्याप्त होगा।
- वास्तव में केवल कुछ ही उल्लंघनकर्ताओं को डीपी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंडित किया जाता है।
- प्रतिवर्ष राज्य में दहेज उत्पीडन के लगभग 10,000 मामले दर्ज होते हैं।

4. नोबल सोशल और एजुकेशनल सोसाइटी, तिरूपति, आंध्र प्रदेश द्वारा आंध्र प्रदेश में किसानों द्वारा आत्महत्या और महिलाओं और परिवारों पर इसके प्रभाव के संबंध में किया गया अनुसंधानात्मक अध्ययन

अन्य बातों के साथ–साथ इस अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित थेः

- आंध्र प्रदेश में आत्महत्या– प्रभावित किसान परिवारों में महिलाओं और बच्चों द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों और तात्कालिक कष्ट की प्रकृति की जांच करना।
- पीड़ित के परिवारों में महिलाओं की परिवर्तनशील भूमिका और सामान्यतः परिवार पर तथा मुख्यतः बच्चों पर इसके प्रभाव की जांच करना।
- सरकारी राहत पैकेज की उपयोगिता के परिमाण और प्रभावित किसान परिवारों के आश्रितों पर सामाजिक–आर्थिक विकास पर इसके प्रभाव की जांच।
- संवेदनशील पीड़ित परिवारों की सुरक्षा और प्रभावित परिवारों की महिलाओं और बच्चों को विशेष रूप से सशक्त बनाने हेतु कार्यनीतियों का सुझाव देना।

कार्यप्रणाली

- आत्महत्या के मामलों की संख्या के आधार पर वारंगल और अनंतपुर जिलों का चयन किया गया था; जिसका डाटा वित्त विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद से एकत्र किया गया था।
- आत्महत्या के कुल मामलों (वर्ष 1997–2008 के दौरान 23,279) में से चयनित जिलों में अध्ययन के लिए 100 परिवारों को चुना गया था।
- अध्ययन के लिए मुद्दालेहों से एकत्रित प्राथमिक डाटा मृतक किसानों की विधवाओं पर था और इसमें "प्रतिशतता" और "मध्य औसत" इत्यादि युक्त तालिकाबद्ध विश्लेषण का इस्तेमाल किया गया था।

निष्कर्ष

- आत्महत्या प्रभावित अधिकतर परिवार पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छोटे और सीमांत किसानों से हैं।
- आत्महत्या के लगभग 50 पीड़ित दैनिक मजदूरी, कृषि कार्मिक इत्यादि जैसे गौण व्यवसाय में रत भी थे।
- आत्महत्या पीड़ितों की पत्नियों अर्थात् विधवाओं को ऋण की मात्रा और उनके पतियों द्वारा झेले जाने वाले दबाव के बारे में अंधेरे में रखा गया।
- अधिकतर पीड़ितों परिवारों में बड़ी संख्या में मुखिया जीवित बची विधवाएं थी जिनमें से अधिसंख्य अशिक्षित थी तथा अधिकतर 50 वर्ष से कम आयु की थी।
- उनके पतियों द्वारा आत्महत्या करने के उपरांत अधिकतर विधवाओं की स्थिति में बदलाव आ गए जिन्होंने अपनी खेती का प्रत्यक्षतः प्रबंधन करना शुरू कर दिया। इसके अतिरिक्त उनमें से बड़ी संख्या में डेयरी इकाई शुरू की (दूध देने वाले पशु)।
- लगभग आधे से ज़्यादा परिवारों ने भूमि की खेती के नकारात्मक परिणामों और भार का इसे पट्टे पर देकर अथवा बेचकर परिहार किया।
- अनेक परिवारों को अनुग्रह राशि पाने में काफी समय लगा। यहां तक कि राहत पॅकेज पाने में विधवाओं ने अनेक कठिनाओं का सामना किया जैसे कई बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटना और आने–जाने तथा खाने पर खर्च होना। सभी 200 परिवारों ने संयुक्त खाते से अनुग्रह राशि का एक भाग आहरित कर लिया है और इसका उत्पादक और अनुत्पादक, दोनों प्रयोजनार्थ इस्तेमाल किया है।
- आत्महत्या से पहले 156 परिवार स्कूल जाने की आयु वाले अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे थे परंतु आत्महत्या के उपरांत केवल 112 परिवारों ने ही अपने बच्चों को स्कूल भेजा, जिससे विधवाओं की अपने बच्चों की शिक्षा का प्रबंधन करने में अक्षमता जाहिर हुई।
- विधवाओं ने लड़कियों के लिए दहेज की व्यवस्था करने में कठिनाई का सामना किया और वे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से ग्रस्त थी।
- स्वयंसेवी समूहों ने भूमिका का निर्वाह किया।
- विधवा मुद्दालेहों ने अपने बेहतर भविष्य के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए:

    1. फसल बीमा
    2. फसल ऋण
    3. गुणवत्तायुक्त रियायती बीजों और उर्वरकों की आपूर्ति करना

4. निः शुल्क आवास
5. दुधारू पशु (डेयरी एकक)
   क. आरोग्य श्री
   ख. दक्षता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम
   ग. स्वयंसेवी समूहों के जरिए रोजगार सृजन
   घ. महिला कृषकों के लिए परामर्शी सेवाएं
   ड. सरकारी आवासीय स्कूलों में बच्चों का दाखिला।

5. श्राइन सोसाइटी, कृष्ण नगर, दिल्ली द्वारा घरेलू हिंसा अधिनियम के संबंध में किया गया अनुसंधानात्मक अध्ययन

अन्य बातों के साथ–साथ अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित थेः

- घरेलू हिंसा के पीड़ितों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना और घरेलू हिंसा के परिणाम।
- घरेलू हिंसा के मनोविज्ञानी, सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक प्रभावों का अध्ययन करना और निवारक कार्यनीतियों का अध्ययन।

कार्यप्रणाली

- इस अध्ययन में शामिल क्षेत्र दिल्ली की मलिनबस्तियां थी जिसमें से 433 महिला मुद्दालेहों का उनकी उपलब्धता और इच्छा के आधार पर प्रयोजक सैम्पलिंग का इस्तेमाल करके साक्षात्कार किया गया था ताकि अध्ययन के लिए सूचना उपलब्ध करवाई जा सके।
- इन स्थानों की जनसंख्या श्रमिक वर्ग से थी और कुल जनसंख्या 37000 थी। प्रयोजक सैम्पलिंग का इस्तेमाल करके कुल 500 महिला मुद्दालेहों का साक्षात्कार किया जाना था। महिला के प्रति अपराध प्रकोष्ठ में जाने वाले सभी पीड़ित महिलाओं और पुरूषों पर विचार किया गया। तथापि, अध्ययन के लिए सूचना प्रदान करने के लिए मुद्दालेहों की उपलब्धता और उनकी इच्छा के आधार पर कुल 433 महिला मुद्दालेहों को कवर किया गया।

निष्कर्ष

प्राथमिक स्रोतों तथा फोकस समूह चर्चा इत्यादि से सृजित डाटा के आधार पर अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित समापन टिप्पणियां की गईः

- कम आयु में विवाह करने वाली महिलाएं/लड़कियों को घरेलू हिंसा का सबसे ज्यादा जोखिम था और माता–पिता/अभिभावकों द्वारा निर्धारित (एरेंज) शादी अथवा सामाजिक तंत्र के जरिए संस्थागत शादी अत्यधिक जोखिम संभावित थी।

- घरेलू हिंसा पीड़ितों के धार्मिक अभिविन्यास पर ध्यान दिए बगैर की जाती है।
- बड़ी उम्र की पत्नियां परिवार में विभिन्न प्रकार की घरेलू हिंसा स्वीकार करती हुई प्रतीत होती हैं।
- परिवार के प्रकार अर्थात् एकल परिवार अथवा संयुक्त परिवार से घरेलू हिंसा की घटना पर कोई असर नहीं पड़ा और यह निम्न सामाजिक–आर्थिक स्तर में आम थी हालांकि इसका पता नहीं चलता है।
- घरेलू हिंसा के कारण अपरिपक्व व्यक्तित्व, व्यसन–अल्कोहल, मादक पदार्थ, जुआ इत्यादि, उकसावा और दहेज के होने की सूचना है तथापि, दहेज को महिलाओं के प्रति हिंसा का मुख्य कारण होना नहीं पाया गया था।
- जब पीड़ित को अपने पड़ोसियों से बात–चीत करने की अनुमति नहीं दी गई तब भी पड़ोसी हस्तक्षेप नहीं करते हैं और अधिकतर महिला पीड़ितों के साथ उनके बच्चों के सामने उनके पतियों द्वारा दुर्व्यवहार किया गया।

6. काजन्स हिम स्टार व्यू, शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के बीपीएल परिवारों में विवाहित महिलाओं के मध्य, घरेलू हिंसा अधिनियम के संबंध में किया गया अनुसंधानात्मक अध्ययन

अन्य बातों के साथ–साथ इस अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित थेः

- निम्न आय समूह वर्ग में उन कारकों और प्रचलित रूपों का पता लगाना जिनके परिणामस्वरूप घरेलू हिंसा होती है।
- घरेलू हिंसा के दौरान परिवार के अन्य सदस्यों की भूमिका की समीक्षा करना और यह पता लगाना कि क्या घटना के बाद पीड़िता ने पुलिस प्रशासन अथवा अन्य कोई सामाजिक सेवा ली है।

कार्यप्रणाली

- यह अध्ययन चरणबद्ध यादृच्छिक नमूना पद्धितयों के जरिए 10 विकासपरक ब्लाक, 363 पंचायतों, 6108 गांवों, 1200 घरों, 1000 व्यक्तियों को कवर करता है जिसमें शिमला जिला के बीपीएल परिवारों की 800 विधवाओं का प्रश्नावली के जरिए साक्षात्कार लिया गया था।

निष्कर्ष

- 82% मुद्दालेहों ने कहा कि खराब आर्थिक स्थिति घरेलू हिंसा का मुख्य कारण है।
- यहां तक कि आर्थिक रूप से स्वतंत्र महिला सभी घरेलू हिंसा की भुक्तभोगी थी।
- अधिकतर महिलाएं घरेलू हिंसा के एक से अधिक रूप से ग्रस्त थी।

- अध्ययन यह दर्शाते हैं कि मनोविज्ञानी दुर्व्यवहार करने के लिए बच्चे को धमकी देने के रूप में इस्तेमाल किया गया।
- लगभाग 88% मुद्दालेहों ने यह व्यक्त किया कि हम उम्र दबाव, समाज और शर्म का भय और भविष्य में एक आशा के साथ अकेले रहने की स्थिति ने दुर्व्यवहार करने वाले अपने दंपत्तियों को नहीं छोड़ा।
- अधिकतर मुद्दालेहों की अपनी संवैधानिक अथवा विधिक अधिकार की जानकारी नहीं थी लेकिन 90.25% ने सहायता लेने की इच्छा जाहिर की बशर्ते कि उन्हें सुलभ की जाए।

7. अरावली विकास अनुसंधान संस्थान, जयपुर, राजस्थान द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (एनआरईजीएस) और राजस्थान राज्य में ग्रामीण महिलाओं पर इसके प्रभाव के संबंध में किया गया अनुसंधानात्मक अध्ययन

इस अध्ययन के उद्देश्य अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित थेः

- ग्रामीण महिला लाभार्थियों की सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि का मूल्यांकन करना और उनके द्वारा एनआरईजीएस के अंतर्गत लाभ उठाए गए फायदों की सीमा का अध्ययन करना।
- महिला लाभार्थियों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं/कठिनाईयों का अध्ययन करना और सुधारात्मक उपायों का सुझाव देना।
- ग्रामीण कार्यान्वयन तंत्र के कार्यरत पैटर्न की समीक्षा करना।

कार्यप्रणाली

- यह अध्ययन यादृच्छिक नमूना के जरिए जयपुर जिले में छह पंचायत समितियों में आयोजित किया गया था।
- लाभार्थियों के विभिन्न वर्गों को कवर करने के लिए चरणबद्ध यादृच्छिक नमूने के जरिए अध्ययन के लिए 610 लाभार्थी, 171 अधिकारी और 25 मामले लिए गए थे।

निष्कर्ष

- अधिकतर महिलाएं अशिक्षित थी (85:) और अधिकतर अनुसूचित जाति से थी।
- 70 प्रतिशत महिलाओं को एनआरईजी के बारे में जानकारी नहीं थी।
- इस स्कीम को कुल मिलाकर महिला मुद्दालेह द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है।
- अध्ययन के परिणाम यह दर्शाते हैं कि अधिकतर कार्य स्थलों में आपाती स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं, पेयजल उपलब्ध हैं जबकि 33 कार्य स्थलों में क्रेच सुविधाएं नदारद थी।
- भुगतान में विलंब हुआ था।

- अध्ययन में प्रव्रजन की तीव्रता में कमी लाने में एनआरईजीएस का प्रभाव सकारात्मक पाया।
- एनआरईजीएस में कुल कार्यरत का 85 प्रतिशत महिलाएं थी।
- अधिकतर महिलाओं ने सूचना दी कि एनआरईजीएस की वजह से उन्हें अर्जन का अवसर मिला जिसके परिणामस्वरूप उन्हें परिवार में सम्मान मिला।

8. दी रूरल सर्विस एजेंसी (आरयूएसए), इम्फाल, मणिपुर द्वारा मणिपुर के पूर्वी इम्फाल और पश्चिम जिले में महिलाओं के एचआईवी/एड्स में बढ़ोतरी के संबंध में मूल्यांकन अध्ययन।

इस अध्ययन के अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित उद्देश्य थेः

- मणिपुर के पूर्वी इम्फाल और पश्चिम जिले में महिलाओं के एचआईवी संक्रमण की बढ़ती हुई संख्या में सहायक जोखिम कारकों की पहचान करना और एचआईवी पॉजिटिव महिलाओं की आवश्यकताओं की पहचान करना जो संवेदनशीलता घटकों की कमी में सहायक होगा।
- तत्संबंधी उपायों की सिफारिश करना।

कार्यप्रणाली

- मणिपुर राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी (एमएसीएस), यूएनएआईडीएस, नाको, सामाजिक कल्याण, इंटरनेट स्रोतों इत्यादि द्वारा प्रकाशित साहित्य की समीक्षा।
- एचआईवी पॉजिटिव महिलाओं, मीरा पायबीज, पंचायत के सदस्यों, मीडिया कार्मिकों का प्रश्नावली सर्वेक्षण उपलब्ध साहित्य की समीक्षा के उपरांत मणिपुर राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी और गैर सरकारी संगठनों से लिए गए विशेषज्ञ दल ने प्रश्नाविलयां तैयार की।
- उक्त प्रश्नावली मणिपुर राज्य के एड नियंत्रण सोसायटी तथा गैर सरकारी संगठनों के विशेषज्ञों के दल द्वारा उपलब्ध साहित्य के पुनरीक्षण के बाद तैयार की गई।

निष्कर्ष

- महिलाओं को उनके पतियों के व्यक्तिगत उच्च जोखिम व्यवहार के कारण, उनके स्वयं के द्वारा इंजेक्शन द्वारा मादक द्रव्य लेने, सुइयों और सिरिंजों को साझा करने, एक से अधिक साथियों के साथ यौन संबंध बनाने, एचआईवी/एड्स के बारे में जानकारी और जागरूकता के अभाव, समाज में महिलाओं की निम्न सामाजिक और आर्थिक हैसियत के कारण एचआईवी संक्रमण लग गया।
- एचआईवी पॉजिटिव महिलाओं की आवश्यकताएं समय पर लग जाने वाले संक्रमणों, के उपचार एआरटी, उच्च कोटि के कंडोम की उपलब्धता सहित नियमित आय और आर्थिक स्वतंत्रता, व्यावसायिक प्रशिक्षण, आय सृजक स्कीम, माइक्रो क्रेडिट स्कीम, भेदभाव और कलंकित करने पर अंकुश पाने, परिचर्या और सहायता कार्यक्रमों तक सहज पहुंच है।
- गैर–सरकारी संगठनों, सीबीओ, मीरा पाइबीज (महिला कर्मी) पंचायत के सदस्यों और मीडिया सहित पणधारियों में राज्य के कोने–कोने तक पहुंचने के लिए जागरूकता अभियानों में तेजी लाने, एड्स नियंत्रण

कार्यक्रम को राज्य की शीर्ष प्राथमिकता बनाने के लिए शीर्ष नेताओं के साथ एडवोकेसी, विधिक बाधाओं से निपटने के लिए विधियों को पारित करने और एचआईवी/एड्स से ग्रस्त लोगों के प्रति भेदभाव, कलांकित करने की प्रथा से निपटने, सामान्य मुख्यतया एचआईवी पॉजिटिव महिलाओं की विशेष आवश्यकताओं से निपटने के लिए मणिपुर राज्य एड्स नीति का संशोधन, एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के साथ विधवा पेशन सकीमों, माइक्रो क्रेडिट स्कीमों, आय सृजक स्कीमों जैसी सभी कल्याणकारी स्कीमों को जोड़ने का सुझाव दिया1 ये कार्य बहु–क्षेत्रीय कार्यक्रमों के रूप में चलाए जाने चाहिए।

- गैर–सरकारी संगठन केंद्र और राज्य सरकार की इन सभी कार्यकलापों में मदद कर सकते हैं विशेष तौर पर जागरूकता अभियान, परामर्श अभियान में तेजी लाने, विधिक बाधाएं दूर करने के लिए तथा एचआईवी/एड्स से ग्रस्त व्यक्तियों के प्रति भेदभाव और उन्हें कलांकित करने की प्रथा से निपटने के लिए कानून पारित करने, मणिपुर राज्य एड्स नीति के संशोधन में और परिचर्या एवं सहायक कार्यक्रमों में।

9. ऑल इंडिया फाउंडेशन फार पीस एंड डिसास्टर मैनेजमेंट, रोहिणी, दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) के जरिए किया गया आपदा तैयारी में महिलाओं की भूमिका संबंधी अनुसंधानात्मक अध्ययन।

इस अध्ययन के अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित उद्देश्य थेः

- इस अध्ययन के अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित उद्देश्य थे(कोलन)
- आपदा तैयारी के लिए एकीकृत उभयलिंगी दृष्टिकोण अपनाना।
- आपदाओं के पीड़ितों की तात्कालिक चिकित्सीय आवश्यकताओं के प्रत्युत्तर हेतु स्थानीय महिलाओं और गैर सरकारी संगठनों को प्रशिक्षित करना।
- महिलाओं और उपांतिक समूहों में आपाती चिकित्सीय प्रत्युत्तर के लिए प्रशिक्षण सुकर बनाना और आयोजित करना।
- महिलाओं और उपांतिक समूहों को इस बात पर दक्षताओं और सूचना से सुसज्जित करना कि एनसीआर में तैयारी आउटलाइन के जरिए कैसे विशेष कार्यों को तैयार, प्रशिक्षित और तैनाती की जाती है।

कार्यप्रणाली

- यह परियोजना प्रस्तारव मल्टी मॉडल एप्रोच के जरिए एनसीआर में आपदा तैयारी में महिलाओं की भूमिका का विश्लेषण प्रस्तुत करती हैं यह शोध प्राथमिक और द्वितीयक दोनों डाटा पर आधारित है।

निष्कर्ष

- एनसीआर में आपदा तैयारी में महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है। यदि कोई आपदा विशेषतौर पर भूकंप आता है तो सबसे ज्यादा संवेदनशील महिलाएं होगी ओर यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्त्तव्य है कि वह अधिकाधिक

जोखिम जागरूकता और इसका प्रबंधन पैदा करें और महिलाओं को उनकी तैयारी के लिए मूलभूत प्रशिक्षण प्रदान करें। यह अध्ययन यह दर्शाता है कि कैसे महिलाएं आपदा संबंधी खतरों में हैं तथा उन्हें तैयार करने के लिए हमें किस प्रकार के तरीके इस्तेमाल करने चाहिए।

- खतरा प्रबंधन अत्यावश्यक है जिसमें ऐसे सभी प्रशासनिक और प्रचालनात्मक कार्यक्रमों को शामिल किया जा सकता है जो आपातकालों के खतरे को कम करने हेतु अभिकल्पित है, इसमे अत्यधिक खतरनाक पदार्थ भी शामिल हैं। ऐसे कार्यक्रमों में नए मौजूदा उपकरण की डिजाइन सुरक्षा सुनिश्चित करना, मानक प्रचालनात्मक प्रक्रिया, यूनिटी आपरेशन के लिए, जोखिम मूल्यांकन, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन कार्यक्रमों को कागज पर कार्यान्वित करने की आवश्यकता है, आपाती आयोजन और आंतरिक एवं बाह्य प्रक्रियाएं शामिल हैं परन्तु यह इन तक ही सीमित नहीं है।

10. डा.एन.एन. दधीच, उदयपुर, राजस्थान द्वारा दक्षिणी राजस्थान के जनजातीय उप–योजना क्षेत्र में स्कूल छोड़ने वाली जनजातीय लड़कियों के संबंध में किया गया अनुसंधानात्मक अध्ययन।

- इस अध्ययन के अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित उद्देश्य थेःजनजातीय क्षेत्र में बच्चों की लिंगवार और आयु–वार नामांकन दर की सीमा का पता लगाना।
- जनजातीय बच्चों के लिंगवार नामांकन और स्कूल छोड़ने पर प्रभाव डालने वाले कारकों की जांच करना।
- जनजातीय कन्याओं द्वारा स्कूल छोड़ने संबंधी कारणों को अभिज्ञात करना।

कार्यप्रणाली

- यह अध्ययन यादृच्छिक रूप से चयनित 8 चुनिंदा ब्लाकों से एकत्रित प्राथमिक डाटा पर आधारित था जिसमें से प्रत्येक ब्लाक में 2 चयनित गांव थे और इसका योग 16 गांव हुआ तथा यादृच्छिक रूप से चयनित 15 जनजातीय परिवार थे।

निष्कर्ष

- लड़कियों द्वारा छोड़ने संबंधी कारणों का चयनित गांवों में जानकार लोगों द्वारा पता लगाया गया, चयनित घरों के अलावा चयनित गांवों में स्कूल के प्राधिकारियों को सामाजिक कारकों, आर्थिक कारकों, तथा अन्य घटकों के अंतर्गत श्रेणीबद्ध किया जा सकता था। इनका ब्यौरा नीचे दिया गया ह :–

सामाजिक कारक

- घरेलू काम–काज में माता–पिता को मदद देना।
- माता–पिता का अशिक्षित होना तथा शिक्षा की आवश्यकता की जागरूकता का अभाव।
- लड़कियों का कम उम्र में विवाह होना।

आर्थिक कारक

- परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए पारिश्रामिक अर्जन हेतु, आन–फार्म एवं ऑफ–फॉर्म मजदूरी।
- माता–पिता की गरीबी और परिवार के सदस्यों का नियमित रोजगार एवं आय का अभाव।
- पशुओं को चराने के लिए बच्चों का घर से बाहर जाने हेतु दृष्टिकोण आदि–आदि।

अन्य घटक

- भौगोलिक स्थितियां जैसे स्कूल जाने के लिए नदी पार करना और खतरे का डर।
- किशोरियों के लिए स्कूल में सुविधाओं, मुख्य रूप से शौचालय का अभाव।
- कक्षा में अनुत्तीर्ण होना तथा उसी कक्षा में फिर से पढ़ाई करने की झिनझक होना।
- माता–पिता की असामाजिक मृत्यु और घर के काम–काज की देखभाल का उत्तरदायित्व।
- स्कूल में बुरा व्यवहार।
- दूरगामी सोच का अभाव।
- स्कूल में अपर्याप्त शिक्षक।
- लड़कियों के लिए स्कूल और घर के बीच की दूरी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

11. श्री मत्त महिला मंडली, आंध्र प्रदेश द्वारा महिला अनैतिक व्यापार–कारण, कीमत एवं परिणाम के संबंध में किया गया अनुसंधान अध्ययन।

इस अध्ययन के उद्देश्य अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित थे

- अवैध मानव व्यापार प्रोत्साहन देने वाले सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश को समझना।
- स्थानीय प्रोत्साहको/दलालों/हम उम्रों की भूमिका को समझना।
- वे कार्यनीतियों जो महिलाओं को प्रभावित करती हैं और उन्हें अवैध मानव व्यापार के लिए बाध्य करती हैं।

कार्यप्रणाली

- अर्द्ध ढांचागत साक्षात्कार, फोकस समूह चर्चाओं, केस स्टडी, प्रश्नावली, अनुसूची के जरिए डाटा संग्रहण के लिए द्वितीयक और प्राथमिक डाटा एकत्र किया गया था।
- मुद्दालेहों में अवैध मानव व्यापार की पीड़ित, गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति, किशोरी और युवा, शिक्षित, ग्राम राजस्व अधिकारी (वीआरओ), ग्राम सेवक, पुलिस विभाग, सरपंच, एसएचजी के नेतागण, आंगनवाड़ी अध्यापक,एएनम, सामाजिक कार्यकर्ता, एनजीओ, स्थानीय डाक्टर और स्वयं सेवा समूहों के समन्वयक शामिल थे।

- इस अध्ययन में अवैध मानव व्यापार की उच्च व्याप्तता के लिए ज्ञात चित्तूर, अनंतपुर और काडप्पा जिलों को कवर किया गया है।

निष्कर्ष

- देश में प्रतिवर्ष 20 लाख महिलाओं तथा बच्चों का नियमित तौर पर अनैतिक व्यापार किया जाता है।
- अनैतिक व्यापार की व्याप्तता एवं वृद्धि के लिए मुख्य कारणों में से एक निर्धनता एवं परम्परागत रीति–रिवाजें हैं। दूसरे लोग भी हैं जो इसे अपनी स्थिति में सुधार लाने हेतु अपनाते हैं। जब बच्चे वेश्यावृत्ति में फंस जाते हैं या उनका अनैतिक व्यापार किया जाता है तो ऐसा पाया गया है कि उनमें से अधिकांश ऐसे घरों से आते थे जहां उन्हें शोषण का सामना करना पड़ा है या जहां हिंसा और तनाव हुए हैं।
- अधिकतर पीड़ित व्यक्ति एचआईवी/एड्स/यौन रोग से ग्रस्त रहते हैं।
- पुनर्वास समुचित नहीं है। बहुत से पुनर्वास/बचाव अधिकारियों को सुग्राही नहीं बनाया जाता है और वे पुनर्वास को एक बार किए जाने वाले कार्य के रूप में समझते हैं। इससे निर्भरता आती है तथा एक बार पुनः वे अनैतिक व्यापार करने वालों के चुंगल में चले जाते हैं।
- अनैतिक व्यापार की रोकथाम के बहुत ही कम दृष्टांत है। हालांकि अनैतिक व्यापार के खतरे को न्यूनतम करने के लिए अनेक कार्यक्रम एवं योजनाएं है, फिर भी आर्थिक कारणों से पहलें वास्तविक जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच रही हैं।
- वेश्यावृत्ति या किसी तरह के वाणिज्यिक यौन शोषण में फंसे नाबालिगों, लड़कियों महिलाओं का बचाव अभियान मुख्यतया राज्य की जिम्मेवारी है। तथापि, गैर–सरकारी संगठनों ने व्यापक कार्य किए हैं।
- वेश्यावृत्ति से बचाई गई बच्चियां प्रायः अभिघातज उपरांत "तनाव विकार" की शिकार बन जाती है।

12. हरियाणा, पंजाब तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में झूठी शान के लिए हत्याओं के संबंध में शक्ति वाहिनी, नई दिल्ली द्वारा कराया गया अनुसंधान।

अध्ययन के उद्देश्यों में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित थेः–

- हरियाणा, पंजाब तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में झूठी शान के लिए हत्या के मामलों का प्रलेखन करना।

कार्यप्रणाली

- उपर्युक्त क्षेत्र में रहने वाले 600 व्यक्तियों के नमूने समूह तथा 300 पुलिसकर्मियों का साक्षात्कार किया गया।
- 560 ऐसे मामलों का अध्ययन किया जहां दंपतियों को धमकी दी गई है या उनके साथ हिंसा की गई है।
- उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के आदेशों/निर्णयों इत्यादि का अध्ययन।

निष्कर्ष

- खाप पंचायत एक सामूहिक पुरूष–प्रधान निकाय है जो जनतंत्रात्मक उद्देश्यों के बजाय दमनकारी उद्देश्यों के लिए अपनी सामूहिक शक्ति का इस्तेमाल करती है। खाप पंचायतें इस शक्ति का इस्तेमाल न्यायेतर निकायों के रूप में करती हैं। खाप पंचायतें स्वघोषित निर्णयकर्ता होती हैं। ये परम्परागत पंचायतें स्थानीय क्षेत्र से बाहर के लोगों सहित अनेक लोगों को पारिवारिक कुल, गोत्र जाति, समुदाय तथा ग्राम के आधार पर लामबंद करती हैं। महिलाओं तथा युवाओं की भागीदारी नगण्य हैं।
- जिन इलाकों में सक्रिय है वहां से झूठी शान के लिए हत्याओं की सूचना मिलती है।
- अध्ययन से पता लगा कि इस अध्ययन के तहत, शामिल 560 मामलों में से विगत चार वर्षों में उत्तरप्रदेश में 48 व्यक्तियों, दिल्ली में 15 व्यक्तियों, हरियाणा में 41 व्यक्तियों, तथा अन्य राज्यों में 17 व्यक्तियों की हत्या की गई है।
- खाप पंचायतें गोत्र के मुद्दे पर आंदोलन तथा लामबंदी करती रही है।
- गोत्र मुद्दा एक संवेदनशील मुद्दा है और इसे एक अभियान के रूप में उठाने से खाप को भारी जन समर्थन प्राप्त होने में सहायता मिली हैा यह एक मुद्दा है जिसमें जन समर्थन खाप पंचायतों के साथ है और इस समर्थन से खाप के सदस्य शक्ति को समेकित करने के लिए शोषण कर रहे हैं। अब यह झूठी शान (ओनर किलिंग्स) और इन वर्गों द्वारा जारी किए गए अवैध आदेशों के संबंध में वाद–विवाद करने का खेल बन गया है।
- हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों से भागे हुए युवा जोड़ों को धमकी दिए जाने के मामलों की सूचना दी गई है। अधिकतर युवा जोड़ों जिनके विवाहों के लिए उनके परिवारों द्वारा धमकी दी गई है, शहरों के होते हैं।
- प्रकरण अध्ययनो से यह स्पष्ट है कि युवा– जोड़ों के विरूद्ध हिंसा की सूचना न केवल ग्रामीण क्षेत्रों से बल्कि शहरों से भी दी गई है।
- लड़कियों की उच्च जाति में विवाह करने के मामलों में प्रतिक्रिया कम हिंसात्मक होती है।
- 88.93: मामलों में युवा जोड़ों को धमकी देने अथवा उन पर हिंसा करने में लड़की के परिवार शामिल होते है।
- हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में साक्षात्कर किए गए 300 पुलिस वालों में से 81% पुलिस वाले इस बात से सहमत थे कि खाप पंचायतें सही मुद्दों को उठा रही हैं। 85% पुलिस वाले गौत्र के मुद्दों पर खाप पंचायतों के साथ सहमत थे।

- कानून का प्रवर्तन करने वाले अभिकरण युवा जोड़ों को आवश्यक संरक्षा प्रदान करने में असफल हुए है। संरक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है, पुलिस के लिए कार्य करने हेतु उच्च न्यायालय अथवा जिला न्यायालय द्वारा वैधीकृत बनाया जाना होगा। इस समय तक जब तक कि यह वैधीकरण हो नहीं जाता, युवा जोड़ों को छुप–छुप करके जीना पड़ेगा। जो जोड़े उच्च न्यायालय तक पहुंच नहीं सकते है, पकड़े जाएंगे और उन पर हिंसा की जाएगी।
- ऐसी हत्याओं में लिप्त लोगों पर सक्रिय रूप से मुकदमें चलाए जाने की जरूरत है ताकि इसके लिए निवारक उपाय किए जा सकें।
- क्षेत्र में शिक्षा व विकास में वृद्धि तथा बढ़ते हुए शहरीकरण ने एक नई पीढ़ी के विरूद्ध पारम्परिक पीढ़ी मुकाबला करने के लिए खड़ी कर दी है जो जीवन के आधुनिक तरीकों से प्रभावित है। इसने उस पीढ़ी में भारी टकराव उत्पन्न कर दिया है जिसमें वृद्ध पीढ़ी खाप पंचायतों और सामुदायिक वर्गों के माध्यम से अपनी शक्ति समेकित कर रही है।

7 सिफारिशें

भारतीय संविधान जाति, संप्रदाय, धर्म, वर्ण तथा लिंग का भेदभाव किए बगैर हमारे समाज के सभी वर्गों में न्याय एवं समानता की गारंटी प्रदान करता है। महिलाओं के हितों की रक्षा करने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा अनेक विधान बनाए गए हैं तथा महिलाओं के विरूद्ध अत्याचारों एवं अपराधों से निपटने के उद्देश्य से मौजूदा कानूनों में संशोधन किए गए हैं। इन उपायों के बावजूद महिलाओं के विरूद्ध अपराध जैसे कि दहेज के कारण हत्या, तेजाब से हमला, कार्यस्थल पर यौन–उत्पीड़न, बलात्कार, घरेलू हिंसा इत्यादि; तथा महिलाओं के विरूध अत्याचार जारी हैं। महिलाओं के अधिकारों को बनाए रखने तथा उनकी रक्षा करने के लिए आयोग के प्राथमिक अधिदेश को देखते हुए सरकार द्वारा वर्ष 2011–12 के दौरान पणधारियों के साथ व्यापक परामर्श के पश्चात विधिक पहलुओं के साथ–साथ अन्य बातों के संबंध में सिफारिशें, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है, का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय महिला–आयोग ने उसी वर्ष महिलाओं से संबंधित विभिन्न विषयों पर अनुसंधान संबंधी अध्ययन को भी प्रायोजित किया है तथा अध्ययनों से प्राप्त अन्य बातों के साथ–साथ सिफारिशें भी केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वयन के लिए नीचे दी गई है।

वर्ष 2011–12 के दौरान विधिक प्रकोष्ठ की सिफारिशें

1. दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में संशोधन

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुरोध पर दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में संशोधनों से संबंधित परामर्श दिनांक 2 मई, 2011 को राष्ट्रीय महिला आयोग के सम्मेलन कक्ष में आयोजित किया गया। इस परामर्श में पुलिस अधिकारी, राज्यों के महिला एवं बाल विभाग के अधिकारी तथा संबंधित मंत्रालयों एवं संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। प्रतिभागियों ने विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए दहेज प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2010 के मसौदे पर विचार– विमर्श किया। भारतीय दंड संहिता की धारा 498क पर भी विस्तृत चर्चा की गई जिसमें दंड को और कठोर बनाने के और सुझाव दिए गए।

सामान्य तौर पर निम्नलिखित के संबंध में सहमति हुई :–

क. "विवाह के संबंध में" शब्द का विलोपन।

ख. दहेज देने वाले को दण्डित नहीं किया जाना चाहिए।

ग. कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम को पीडब्ल्यूडीवी अधिनियम के साथ सुसंगत करने पर सामान्य सहमति हुई। सुरक्षा अधिकारी दहेज प्रतिषेध अधिकारी भी बन सकता है बशर्ते कि वह अधिकारी पूर्णकालिक रूप से नियुक्त व्यक्ति हो तथा पर्याप्त अवसंरचना एवं सहायक स्टाफ उपलब्ध कराए

गए हों। ऐसे मामलों से निपटने में हरियाणा में महिला प्रकोष्ठ में सुरक्षा अधिकारियों की तैनाती की प्रणाली सफलता पूर्वक कार्य कर रही है और इसका देशभर में अनुसरण किया जा सकता है।

घ. भारतीय दंड संहिता के धारा–304 (ख) में सात वर्ष की सीमा हटा दी जानी चाहिए।

इसके अलावा निम्नलिखित सुझाव भी दिए गए:

- उपहारों की सूची का अनुरक्षण व्यावहारिक नहीं है और ऐसा संशोधन अधिनियम में अपेक्षित नहीं है। यदि ऐसा प्रावधान जरा सा भी रखा जाता है तो उपहारों की सूची का अनुरक्षण दोनों पक्षों की जिम्मेवारी होनी चाहिए और इसके लिए दहेज प्रतिषेध अधिकारियों द्वारा संशोधन विधेयक में यथाप्रस्तावित अधिप्रमाणन अपेक्षित नहीं होना चाहिए।
- विवाह के पंजीकरण को केंद्रीय विधान द्वारा अनिवार्य बनाया जाना चाहिए।

2. भारतीय दंड संहिता की धारा 498 में संशोधन की मांग करने वाली याचिका के विशेष संदर्भ में माननीय याचिका समिति, राज्य सभा द्वारा उठाए गए मुद्दों का राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा उत्तर

राज्य सभा की याचिका समिति ने भारतीय दंड संहिता की धारा 498 क में संशोधन के लिए अनुरोध करने वाली याचिका की समीक्षा की। याचिकाकर्ता ने प्रार्थना की है कि धारा 498 क को संशोधित किया जाए जिससे कि यह जमानती, गैर–संज्ञेय तथा प्रशम्य बन सके। राष्ट्रीय महिला आयोग ने बारम्बार यह राय व्यक्त की है कि धारा 498 क क्रूरता तथा यातना से निपटने के लिए किसी महिला के लिए उपलब्ध अत्यंत महत्वपूर्ण विधिक सहारा है। आयोग इस उपबंध में किसी प्रकार से संशोधन या इसे हल्का करने के पक्ष में नहीं है। इस उपबंध के तहत शिकायतों से उसी प्रकार निपटा जा सकता है जैसे कि किसी अन्य गंभीर अपराध की शिकायतों से निपटा जाता है।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने कुछ पूर्ववर्ती अध्ययनों को एकत्र किया है तथा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता , विजयवाड़ा, पंजाब में , जालन्धर, कपुरथला तथा अमृतसर के तीन–तीन पुलिस स्टेशनों में 5 वर्षों के आकड़ों से संबंधित प्राप्ति तथ्य अध्ययन भी शुरू किया है तथा अपनी सूचना माननीय समिति को भेजी है। हालांकि देशभर में व्यापक भिन्नता है, उपर्युक्त अध्ययनों से राष्ट्रीय महिला आयोग के विचारों को प्रथम दृष्टतया समर्थन प्राप्त हुआ है। अध्ययनों से निम्नलिखित निष्कर्ष निकले।

(क) पुलिस की शब्दावली प्तथ्य की गलतीप् से ऐसा गलत विचार प्राप्त होता है कि शिकायत गलत थी तथा धारा 498क का "दुरूपयोग" किया गया। एफआईआर दर्ज करना तथा जांच–पड़ताल की प्रक्रिया भयप्रतिकारी बल के रूप में कार्य करती है जो मुकदमेबाजी के पक्षों को समझौता अथवा निपटारा करने के लिए प्रेरित करती है और ऐसे दृष्टांतो में जांच एजेंसी द्वारा न्यायालय के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त भाषा प्तथ्यों की गलती/कानून की गलती या झूठा पाया गया आरोप" है। इस पुलिस शब्दावली से ऐसा भ्रांतिपूर्ण चित्र उत्पन्न हो रहा है कि क्रूरता के शिकार व्यक्ति ने झूठी शिकायत दर्ज की है, फिर भी शिकायतकर्ता को वस्तुतःअत्यधिक उत्पीड़ित किया गया है।

(ख) धारा 498–क का भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं की अपेक्षा अधिक दुरूपयोग नहीं किया जाता है:

अध्ययन की अवधि के दौरान "तथ्य की गलती" वाले मामलों की संख्या में कमी आई है। इसके अलावा, धारा 498 क के तहत तथ्य या कानून की गलती के कारण झूठे घोषित किए गए मामलों का अनुपात धोखाधड़ी, अपहरण तथा अपावर्तन (एब्डक्शन) के तहत दर्ज मामलों की अपेक्षा काफी कम है। वस्तुतः धारा 498 क भारतीय दंड संहिता की किसी अन्य धारा की अपेक्षा दुरूपयोग किए जाने हेतु प्रवण नहीं है। कानून के दुरूपयोग की संभावना कानून को अमान्य नहीं करती है या इसके संशोधक या तनुकरण को उचित नहीं ठहराती है।

(ग) निर्णयों जिनमें दुरूपयोग की बात कहीं गई है, की प्रतिशतता नगण्य है।

(घ) धारा 498क के तहत दर्ज एफआईआर की संख्या कुल संख्या की तुलना में नगण्य है।

धारा 498क के तहत दर्ज एफआईआर की संख्या किसी पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर की कुल संख्या की तुलना में नगण्य है। औसतन, वे किसी विशिष्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज कुल एफआईआर का केवल प्रतिशत होती है। दहेज के कारण मरने वाली या आत्महत्या करने वाली महिलाओं के साथ तुलना करने पर धारा 498क के तहत दर्ज मामलों की संख्या असंगत रूप से निम्न है। इससे संकते मिलता है कि इस धारा का व्यापक रूप से इस्तेमाल नहीं किया जाता है और इसलिए अनियंत्रित दुरूपयोग का प्रश्न नहीं उठ सकता है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2005–08में बताया गया है कि 40 प्रतिशत विवाहित महिलाएं घरेलू हिंसा का सामना करती है। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि 81,344 महिलाओं ने दहेज उत्पीड़न एवं क्रूरता के मामले दर्ज किए। 12,399 महिलाओं की दहेज की वजह से मौत हो गई या उन्होंने आत्महत्या कर ली। वर्ष 2008 में घरेलू हिंसा का सामना करनेवाली 40 प्रतिशत विवाहित भारतीय महिलाओं को शामिल करने तथा यह देखने पर कि कितनों ने 498क का इस्तेमाल किया है, (एनसीआरबी) के आंकड़े, 2008) यह पाया जाता है कि घरेलू हिंसा का सामना करने वाली केवल 0.03 महिलाएं ही 498 क के तहत वस्तुतः मामला दर्ज करवाती है। हिंसा के कारण वस्तुतः मरने वाली महिलाओं की संख्या की तुलना में धारा 498क के तहत दर्ज मामलों की संख्या असंगत प्रतीत नहीं होती है। इसके विपरीत यह लगभग नगण्य प्रतीत होती है।

(ड.) आरोप पत्र की दर अत्यधिक है।

(च) गिरफ्तारियों की संख्या आनुपातिक रूप से अधिक नहीं है।

(छ) अधिकांश अभियुक्त जमानत पाने में समर्थ होते हैं।

(ज) दोष सिद्धि की दर निम्न है।

(झ) इस धारा को प्रशम्य बनाए बगैर भी समझौता/निपटारा सामान्य है।

आयोग ने अपने पूर्ववर्ती विचारों को दोहराते हुए सिफारिश की कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498 क को संशोधित या कमजोर नहीं किया जाए।

3. **राष्ट्रीय महिला आयोग तथा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा 23 नवंबर, 2011 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 'भारत में मानव दुर्व्यापार को रोकना तथा इससे निपटना' के संबंध में संयुक्त रूप से एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, राज्य महिला आयोग तथा गैर–सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।**

श्रीमती ममता शर्मा, अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपने उद्घाटन भाषण में यह विचार व्यक्त किया कि मानव दुर्व्यापार से निपटने के लिए सभी स्तरों पर अनेक अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक उपायों को शुरू किए जाने की आवश्यकता है। मानव दुर्व्यापार के बारे में लोगों में जागरूकता सृजित करने की अत्यावश्यकता है। यहां मीडिया अत्यंत प्रभावी भूमिका अदा कर सकती है। निर्धनता उपशमन संबंधी उपायों से भी इससे निपटने मे अन्ततोगत्वा सहायता मिलेगी। सेमिनार में की गई चर्चा से निकली अभ्युक्तियां एवं सिफारिशें अनुलग्नक –15 पर सलंग्न हैं।

आयोग ने विचार–विमर्शों तथा सिफारिशों का प्रलेखन करने के लिए उनसे संबंधित एक पुस्तिका का भी मुद्रांकण किया।

4. पीडब्ल्यू डीवीए के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दिनांक 19 जनवरी, 2012 को आईआईसी, नई दिल्ली में प्रारूप केंद्रीय प्रायोजित योजना संबंधी राष्ट्रीय परामर्श आयोजित किया गया। विभिन्न राज्यों की सिविल सोसाइटिज के प्रतिनिधियों सहित सभी पणधारियों के साथ इस मामलें पर गहन चर्चा एवं मंत्रणा की गई। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से प्राप्त तथा उन्हें अग्रेषित सूचनाओं के आधार पर इस योजना को तदनुसार आशोधित किया गया है। संशोधित योजना का ब्यौरा अनुलग्नक–VI पर है। अपराधिक दंड संहिता की धारा 125 पर सिफारिशें

5. राष्ट्रीय महिला आयोग को महिला व बाल विकास मंत्रालय अपराधिक दंड संहिता की धारा 125 पर टिप्पणियॉ प्राप्त हो गई हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग उनकी टिप्पणियों के उत्तर में मंत्रालय से आयोग द्वारा प्रस्तावित प्रारूप से 'ग्रैंडपेरेंट्स' (दादा–दादी व नाना–नानी) शब्द को हटाने पर सहमत था और मंत्रालय के इस दृष्टिकोण से भी सहमत था कि न्यायालयों के लिए एक आवेदन को निपटाने की समय–सीमा को 60 दिनों से कम करके 30 दिनों तक करना संभव नहीं हो सकता है। राष्ट्रीय महिला आयोग मंत्रालय के इस सुझाव से भी सहमत है कि अपराधिक दंड संहित की धारा 125 (3) को किसी महिला को घरेलू हिंसा का शिकार बनाने को शामिल करने के लिए भी

संशोधित किया जाए। मंत्रालय और राष्ट्रीय महिला आयोग के बीच यथा सहमत आवश्यक परिवर्तनों सहित सिफारिशों के प्रारूप की एक प्रति अनुलग्नक – 7 पर रखी है।

6. विधि व न्याय मंत्रालय से प्राप्त "विवाह विधेयक, 2011 पर अपव्यय और असीमित व्यय की रोकथाम, पर राष्ट्रीय महिला आयोग की टिप्पणियां विधेयक के प्रारूप पर राष्ट्रीय महिला आयोग की टिप्पणियां 4 नवंबर, 2011 को मंत्रालय को भेजी जा चुकी हैं– अनुलग्नक – 8

7. "महिला किसान की अधिकारिता विधेयक, 2011" पर टिप्पणियां : राष्ट्रीय महिला आयोग को महिला व बाल विकास मंत्रालय से प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन, सांसद द्वारा " महिला किसान की अधिकारिता विधेयक, 2011 पर विधेयक का एक प्रारूप प्राप्त हुआ। इस मामले पर 19 सितंबर, 2011 को राष्ट्रीय महिला आयोग के विचारों को महिला व बाल विकास मंत्रालय को अग्रेषित किया गया था। अनुलग्नक–11

प्रायोजित अनुसंधान अध्ययनों और जिन अध्ययनों को वर्ष 2011–12 के दौरान अन्य बातों के साथ–साथ अंतिम रूप दिया गया, की मुख्य सिफारिशें

1. ग्रामीण जागरूकता व विकास संगठन, रोहतक, हरियाणा द्वारा संचालित किया गया हरियाणा के रोहतक जिले में पंचायत में महिलाओं पर अनुसंधान अध्ययन

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य पंचायती राज अधिनियम के बारे में डब्ल्यूईआरस की जागरूकता के स्तर, विभिन्न विकास योजनाओं और डब्ल्यूईआरस की सह–भागिता की प्रकृति व डिग्री का मूल्यांकन करना था। अन्य बातों के साथ–साथ कुछ मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं:

इन सिफारिशों को व्यापकतः तीन व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया गया है :

राष्ट्रीय स्तरः

- ❖ केंद्रीय सरकार को ग्राम सभा और पंचायत की तीन पंक्तियों को सुदृढ़ करना होगा। पहुंच बनाने, व्यवस्थाबद्ध करने और लोगों को उपयुक्त व समय पर जानकारी का प्रचार–प्रसार करने के लिए किसी गैर–सरकारी अभिकरण द्वारा नियंत्रित पंचायत संसाधन केंद्र होने चाहिए।
- ❖ घरेलू हिंसा, महाव्यसनिता, दहेज इत्यादि जैसे महिलाओं पर अत्याचारों की व्याप्तता अतिव्याप्त पाई गई। केंद्रीय अभिकरणों को विभिन्न संवैधानिक उपबंधों के बारे में व्यापक जागरूकता उत्पन्न करने के लिए अवश्य ही पहलें करती चाहिए। सरकार नीति स्तर पर कुछ अलग कर सकती है।
- ❖ यह देखने के लिए एक पर्याप्त प्रशासनिक तंत्र होना चाहिए जिससे कानूनों को उपयुक्त ढंग से कार्यान्वित किया जाए। इन अधिनियमों के मुख्य उपबंध के बारे में समुदाय के लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए भी अत्यधिक आवश्यकता है।

- सरकार को डब्ल्यूईआर्स को प्रोत्साहित करने की जिम्मेवारी लेने के लिए कुछेक योग्य व सफल सीएसओज/सीबीओज विशेषतौर से महिला संगठनों को वित्त व बुनियादी ढांचा प्रदान करना चाहिए।
- **प्रचार–साधनः**– मुद्रण व इलेक्ट्रानिक दोनों प्रचार–साधन ग्रामीण सोसाइटी में जागरूकता उत्पन्न करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ये साधन महिलाओं को स्थानीय शासन में कारगर ढंग से भाग लेने के लिए मुख्य सामाजिक बुराईयों व विभिन्न संवैधानिक उपबंधों पर जोर देते हैं।
- **सीएसओज व अनुसंधान अभिकरण**– सीएसओज ज्वलंत सामाजिक मुद्दों के बारे में अनुसधान व सुग्राहीकरण में महत्वपूर्ण अभिकर्ता हैं। वे जन समूह को एकत्र करके और इसके बाद इस समस्या के बारे में जानकारी का प्रचार–प्रसार करके आम जनता में सामाजिक परिवर्तन के लिए एक आधार बनाते हैं।

राज्य स्तर

- महिला व बाल विकास विभाग, हरियाणा द्वारा बनाए गए साक्षर महिला समूह/महिला मंडलों को गांव में महिलाओं को जुटाने के लिए उपकरणों के रूप में कारगर ढंग से उपयोग किया जा सकता है। सीएसओज/सीबीओज ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की बैठकों में महिलाओं की सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए उत्प्रेरक अभिकर्ताओं के रूप में भी कार्य सकते हैं।
- विकासात्मक योजनाओं को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने वाले ऐसे नेताओं को उनके नेतृत्व संबंधी गुणों का प्रचार और उनका सार्वजनिक सभाओं में सम्मान करके उत्साहित किए जाने की जरूरत है। यह निश्चित रूप से अन्य डब्ल्यूईआरस को प्रोत्साहित करेगा।
- आम ग्राम सभा की बैठक से एक दिन पहले महिला ग्राम सभा की अलग से बैठक आयोजित की जानी चाहिए ताकि महिलाएं किसी हिचकिचाहट के बिना अपने मुद्दों को उठा सकें।
- महिलाओं द्वारा अपने दिन–प्रतिदिन के जीवन में सामना किए जाने वाले लिंग संबंधी मुद्दों और विभिन्न सामाजिक समस्याओं के बारे में समुदाय का सुग्राहीकरण।
- प्रशिक्षण– चूंकि प्रशिक्षण क्षमता–निर्माण के लिए एक अनिवार्य कार्यनीति है, इसलिए ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए एक उचित अवधि का एक कारगर प्रशिक्षण कार्यक्रम अनिवार्य है। ईआर्स के लिए प्रशिक्षण अल्पावधि का होना चाहिए और यह अधिमानतः ग्राम में तथा इसके आस–पास अर्थात् खंड स्तर पर अथवा ग्रामों के स्तर के समूह में आयोजित किया जाना चाहिए ताकि निर्वाचित प्रतिनिधि विशेषतौर से महिलाएं अपने परिवार और इससे सहबद्ध ड्यूटियों की उपेक्षा किए बिना इन प्रशिक्षणों में भाग ले सकें।
- पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के लिए लिंग सुग्राहीकरण कार्यक्रमों को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए।

- ❖ पंचायतों में सामाजिक खंडों की काफी हद तक उपेक्षा की गई है। पंचायतों को सामाजिक क्षेत्र की पहलों पर विशेष जोर प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। विभिन्न सामाजिक बुराईयों अर्थात् दहेज, कन्या भ्रूणहत्या, बाल विवाह, घरेलू हिंसा इत्यादि पर नियंत्रण करने के लिए गठित विभिन्न संवैधानिक उपबंधों की उपयुक्तता के बारे में उनको सुग्राही बनाने करने के लिए डब्ल्यूईआर्स को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।

जिला प्रशासन

- ❖ प्रशिक्षण के दौरान समूह के आकार को 30–35 तक कम किया जाना चाहिए और सहभागिता विधि अर्थात् खेल, प्रकरण अध्ययन, श्रव्य–दृश्य इत्यादि का अवश्य ही प्रशिक्षण विधियों के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए।
- ❖ सरकार को डब्ल्यूईआरस की रूकावटों को कम से कम करने के लिए कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और डब्ल्यूईआरस की सहभागिता को उनके परिवार के सदस्यों के बजाय अनिवार्य बनाया जाना चाहिए।
- ❖ ग्राम पंचायत की बैठक की कार्यसूची को अवश्य ही सभी ईआरर्स में निर्धारित समयावधि के भीतर परिचालित किया जाना चाहिए।

2. मातृ भूमि प्रतिष्ठान, नई दिल्ली द्वारा संचालित बीपीओज/एम बहु–राष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा (एमएनसीज) अपने महिला कमचारियों को प्रदान किए गए वातावरण के बारे में अनुसंधान अध्ययन

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य बीपीओज/एमएनसीज में कार्य कर रही महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं तथा कार्य जीवन के संबंध में उनके लाभों और हानियों को समझना था।

सिफारिशें

केन्द्र सरकार

- केंद्र सरकार को सभी बीपीओज/एमएनसीज को कड़ाई से यह निर्देश देना चाहिए कि कार्यरत महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी चालक, चपरासी, कार्यालय–लड़कों की भर्ती करने से पहले उनके पुलिस सत्यापन अनिवार्य रूप से हों।
- बीपीओज/एमएनसीज क्षेत्र में कार्य कर रही महिलओं की समस्याओं पर विशेष ध्यान देने के लिए मंत्रालय में इन महिलाओं के लिए एक पृथक कक्ष स्थापित किया जाना चाहिए जो निम्नलिखित की जांच– पड़ताल कर सकः

  1. महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा महिलाओं के बारे में तैयार किए गए नीतिगत ढांचे के भीतर महिला कर्मचारियों के लिए प्रयासों को समन्वित करना।
  2. बीपीओ/एमएनसी क्षेत्र में समान पारिश्रमिक क्रियान्वित करना।

3. रात्रि कार्य–घंटों के दौरान महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बीपीओज/एमएनसीज द्वारा किए गए सुरक्षा संबंधी उपाय।

4. महिलाओं को उनके कार्य स्थल पर यौन शोषण के संबंध में परेशान किए जाने को रोकने के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बारे में अनुवर्ती कार्रवाई तथा संबंधित अभिकरणों अर्थात् राष्ट्रीय महिला आयोग, महिला व बाल विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय श्रम संस्थान, इत्यादि से परामर्श लेते हुए इस मामले में की गई पहलों की समय–समय पर समीक्षाएं।

राज्य सरकार

- बीपीओ क्षेत्र में अतिरिक्त कार्य घंटों को हटाने के लिए कारखाना अधिनियम, 1948 को उपयुक्त रूप से क्रियान्वित किया जाना चाहिए।
- कार्य करने का अधिकार, समान व्यवहार, सम्पत्ति व अनुरक्षण इत्यादि जैसे कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता कार्यक्रमों, विज्ञापनों, पत्रकिाओं को परिचालित किया जाना चाहिए।
- राज्य सरकार को बीपीओज/एमएनसीज को उनकी कार्य कर रही महिलाओं के लिए सुरक्षा उपाय ओर अनके कार्य वातावरण को सुनिश्चित करने के लिए उनका अच्छे कार्य वातावरण को सुनिश्चित करने के लिए उनका दौरा करने व उनकी जांच करते रहने के लिए एक महिला नोडल अधिकारी नियुक्त करना चाहिए।
- राज्य सरकार स्व–सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए बीपीओज/ एमएनसीज के पास स्व–रक्षा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना चाहिए।
- कार्य के दबाव को दूर करने के लिए कार्यरत महिलाओं के लिए मनोरंजन व सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए जाएं।

3. मदर्स लैप चेरिटेबल संगठन, विशाखापट्टनम, जिला आंध्र प्रदेश द्वारा संचालित सामाजिक परिवर्तन के संबंध में दहेज प्रतिषेध अधिनियम के प्रभाव के बारे में अनुसंधान अध्ययन।

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य आंध्र प्रदेश में दहेज प्रतिषेध अधिनियम को बनाने के पश्चात सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति व व्यापकता का पता लगाना था।

सिफारिशें

केन्द्र सरकार

- क्रियान्वयन करते समय कमियों को दूर करने के लिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम को संशोधित करने की जरूरत है।

- केंद्र सरकार को दहेज प्रतिषेध अधिनियम के कारगर कार्यान्वयन हेतु गैर–सरकारी संगठनों की भागीदारी लेने के लिए सहायतानुदान योजना शुरू करनी चाहिए।
- केंद्र सरकार को दहेज की शिकार महिलाओं और उनके बच्चों के लिए शिशु सदन हेतु राज्यों को धन प्रदान करना चाहिए।

राज्य सरकार

- हर वर्ष एक विनिर्दिष्ट दिन को दहेज प्रतिषेध दिवस के रूप में मनाया जाएगा और स्कूलों व महाविद्यालयों में छात्रों को, कि वे न तो दहेज देगें और न दहेज लेंगे, की शपथ दिलवाई जाएगी।
- दहेज के विरूद्ध सूचना व प्रसारण विभाग, एलएसजी और अन्य प्रचार साधनों के द्वारा शिविरों के माध्यम से प्रचार कार्यक्रम आयोजित करना व स्थानीय लोगों को शामिल करना।
- धारा 8 ख की उप–धारा (2) के अंतर्गत नियुक्त क्षेत्रीय दहेज प्रतिषेध अधिकारी सुग्राहीकरण कार्यक्रम आयोजित करेंगे और पंचायती, खंड व जिला स्तरों पर प्रचार साधनों के माध्यम से जनता में आम जागरूकता उत्पन्न करना।
- पुलिस को पर्यवेक्षण जांचे और उल्लंघनों का पता लगाने के लिए सीधे पूछताछ करनी चाहिए
- पुलिस को अनिवार्यतः इस अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध के लिए शिकायतें स्वीकार करनी चाहिए और उनको व उनके परिणामों को दर्ज करने के लिए पंजियां रखनी चाहिए।
- दहेज संबंधी शिकायतें दर्ज करने के लिए चलते–फिरते थाने स्थापित करने चाहिए जिनमें महिला पुलिस अधिकारी हों।
- शिकार महिला के निवास पर ही प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की जानी चाहिए। पुलिस को मौके पर ही साक्ष्य दर्ज करने चाहिएं।
- शिकायतें दर्ज करने और इसके साथ–साथ ऑन लाइन पंजीकरण के पंजीयन के लिए प्रावधान सहित दहेज प्रतिषेध शुल्क–मुक्त नंबर बनाया जाए।
- शिकायतें प्राप्त करने और उनको थाने में अग्रेषित करने की ड्यूटियां ग्राम पंचायतों को सौंपी जाएं।

4. नोबल सामाजिक शैक्षणिक सोसाइटी, तिरूपति, आंध्र प्रदेश द्वारा संचालित आंध्र प्रदेश के किसानों की आत्म हत्याओं महिलाओं व परिवारों पर इसके पड़ने वाले प्रभाव के बारे में अनुसंधान अध्ययन

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य आंध्र प्रदेश राज्य के किसानों में आत्महत्याओं के कारणों की जांच करना और इसके शिकार हुए असुरक्षित परिवारों को बचाने के लिए कार्यनीतियां सुझाना तथा विशेषतौर से प्रभावित किसानों के परिवारों की महिलाओं व बच्चों को शक्ति प्रदान करना था।

सिफारिशें

केंद्र सरकार/राज्य सरकार/अन्य अभिकरण

- आत्म–हत्या करने वाले काश्तकारों के परिवारो को राज्य सरकार के माध्यम से राहत पैकेज दिया जाए।
- पुनर्वास पैकेज का यथाशीध्र समाधान किया जाए तथा अनुग्रह–राशि प्रदान करने में देरी को कम से कम करने के लिए एकल खिड़की प्रणाली की स्थापना की जाए। इस अनुग्रह–राशि को बढ़ाया जाना चाहिए।
- ग्राम सरपंच, स्थानीय तहसीलदार को विधवा को मानसिक यातना से तत्काल छुटकारा दिलवाने के लिए शव–परीक्षा करवाने का पूरा दायित्व लेना चाहिए।
- सरकार को विशेषतौर से सूखा– प्रवण क्षेत्रों में कृषि समुदाय में आत्म–हत्याओं को रोकने के लिए छोटे व सीमान्त किसानों के परिवारों में कृषि संबंधी कार्यों व ऋण स्थिति की समय–समय पर मॉनीटरिंग करना चाहिए।
- कृषि–कार्यों में भाग लेने वाली किसानों की पत्नियों सहित उनको विस्तार संबंधी कार्यक्रमों के संचालन के लिए कृषि कार्यों में परामर्श देना।
- रियायती दरों पर बीज, उर्वरक, कीटनाशक जैसे कृषि निवेशों की आपूर्ति करना।
- जीवित विधवाओं और उनके परिवारों की सहायता करने के लिए उनके व्यवसायों का विविधीकरण व कौशल विकास आवश्यक है।
- इंदिरा क्रांति पाठ्यक्रम के माध्यम से जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डीआरडीए) (एसएचजीज के माध्यम से राज्य गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम), किशोर शक्ति योजना की स्कीम के माध्यम से महिला व बाल विकास विभाग महिलाओं के लिए प्रशिक्षण व रोजगार कार्यक्रम को सहायता (एसटीईपी), महिला व बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से गैर–सरकारी संगठन, राज्य में कार्य कर रहे मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के जन शिक्षण संस्थान और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कौशल विकास की योजना के अंतर्गत राज्य पिछड़ी जातियां, अनुसूचित जातियां व अनुसूचित जनजातियां तथा विकास निगम।

बहु–अभिकरणों के माध्यम से जीवित बची विधवाओं व उनके बच्चों की स्थिति में सुधार करने हेतु अनेक सिफारिशें की गई थीं।

- आत्महत्या से पीड़ित परिवारों की सभी महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों, डीआरडीए, आरएम की और गैर–सरकारी संगठनों की सदस्य बनने के लिए मनाया/राजी किया जाना चाहिए।
  - ➢ महिला व बाल विकास विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार व गैर–सरकारी संगठन।

- विशेषतौर से प्रभावित किसानों के परिवारों को ब्याज की वहनीय दर पर ठीक समय पर ऋण देना।
- सूक्ष्म ऋण की योजना पर ठीक समय पर ऋण देना कोष, (महिला व बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार) व राज्य पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वित्त व विकास निगम।

5. श्राइन सोसाइटी, दिल्ली द्वारा संचालित घरेलू हिंसा अधिनियम (डीबीए) के बारे में अनुसंधान अध्ययन।

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं पर घरेलू हिंसा के निर्धारकों व मनोविज्ञानीय, समाज विज्ञानीय, आर्थिक व भावात्मक प्रभावों का पता लगाना था।

सिफारिशें

केंद्र सरकार

- सरकार को इस अधिनियम के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विशिष्ट प्रयास करने की जरूरत है।
- कानून प्रवर्तन अभिकरणों व न्यायापालिका को लिंग के संबंध में सुग्राहीकृत करने की जरूरत है। महिलाओं को सामान्य तथा डीवीए का लाभ लेने के लिए सहायता किए जाने की अपेक्षा सान्तवना दे दी जाती है।
- डीवीए के अंतर्गत इसमें सुधार करने के लिए अनुपालन की जाने वाली क्रियाविधियों को जारी रखने में अति व्यावहारिक संकटों को ध्यान में रखते हुए मौजूदा कानून की लगातार समीक्षा और इसे संशोधित किए जाने की जरूरत है।
- संरक्षा अधिकारियों के साथ परिवारों के लिए समान अथवा इसके बजाय परामर्शी सेवाओं की और अधिक आवश्यकता है।
- हिंदु विवाह अधिनियम में संशोधनों अथवा वैध विवाहों के लिए अन्य अधिनियमों की व्यवस्था करके महिलाओं के लिए संरक्षात्मक ढाल बनाई जानी चाहिए जैसेकि संपत्ति व अन्य संसाधनों में समान भाग का अधिकार, इसकी शिकार महिलाओं को यदि नौकरी करता हो, तो उनको वेतन से जीवन निर्वाह भत्ता और ऐसी महिलाओं के लिए उनकी सुरक्षा हेतु उनकी पसंद के अनुसार कानूनी अभिरक्षा हेतु उपबंध।

राज्य सरकारें:

- उन राज्यों जिनकी पीडब्ल्यूडीए के कारगर कार्यान्वयन के लिए सीधी जिम्मेवारी है, को घरेलू हिंसा अधिनियम को गंभीरता से लेने तथा घरेलू हिंसा के तथ्य से निपटने के लिए कारगर मॉनीटरिंग प्रणाली बनाने की जरूरत है।
- इस तथ्य के विरूद्ध और अधिक समुदाय को शामिल करते हुए डीवीए के अंतर्गत शिकायतों पर कार्रवाई करने हेतु स्थानीय निकायों को अधिकृत किया जाना चाहिए।

- राज्यों के पास इस हिंसा की शिकार हुई महिलाओं के लिए अस्थाई आश्रम स्थल के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। राज्य सरकारों को इसकी जांच पड़ताल किए जाने की जरूरत है।
- विवाहित महिलाओं के विरूद्ध घेरलू हिंसा संसाधनों अथवा वित्तीय संसाधनों तक इसकी पहुंच कम होने से शुरू होती है। यह इसकी शिकार महिलाओं को इस पीड़ा के विरूद्ध लड़ने के लिए सभी अवसरों से रोकती है। चाहे महिला इसकी शिकार हो अथवा नहीं पत्नी को परिवार/पति की आय से न्यूनतम भत्ता/ जेब खर्च राशि दिए जाने को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए।

समर्थन/सहायता प्रणाली की स्थापना:

- राज्य और केंद्र को उनको योग्य सामाजिक कार्यकर्ताओं अथवा सामाजिक कार्य संगठनों के एक नेटवर्क के माध्यम से चाहे वह सामग्रीगत हो अथवा सामाजिक क्रियाकलापों के संदर्भ में हो, आवश्यक सेवाएं करने की जरूरत है।
- विशेष न्यायालय स्थापित किए जाने चाहिए और जांच–पड़ताल करने, आरोप पत्र तैयार करने और न्यायालय की कार्रवाई हेतु गैर सरकारी संगठनों का साथ जुड़ने को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए।

6. हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में विवाहित महिलाओं में घरेलू हिंसा अधिनियम के संबंध में द कजन्स, शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा कराया गया अनुसंधान अध्ययन।

अध्ययन का मुख्य उद्देश्य वैयक्तिक, सामाजिक तथा पारिवारिक स्तर के संदर्भ में महिलाओं पर घरेलू हिंसा के प्रभाव का पता लगाना था।

सिफारिशें

मनोवृत्ति में परिवर्तन की आवश्यकता तथा पुरूष एवं महिला सदस्यों के लिए जागरूकता शिविरें।

- इसके लिए पुरूष एवं उनके पारिवारिक सदस्य के लिए और अधिक जागरूकता शिविरों को आयोजित किया जाना चाहिए जिससे कि घरेलू हिंसा के मूल कारण का उन्मूलन किया जा सके।
- स्कूल में लड़कियों के लिए तथा स्कूली शिक्षा न पा सकने वालों के लिए खंड स्तर पर प्रत्येक 6 माह पर विधिक अधिकार जागरूकता पाठ्यक्रम चलाना।

व्यक्तित्व विकास पाठ्यक्रम तथा आत्म सुरक्षा पाठ्यक्रम के जरिए महिला के व्यक्तित्व को प्रेरित करने की आवश्यकता।

- नई संविधियों को अधिनियमित करना जिनमें तीव्र, किफायती तथा व्यापक सिविल सुरक्षा राहत का प्रावधान हो तथा उतनी ही तीव्र, किफायती तथा व्यापक आपराधिक अवमानना प्रस्ताव संबंधी क्रियाविधियों के जरिए इनका प्रर्वतन हो।

राज्य सरकार

पुलिस तथा स्वास्थ्य परिचर्या

- पुलिस को घरेलू हिंसा के मामलों को गंभीरतापूर्वक निपटाने के लिए सुग्राही बनाए जाने की आवश्यकता है।
- पुलिस को न्यायपालिका, सरकारी एजेन्सियों/विभागों के सहायक नेटवर्क के संबंध में जानकारी प्रदान की जानी चाहिए तथा लैंगिक प्रशिक्षण को अनिवार्य बना दिया जाना चाहिए।

सख्त कानून के कार्यान्वयन की आवश्यकता

- उचित सेवाएं प्रदान करने के लिए एक प्रशिक्षित चिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता के साथ सभी प्रमुख सरकारी तथा निजी अस्पतालों में एक संकटकालीन सहायता प्रकोष्ठ की स्थापना किए जाने की आवश्यकता है।
- स्वास्थ्य व्यावसायिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम अवश्य ही आयोजित किए जाने चाहिए जिससे कि शोषित लोगों के लिए बुनियादी सहायता प्रदान करने के लिए उनके कौशल को विकसित किया जा सके।
- संबंधित सरकारी विभागों, स्वास्थ्य परिचर्या संस्थाओं, गैर–सरकारी संगठनों तथा परामर्शी केन्द्रों द्वारा घरेलू हिंसा की व्याप्तता तथा स्वास्थ्य संबंधी परिणामों के संबंध में प्रलेखन किया जाना चाहिए।
- प्रलिखित कार्य के वार्षिक समेकन के लिए एक नोडल एजेन्सी भी स्थापित की जानी चाहिए था। जागरूकता पैदा करने के लिए लोगों के बीच व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु इसे प्रकाशित किया जाना चाहिए।

गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) की भूमिका

- गैर–सरकारी संगठनों को विधिक अधिकारों के संबंध में जागरूकता फैलाना चाहिए।
- जिला न्यायालयों, स्थानीय पुलिस, राज्य अभियोजकों, विधिवेत्ताओं, विधि स्कूलों, सामाजिक सेवा कार्यकर्त्ताओं, राज्य के अस्पतालों, डॉक्टरों तथा बैटरर तथा पीड़ितों दोनों के लिए विभिन्न उपचार कार्यक्रमों द्वारा सेवाओं के परिदान को बेहतर करने के लिए पारस्परिक एवं समन्वित अंतर–एजेंसी कार्य दलों में शामिल होना।

7. राजस्थान में ग्रामीण महिलाओं के संबंध में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (नरेग्स) तथा इसकी विवक्षा के बारे में अरावली इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, जयपुर, राजस्थान द्वारा कराया गया अध्ययन।

अध्ययन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं के लिए विवक्षा तंत्र का मूल्यांकन करना था।

सिफारिशें

- जागरूकता स्तर को स्वैच्छिक संगठनों/गैर–सरकारी संगठनों द्वारा जागरूकता शिविरों के जरिए ग्रामीण महिलाओं के साथ विशेषतौर पर ऊँचा उठाए जाने की आवश्यकता है।

- ग्राम पंचायत पर कार्यकर्ताओं का क्षमता निर्माण अत्यंत आवश्यक है।
- ग्रामीण महिलाओं को एकत्र करने के अवसर का उपयोग या तो स्वसहायता समूह बनाने के लिए किया जाना चाहिए अथवा उन्हें उपयोगी आर्थिक कार्यकलाप के लिए बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- पुरूष एवं महिला के लिए युवा समूह का गठन किया जाना चाहिए तथा अभिप्रेरक के रूप में कार्य करने तथा सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) का उपयोग करते हुए कार्यक्रम की मॉनीटरिंग करने के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

8. मणिपुर के इम्फाल पूर्वी तथा पश्चिमी जिले में महिलाओं में बढ़ते हुए एचआईवी/एड्स के संबंध में रूरल सर्विस एजेंसी (आरयूएसए), इम्फाल, मणिपुर द्वारा कराया गया अध्ययन।

अध्ययन का मुख्य उद्देश्य एचआईवी पोजिटिव महिलाओं की आवश्यकताओं की पहचान करना था जिससे संवेदनशीलता संबंधी कारकों को कम करने में मदद मिलेगी जिससे महिलाओं में एचआईवी/एड्स होने को रोका जा सकेगा।

सिफारिशें

(क) राष्ट्रीय स्तरः

- सामान्य जागरूकता सृजित की जाए, इंटरवेंशन पोषण, स्वास्थ्य परिचर्या तथा सहायक सेवाओं, व्यावसायिक प्रशिक्षण, आर्थिक पुनर्वास की जांच की जाए, विशेषतौर पर सीमा क्षेत्रों के लिए विधवा पेंशन स्कीम तथा समेकित योजना पर विचार किया जाए। एस एच जी, विभागीय दशाओं का समुचित परिकलन एवं मॉनीटरिंग की जाए।

(ख) राज्य स्तरः

- सामान्य जागरूकता (सीबीओ/वीओ, मीडिया, नाटक, पात्र, नुक्कड़ नाटकों इत्यादि)।
- इंटरवेंशन कार्यक्रम (आईडीयू, एफएसडब्ल्यू, प्रवासी कामगार, ट्रक चालक दल, मोबाइल काउंसेलिंग इत्यादि)।
- समेकित कार्यक्रम(परामर्श, इंटरवेंशन, स्वास्थ्य परिचर्या, कंडोम संवर्धन, आर्थिक पुनर्वास, पोषण सहायता इत्यादि)।
- विभाग का समन्वय।
- राज्य एस ए सी एस को सुदृढ़ करना।

(ग) स्थानीय शासनः (कार्यान्वयन एवं सेवा परिदान)

- राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार और अन्य विदेशी दाताओं इत्यादि द्वारा कार्यान्वित एचआईवी/एड्स रोकथाम से संबंधित मौजूदा कार्यकलापों, सुरक्षा एवं स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली, आर्थिक विकास के बारे में जागरूक बनाना तथा समुदाय को शामिल करना।

9. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) के जरिए आपदा से निपटने की तैयारी में महिलाओं की भूमिका के बारे में ऑल इंडिया फाउंडेशन फॉर पीस एवं डिजास्टर मैनेजमेंट, रोहिणी दिल्ली द्वारा कराया गया अनुसंधान अध्ययन।

इस अध्ययन का उद्देश्य महिलाओं तथा उपेक्षित वर्ग को इस कौशल तथा सूचना के साथ लैस करना था कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तैयारी की रूपरेखा के जरिए किस प्रकार विकसित, प्रशिक्षित होना है एवं विशेष कार्य को नियोजित करना है।

सिफारिशें

- आपातकाल के दौरान आपदा प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर एक संस्थागत ढांचा गठित किए जाने की आवश्यकता है। विभिन्न विभागों जैसे कि पुलिस, अग्निशमन, परिवहन, संचार, गैर–सरकारी संगठन, लोक निर्माण विभाग, नगर निगम तथा राजस्व विभाग इत्यादि की जिम्मेवारी एवं रिपोर्टिंग प्रणाली को एक सुपरिभाषित ढांचे के भीतर स्पष्ट रूप से सीमांकित किया जाना चाहिए जिससे कि आपदाओं के समय अनुक्रिया के समय में कमी लाई जा सके।
- विकास आयोजना में आपदा प्रबंधन की मुख्य धारा में सम्मिलन को जोखिम के प्रभावन के अनुसार भूप्रयोग संबंधी दान को विनियमित करके, आपदा प्रतिरोध संहिताओं के अनुसार निर्माण उप विधियों को अद्यतन बनाकर तथा इन्हें प्रवर्तित करके और लाइफ लाइन भवनों में नया हिस्सा लगाकर सुनिश्चित किया जा सकता है।
- स्कूलों, अस्पतालों, आवासीय क्षेत्रों तथा गांवों इत्यादि में बुनियादी स्तर पर समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन आयोजना को प्रोत्साहित करके लोगों में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है।
- जोखिम से संबद्ध अनेक सूचनाओं को एकीकृत करने, कुशलतापूर्वक प्रयोग करने तथा प्रदर्शित करने के लिए प्रविधियों के विकास पर संकेन्द्रित भौगोलिक सूचना प्रणाली तथा डेटाबेस और जीआईएस का इस्तेमाल करते हुए निर्णय में सहायक साधनों को विकसित किया जाना चाहिए।
- आपदा जोखिम संबंधी पहलुओं के संबंध में विस्तृत डेटाबेस विकसित किया जाना चाहिए जिससे कि आयोजना के सभी स्तरों पर विशेषीकृत अध्ययन एवं मूल्यांकन को सुकर बनाया जा सके। इससे संकतकों तथा मापदण्डों के साधनों का अन्वेषण एवं विस्तार करने में सहायता मिल सकती है जिससे स्पष्ट चित्र प्राप्त होगा।

10. दक्षिणी राजस्थान के जनजातीय उप मैदानी क्षेत्रमें जनजातीय लड़कियों की स्कूल छोड़ने के संबंध में एल.एन.दाधीच, उदयपुर, राजस्थान द्वारा कराया गया अनुसंधान अध्ययन।

अध्ययन का मुख्य उद्देश्य जनजातीय बच्चों के लिगवार नामांकन को प्रभावित करने वाले तथा स्कूल छोड़ने के कारकों की जांच करना था।

सिफारिशें

केन्द्र सरकार

- बालिकाओं के स्कूलों में वर्गों में उन्नयन होने के साथ प्रोत्साहनों में वृद्धि के साथ मिड डे मील कार्यक्रम से जनजातीय लड़कियों को अपना अध्ययन जारी रखने में मदद मिल सकती है।
- पंचायती राज तथा स्थानीय समुदायों के हस्तक्षेप से शिक्षा के अधिकार के सख्त कार्यान्वयन से भी स्कूल छोड़ने की घटना में कमी लाने में मदद मिल सकती है।
- जनजातीय लड़कियों की शिक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु सर्वशिक्षा अभियान तथा सूचना के अधिकार से संबंधित योजनाओं को स्थानीय समुदायों द्वारा और भी सशक्त रूप से कार्यान्वित किया जाना अपेक्षित है।

केन्द्र/राज्य सरकार

- स्कूल छोड़ने की घटना में कमी लाने की कार्यनीतियों को अवश्य ही प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूल स्तरों के चरणों के आसपास संकेन्द्रित किया जाना चाहिए।
- वैयक्तिक लाभार्थी अभिगम के तहत सरकारी प्रोत्साहन कार्यक्रम को अवश्य ही उन परिवारों के लिए तरजीह से संबंद्ध किया जाना चाहिए जिनमें लड़कियों के पास उच्च स्तरीय शिक्षा हो।
- स्कूलों के उन्नयन के लिए बजटीय आबंटन में पर्याप्त वृद्धि की जानी है।
- मौजूदा स्कूलों का उच्चतर स्तरों में उन्नयन से जनजातीय क्षेत्र में स्कूल छोड़ने की दरों में कमी लाने में सहायता मिल सकती है।
- हालांकि राज्य सरकार के निचले वर्गों में शत–प्रतिशत उत्तीर्ण करने का निर्णय पहले ही लिया गया है। फिर भी स्कूल तथा घर के बीच सुरक्षित एवं विश्वसनीय परिवहन के लिए सरकारी सहायता को प्राथमिकता दी जानी है।

स्थानीय पंचायत/गैर–सरकारी संगठन

- लड़कियों तथा उनके माता–पिता को स्कूलों में उनकी निरंतर हाजिरी–हेतु उत्साहित करने के लिए परिवार संकेन्द्रित जागरूकता कार्यक्रम को शुरू किए जाने की अपेक्षा है।

- गैर–सरकारी संगठन को इसमें अग्रसक्रिय भूमिका अदा करनी होगी।

11. महिलाओं के दुर्व्यापार–कारण, कीमत तथा परिणामों के संबंध में श्री माता महिला मंडली, आंध्र प्रदेश द्वारा कराया गया अनुसंधान अध्ययन।

अध्ययन का मुख्य उद्देश्य उन समस्याओं तथा कारणों एवं कार्यनीतियों को समझना था जिनसे महिलाएं प्रभावित हो रही है तथा जो उन्हें अनैतिक व्यापार की ओर जाने के लिए बाध्य कर रहे हैं।

सिफारिशें

- गैर–सरकारी संगठनों तथा अन्य मुख्य भागीदारों के साथ समुचित समन्वय से अनैतिक व्यापार के बारे में सुग्राहिता आएगी तथा इसकी रोकथाम होगी।
- न्यायिक विभाग के समन्वय से, गैर–सरकारी संगठन उन गांवों में विधिक बैठकें आयोजित कर सकते हैं जहां अनैतिक व्यापार के अत्यधिक मामले देखे जाते है, तथा वे मध्यस्थों को भी सुग्राही बना सकते हैं।
- पुनर्वास गृहों जैसे कि अल्पावधिक ठहराव गृहों, स्वाधार गृहों में बेहतर सेवाएं तथा केवल आश्रय देने की बजाय दुरूस्त मानसिक स्वास्थ्य की जांच करना।
- संवेदनशील परिवारों को जानकारी प्रदान करना तथा स्थानीय तथा खंड स्तरीय कार्यालयों की विभिन्न योजनाओं तक पहुँच की सुविधा प्रदान करना।
- उप–समिति को अर्धविधिक कार्यकर्ताओं के रूप में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए तथा पुलिस एवं लोक अभियोजकों के साथ समन्वित किया जाना चाहिए।
- सीबीओ को ग्राम में समुदाय स्तर पर सतर्कता समूह के रूप में कार्य करना चाहिए।
- राज्यों के लिए साझा कार्य योजना तथा गृह मंत्रालय द्वारा समीक्षाएं।
- एक विशिष्ट कॉल नंबर के साथ राष्ट्रीय सूचना एवं कॉल सेंटर।

12. हरियाणा, पंजाब तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में झूठी शान के लिए की गई हत्याओं पर शक्तिवाहिनी, नई दिल्ली द्वारा कराया गया अनुसंधान अध्ययन।

इस अध्ययन द्वारा हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली में झूठी शान के लिए हत्याओं के मामलों का प्रलेखन करना है।

सिफारिशें

- ऐसे कृत्य करने वाले सामुदायिक समूहों के विरूद्ध सरकार को सख्ती से कार्रवाई करना चाहिए।

- पुलिस/विधि प्रवर्तन को ऐसे मुद्दों के बारे में सुग्राही बनाए जाने की आवश्यकता है तथा उन्हें ऐसे व्यक्तियों तथा दंपतियों की रक्षा करने के लिए सख्तीपूर्वक कहे जाने की आवश्यकता है जो सामुदायिक समूहों के अलोकिप्रय आदेश के शिकार हैं। महिलाओं के विरूद्ध अपराध से संबंधित मामलों से निपटने के लिए कानून के प्रवर्तकों की जागरूकता एवं क्षमता निर्माण करने हेतु उन्हें अवश्य ही प्रशिक्षण दिए जाने चाहिए।
- इन राज्यों में पुलिस के साथ लैगिंक मुद्दों पर कार्य करने की आवश्यकता है। सुग्राहिता संबंधी कार्य पुलिस स्टेशन स्तर से शुरू होकर शीर्ष स्तर तक किए जाने चाहिए।
- प्रत्येक जिले में पुलिस को ऐसे प्रकोष्ठ गठित करने चाहिए जहां दंपति अंतरजातीय विवाह का व्यापक विरोध किए जाने की वजह से सुरक्षा के लिए संपर्क कर सकते हैं।
- इन क्षेत्रों में सिविल सोसाइटी के विकास में सहायता दिए जाने की आवश्यकता है। एजेन्सियों जैसे कि महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण विभाग तथा राज्य के महिला आयोगों को अत्यंत सक्रियापूर्वक कार्य करना चाहिए इन क्षेत्रों में लैंगिक मुद्दों पर कार्य करने की अत्यंत आवश्यकता है।
- राज्य को विकल्प के अधिकार को सुकर बनाने के लिए कार्यनीतियां अवश्य ही तैयार करनी चाहिए।
- सख्त कानूनों को व्यापक स्तर पर सामाजिक जुटाव एवं जागरूकता अभियानों द्वारा संपूरित किए जाने की आवश्यकता है।

8 सूचना का अधिकार

प्रशासनिक तथा अन्य मामलों में खुलापन, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के प्रावधानों के अनुसार आयोग में सूचना का अधिकार लागू किया गया है जब तक किसी मामले में जानकारी सार्वजनिक करने से छूट प्राप्त नहीं हो तो उक्त अधिनियम के अनुसार कार्यपालक अभिकरणों के यहां की जानकारी आवेदक को उपलब्ध कराई जाएगी।

राष्ट्रीय महिला आयोग की अपनी सामाजिक व्यवस्था है, इसलिए आयोग ने वेतन एवं लेखा अधिकारी को सी.पी. आई.ओ. मनोनीत किया है जोकि इस कार्य के उचित निर्वहन के लिए, आवश्यकतानुसार इस हेतु किसी भी अन्य, अधिकारी की सहायता ले सकता है। कोई अधिकारी, जिसकी सहायता माँगी जाए उसे उप–धारा 5(4) के अंतर्गत सी.पी.आई.ओ. को सभी सहायता देनी होगी और उसे भी समान सी.पी.आई.ओ. माना जाएगा।

क. सूचना का अधिकार संबंधी आवेदनों का तिमाही आधार पर प्राप्ति एवं निपटान विवरण निम्नानुसार है:–

तिमाही	आदि शेष	6(3) के अंतर्गत पीएस से अंतरित सहित प्राप्तियां	अन्य 6(3) के अंतर्गत पीएस को अंतरित सहित निपटान	अन्य अंत शेष
पहली तिमाही (1 अप्रैल, – 30 जून 2011)	**13**	118	118	13
दूसरी तिमाही (1 जुलाई–30 सितम्बर 2011)	**13**	130	141	02
तीसरी तिमाही (1 अक्टूबर–31 दिसंबर 2011)	**02**	196	165	33
चौथी तिमाही (1 जनवरी–31 मार्च 2012)	**33**	113	139	07

अंत शेष में 07 मामलों का आंकड़ा यह दर्शाता है कि प्राप्तियां तीस दिन के अनुमेय समय के भीतर निपटा दी गई थीं।

ख. राष्ट्रीय महिला आयोग में प्राप्त प्रथम अपील संबंधी ब्यौरा निम्नानुसार है :–

तिमाही	आदि शेष	6(3) के अंतर्गत पीएस से अंतरित सहित प्राप्तियां	अन्य 6(3) के अंतर्गत पीएस को अंतरित सहित प्राप्तियां	अन्य अंत शेष
पहली तिमाही (1 अप्रैल, – 30 जून 2011)	**शून्य**	13	13	**शून्य**
दूसरी तिमाही (1 जुलाई–30 सितम्बर 2011)	**शून्य**	08	08	**शून्य**
तीसरी तिमाही (1 अक्टूबर–31 दिसंबर 2011)	**शून्य**	11	11	**शून्य**
चौथी तिमाही (1 जनवरी–31 मार्च 2012)	**शून्य**	14	13	**1**

अंत शेष में दर्शाई गई अपील तीस दिन के निर्धारित समय के भीतर थी। उपरिलिखित विवरण सी.आई.सी. की वेबसाइट पर एनुअल रिटर्न इन्फोरमेशन सिस्टम में अपलोड किया गया है।

यद्यिप इसके लिए डब्ल्यू.सी.डी. मंत्रालय द्वारा कोई औपचारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं आयोजित किया गया, तथापि सी.पी.आई.ओ. ने कार्यालय में ही प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करके सम्बंधित स्टाफ को नियमों और विनियमों से अवगत कराया।

आयोग का निरंतर यह प्रयास रहा है कि स्वयं ही, वेबसाइट के माध्यम से, जनता को अधिक से अधिक जानकारी दे दी जाए ताकि उन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम का कम से कम सहारा लेना पड़े।

सूचना का अधिकार संबंधी सभी आवेदनों का यथासंभव शीघ्र उत्तर दिया गया। अंतरण हेतु मामलों को अति शीघ्र अंतरित किया गया। जब कभी जानकारी देने से इनकार किया गया, उसका कारण था व्यक्तिगत जानकारी, जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत गोपनीय रखा जाना होता है। तत्संबंधी हिंदी में प्राप्त आवेदनों का उत्तर हिंदी में दिया गया।

राष्ट्रीय महिला आयोग की वेबसाईट पर बैठकों/सेमीनारों, आयोग की माननीय अध्यक्षा और सदस्यों के दौरों, प्रैस रिलीज़ के साथ–साथ स्वतः संज्ञान लिए गए मामलों, विभिन्न प्रकाशनों, वार्षिक रिपोर्ट, निविदा सूचनाओं आदि के बारे में जानकारी दी गई है। वेबसाईट को नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है।

ग. **राष्ट्रीय महिला आयोग की वेबसाईट में अलग से सूचना का अधिकार भाग है जिसमें निम्नानुसार ब्यौरा दिया गया हः**

- सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005
- आर.टी.आई. नियमावली और दिशा–निर्देश
- आर.टी.आई. अधिकारियों संबंधी विवरण
- संगठनात्मक चार्ट
- राष्ट्रीय महिला आयोग के स्टाफ के वेतन संबंधी विवरण
- राष्ट्रीय महिला आयोग के अधिकारियों को प्रदत्त शिक्तयां
- जारी की गई अधिसूचनाएं और राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम – 1990 (1990 का अधिनियम संख्या 20)
- आर.टी.आई. आवेदकों की सूची
- अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न
- अधिसूचना (हिंदी) (अंग्रेज़ी)
- सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005 की धारा 4 (1)(ख) के अंतर्गत जानकारी
- एनुअल रिटर्न प्रपत्र
  - ❑ 2007 – 2008
  - ❑ 2008 – 2009
  - ❑ 2009 – 2010

तुलनपत्र (अलाभकारी संगठन)
31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार

राशि ₹ में

पूंजीगत निधि और देयताएं	अनुसूची	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
		योजनागत	योजनेतर	कुल	योजनागत	योजनेतर	कुल
पूंजीगत निधि	1	6,05,20,471.00	—	6,05,20,471.00	5,33,86,025.00	—	5,33,86,025.00
आरक्षित निधि और अधिशेष	2	(3,25,39,358.00)	64,73,149.00	(2,60,66,209.00)	(3,00,91,331.00)	62,21,832.00	(2,38,69,499.00
निर्धारित स्थायी निधि							—
सुरक्षित ऋण और उधार							—
असुरक्षित ऋण और उधार							—
आस्थगित ऋण और देयताएं							—
मौजूदा देयताएं और प्रावधान	3	2,19,11,158.00	1,07,765.00	2,20,18,923.00	1,87,87,129.00	50,000.00	1,88,37,129.00
		4,98,92,271.00	**65,80,914.00**	**5,64,73,185.00**	**4,20,81,823.00**	**62,71,832.00**	**4,83,53,655.00**
परिसम्पतियां							
स्थायी परिसंपत्तियां	4	2,31,40,907.00	—	2,31,40,907.00	2,11,17,272.00	—	2,11,17,272.00
निवेश – निर्धारित/स्थायी निधि से							—
निवेश – अन्य		—	—	—	—	—	—
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम	6	3,21,34,380.00	11,97,898.00	3,33,32,278.00	2,68,84,618.00	3,51,765.00	2,72,36,383.00
विविध व्यय		—	—	—	—	—	—
कुल (ख)		**5,52,75,287.00**	**11,97,898.00**	**5,64,73,185.00**	**4,80,01,890.00**	**3,51,765.00**	**4,83,53,655.00**
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	14						
आकस्मिक देयताएं और लेखा टिप्पणियां	15						

सदस्य (डब्ल्यूएस) कृते सदस्य सचिव

आय और व्यय लेखा (अलाभकारी संगठन)
31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार

राशि ₹ में

आय	अनुसूची	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
		योजनगत	योजनेतर	योजनगत	योजनेतर
विक्रय/सेवाओं से आय		—		—	
अनुदान/राजसहायता	7	8,28,17,554.00	3,28,97,000.00	4,48,48,941.00	2,46,05,000.00
शुल्क/अभिदान	8	—	8,908.00	—	3,417.00
निवेश से आय (निवेश पर आय .निधियों में अंतरित/	9	—	—	—	
निर्धारित निधियों से)		—	—	—	—
रॉयल्टी/प्रकाशन आदि से आय		—	—	—	—
अर्जित ब्याज	10	3,21,681.00	1,60,840.00	—	4,69,359.00
अन्य आय	11	—	1,77,740.00	—	3,39,617.00
तैयार वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि/कमी		—	—	—	—
पिछले वर्ष का समायोजन अन्य आय		—	—	—	35,000.00
कुल (क)		**8,31,39,235.00**	**3,32,44,488.00**	**4,48,48,941.00**	**2,54,52,393.00**
व्यय					
स्थापना व्यय	12	84,34,245.00	1,69,17,188.00	75,61,890.00	1,31,81,834.00
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	13	7,22,31,412.00	1,60,75,983.00	4,45,87,683.00	1,54,08,810.00
अनुदान, राजसहायता आदि पर व्यय		—	—	—	—
ब्याज		—	—	—	—
मूल्यह्रास (वर्ष की समाप्ति पर निवल कुल)		33,95,533.00	—	35,53,045.00	—
स्थायी संपत्ति के विक्रय से हानि		15,26,072.00		1,43,170.00	
कुल (ख)		**8,55,87,262.00**	**3,29,93,171.00**	**5,58,45,788.00**	**2,85,90,644.00**
आय की तुलना में व्यय के पश्चात अतिरिक्त बची शेष राशि (क – ख)		**(24,48,027.00)**	**2,51,317.00**	**(1,09,96,847.00)**	**(31,38,251.00)**
विशेष आरक्षित राशि को अंतरण		—	—	—	—
सामान्य आरक्षित राशि को/से अंतरण		—	—	—	—
समग्र/पूंजीगत निधि में लाई गई अधिशेष (कम हुई) शेष राशि		**(24,48,027.00)**	**2,51,317.00**	**(1,09,96,847.00)**	**(31,38,251.00)**

सदस्य (डब्ल्यूएस) कृते सदस्य सचिव

प्राप्ति एवं भुगतान लेखा (अलाभकारी संगठन)
31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार

राशि ₹ में

प्राप्तियां	चालू वर्ष		पिछला वर्ष		भुगतान	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर		योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
प्रारंभिक शेष									
नकद शेष	3,000.00	–	–	–	स्थापना व्यय (अनुसूची–16)	84,58,663.00	1,68,31,584.00	53,55,046.00	1,47,15,791.00
बैंक शेष	49,388.00	1,02,544.00	1,11,222.00	38,95,070.00					
					अन्य प्रशासनिक व्यय (अनुसूची–17)	7,38,99,091.00	1,61,25,283.00	3,95,35,389.00	1,41,95,286.00
प्राप्त अनुदान	8,99,52,000.00	3,28,97,000.00	4,98,89,000.00	2,46,05,000.00					
					प्रेषण (अनुसूची–18)	–	33,36,096.00	–	28,19,907.00
निवेश पर आय									
स्थायी निधि	–	–	–	–	प्रतिभूति जमा	50,000.00	40,000.00		
अपनी निधि	–	–	–	–	स्थायी परिसंपत्तियों पर व्यय	71,34,446.00	–	50,61,659.00	–
निवेश पर ब्याज	–	–	–	–					
					अंत शेष				
प्राप्त ब्याज					नगद शेष	–	–	3,000.00	–
बैंक जमा पर	3,21,681.00	1,60,840.00	–	4,38,339.00	बैंक शेष	8,48,598.00	9,84,007.00	49,388.00	1,02,544.00
मकान निर्माण अग्रिम ब्याज	–	–	–	–					
ऋण एवं अग्रिम	–	–	–	–					
भुनाया गया निवेश	–	–	–	–					
अंशदायी भविष्य निधि ब्याज	–	–	–	–					
अन्य आय									
आर.टी.आई.	–	8,908.00	–	3,417.00					
विविध आय	–	7,13,817.00	–	21,795.00					
प्रेषण (अनुसूची – 18)	–	33,36,096.00	–	28,19,907.00					
प्रतिभूति जमा	64,729.00	97,765.00	4,260.00	50,000.00					
	9,03,90,798.00	**3,73,16,970.00**	**5,00,04,482.00**	**3,18,33,528.00**		**9,03,90,798.00**	**3,73,16,970.00**	**5,00,04,482.00**	**3,18,33,528.00**

सदस्य (डब्ल्यूएस) कृते सदस्य सचिव

31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र से संबंधित अनुसूचियां

अनुसूची 1 – पूंजीगत निधि

राशि ₹ में

	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
वर्ष के प्रारंभ में शेष	5,33,86,025.00		4,88,57,891.00	–
जोड़ें :– समग्र/पूंजीगत निधि में अंशदान	–	–	–	–
जोड़ें (घटाएं) :– आय और व्यय खाते से अंतरित		–		–
आय/(व्यय) का निवल शेष	–	–	–	–
जोड़ें : ब्याज पर लगे टी.डी.एस. के रिफंड के लिए समायोजन प्रविष्टि	–	–	–	–
जोड़ें : स्थायी परिसंपत्तियों के विक्रय के किए परिशोधन प्रविष्टि		–	1,07,000.00	–
जोड़ें : वर्ष के दौरान पूंजीगत निधि का योग	71,38,445.00	–	50,40,059.00	–
घटाएं : वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए स्थायी परिसंपत्तियों के विक्रय के लिए समायोजन प्रविष्टि		–	6,18,925.00	–
घटाएं(कोलन) वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए स्थायी परिसंपत्तियों का विक्रय	3,999.00	–		–
घटाएं(कोलन) वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए स्थायी परिसंपत्तियों के विक्रय के लिए समायोजन प्रविष्टि		–	–	–
वर्ष के अंत में शेष	**6,05,20,471.00**	**–**	**5,33,86,025.00**	**–**

अनुसूची 2 – आरक्षित निधि और अधिशेष

राशि रुपयों में

	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
1) **पूंजीगत आरक्षित निधि**				
अंतिम खाते के अनुसार	(3,00,91,331.00)	62,21,832.00	(1,90,94,484.00)	93,60,083.00
जोड़ें (घटाएं) :– आय और व्यय खाते से अंतरित आय/(व्यय) का निवल शेष	(24,48,027.00)	2,51,317.00	(1,09,96,847.00)	(31,38,251.00)
कुल	**(3,25,39,358.00)**	**64,73,149.00**	**(3,00,91,331.00)**	**62,21,832.00**

सदस्य (डब्ल्यूएस) कृते सदस्य सचिव

अनुसूची 3 – वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान

राशि ₹ में

		चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
		योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
वर्तमान देयताएं					
देय अंशदान भविष्य निधि		—	—	—	—
प्रतिभूति जमा		53,989.00	1,07,765.00	39,260.00	50,000.00
गैर–सरकारी संगठनों को देय अग्रिम	क+ख+ग+घ+ङ	1,74,18,444.00	—	1,56,03,454.00	—
गैर–सरकारी संगठनों (एन.ई.आर.) को देय अग्रिम	च+छ+ज	44,38,725.00	—	31,41,415.00	—
विविध देनदार		—		3,000.00	
		2,19,11,158.00	**1,07,765.00**	**1,87,87,129.00**	**50,000.00**
विशेष अध्ययन	(क)	**64,43,455.00**		**64,92,520.00**	
अभियान, छतीसगढ़		83,000.00		83,000.00	
ऑल इंडिया फ़ाउंडेशन फ़ॉर पीस ऐंड डिज़ासटर मैनेजमेंट		—		3,21,300.00	
अरावली इन्स्टीट्यूट फॉर डेवेलोपमेंट रिसर्च		—		1,02,690.00	
एसोसिएशन फॉर डेवेलपमेंट ऐंड रिसर्च (आदरस)		1,35,000.00		—	
सेंटर फॉर सोशल रिसर्च, नई दिल्ली		2,69,640.00		2,69,640.00	
सेंटर फॉर वूमेन स्टडीज़, केरल		48,040.00		1,44,120.00	
सेंटर फॉर वूमेन स्टडीज़		1,41,120.00		1,41,120.00	
सेंटर फॉर सोशल डेवेलोपमेंट, जयपुर		—		97,050.00	
सेंटर फॉर सोशल रिसर्च, वसंत कुंज, दिल्ली		2,27,700.00		—	
सेंटर फॉर स्टडीज़ फॉर कल्चरल आईडेंटिटी ऑफ वीकर		1,01,400.00		1,01,400.00	
सेंटर ऑफ द स्टडीज़ ऑफ वैल्यूज़		1,37,340.00		—	
चैतन्य मोहन कोठी, गया		58,800.00		58,800.00	
धन्वंधिरी मेंटली रिटार्डेड ऐंड ड्रग एडिकटरज़		48,720.00		1,46,160.00	
डा. शैला परवीन, प्राध्यापक, वाराणसी उत्तर प्रदेश		61,000.00		1,83,000.00	
डा. ऊषा टंडन, सह–प्राध्यापक, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली		60,060.00		1,80,180.00	
एहसास फाऊंडेशन, नई दिल्ली		1,98,390.00		2,90,370.00	
एनवायरनिक्स ट्रस्ट, नई दिल्ली		1,09,200.00		1,09,200.00	
गंगा सोशल फाऊंडेशन दिल्ली		1,14,030.00		—	
हैल्प ऑर्गेनाइजेशन,जयपुर		1,31,670.00		—	
इंडियन काऊंसिल फॉर साइंटिफिक रिसर्च ऐंड डेवेलपमेंट		65,100.00		—	
इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टैक्नोलोजी डब्ल्यू. बी.		64,050.00		—	
इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट दिल्ली		2,63,550.00		—	
इंडियन सोसाईटी फॉर इंटेग्रेटेड वूमेन दिल्ली		—		1,92,150.00	
इनिशिएटिव फॉर सोशल चेंज ऐंड एक्शन		60,000.00		—	
इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरमेंट ऐंड सोशल एफेयर्स		53,760.00		—	

राशि ₹ में

	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डेवेलोपमेंट, उदयपुर	44,800.00		44,800.00	
इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वर्क, कोलकाता	1,09,800.00		1,09,800.00	
जाबला एक्शन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन	48,615.00		48,615.00	
जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली	2,43,300.00		—	
कज़न्स हिम स्टार व्यू, शिमला	—		1,75,140.00	
लीगल सर्विसेज नियर अपोलो हॉस्पिटल, नई दिल्ली	65,200.00		65,200.00	
लियाकत अली खान, जयपुर	40,000.00		1,20,000.00	
लोक सेवा संस्थान, उत्तर प्रदेश	46,620.00		1,39,860.00	
लक्ष्मी नारायण ग्रामोद्योग विकास समिति, उत्तर प्रदेश	1,29,780.00		—	
माथू भूम फाऊंडेशन दिल्ली	—		2,05,800.00	
मासूम सोसाइटी फॉर सोशल साइंस	38,600.00		1,11,800.00	
मथुरा कृष्णा फाऊंडेशन, बिहार	41,200.00		41,200.00	
मेघालय स्टेट कमिशन फॉर वूमेन, मेघालय	—		1,83,330.00	
मदर्ज़ लैप चैरिटेबल ऑर्गेनाइज़ेशन	15,000.00		2,02,860.00	
मदर टेरेसा वूमेन्ज़ यूनिवर्सिटी तमिलनाडु	1,34,820.00		—	
मदर टेरेसा रूरल डेवेलोपमेंट सोसाइटी	1,08,360.00		1,08,360.00	
मिस शीला चौधरी	49,200.00		49,200.00	
नाबकृश्ना चौधरी सेंटर फॉर डेवेलपमेंट स्टडीज़	40,000.00		40,000.00	
नागरिक विकास समिति, उत्तर प्रदेश	1,79,700.00		—	
नव राजीव गांधी फाऊंडेशनऐंड ऐंड रिसर्च	1,19,700.00		1,19,700.00	
नोबल सोशल एंड एजुकेशनल सोसाइटी	2,63,630.00		2,19,240.00	
पशिम बंगा यूबा कल्याण मंच	38,640.00		38,640.00	
फगवाड़ा एनवायरनमेंट एसोसिएशन पंजाब	1,19,700.00		—	
प्रो. विजय लक्ष्मी, उदयपुर	42,600.00		1,27,800.00	
आरके एचआईवी एड्रस सेंटर, मुंबई	2,57,400.00		2,57,400.00	
रूरल डेवेलोपमेंट ऐंड वेलफेयर सोसाइटी, जयपुर राजस्थान	1,15,930.00		1,15,930.00	
रूरल एजूकेशन वर्किंग सोसाइटी, तमिलनाडु	1,78,290.00		1,78,290.00	
सामाजिक अनुशासन एवं मानव विकास	1,95,930.00		—	
शिक्त वाहिनी, नई दिल्ली	—		1,24,425.00	
शिवानी भारद्वाज	—		3,30,750.00	
शिव चरण माथुर सोशल पॉलिसी रिसर्च इंस्टिट्यूट	51,450.00		1,54,350.00	
श्री आसरा विकास संस्थान	60,690.00		—	
श्री भैरवी सोशल फाऊंडेशन	38,010.00		—	
श्री राज सिंह निर्वाण	2,32,000.00		2,32,000.00	

राशि ₹ में

		चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
		योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
सिच्युएशनल एनालिसिस ऑफ होमलेस वूमेन		1,50,000.00		1,50,000.00	
सदर्न इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट		6,01,020.00		—	
दॅ एशोएिशन फॉर डेवलपमेंट इनिशिएटिव		47,460.00		1,42,380.00	
द रूरल ऑर्गेनाइजेशन फॉर एवेअर्नेस एंड डेवेलोपमेंट रोहतक		—		1,19,070.00	
यूनाइटेड ट्रस्ट पी.टी.आर.नगर, तमिलनाडु		48,040.00		—	
वूमेन स्टडी एंड डेवलपमेंट, कोची		1,16,400.00		1,16,400.00	
विधिक जागरूकता कार्यक्रम	(ख)	**51,59,750.00**		**45,11,250.00**	
आकाश सेवा संस्थान, उदयपुर		30,000.00		30,000.00	
अभ्युदय सेवा संस्थान, उत्तर प्रदेश		—		15,000.00	
आचार्य जी महा समिति, गोरखपुर		—		15,000.00	
एक्टिविस्ट ऑफ वोलंटरी एक्शन फॉर डेवेलोपमेंट लखनऊ		—		30,000.00	
आदर्श, उड़ीसा		30,000.00		30,000.00	
आदर्श ग्रामीण शिक्षण समिति, राजस्थान		—		15,000.00	
आदर्श ग्रामोद्योग महिला एवं बाल विकास, उत्तर प्रदेश		30,000.00		30,000.00	
आदर्श महिला कल्याण समिति		25,000.00		—	
आगरा जन कल्याण सेवा समिति, उत्तर प्रदेश		25,000.00		—	
ऐकातन संघ विल्लेज एंड पोस्ट दारा, पश्चिम बंगाल		15,000.00		15,000.00	
अजय ग्रामोद्योग सेवा समिति, उत्तर प्रदेश		25,000.00		—	
अखिल भारतीय ग्रामीण विकास संस्थान, उत्तर प्रदेश		25,000.00		—	
अखिल भारतीय सामाजिक विकास समिति, उत्तर प्रदेश		25,000.00		—	
अखिल भारतीय समाज सुरक्षा, झझर		15,000.00		15,000.00	
अखिल प्रोग्रेसिव एंड कल्चरल सोसाईटी, दिल्ली		15,000.00		15,000.00	
ऑल इंडिया कॉमन वेल्थ आर्गेनाइजेशन, हरियाणा		30,000.00		45,000.00	
अखिल भारतीय ग्रैजुएट्स एसोसिएशन		30,000.00		—	
अमन ग्राम उद्योग समिति, हरियाणा		15,000.00		15,000.00	
अम्बिका विकास समिति, देहरादून		25,000.00		—	
अमित स्मृति बाल कल्याण समिति, मध्य प्रदेश		—		15,000.00	
आनंदी देवी जन कल्याण शिक्षा उत्तर प्रदेश		30,000.00		—	
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति		30,000.00		—	
अरावली इंस्टिट्रयूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च		—		18,000.00	
आशा विकास संस्था, उदयपुर		30,000.00		30,000.00	
एसोसिएशन फॉर रूरल एंड टेक्निकल एजूकेशन सेंटर, हिमाचल प्रदेश		—		15,000.00	
एसोसिएशन फॉर द वेलफेयर ट्राइब ऑफ आंध्र प्रदेश		—		40,000.00	

राशि ₹ में

	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
एसोसिएशन फॉर वूमेन्स रूरल डेवलपमेंट, उड़ीसा	15,000.00		15,000.00	
एसोसिएशन ऑफ पीपल एंड नरचर एसोसिएशन, जयपुर	—		30,000.00	
अस्तित्व बाबू उद्देश्य मानव उथान संस्थान	15,000.00		15,000.00	
आइशा वेलफेयर सोसाइटी	—		30,000.00	
बहरपोता प्रेमितिथा रूरल डेवेलोपमेंट सोसाइटी	—		15,000.00	
बहिन	25,000.00		—	
बहुजन हिताय बहुजन सुखाय बहुद्देशीय	—		15,000.00	
बजरंग ग्रामोद्योग संस्थान, हाथरस	—		15,000.00	
बाल निकेतन शिक्षा समिति, उत्तर प्रदेश	15,000.00		15,000.00	
बाल विकास एजुकेशन सोसाइटी, फरीदाबाद	30,000.00		—	
बंधुआ मुक्ति मोर्चा, नई दिल्ली	—		15,000.00	
बसिक फाऊंडेशन, दिल्ली	—		15,000.00	
बिनोदिनी सेंटर फॉर अर्बन एंड रूरल डेवेलोपमेंट, पश्चिम बंगाल	15,000.00		15,000.00	
बेनसोन्स कम्प्यूटर्स एजुकेशन, उत्तर प्रदेश	25,000.00		—	
भगवान एजूकेशनल एंड सोशियल वेलफेयर दिल्ली	15,000.00		15,000.00	
भारतीय ध्यानवर्धिनी लोकविकास, महाराष्ट्र	15,000.00		15,000.00	
भारतीय शिक्षा प्रसार संस्थान	25,000.00		—	
भारवासी सेवा संस्थान उत्तर प्रदेश	30,000.00		—	
भवानी ट्रेनिंगसेंटर, बिहार	—		15,000.00	
बिजीराम स्वैन महिला समिति, उड़ीसा	15,000.00		15,000.00	
ब्रिलियेंट स्टार एजुकेशन सोसाइटी	60,000.00		60,000.00	
सेंटर फॉर एक्शन ऑन डिसेबल्ड राइट्स, आंध्र प्रदेश	15,000.00		—	
सेंटर ऑफ द स्टडी ऑफ वैल्यूज़ राजस्थान	1,20,000.00		—	
चैतन्य सोशियल डेवेलोपमेंट सोसाइटी – आंध्र प्रदेश	30,000.00		—	
छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग	30,000.00		30,000.00	
चेतना बाल शिक्षा समिति	—		30,000.00	
चित्तौरगढ़ जिला ग्रामीण उपभिकता सेवा, राजस्थान	15,000.00		15,000.00	
चोब सिंग शिक्षा समिति	15,000.00		15,000.00	
शिल्प और सामाजिक विकास संगठन, त्रि नगर	30,000.00		30,000.00	
दलित महिला रचनात्मक परिषद	15,000.00		15,000.00	
दिल्ली कॉलेज डिस्टेंस लर्निंग एंड वेलफेयर	30,000.00		30,000.00	
डेवेलोपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, भिरार	15,000.00		—	
धर्म चक्र विहार मल्बादा, उत्तर प्रदेश	—		30,000.00	
ध्रुव संस्थान, उत्तर प्रदेश	—		15,000.00	

राशि ₹ में

	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
डिसट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर	15,000.00		15,000.00	
डॉ. अम्बेडकर एम.ई. एंड आर.डी.सोसाइटी, माओ, उत्तर प्रदेश	—		15,000.00	
दुरबचती नाबारून संघ, पश्चिम बंगाल	—		30,000.00	
ईस्ट मग्राहत अकतल बल	45,000.00		—	
गांधी सेवा संस्थान	15,000.00		15,000.00	
गंगा सोशल फाउंडेशन, दिल्ली	—		15,000.00	
गंगोत्री फाउंडेशन उत्तर प्रदेश	25,000.00		—	
गेहलु ज्ञान भारती शिक्षा समिति, हरियाणा	—		15,000.00	
गोल्डन फ्यूचर फाउंडेशन हरियाणा	15,000.00		15,000.00	
ग्राम भारती संस्थान – मध्य प्रदेश	30,000.00		—	
ग्रामीण जनकल्याण सेवा समिति, उत्तर प्रदेश	30,000.00		—	
ग्रामीण महिला बाल विकास समिति, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	25,000.00		—	
ग्रामीण महिला सशक्तिकरण संघ, झज्जर	—		15,000.00	
ग्रामीण महिला शिल्प कला केंद्र, बाराबंकी	25,000.00		—	
ग्रामीण औद्योगिक विकास समिति, उत्तर प्रदेश	—		15,000.00	
ग्रामीण विकास मंच, करनाल, हरियाणा	—		15,000.00	
ग्रामीण विकास संस्थान, हरियाणा	15,000.00		15,000.00	
ग्रामीण युवा विकास मंडल, हरियाणा	15,000.00		30,000.00	
ग्रामोधार कल्याण समिति, बिहार	15,000.00		—	
ग्रामोद्योग आश्रम, बिहार	15,000.00		15,000.00	
ग्राम सेवा ट्रस्ट, मध्य प्रदेश	—		15,000.00	
ग्राम सुधार समिति, हरियाणा	30,000.00		30,000.00	
गुरुभक्ती शैक्षणिक एंड सेवाभावी	15,000.00		—	
ज्ञान दर्शन अकेडमी	15,000.00		15,000.00	
ज्ञान सागर, बिहार	15,000.00		15,000.00	
हधोती उत्सव आयोजन समिति कोटा	75,000.00		—	
हंस एजूकेशनल सोसाईटी रोहतक	15,000.00		15,000.00	
हरिजन महिला एवं बाल विकास संस्थान, बिहार	15,000.00		15,000.00	
हरियाणा ग्रामीण सुधार एवं सांस्कृतिक, हरियाणा	15,000.00		15,000.00	
हेल्प ऑर्गेनाइजेशन, उड़ीसाग्राम	—		45,000.00	
हिमालय ग्रामोद्योग विकास संस्थान	25,000.00		30,000.00	
ह्यूमैन डेवेलपमेंट एंड चैरिटेबल सोसाईटी, उदयपुर	—		15,000.00	
ह्यूमैन राईट्स ऑर्गेनाइजेशन, बिहार	—		30,000.00	
हुसैनी मानव कल्याण एवं शिक्षण, उत्तर प्रदेश	—		15,000.00	

राशि ₹ में

	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
इंडियन एडल्ट एजुकेशन एसोसिएशन, दिल्ली	—		1,00,000.00	
इंडियन माइनरिटीज यूथ एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश	15,000.00		15,000.00	
इंडियन सोसाईटी, उदयपुर	15,000.00		15,000.00	
इंदिरा विकास महिला मण्डली, आंध्र प्रदेश	10,000.00		10,000.00	
इंडो नेपाल वूमैन वेलफेयर सोसाईटी	15,000.00		—	
इन्स्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंटल एंड सोशल अफेयर्स	45,000.00		—	
इन्स्टीट्यूशन ऑफ सोशल वेलफेयर एक्शन, गुजरात इंटेग्रेटिड	15,000.00		—	
इंटेग्रेटिड पीपल्ज़ अपलिफ्टमेंट काउंसिल	60,000.00		—	
इंटरनेशनल वेलफेयर काउंसिल, उड़ीसा	—		15,000.00	
जगदेव सिंग शत्रोहन सिंग मेमोरिअल, उत्तर प्रदेश	25,000.00		—	
जागृति सेवा संस्थान, राजस्थान	15,000.00		15,000.00	
जन हितैषिनी कल्याण समिति, उत्तराखंड	45,000.00		—	
जन जाति विकास समिति, छतीसगढ	—		15,000.00	
जन कल्याण संस्थान, पठानकोट	25,000.00		—	
जन सेवा समिति, रोहतक, हरियाणा	15,000.00		15,000.00	
जीवन ज्योति समिति, हरियाणा	15,000.00		15,000.00	
जम्मू एवं कश्मीर राज्य महिला आयोग, श्रीनगर	2,00,000.00		2,00,000.00	
जाइंट वूमेन्स प्रोग्राम	30,000.00		30,000.00	
कादम्बिनी शिक्षा एवं समाज कल्याण सेवा मध्य प्रदेश	15,000.00		—	
कल्पतरु समाज कल्याण संघ, नई दिल्ली	—		15,000.00	
कामिनी महिला सेवा संस्थान, उत्तर प्रदेश	15,000.00		15,000.00	
कस्तूरबा महिला शिक्षा सेवा समिति, राजस्थान	—		30,000.00	
कुंदन वेलफेयर सोसाईटी, जयपुर	60,000.00		—	
लेकसिटी मूवमेंट सोसाईटी, राजस्थान	45,000.00		45,000.00	
लक्ष्य एजुकेशन, आर्ट एंड कल्चर सोसाईटी, हरियाणा	15,000.00		15,000.00	
स्वर्गीय श्री गुल्हू सिंगजी,भिंड, मध्य प्रदेश	—		15,000.00	
लोक कला सांस्कृतिक संस्थान, उत्तर प्रदेश	25,000.00		—	
मां दिन्देश्वरी शिक्षा समिति, छत्तीसगढ़	—		30,000.00	
मां द्रोपदी जनसेवा समिति, उत्तर प्रदेश	15,000.00		15,000.00	
मदालसा सेवा संस्थान, राजस्थान	—		15,000.00	
मधुर बहुजन कल्याण सेवा समिति, उत्तर प्रदेश	—		15,000.00	
महात्मा शिक्षा प्रसार समिति	—		15,000.00	
महेंद्र एजुकेशन एंड चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन	—		45,000.00	
महिला जागरूकता शिक्षा एवं कल्याण समिति	15,000.00		15,000.00	

राशि ₹ में

	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
महिला कल्याण एवं विद्या विकास समिति, कानपुर	25,000.00		—	
महिला सेवक समाज	—		15,000.00	
महिला सेवा संस्थान, लखनऊ	—		15,000.00	
महिला उद्योग केंद्र परमेश्वर भवन, बिहार	15,000.00		—	
महिला उथान समिति, उत्तर प्रदेश	—		45,000.00	
महिला उत्थानम उत्तर प्रदेश	25,000.00		—	
मकल वलर्ची संगम, तमिलनाडु	—		30,000.00	
मलबपुर पीपल रूरल डेवेलोपमेंट सोसाइटी पश्चिम बंगाल	30,000.00		30,000.00	
मानस ग्रामीण उत्थान समिति, बिहार	—		30,000.00	
मानव कल्याण एवं सुरक्षा समिति, हरियाणा	15,000.00		—	
मानव कल्याण समिति, अल्मोड़ा	30,000.00		—	
मानव कल्याण संस्थान	30,000.00		30,000.00	
मनोज ग्रामोद्योग संस्थान उत्तर प्रदेश	25,000.00		—	
मर्शी वेलफेयर सोसाईटी उत्तर प्रदेश	50,000.00		—	
मातृ दर्शन शिक्षा समिति	15,000.00		15,000.00	
मातृ दर्शन शिक्षा समिति, उदयपुर	15,000.00		15,000.00	
मौलासाई सेवाभवी संस्थान, महाराष्ट्र	15,000.00		15,000.00	
मॉडर्न शिक्षा विकास समिति	15,000.00		15,000.00	
मदर्ली एसोसिएशन फॉर सोशियल सर्विस	15,000.00		15,000.00	
मदर टेरेसा फाउन्डेशन	25,000.00		—	
मुक्ति माता महिला मंडल, मध्य प्रदेश	30,000.00		—	
नबीन संघ, पश्चिम बंगाल	30,000.00		30,000.00	
नालंदा एडुकेशनल सोसाईटी, हरियाणा	15,000.00		15,000.00	
नारी जागृति एवं सामाजिक उत्थान संगठन	15,000.00		15,000.00	
नेशनल चैरीटेबल वेलफेयर सोसाईटी, उत्तर प्रदेश	30,000.00		30,000.00	
नेशनल यूथ असोसिएशन	40,000.00		40,000.00	
नेटिव एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट डेवेलोपमेंट सोसाईटी, मध्य प्रदेश	15,000.00		15,000.00	
नैचुरल इंस्टिट्यूट ऑफ सोशियल चेंज एंड रिसोर्स	15,000.00		15,000.00	
नव आँचल डिस्ट्रिक्ट नालंदा	—		15,000.00	
न्यू ऐज फाउंडेशन	15,000.00		15,000.00	
न्यू लाइफ क्लब	15,000.00		15,000.00	
निधि आदर्श शिक्षा सेवा समिति	—		45,000.00	
निर्मल सहयोगी समाज सेवी संस्थान	—		30,000.00	
नोबल सोशल एंड एजूकेशनल सोसाइटी, तिरुपति	1,05,000.00		1,48,500.00	

राशि ₹ में

	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
नूरपुर सुबरना प्रभात समिति, पश्चिम बंगाल	15,000.00		15,000.00	
ओएसिस फाउंडेशन, तमिलनाडु	10,000.00		10,000.00	
औवार्ड कोलकाता, पश्चिम बंगाल	15,000.00		15,000.00	
उड़ीसा राज्य महिला आयोग	50,000.00		50,000.00	
ऑस्कर दिल्ली	—		15,000.00	
प्रभात सागर ज्ञान विकास संस्थान, राजस्थान	30,000.00		—	
परमारथ सेवा संस्थान, उत्तर प्रदेश	25,000.00		—	
पर्वतीय महिला विकास समिति, उत्तराखंड	15,000.00		—	
पीपल वोलंटरी इंटैग्रल सर्विस ऑर्गनाइजेशन	15,000.00		15,000.00	
पूजा जन सेवा समिति, उ.वाराणसी	—		30,000.00	
प्रबला समाज सेवी संस्थान, झारखंड	30,000.00		30,000.00	
प्रभात सागर ज्ञान विकास संस्थान, राजस्थान	—		15,000.00	
प्राग सर्वोदय समिति, जौनपुर	25,000.00		—	
प्रजापति महिला मंडल, मध्य प्रदेश	—		15,000.00	
प्रिया (परपेचुअल कंस्ट्रकटिव इंस्टीट्यूट), उड़ीसा	—		30,000.00	
पब्लिक हैल्थ एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी, दिल्ली	15,000.00		15,000.00	
पूर्वांचल विकास समिति	25,000.00		—	
पूर्वांचल शैक्षिक एवं सामाजिक विकास समिति, उत्तर प्रदेश	25,000.00		—	
पुष्पा केकतिय चेरिटेबल	15,000.00		15,000.00	
रछेरी जनता विकास ग्राम उद्योग, सैती	12,500.00		12,500.00	
रूरल आर्गेनाइजेशन फॉर पावर्टी इरेडिकेशन	15,000.00		15,000.00	
राणा जाविक ग्रामीण एवं कृषि सेवा समिति, उत्तराखंड	25,000.00		—	
रिया जन कल्याण समिति, मुरादाबाद	—		30,000.00	
आर.के. एजुकेशनल सोसाईटी, हरियाणा	—		15,000.00	
रूरल डेवलपमेंट एंड वेल्फेयर सोसाइटी, राजस्थान	30,000.00		30,000.00	
रूरल हेल्थ एंड इकॉनोमिक डेवलपमेंट, तमिलनाडु	—		15,000.00	
रूरल आर्गेनाइजेशन फॉर एग्रो डेवलपमेंट	40,000.00		40,000.00	
सहयोग चैरीटेबल ट्रस्ट, नई दिल्ली	—		15,000.00	
समाधान जन सेवा एवं शिक्षा प्रसार, ग्वालियर	—		30,000.00	
समग्र जन कल्याण समिति, उत्तर प्रदेश	25,000.00		—	
समाज कल्याण समिति, हरियाणा	15,000.00		15,000.00	
समाज संस्थान एंड सर्वांगीण विकास संस्थान	9,000.00		9,000.00	
समाज उत्थान समिति	13,250.00		13,250.00	
समता सेवा संस्थान	30,000.00		30,000.00	

राशि ₹ में

	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
संकल्प सेवा संस्थान, उत्तर प्रदेश	—		15,000.00	
संकल्प सेवा संस्थान, राजस्थान	—		30,000.00	
संत गडगेबाबा बहुजन विकास लातूर	15,000.00		—	
संत राम वर्मा स्वंतत्रता संग्राम सेनानी	25,000.00		—	
सरस्वती शिशु शिक्षा निकेतन, उत्तर प्रदेश	—		15,000.00	
सर्वांगीण उन्नयन समिति	20,000.00		20,000.00	
सार्वजानिक शिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश	30,000.00		—	
सर्वोदय विकास संस्थान, उत्तर प्रदेश	25,000.00		—	
सर्व विद्या शिक्षा समिति, हरियाणा	—		15,000.00	
सतविंदर शिक्षा समिति	75,000.00		—	
सीवेज (सोसाईटी ऑन एक्शन विल्लेंग एजुकेशन) आंध्र प्रदेश	15,000.00		15,000.00	
सेव अवर सोल इंडिया, दिल्ली	15,000.00		15,000.00	
सावित्री बाई फूले जन सेवा समिति	25,000.00		—	
एसबीएस फाउंडेशन, फजलपुर, दिल्ली	30,000.00		—	
सेवाहर (शिक्षा, कल्याण एवं स्वास्थ्य सोसाईटी, हरियाणा)	15,000.00		15,000.00	
सेवा, सोसाइटी फॉर एजूकेशन एंड वेल्फेयर एक्टिविटीज	—		15,000.00	
शहीद असफाक उल्लाह खान, उत्तर प्रदेश	25,000.00		—	
शहीद भगत सिंग युवा संगठन, हरियाणा	—		45,000.00	
शारा समाज सेवी संस्थान, शिमला	—		40,000.00	
शारदा देवी स्मृति सेवा संस्थान, उत्तरप्रदेश	25,000.00		—	
शिरीन बासुमता नारी संस्थान, उत्तर प्रदेश	25,000.00		—	
शिव जन जागृति शिक्षा समिति, हरियाणा	15,000.00		15,000.00	
शिव शक्ति ग्रामोद्योग संस्थान, उत्तर प्रदेश	—		30,000.00	
श्रधा, रोहतक, हरियाणा	—		15,000.00	
श्री कृष्ण शिक्षा सोसाईटी, उत्तर प्रदेश	25,000.00		—	
श्री सिद्ध देव ग्रामोद्योग संस्थान	25,000.00		—	
श्री हरे कृष्ण शिक्षा सेवा समिति	15,000.00		15,000.00	
श्री लक्ष्मी नारायण बद्री विशाल	30,000.00		—	
श्री लक्ष्मी रूरल डेवेलोपमेंट एंड एजुकेशन सोसाईटी, आंध्र प्रदेश	15,000.00		15,000.00	
श्री राजे छत्रीपत शिक्षण प्रसारक, महाराष्ट्र	—		30,000.00	
श्री राजीव गांधी मेमोरियल पब्लिक संस्थान, राजस्थान	45,000.00		45,000.00	
श्री राम चैरीटेबल ट्रस्ट, गुजरात	1,05,000.00		1,05,000.00	
श्याम ग्रामोद्वोग सेवा संस्थान, उत्तर प्रदेश	15,000.00		15,000.00	
सर छोटू राम युवा क्लब, हरियाणा	—		15,000.00	

राशि ₹ में

	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
सृजन महिला विकास मंच, झारखण्ड	15,000.00		15,000.00	
श्रीमती सुशीला देवी एजूकेशनल सोसाइटी	30,000.00		30,000.00	
स्नेगम मल्टी सोशल एक्शन मूवमेंट, तमिलनाडु	10,000.00		10,000.00	
सोशल एक्शन नेटवर्क ग्रुप	15,000.00		15,000.00	
सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन फॉर रूरल एंड अर्बन डेवेलोपमेंट, कर्नाटक	—		30,000.00	
सोशल वेल्फेयर आर्गेनाइजेशन ऑफ दॅ लेडीज, उड़ीसा	—		45,000.00	
सोसाईटी फॉर नर्शरिंग एजुकेशन हैल्थ, आंध्र प्रदेश	30,000.00		—	
सोसाइटी फॉर वूमैन इंटीग्रेटेड डवेलपमेंट, आंध्र प्रदेश	15,000.00		15,000.00	
सोनापुर मथुरापुर परिबेश संस्थान, पश्चिम बंगाल	30,000.00		30,000.00	
श्री कृष्ण शिक्षा प्रसार समिति, मध्य प्रदेश	15,000.00		15,000.00	
श्री विद्या सरस्वती महिला मंडल	15,000.00		15,000.00	
स्टुडेंट्रस सोशल आर्गेनाइजेशन, विल्लेज रामपुर, उत्तर प्रदेश	25,000.00		—	
सुभाषित जन सेवा संस्थान, उत्तर प्रदेश	25,000.00		—	
सुधार सेवा एवं कल्याण समिति, लखनऊ	15,000.00		—	
सुलोचना एजुकेशनल एंड चैरीटेबल ट्रस्ट	—		15,000.00	
सुमित्र सामाजिक कल्याण संस्थान	30,000.00		30,000.00	
सुरक्षा विविधुद्देश्य संस्था, कर्नाटक	1,00,000.00		—	
सूर्य प्रकाश चैरिटेबल एसोसिएशन, दिल्ली	60,000.00		—	
एस वी एस संस्थान	15,000.00		15,000.00	
स्वास्तिक ज्ञान सेवा संस्थान, राजस्थान	—		30,000.00	
स्वावलम्बी ग्रामोद्योग एवं जन चेतना विकास संस्थान	15,000.00		15,000.00	
स्वीट हर्ट, उड़ीसा	—		15,000.00	
द एसोसिएशन फॉर रूरल पीपल'ज़ डेवेलोपमेंट, हरियाणा	15,000.00		15,000.00	
दॅ सोसाइटी फॉर वूमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड सर्विस, दिल्ली	30,000.00		30,000.00	
थिरूमनगई चैरीटेबल ट्रस्ट, तमिलनाडु	15,000.00		15,000.00	
तुलसी ग्रामोद्योग सेवा समिति, उत्तर प्रदेश	25,000.00		—	
उदय भारती, हिमाचल प्रदेश	—		30,000.00	
उम्मीद समिति, राजस्थान	30,000.00		—	
उत्कर्ष महिला एवं बाल कल्याण, मध्य प्रदेश	15,000.00		15,000.00	
उत्तराखंड राज्य महिला आयोग	1,25,000.00		—	
विद्या कला संस्थान, लखनऊ	30,000.00		—	
विज्ञान शिक्षा केंद्र	30,000.00		30,000.00	
विकास ग्राम उद्योग मण्डल, सोनीपत, हरियाणा	30,000.00		30,000.00	
विवेकानंद अभिनव शिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश	25,000.00		—	

राशि ₹ में

		चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
		योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
वूमेन एसोसिएशन फॉर राइट एंड डेवलपमेंट, बांकुरा, पश्चिम बंगाल		15,000.00		15,000.00	
यमुना संस्था, राजस्थान		30,000.00		—	
युवा जागृति एवं विकास संस्थान, उत्तर प्रदेश		25,000.00		—	
युवा संघर्ष समिति, हरियाणा		45,000.00		45,000.00	
युवा स्पोर्ट्स समिति, हरियाणा		15,000.00		15,000.00	
जैदी सोशियल वेलफेयर सोसाईटी, नई दिल्ली		30,000.00		30,000.00	
पारिवारिक महिला लोक अदालत	(ग)	**6,00,000.00**		**3,15,000.00**	
अहर्निश सेवा संस्थान, देवरिया, उत्तर प्रदेश		60,000.00		—	
आशा महिला जन कल्याण प्रतिष्ठान		30,000.00		—	
चांद तालीमी सोसाइटी, उत्तर प्रदेश		15,000.00		30,000.00	
डॉ. खुर्शीद जहां गर्ल्स एंड बॉयस इंटर कॉलेज, उत्तर प्रदेश		—		45,000.00	
हरियाणा राज्य विधि सेवा प्राधिकरण, हरियाणा		1,50,000.00		1,50,000.00	
इस्लामिया मख्तब प्राइमरी गर्ल्स स्कूल उत्तर प्रदेश		15,000.00		15,000.00	
क्षेत्रीय महिला एवं बाल विकास समिति		30,000.00		—	
मानव कल्याण समिति		30,000.00		—	
नरेंद्र देव एजुकेशनल स्कूल, महाराष्ट्र		15,000.00		15,000.00	
पांचला रिलाएंस सोसाईटी, पश्चिम बंगाल		30,000.00		—	
पोलीमर्स एजुकेशन सोसाईटी, आंध्र प्रदेश		30,000.00		—	
सहारा समिति		15,000.00		15,000.00	
नव आँचल काली अस्थान – नालंदा बिहार		—		15,000.00	
सैनिक महिला प्रशिक्षण, गोरखपुर		15,000.00		—	
श्री आनंद विकास समिति		45,000.00		—	
सोशियल वेलफेयर मैनेजमेंट एंड प्रोमोशनल ऑर्गेनाइजेशन		60,000.00		—	
सूर्य विकास समिति		—		15,000.00	
युवा चेतना समाज कल्याण समिति, दिल्ली		45,000.00		—	
जैन सोशियल वेल्फेयर सोसाइटी, लखनऊ		15,000.00		15,000.00	
सेमिनार एवं सम्मेलन	(घ)	**51,05,619.00**		**42,84,684.00**	
आस्था महिला विकास एवं पर्यावरण		—		30,000.00	
आस्था वेलफेयर सोसाईटी, आगरा		—		60,000.00	
अभिनव कला केंद्र		—		30,000.00	
अभिनव शैक्षणिक एवं ग्रामीण विकास		—		30,000.00	
एकेडमी ऑफ ग्रासरूट्स स्टडीज़ एंड रिसर्च ऑफ इंडिया		—		90,000.00	

राशि ₹ में

	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
आदर्श, उड़ीसा	15,000.00		15,000.00	
ऐकातन संघ, पश्चिम बंगाल	30,000.00		30,000.00	
अखिल भारतीय रचनात्मक समाज	—		—	
अखिल भारतीय नव युवक कला संगम – भिवानी	—		30,000.00	
अखिल भारतीय सर्व उत्थान चैरीटेबल सोसाईटी	30,000.00		—	
अखिल भारतीय विकलांग सेवा संस्थान, उत्तर प्रदेश	30,000.00		—	
अखिल मानव सेवा परिषद	13,950.00		13,950.00	
ऑल इंडिया कोर्णाक एजूकेशनल एंड वेल्फेयर, दिल्ली	—		30,000.00	
अम्बपाली, हस्तकरघा एंड हस्तशिल्प विकास स्वावलंबी	—		30,000.00	
एमिटी ला स्कूल, उत्तर प्रदेश	1,53,750.00		—	
अंजली सोशियल वेलफेयर सोसाईटी, उत्तर प्रदेश	—		30,000.00	
अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं समाज कल्याण	30,000.00		—	
अरिहंत महिला एवं बाल विकास	—		30,000.00	
आशा कला केंद्र मध्य प्रदेश	30,000.00		—	
आसरा, नजफगढ़	—		15,000.00	
एसोसिएशन फॉर डेवेलोपमेंट एंड रिसर्च, उड़ीसा	30,000.00		30,000.00	
अविलम्ब सेवा निकेतन, लखनऊ	30,000.00		—	
अविल ग्रामीण विकास संस्थान, राजस्थान	60,000.00		—	
भागीदारी जन सहयोग समिति	30,000.00		—	
भारत भूमी सेवा संस्थान, वाराणसी	30,000.00		—	
भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन दिल्ली	—		90,000.00	
भारतीय बाल एंड महिला कल्याण समिति	30,000.00		—	
भारतीय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान	15,000.00		15,000.00	
भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन दिल्ली	2,10,000.00		—	
सेंटर फॉर सोशियल रिसर्च, नई दिल्ली	1,51,674.00		1,51,674.00	
सेंटर फॉर वूमेन्स स्टडीज़, उदयपुर	90,000.00		90,000.00	
सेंटर ऑफ द स्टडी ऑफ वैल्यूज़	29,850.00		—	
चकली विकास प्रतिष्ठान, महाराष्ट्र	30,000.00		—	
चौधरी चरण सिंग ग्रामोद्योग संस्थान, हाथरस	30,000.00		30,000.00	
दलित महिला विका मंडल, महाराष्ट्र	30,000.00		—	
दीप विद्या मंदिर समिति – राजस्थान	—		15,000.00	
डेवेलोपिंग कंट्रीज़ रिसर्च सेंटर, दिल्ली विश्वविद्यालय	90,000.00		—	
धरती फाऊंडेशन उड़ीसा	60,000.00		—	

राशि ₹ में

	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
डा. हैनमैन एजुकेशनल डेवेलोपमेंट दिल्ली	30,000.00		30,000.00	
द्वारसनी श्रमिक संघ	9,000.00		9,000.00	
एजूकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट, तमिलनाडु	30,000.00		75,000.00	
एजूकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट	30,000.00		—	
गंदरपुरकर श्री रामकृष्णा आश्रम पश्चिम बंगाल	30,000.00		—	
गंगोत्री फाउन्डेशन उत्तर प्रदेश	30,000.00		—	
गीत महिला समिति उत्तर प्रदेश	15,000.00		15,000.00	
ज्ञान सुधा एजूकेशन सोसाइटी, हैदराबाद	15,000.00		15,000.00	
ग्रामीण महिला विकास विल्लेज – हरियाणा	—		30,000.00	
ग्रामीण विकास मंच – हरियाणा	—		30,000.00	
ग्रामोद्योग जन जागृति समिति, उत्तर प्रदेश	—		15,000.00	
ग्रीन वर्ल्ड एजूकेशन सोसाइटी, उदयपुर	30,000.00		30,000.00	
गिल्ड फोर सर्विस	—		30,000.00	
राज्य महिला आयोग गुजरात	60,000.00		—	
जी.वी.एम. कॉलेज सोनीपत	30,000.00		—	
हैंडीकैप्ड वेलफेयर सोसाईटी	—		30,000.00	
हेलेना कौशिक वूमेन्स कॉलेज, झुनझुनू	90,000.00		—	
हेल्प ऑर्गेनाइजेशन उड़ीसा	—		30,000.00	
ह्यूमैन राईट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, दिल्ली	—		30,000.00	
आई.जी.पी. ज़ोन–II, जालंधर	1,20,000.00		—	
आई.एल.एस. ला कॉलेज	90,000.00		—	
इंडियन एडल्ट एजुकेशन दिल्ली	75,000.00		—	
इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ यूथ वेल्फेयर, महाराष्ट्र	15,000.00		15,000.00	
इंटिग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट फॉर वर्कर्स	30,000.00		30,000.00	
जागृति जन कल्याण समिति, बिहार	—		30,000.00	
जन कल्याण युवक संघ, उड़ीसा	27,540.00		27,540.00	
जागृति सेवा संस्थान, राजथान	60,000.00		—	
जीजामाता बहुद्देश्यीय महिला, लातूर	30,000.00		30,000.00	
जागरूक महिला संस्थान परचम	—		15,000.00	
जय माँ महिला उत्थान समिति, दिल्ली	30,000.00		30,000.00	
जन कल्याण कुटीर ग्रामोद्योग संस्था	30,000.00		—	
कस्तूरबा महिला समिति, जयपुर	30,000.00		—	
केरला एजुकेशन सोसाईटी	—		60,000.00	

राशि ₹ में

	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
कृषि महिला मण्डली, एनएडब्ल्यूए, आंध्र प्रदेश	30,000.00		30,000.00	
कुमर्शा रूरल डवेलपमेंट सोसाइटी,पश्चिम बंगाल	15,000.00		15,000.00	
कुंदन वेलफेयर सोसाईटी	1,50,000.00		—	
लिविंग वॉटर ऑफ डार्इंग सोल्स इन इंडिया	—		14,000.00	
लक्ष्मी वूमेन एंड सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी, उत्तर प्रदेश	—		15,000.00	
महिला जागृति समिति, उत्तर प्रदेश	30,000.00		30,000.00	
महिला कल्याण समिति	30,000.00		—	
महिला प्रबोधिनी फाऊंडेशन, उत्तर प्रदेश	30,000.00		30,000.00	
महिला शिशु स्वास्थ्य एवं उत्थान, दिल्ली	30,000.00		—	
मैत्री, नई दिल्ली	—		30,000.00	
मानव कल्याण विद्या पीठ संस्थान, जयपुर	—		12,420.00	
मानव जागृति समिति, दिल्ली	—		30,000.00	
मानव स्वास्थ्य सेवा संस्थान, मथुरा	30,000.00		—	
मानव उज्जल समाज समिति, नई दिल्ली	—		30,000.00	
मान्डिल्य विकास संस्थान, चांदपुर	30,000.00		—	
मास इन्वॉल्वमेंट इन ट्रेनिंग एंड वेलफेयर एक्शन, उड़ीसा	—		30,000.00	
माया फाऊंडेशन चंडीगढ	30,000.00		—	
मुलिम वूमेन्स फोरम, दिल्ली	—		90,000.00	
नेशनल चैरीटेबल वेलफेयर सोसाईटी – उत्तर प्रदेश	30,000.00		30,000.00	
नेशनल यूथ फाऊंडेशन, लखनऊ	30,000.00		—	
नवाचार संस्थान, राजस्थान	—		30,000.00	
नवनीत फाऊंडेशन, उत्तर प्रदेश	30,000.00		—	
नव निर्माण महिला मंडल	7,190.00		—	
नव निर्माण महिला मंडल समिति, जयपुर	1,50,000.00		—	
नव राजीव गांधी फाऊंडेशन एंड रिसर्च – जयपुर	30,000.00		30,000.00	
नवयुग सोशियल डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट	56,100.00		56,100.00	
नावों, डा. पाम राजपूत वूमेन्स रिसोर्स, चंडीगढ़	2,00,000.00		2,00,000.00	
नेताजी मेमोरियल क्लब, उड़ीसा	30,000.00		15,000.00	
न्यू मिलेनियम इन्फोरमेशन, कोटला दिल्ली	—		30,000.00	
नोबल सोशियल एंड एजुकेशनल सोसाईटी	60,000.00		60,000.00	
ओम साईं सेवा संस्थान फतेपुर	30,000.00		—	
ओर्गनाईजिंग सेक्रेटरी, 33 क्रिमिनौलोजी कॉन्फ्रेंस, जम्मू एवं कश्मीर	90,000.00		90,000.00	
आऊटरीच प्रोग्राम मीडया कोऑर्डिनेटर, नई दिल्ली	—		15,000.00	

राशि ₹ में

	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
फल वेलफेयर सोसाईटी हरियाणा	30,000.00		—	
पंकज बहुदेशीय शिक्षण संस्था, महाराष्ट्र	—		30,000.00	
परिक्रमा महिला समिति, मध्य प्रदेश	—		30,000.00	
पोंडिचेरी महिला आयोग	—		60,000.00	
पूजा आदर्श विद्या मंदिर संस्था, राजस्थान	30,000.00		30,000.00	
पूजा वेलफेयर सोसाईटी, जम्मू व कश्मीर – अ.जा.	30,000.00		30,000.00	
प्रतापगढ़ ग्रामोत्थान समिति, उत्तर प्रदेश	—		30,000.00	
परिक्रमा महिला समिति	60,000.00		30,000.00	
प्रिंसिपल, मिरांडा हाऊस, दिल्ली विश्व विद्यालय	60,000.00		—	
प्रधानाचार्य, एम पी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजस्थान	30,000.00		30,000.00	
प्रिया, भुवनेश्वर	—		30,000.00	
पब्लिक वेलफेयर सोसाईटी	30,000.00		30,000.00	
पूजा जन सेवा समिति, उत्तर प्रदेश	30,000.00		—	
पुलसे वेलफेयर सोसाईटी, दिल्ली	—		15,000.00	
पुष्पांजलि कल्चरल एसोसिएशन, उड़ीसा	—		30,000.00	
पुष्पांजलि, कानपुर	15,000.00		—	
राधा क्रिशन सेवा संस्थान, देवरिया	29,565.00		—	
राजीव गांधी जनसेवा संस्थान	30,000.00		30,000.00	
रानी लक्ष्मीबाई शिक्षण प्रसारक एवं मल्टी महाराष्ट्र	—		30,000.00	
रेखा सेवा संस्थान, उत्तर प्रदेश	—		30,000.00	
आरके एचआईवी एड्रस रिसर्च एंड केयर सेंटर	50,000.00		1,70,000.00	
रोल ऑफ वूमेन राइटर इन सोशल अवेकनिंग	18,000.00		18,000.00	
रूरल डेवलपमेंट एंड वेल्फेयर सोसाइटी, राजस्थान	—		30,000.00	
सबरी एजूकेशन एंड वेल्फेयर सोसाइटी, उत्तर प्रदेश	30,000.00		30,000.00	
सदभावना समन्वय संस्थान, उत्तर प्रदेश	45,000.00		45,000.00	
साधना, उड़ीसा	—		30,000.00	
सागर खादी ग्रामोद्योग समिति, कुशीनगर	30,000.00		—	
समाज सेवा समिति, उत्तर प्रदेश	—		60,000.00	
सम्मति सोशल समिति, मध्य प्रदेश	15,000.00		15,000.00	
सम्प्रितका, उड़ीसा	30,000.00		30,000.00	
संजीवनी, भुवनेश्वर	9,000.00		9,000.00	
संजीवनी सोसाइटी	15,000.00		15,000.00	
संकल्प सेवा संस्थान, उत्तर प्रदेश	30,000.00		—	

राशि ₹ में

	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
सांस्कृतिक विकास एवं नव कल्याण समिति, उत्तराखंड	30,000.00		—	
संतवरण सोशियल सर्विस एजूकेशन एंड चेरिटेबल	15,000.00		15,000.00	
संत राम वर्मा स्वंतत्रता संग्राम सेनानी	—		30,000.00	
सर्वभूम सांस्कृत्य संस्थानम, मथुरा	30,000.00		—	
सर्वोदय समग्र विकास एंड संचार संस्थान	30,000.00		30,000.00	
एस.बी.एस. फाऊंडेशन फज़लपुर दिल्ली	—		30,000.00	
सीमा सेवा संस्थान	30,000.00		—	
सेल्फ इनिशिएटिव फॉर टोटल अवेयरनेस, देवगढ़	30,000.00		30,000.00	
सर्विस एजुकेशन एंड वेलफेयर एसोसिएशन, वाराणसी	30,000.00		—	
शहीद अशफाक उल्लाह खान मेमोरियल सोसाईटी, प्रता	30,000.00		—	
शैल हस्त कला विकास समिति, उत्तर प्रदेश	—		30,000.00	
शक्ति वाहिनी	60,000.00		60,000.00	
शिव चरण माथुर सोशियल पॉलिसी	—		48,000.00	
श्री गणेश प्रसाद स्मारक सेवा संस्थान, उत्तर प्रदेश	—		30,000.00	
श्री गिरिराज जी महाराज शिक्षा. उत्तर प्रदेश	30,000.00		—	
सिल्दा स्वास्ति उन्नयन समिति	30,000.00		30,000.00	
श्री माता प्रसाद स्मारक सेवा संस्थान, उत्तर प्रदेश	—		30,000.00	
श्री रोकेदेश्वर शिक्षण प्रसारक मंडल	30,000.00		30,000.00	
श्री सरदार सेवा संस्थान, उत्तर प्रदेश	30,000.00		—	
श्रीमती सेलेने डे सिल्वा महिला विकास मुंबई	—		30,000.00	
सोशियल एजेंसी फॉर फारमर्स एम्पोवर्मेंट	30,000.00		—	
सोसाइटी फॉर एवेयरनेस वेलफेयर, एंड रूरल से	30,000.00		30,000.00	
सोसाइटी फॉर हेल्थ एंड एजूकेशनल डेवलपमेंट, हैदराबाद	15,000.00		15,000.00	
स्पीज़ चाईल्ड डेवेलोपमेंट, झारखंड	—		30,000.00	
स्त्री मुक्ति संगठन, मुंबई	30,000.00		—	
सुधार सेवा एवं कल्याण समिति	30,000.00		30,000.00	
सुमन सेवाभवी संस्था, महाराष्ट्र	30,000.00		—	
सुमित्रा सामाजिक कल्याण संस्थान	—		30,000.00	
स्वावलंबन वेलफेयर सोसाईटी, उत्तराखंड	30,000.00		—	
तरंगिनी सोशियल सर्विस सोसाइटी, आंध्र प्रदेश	15,000.00		15,000.00	
द कलेक्टर एंड मैजिस्ट्रेट, सवाए माधोपुर	30,000.00		30,000.00	
द कमिशन ऑफ पोलीस पुणे	30,000.00		—	
निदेशक, सेंटर फॉर वूमैन स्टडीस अलीगढ़	90,000.00		—	

राशि ₹ में

		चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
		योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
दॅ एजूकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट, तमिलनाडु		30,000.00		30,000.00	
त्याग, उड़ीसा		30,000.00		—	
उज्जवल, गुड़गांव		15,000.00		15,000.00	
उत्थान शोध संस्थान, राजस्थान		30,000.00		30,000.00	
वमित एजुकेशनल ट्रस्ट, शिमला		30,000.00		30,000.00	
विद्या कला संस्थान, उत्तर प्रदेश		15,000.00		15,000.00	
विज्ञान समिति, राजस्थान		—		60,000.00	
विज्ञान एजूकेशनल सोसाइटी, आंध्र प्रदेश		—		15,000.00	
वेंकटेश बहु–उद्देश्यीय शिक्षण प्रसारक मण्डल		—		15,000.00	
वाटरशेड मैनेजमेंट एंड एनवायरनमेंट डेवलपमेंट, राजस्थान		—		30,000.00	
पश्चिम बंगाल महिला आयोग		60,000.00		60,000.00	
विप्रो फाऊंडेशन		30,000.00		—	
वूमैन पॉवर कनेक्ट दिल्ली		90,000.00		60,000.00	
न्यायिक/पुलिस क्षमता निर्माण	(ङ)	**1,09,620.00**		**–**	
पुलिस ट्रेनिंग सेंटर मुंबई		21,000.00		—	
निदेशक, हरियाणा पुलिस एकैडमी		88,620.00		—	
विशेष अध्ययन (उ.पू.क्षे.)	(च)	**2,75,185.00**		**3,83,795.00**	
ड्रीम प्रोग्रेसिव वेल्फेयर एसोसिएशन, असम		36,600.00		36,600.00	
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी		60,060.00		1,80,180.00	
जन नेता इरावत फाउंडेशन, मणिपुर		37,065.00		37,065.00	
जन स्मृद्धि समिति, इम्फाल, मणिपुर		32,350.00		32,350.00	
राज्य महिला आयोग मेघालय		61,110.00		—	
ओमेय कुमार दास इंस्टिट्रयूट ऑफ सोशियल चेंज		48,000.00		48,000.00	
रूरल सर्विस एजेंसी (आरयूएसए)		—		49,600.00	
विधिक एवेअरनेस कार्यक्रम (उ.पू.क्षे.)	(छ)	**32,71,500.00**		**22,66,500.00**	
अबू तरियंग सोशियो – इकोनोमिक डेवेलोपमेंट सोसाईटी		30,000.00		—	
अमत्सर शिलोंग		1,00,000.00		1,00,000.00	
अरुणाचल राज्य महिला आयोग		8,30,000.00		5,00,000.00	
असम राज्य महिला आयोग, उज़ानबाज़ार		1,40,000.00		80,000.00	
सेंटर फॉर ह्यूमैन रिसोर्स एंड इको. मणिपुर		30,000.00		—	
सेंटर फॉर यूनाइटेड ब्रदरहुड		30,000.00		—	
दायिता सेवा मंच, त्रिपुरा		—		20,000.00	

राशि ₹ में

	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
दीरा विलेज फॉरेस्ट मैनेजमेंट, अरुणाचल प्रदेश	20,000.00		20,000.00	
डिस्ट्रिक्ट सोशियल वेल्फेयर ऑफिस, असम	56,500.00		56,500.00	
ड्रीम्स, असम	20,000.00		20,000.00	
एट ब्रदर्ज़ सोशियल वेलफेयर सोसाईटी	60,000.00		—	
इलैंग्लम तोंदोंबी सिंग मणिपुर	60,000.00		—	
हयांग मेमोरियल एग्रो इंडस्ट्री एंड एजुकेशन	40,000.00		40,000.00	
इंटरनेशनल कम्प्यूटर्स – असम	30,000.00		—	
इत्तेहाद सोशियो–कल्चरल ऑर्गेनाईजेशन, असम	20,000.00		20,000.00	
जैज़ी, गुवाहाटी, असम	20,000.00		20,000.00	
ज्योतिमोय फाऊंडेशन असम	20,000.00		20,000.00	
खादी एंड विल्लेज इंडस्ट्रीज़	40,000.00		—	
खोमिडोक मुस्लिम वूमेन वेल्फेयर सोसाइटी, मणिपुर	20,000.00		20,000.00	
खुमुई बुरुई बोदूल, त्रिपुरा	20,000.00		20,000.00	
कुंवर चतिया सांशनी महिला समिति, असम	40,000.00		40,000.00	
लैमिजिंग थावन ऐसोसिएशन, मणिपुर	60,000.00		—	
लीएइबी मेमोरियल ट्रस्ट, मणिपुर	60,000.00		—	
लाईट ऑफ विल्लेज, गौहाटी	20,000.00		20,000.00	
लोंग्मय मल्टी–परपज़ एसोसिएशन, मणिपुर	20,000.00		20,000.00	
लुफुरिया नव जागरण क्लब	40,000.00		—	
मणिकुंतल महिला उन्नयन केंद्र, असम	—		15,000.00	
राज्य महिला आयोग, मणिपुर	3,60,000.00		1,80,000.00	
मेघालय राज्य महिला आयोग, शिलांग, पूर्वोत्तर क्षेत्र	1,40,000.00		1,80,000.00	
मेरिट एजूकेशनल सोसाइटी, असम	20,000.00		20,000.00	
मिजोरम राज्य महिला आयोग	2,60,000.00		1,00,000.00	
नागालैंड महिला आयोग	—		1,60,000.00	
नव्ताओमय रूरल डेवेलोपमेंट एसोसिएशन, मणिपुर	30,000.00		—	
नेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, असम	—		20,000.00	
नयन मणि प्रगति संघ, असम	15,000.00		15,000.00	
एन.आई.एम.एस. एजुकेशनल एंड सोशियल एसोसिएशन असम	40,000.00		40,000.00	
नॉर्थ–ईस्ट ब्राईट सोसाईटी, असम	40,000.00		40,000.00	
नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनीवर्सिटी, मेघालय	—		1,00,000.00	
नॉर्थ–ईस्ट पीपल राईट, असम	20,000.00		20,000.00	
ओहो मी एंकी एस.ए. सोसाईटी	30,000.00		—	

राशि ₹ में

		चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
		योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशियो–इकोनोमिक डेवेलोपमेंट		30,000.00		—	
फाकुन हरमोती गांव श्रीमाता शंकर, असम, पूर्वोत्तर क्षेत्र		40,000.00		40,000.00	
प्रयास, असम		40,000.00		40,000.00	
प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन, असम		20,000.00		20,000.00	
रेडको फाऊंडेशन, मणिपुर		40,000.00		40,000.00	
रूरल कम्यूनिटी डेवेलपमेंट सोसाईटी		30,000.00		—	
संघदीप वोलंटरी ऑर्गेनाइजेशन		20,000.00		—	
सांती कली मिशन, त्रिपुरा		40,000.00		40,000.00	
सेल्फ एम्प्लॉयड एंड बैकवर्ड वूमेन्स		20,000.00		20,000.00	
सोशियो ओरिएंटल फास्ट इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, मणिपुर		—		20,000.00	
सुबांनसिरी ट्राइबल वेल्फेयर सोसाइटी, असम		—		40,000.00	
सन क्लब, असम, पूर्वोत्तर क्षेत्र		20,000.00		20,000.00	
द एसोसिएशन फोर डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड वूमैन्स, मणिपुर		20,000.00		20,000.00	
द इंटेग्रेटिड प्रोग्रेसिव रूरल डेवेलोपमेंट ऑर्गेनाइजेशन लैप		30,000.00		—	
द लाईफ केयर फाऊंडेशन, मणिपुर		30,000.00		—	
ट्रेडिशनल कल्चर एंड बुद्धिस्ट रिसर्च, मणिपुर		—		40,000.00	
वोलंटियरज़ गिल्ड असम		60,000.00		—	
वूमैन एंड चाईल्ड डेवेलपमेंट सोसाईटी, आंध्र प्रदेश		30,000.00		—	
वेलफेयर तो ऑल हेपाह, असम		20,000.00		20,000.00	
सेमिनार और सम्मेलन (उ.पू.क्षे.)	(ज)	**8,92,040.00**		**4,91,120.00**	
अखंड, त्रिपुरा		30,000.00		30,000.00	
अमत्सर, शिलौंग		30,000.00		—	
अंगीकार, असम		30,000.00		—	
असम राज्य महिला आयोग		60,000.00		30,000.00	
सेंटर फॉर वूमैन स्टडीज़, असम		30,000.00		30,000.00	
कम्यूनिटी एक्शन फॉर रूरल डेवेलोपमेंट		—		30,000.00	
डिपार्टमेंट ऑफ एडल्ट एंड कौन्टीन्यूइन्ग एजुकेशन		—		30,000.00	
डिपार्टमेंट ऑफ पोलिटिकल साइंस डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी		30,000.00		30,000.00	
दुकुतीय चैरिटेबल ट्रस्ट, बी.टी.ए.डी.		30,000.00		—	
फाउंडेशन फॉर सोशियल डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन, इम्फाल, मणिपुर		30,000.00		30,000.00	
ग्रासरूट, मेघालय		20,000.00		20,000.00	
हींग मेमोरियाल एग्रो इंडस्ट्री एंड एजुकेशन, आन्ध्र प्रदेश		30,000.00		—	
कुम्बी अपुंबा नुप लुप, मणिपुर		30,000.00		—	

राशि ₹ में

	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
मणिपुर राज्य महिला आयोग	90,000.00		30,000.00	
मणिपुर वूमैन कोऔर्डिनेटिंग काउन्सिल	30,000.00		—	
न्यू इंटेग्रेटिड रूरल मैनेजमेंट एजेंसी	30,000.00		—	
न्यू विजन क्रिएटिव सोसाइटी विल्लेज एंड पोस्ट ऐरा, असम	30,000.00		30,000.00	
नौर्थ ईस्ट इंडिया सेंटर फॉर मास कम्यूनिकेशन	30,000.00		—	
नौर्थ ईस्ट नेटवर्क, असम	1,35,000.00		—	
पीएआरडीए, मणिपुर	30,000.00		30,000.00	
सोशल सर्विस सेंटर, शिलौंग	30,000.00		—	
श्री माता महिला मण्डली, थोटन	47,040.00		1,41,120.00	
वूमेन्स वोलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, मणिपुर	30,000.00		30,000.00	
वूमेन्स पॉवर कनेक्ट	60,000.00		—	

सदस्य (डब्ल्यूएस) कृते सदस्य सचिव

अनुसूची 4 - स्थायी परिसंपत्तियां

(राशि ₹ में)

	सकल ब्लॉक					मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	अथ शेष	परिवर्धन	कटौती	समायोजन	अंत शेष	अथ शेष	परिवर्धन पर	कटौती पर	अंत में कुल मूल्य	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
<u>स्थायी परिसंपत्तियां</u>											
भूमि	36,89,781.00	–	–	–	36,89,781.00	–	–	–	–	36,89,781.00	36,89,781.00
भवन	7,08,891.00	–	–	–	7,08,891.00	70,889.00	–	–	70,889.00	6,38,002.00	7,08,891.00
सयंत्र और मशीनें	44,09,001.00	28,88,518.00	3,999.00	–	72,93,520.00	6,60,750.00	3,09,788.00	–	9,70,538.00	63,22,982.00	44,09,001.00
वाहन	45,56,554.00	8,06,830.00	15,45,713.00	–	38,17,671.00	4,51,626.00	60,512.00	–	5,12,138.00	33,05,533.00	45,56,554.00
फर्नीचर व जुड़नार	61,64,799.00	12,69,792.00	1,69,565.00	–	72,65,026.00	5,99,523.00	67,177.00	–	6,66,700.00	65,98,326.00	61,64,799.00
कंप्यूटर	8,35,787.00	20,81,926.00	–	–	29,17,713.00	5,01,472.00	6,73,796.00	–	11,75,268.00	17,42,445.00	8,35,787.00
प्रकाशन	7,52,459.00	91,379.00	–	–	8,43,838.00	–	–	–	–	8,43,838.00	7,52,459.00
	2,11,17,272.00	**71,38,445.00**	**17,19,277.00**		**2,65,36,440.00**	**22,84,260.00**	**11,11,273.00**	**–**	**33,95,533.00**	**2,31,40,907.00**	**2,11,17,272.00**

सदस्य (डब्ल्यूएस) कृते सदस्य सचिव

अनुसूची 4 – स्थायी परिसंपत्तियां

राशि ₹ में

	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
1) भूमि	36,89,781.00	—	36,89,781.00	
2) भवन	6,38,002.00	—	7,08,891.00	
3) फर्नीचर और जुड़नार	65,98,326.00	—	61,64,799.00	
4) मशीनें और उपकरण	63,22,982.00	—	44,09,001.00	
5) कंप्यूटर	17,42,445.00	—	8,35,787.00	
6) वाहन	33,05,533.00	—	45,56,554.00	
7) पुस्तकें और प्रकाशन	8,43,838.00	—	7,52,459.00	
	2,31,40,907.00	**–**	**2,11,17,272.00**	

अनुसूची 5 – निवेश–अन्य

राशि ₹ में

	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
अंशदायी भविष्य निधि में निवेश	—	—		—
जोड़ें : अर्जित ब्याज	—	—		—
	–	**–**		**–**

सदस्य (डब्ल्यूएस) कृते सदस्य सचिव

अनुसूची 6 – वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम

राशि ₹ में

		चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
		योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
क.	*वर्तमान परिसंपत्तियां*				
1)	हस्तगत नकदी (चैक/ड्राफ्ट और अग्रदाय सहित)	—	—	3,000.00	—
2)	बैंक में शेष राशि :–				
	अनुसूचित बैंकों के पास :				
	बचत खाते में	8,48,598.00	9,84,007.00	49,388.00	1,02,544.00
	अंशदायी भविष्य निधि खाते में, कैनरा बैंक	—	—	—	—
3)	ऋण, अग्रिम एवं अन्य प्राप्य राशि नकदी या वस्तु रूप में :–	—	—	—	—
4)	विविध देनदार	24,418.00	9.00	—	—
	क	**8,73,016.00**	**9,84,016.00**	**52,388.00**	**1,02,544.00**
ख.	***ऋण एवं अग्रिम***				
	योजनागत	ख	**74,96,364.00**		**56,33,370.00**
	कर्मचारियों को अग्रिम		**48,69,430.00**		**33,72,524.00**
	सेमिनार और सम्मलेन				
	अब्दुस सलाम		3,57,109.00		3,57,109.00
	भावना कुमार		—		9,000.00
	हरदीप सिंह		12,000.00		—
	जसविंदर कौर		—		1,35,346.00
	जवाहिरी सिंह		—		7,55,000.00
	करीना थिन्गमम		—		12,00,000.00
	राजकुमार (सहायक)		1,500.00		1,500.00
	एस.सी. शर्मा		—		1,500.00
	श्रद्धा पॉल		10,000.00		17,594.00
	वंदना परांजपे		3,600.00		17,393.00
	वी. के. अस्थाना		—		5,500.00
	मंजू एस. हेम्ब्रम		4,60,097.00		7,00,000.00
	मशीनें एवं उपकरण				
	मृदुल भट्टाचार्य		26,000.00		26,000.00
	विज्ञापन के लिए अग्रिम				
	लेखा अधिकारी डी.ए.वी.पी.		39,69,124.00		63,268.00
	विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार महानिदेशालय		30,000.00		—
	पी.आर. लेखा अधिकारी		—		83,314.00

राशि ₹ में

		चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
		योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
गैर–सरकारी संगठनों को अग्रिम		**26,26,934.00**		**22,60,846.00**	
सेमिनार और सम्मलेन					
ए.सी.पी., एच.क्यू., डी.डी.ओ., नानक पूरा		19,76,934.00		15,34,192.00	
अपरना भट्ट, अधिवक्ता		—		50,000.00	
सीईक्यूयूआईएन, नई दिल्ली		2,00,000.00		2,00,000.00	
स्वरलिपि, स्वागत भवन, मुंबई		4,50,000.00		4,50,000.00	
सेमिनार और सम्मलेन के लिए अग्रिम					
इंडिया इंटरनेशनल सेंटर		—		26,654.00	
योजनेत्तर	ग		**1,28,882.00**	—	**1,64,221.00**
कर्मचारियों को अग्रिम			**1,17,729.00**		**1,53,068.00**
मरम्मत एवं रखरखाव वाहन			**19,055.00**	—	—
दीवान सिंह			19,055.00	—	—
कार्यालय व्यय			**38,844.00**	—	**1,300.00**
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया			700.00	—	700.00
हरदीप सिंह			9,000.00	—	—
मृदुल भट्टाचार्य			12,840.00	—	—
प्रकाश चंद (चपरासी)			2,865.00		
एस.सी. शर्मा			100.00	—	100.00
वन्दना परांजपे			12,839.00	—	—
महेंद्र सिंह			500.00	—	500.00
यात्रा व्यय			**7,919.00**	—	**1,37,368.00**
करीना थिन्गमम			—	—	25,000.00
मंजू एस. हेम्ब्रम			—	—	1,06,968.00
जय भगवान			4,224.00	—	—
जसविंदर कौर			2,000.00	—	—
वान्सुक सईम			1,695.00	—	—
सुभाष शर्मा			—	—	5,400.00
दूरभाष के लिए अग्रिम			**5,000.00**		—
हरदीप सिंह			5,000.00		—
पेट्रोल के लिए अग्रिम			**10,623.00**		—
जय भगवान			5,595.00		—
यशपाल सिंह			5,028.00		—

राशि ₹ में

		चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
		योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
वेतन अग्रिम					
किशोर पी. समर्थ			**18,288.00**		**–**
त्यौहार अग्रिम			**18,000.00**		**14,400.00**
ओएमसीए			**11,153.00**		**11,153.00**
अन्य मोटर कार अग्रिम			11,153.00		11,153.00
पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंतर्गत	घ	**57,65,000.00**		**31,98,860.00**	**–**
कर्मचारियों को अग्रिम		**25,000.00**		**11,98,860.00**	**–**
सेमिनार और सम्मलेन		**25,000.00**		**11,98,860.00**	**–**
वान्सुक सईम		25,000.00		11,98,860.00	–
गैर–सरकारी संगठनों को अग्रिम		**27,40,000.00**		**20,00,000.00**	
सेमिनार और सम्मलेन (पूर्वोत्तर क्षेत्र)		**23,40,000.00**		**16,00,000.00**	**–**
समाज कल्याण निदेशक, मेघालय सरकार		4,40,000.00		5,00,000.00	**–**
मिजोरम राज्य आयोग		2,50,000.00		2,50,000.00	**–**
पोंडिचेरी महिला आयोग		5,00,000.00		5,00,000.00	**–**
प्रधान सचिव, त्रिपुरा सरकार		2,50,000.00		2,50,000.00	**–**
रोटरी क्लब, शिलोंग		9,00,000.00		1,00,000.00	**–**
विधिक जागरूकता कार्यक्रम (पूर्वोत्तर क्षेत्र)		**4,00,000.00**		**4,00,000.00**	–
रोटरी क्लब, शिलोंग – पूर्वोत्तर क्षेत्र		4,00,000.00		4,00,000.00	
विज्ञापन के लिए अग्रिम (पूर्वोत्तर क्षेत्र)		**30,00,000.00**		**–**	
लेखा अधिकारी डी.ए.वी.पी.		30,00,000.00		–	
अन्य					
भविष्य निधि के लिए अग्रिम			–	–	–
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग		1,80,00,000.00		1,80,00,000.00	–
आईसीसीडब्ल्यू			–	–	–
	ङ	**1,80,00,000.00**	**–**	**1,80,00,000.00**	**–**
	कुल च (ख+ग+घ+ङ)	**3,12,61,364.00**	**1,28,882.00**	**2,68,32,230.00**	**1,64,221.00**
प्रतिभूति जमा	छ	**–**	**85,000.00**	**–**	**85,000.00**
	कुल क+च+छ	**3,21,34,380.00**	**11,97,898.00**	**2,68,84,618.00**	**3,51,765.00**

सदस्य (डब्ल्यूएस) कृते सदस्य सचिव

31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार आय एवं व्यय से संबद्ध अनुसूचियां

अनुसूची 7 – अनुदान

राशि ₹ में

		चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
		योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
1)	केंद्र सरकार				
	अनुदान	8,99,52,000.00	3,28,97,000.00	4,98,89,000.00	2,46,05,000.00
	घटाएं: पूँजीकृत सहायतानुदान की राशि	71,34,446.00	–	50,40,059.00	–
	कुल अनुदान	**8,28,17,554.00**	**3,28,97,000.00**	**4,48,48,941.00**	**2,46,05,000.00**

अनुसूची 8 – शुल्क/अभिदान

राशि ₹ में

		चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
		योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
1)	प्रवेश शुल्क	–	–	–	–
2)	वार्षिक शुल्क/अभिदान	–	–	–	–
3)	आर.टी.आई. शुल्क	–	8,908.00	–	3,417.00
		–	**8,908.00**	**–**	**3,417.00**

अनुसूची 9 एवं 10 – अर्जित ब्याज

राशि ₹ में

		चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
		योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
1)	जमा बैंक खाता पर				
	क) अनुसूचित बैंक में	3,21,681.00	1,60,840.00	–	4,38,339.00
	ख) निवेश पर ब्याज	–	–	–	–
2)	गृह–निर्माण अग्रिम पर ब्याज	–	–	–	–
3)	अंशदायी भविष्य निधि से अर्जित ब्याज	–	–	–	15,479.00
4)	एफडीआर से अर्जित ब्याज	–	–	–	15,541.00
		3,21,681.00	**1,60,840.00**	**–**	**4,69,359.00**

सदस्य (डब्ल्यूएस) कृते सदस्य सचिव

अनुसूची 11 – अन्य आय

राशि ₹ में

		चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
		योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
1)	आय	–	–	–	–
2)	विविध आय	–	1,77,740.00	–	16,145.00
3)	अंशदायी भविष्य निधि प्राप्ति और भुगतान खाते से अंतरण	–	–	–	3,23,472.00
		–	**1,77,740.00**	**–**	**3,39,617.00**

अनुसूची 12 – स्थापना व्यय

राशि ₹ में

		चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
		योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
1.	वेतन :–				
	अध्यक्षा एवं सदस्य	–	34,94,552.00	–	35,84,121.00
	अधिकारी	–	67,77,291.00	–	46,34,742.00
	कर्मचारी	–	62,35,549.00	–	39,32,314.00
2.	मजदूरी	60,99,434.00	–	66,49,182.00	–
3.	अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान	–	–	–	–
4.	अन्य निधियों में अंशदान :				
	एल.एस.सी	–	1,21,690.00	–	3,39,631.00
	पी.सी.	–	2,88,106.00	–	6,91,026.00
5.	व्यावसायिक शुल्क एवं सेवाओं के लिए भुगतान	23,34,811.00	–	9,12,708.00	–
		84,34,245.00	**1,69,17,188.00**	**75,61,890.00**	**1,31,81,834.00**

सदस्य (डब्ल्यूएस) कृते सदस्य सचिव

अनुसूची 13 – अन्य प्रशासनिक व्यय

राशि ₹ में

	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
विज्ञापन व्यय	1,42,24,212.00	—	60,58,629.00	—
विधिक जागरूकता कार्यक्रम	92,77,198.00	—	63,19,790.00	—
मुद्रण	7,36,311.00	—	17,52,603.00	—
सेमीनार एवं सम्मलेन	2,11,28,017.00	—	1,70,52,877.00	—
विशेष अध्ययन	1,05,89,753.00	—	79,03,014.00	—
एन.आर.सी.डब्ल्यू	—	—	7,35,982.00	—
पी.एम.एल.ए.	11,40,000.00	—	45,000.00	—
नुकड़ नाटक के लिए निधि	6,10,500.00			
दृश्य श्रवण विज्ञापन–स्थल, डॉक्यूमैंटरी फिल्म आदि	39,23,416.00			
न्यायिक और पुलिस अधिकारिओं का क्षमता निर्माण	10,30,575.00			
24X7 हेल्पलाइन और कॉल सेंटर की स्थापना	7,30,335.00			
भूमि एवं निर्माण आर.आर.टी.	6,82,101.00			
राष्ट्रीय महिला आयोग की एन.सी.डब्ल्यू के साथ नेटवर्किंग और टेलीकॉन्फ्रेंसिंग				
पैम्फलेट, लीफलेट और अन्य सामग्री का मुद्रण	8,17,383.00			
कार्यालय व्यय	—	52,16,730.00	—	42,94,254.00
मरम्मत एवं रखरखाव	—	4,82,785.00	—	7,12,847.00
टेलीफोन	—	5,47,864.00	—	5,92,060.00
यात्रा व्यय	—	21,59,034.00	—	21,31,770.00
लेखापरीक्षा शुल्क	—	62,608.00	—	1,47,228.00
बैंक प्रभार	—	15,481.00	—	8,510.00
पेट्रोल, तेल एवं लुब्रीकेंट	—	9,47,731.00	—	7,22,616.00
अंशदायी भविष्य निधि पर दिया गया ब्याज	—	—	—	45,297.00
किराया, दरें एवं कर	—	65,90,400.00	—	65,90,400.00
मुकदमेबाजी		53,350.00		1,63,800.00
विज्ञापन एन.ई.आर.	—	—	4,00,000.00	—
विधिक जागरूकता कार्यक्रम एन.ई.आर.	30,66,078.00	—	28,35,890.00	—
सेमीनार एवं सम्मलेन एन.ई.आर.	37,59,845.00	—	6,40,000.00	—
विशेष अध्ययन एन.ई.आर.	5,15,688.00	—	8,43,898.00	—
बैंक प्रभार (सी.पी.एफ.)				28.00
	7,22,31,412.00	**1,60,75,983.00**	**4,45,87,683.00**	**1,54,08,810.00**

सदस्य (डब्ल्यूएस) कृते सदस्य सचिव

31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार
प्राप्ति एवं भुगतान से संबद्ध अनुसूचियां

अनुसूची 16 – स्थापना व्यय

राशि ₹ में

		चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
		योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
1.	वेतन :–				
	अध्यक्षा एवं सदस्य		1,64,21,788.00		1,36,85,134.00
	अधिकारी				
	कर्मचारी				
2.	मजदूरी	60,99,434.00		44,42,338.00	
3.	अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान				
4.	अन्य निधियों में अंशदान :–				
	एल.एस.सी		4,09,796.00		10,30,657.00
	पी.सी.				
5.	व्यावसायिक शुल्क एवं सेवाओं के लिए भुगतान	23,59,229.00		9,12,708.00	
		84,58,663.00	**1,68,31,584.00**	**53,55,046.00**	**1,47,15,791.00**

सदस्य (डब्ल्यूएस) कृते सदस्य सचिव

अनुसूची 17 – अन्य प्रशासनिक

राशि ₹ में

	विवरण		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	*योजनागत*			
	विज्ञापन व्यय		1,80,76,754.00	61,21,897.00
	विधिक जागरूकता कार्यक्रम		86,28,698.00	59,99,790.00
	मुद्रण		7,36,311.00	14,58,618.00
	सेमिनार और सम्मलेन		1,86,98,379.00	1,39,17,862.00
	विशेष अध्ययन		1,06,38,818.00	61,89,337.00
	एनआरसीडब्ल्यू		—	7,35,982.00
	पारिवारिक महिला लोक अदालत		8,55,000.00	1,20,000.00
	दृश्य श्रवण प्रचार		39,23,416.00	—
	भूमि एवं भवन किराया दर तथा कर		6,82,101.00	—
	24X 7 हेल्प लाईन और कॉल सेंटर की स्थापना		7,30,335.00	—
	वितरण के लिए पैम्फलेट, लीफलेट और अन्य सामग्री का मुद्रण		7,87,383.00	—
	महिला संबंधी विधियों के उचित कार्यान्वयन हेतु न्यायिक व पुलिस अधिकारियों का क्षमता निर्माण		9,20,955.00	—
	नुक्कड़ नाटक और स्थानीय संगीत आदि हेतु गैर सरकारी संगठनों को निधियाँ		6,10,500.00	—
		क	**6,52,88,650.00**	**3,45,43,486.00**
2	*योजनेत्तर*			
	कार्यालय व्यय		52,53,833.00	42,91,224.00
	मरम्मत एवं रखरखाव		5,01,840.00	7,14,931.00
	दूरभाष		5,52,864.00	5,92,060.00
	यात्रा व्यय		21,36,553.00	20,66,917.00
	लेखापरीक्षा शुल्क		62,608.00	1,47,228.00
	बैंक प्रभार		15,481.00	8,510.00
	पेट्रोल, तेल और लुब्रीकेंट		9,58,354.00	7,18,616.00
	किराया दरें और कर		65,90,400.00	54,92,000.00
	मुकदमेबाजी		53,350.00	1,63,800.00
		ख	**1,61,25,283.00**	**1,41,95,286.00**
3	*पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंतर्गत*			
	विज्ञापन		30,00,000.00	4,00,000.00
	विधिक जागरूकता कार्यक्रम		20,61,078.00	21,40,890.00
	सेमिनार और सम्मलेन		29,25,065.00	17,98,860.00
	विशेष अध्ययन		6,24,298.00	3,58,168.00
	मुद्रण		—	2,93,985.00
		ग	**86,10,441.00**	**49,91,903.00**
		कुल क+ख+ग	**9,00,24,374.00**	**5,37,30,675.00**

सदस्य (डब्ल्यूएस) कृते सदस्य सचिव

विप्रेषण अनुसूची 18

राशि ₹ में

	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
	वृद्धि	विप्रेषित राशि	वृद्धि	विप्रेषित राशि
सा. भ. निधि	12,98,000.00	12,98,000.00	13,20,716.00	13,20,716.00
लाइसेंस शुल्क	59,634.00	59,634.00	50,945.00	50,945.00
आय कर	13,36,513.00	13,36,513.00	12,75,711.00	12,75,711.00
कें.स.स्वा.यो.	50,175.00	50,175.00	33,820.00	33,820.00
सीजीईजीआईएस	11,759.00	11,759.00	10,835.00	10,835.00
गृह निर्माण अग्रिम	21,575.00	21,575.00	26,580.00	26,580.00
गृह निर्माण अग्रिम पर ब्याज	63,000.00	63,000.00	92,000.00	92,000.00
एम सी ए + (ब्याज)	—	—	2,000.00	2,000.00
ओ एम सी ए	—	—	2,500.00	2,500.00
ओ एम सी ए पर ब्याज	—	—	—	—
त्यौहार अग्रिम	—	—	—	—
कम्पयूटर अग्रिम	3,100.00	3,100.00	1,500.00	1,500.00
कम्पयूटर ब्याज	—	—	3,300.00	3,300.00
सी पी एफ अंशदान	12,979.00	12,979.00	—	—
टी डी एस	4,79,361.00	4,79,361.00	—	—
अन्य वसूली	—	—	—	—
कुल	**33,36,096.00**	**33,36,096.00**	**28,19,907.00**	**28,19,907.00**

सदस्य (डब्ल्यूएस) कृते सदस्य सचिव

31.03.2012 को समाप्त वर्ष के वित्तीय लेखाओं से संबद्ध अनुसूची–14

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

1. लेखा परिपाटी

वित्तीय विवरण प्रोद्रभूत आधार पर तैयार किए जाते हैं। वित्तीय विवरण केंद्रीय क्षेत्र के स्वायत्त शासी निकायों (अलाभकारी संगठन और ऐसे ही संस्थान) के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय, वित्त मंत्रलय द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रपत्र में तैयार किए गए हैं।

2. निवेश

2.1 हाल में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा ऐसा कोई निवेश नहीं किया गया है।

3. स्थायी परिसंपत्तियां

3.1 स्थायी परिसंपत्तियों का उल्लेख अधिग्रहण लागत के अनुसार किया गया है जिनमें आवक भाड़ा, शुल्क तथा कर और अधिग्रहण से संबंधित आकस्मिक और प्रत्यक्ष व्यय सम्मिलित हैं। निर्माण कार्य से संबंधित परियोजनाओं के मामले में परियोजना प्रचालित किए जाने से पूर्व का व्यय पूंजीकृत परिसंपत्तियों के मूल्य का भाग हैं।

3.2 स्थायी परिसंपत्तियों में राष्ट्रीय महिला आयोग को भेंट की गई/उसे दानस्वरूप दी गईं पुस्तकें सम्मिलित हैं और उनका खाता–मूल्य पर पूंजीकरण किया जाता है।

4. मूल्यह्रास

4.1 मूल्यह्रास का प्रावधान आय कर अधिनियम, 1961 में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार सीधी रेखा विधि पर किया जाता है। वित्तीय विवरण प्रोद्रभूत आधार पर तैयार किए गए हैं।

5. सरकारी अनुदान/राजसहायता

सरकारी अनुदान का परिकलन प्राप्तियों के आधार पर किया जाता है।

31.03.2012 को समाप्त अवधि की वित्तीय लेखाओं से संबद्ध अनुसूची–15

लेखाओं पर टिप्पणियां

1. आकस्मिक देनदारियां

1.1 आयोग के प्रति दावे जिन्हें ऋण माना गया – शून्य ₹ (पिछले वर्ष शून्य ₹)

1.2 निम्नलिखित के सम्बन्ध में :

– आयोग द्वारा/की ओर से दी गई बैंक गारंटियां – शून्य ₹ (पिछले वर्ष शून्य ₹)

– आयोग की ओर से बैंक द्वारा खोले गये ऋण पत्र – शून्य ₹ (पिछले वर्ष शून्य ₹)

– आयोग के पास चुकाए जाने वाले बिल – शून्य ₹ (पिछले वर्ष शून्य ₹)

1.3 निम्नलिखित के संबंध में विवादित मांगें :

आय कर – शून्य ₹ (पिछले वर्ष शून्य ₹)

बिक्री कर – शून्य ₹ (पिछले वर्ष शून्य ₹)

नगरपालिका कर – शून्य ₹ (पिछले वर्ष शून्य ₹)

1.4 आदेशों का पालन न किए जाने के संबंध में पक्षों द्वारा किए गए दावे जिनका आयोग ने विरोध किया – शून्य ₹ – (पिछले वर्ष शून्य ₹)

2. पूंजीगत प्रतिबद्धताएं

राष्ट्रीय महिला आयोग के भवन का प्रारंभिक अनुमानित मूल्य 6.09 करोड़ ₹ है। निष्पादन प्राधिकारी का मामला महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ उठाया गया है।

यदि उक्त कार्य किसी अन्य अभिकरण को सौंपा जाता है तो जसोला में भवन निर्माण किए जाने के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को दिए गए 1.80 करोड़ ₹ का अग्रिम वापिस करने को कहा जाएगा।

3. चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम

वर्तमान परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों का मूल्य सामान्य कार्यकलाप के दौरान प्राप्तियों पर है, जो कम से कम तुलन–पत्र में दर्शाई गई कुल राशि के बराबर है।

4. कराधान

आय–कर अधिनियम 1961 के तहत कोई कर–योग्य आय न होने के कारण आय कर के लिए कोई प्रावधान किया जाना आवश्यक नहीं समझा गया है।

5. विदेशी मुद्रा में लेन–देन

5.1 आयातों का लागत बीमा भाड़ा (सी.आई.एफ.) आधार पर परिकलित मूल्य।

तैयार माल की खरीद	शून्य
कच्चा माल और उपकरण (मार्गस्थ समेत)	शून्य
पूंजीगत माल	शून्य
स्टोर सामग्री, कलपुर्जे और उपभोज्य वस्तुएं	शून्य

5.2 विदेशी मुद्रा में व्यय :

(क)	यात्रा	शून्य
(ख)	वित्तीय संस्थाओं/बैंकों को विदेशी मुद्रा में किया गया धन विप्रेषण और ब्याज	शून्य
(ग)	अन्य व्यय	शून्य
	बिक्री पर कमीशन	शून्य
	कानूनी और पेशेवर व्यय	शून्य
	विविध व्यय	शून्य

5.3 आय :

निर्यातों का मूल्य एफ.ओ.बी. आधार पर शून्य

6. वित्तीय विवरण डीजीएसीआर के कार्यालय द्वारा दिये गये निर्धारित प्रपत्र के आधार पर तैयार किए गये हैं जो आयोग पर लागू होता है।

7. खाता बही में कर्मचारियों की मृत्यु/सेवानिवृत्ति पर देय ग्रेच्युटी तथा जमा छिट्टयों के नकदीकरण के लाभों के दायित्व का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग एक स्वायत्तशासी निकाय है। इस संगठन में कोई स्थायी कर्मचारी नहीं है। सभी कर्मचारी या तो केंद्र सरकार या अर्द्ध–सरकारी संगठनों से प्रतिनियुक्त किए गए हैं या आयोग में नैमित्तिक/ संविदा आधार पर भी कुछ कर्मचारी कार्य कर रहे हैं जिन्हें कोई ग्रेच्युटी, पेंशन देय नहीं है।

8. भारत सरकार का महिला और बाल विकास मंत्रालय राष्ट्रीय महिला आयोग का वित्तपोषण करता है। मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष में आयोग को मिले अनुदानों का संक्षिप्त ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्र.सं.	विवरण	योजनागत (₹)	योजनेतर (₹)
1.	वर्ष के आरम्भ में अप्रयुक्त शेष अनुदान की राशि	49,388	1,02,544
	वर्ष के आरंभ में अप्रयुक्त शेष हस्तगत नकद राशि	3,000	–
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	8,09,61,000	3,28,97,000
3.	वर्ष के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए प्राप्त अनुदान	89,91,000	–
4.	वर्ष के अन्त में अप्रयुक्त शेष अनुदान की राशि (विविध प्राप्तियों सहित)	8,34,593	9,98,012

9. समान लक्ष्य और उद्देश्य रखने वाले गैर–सरकारी संगठनों आदि को दिये जाने वाले अनुदानों/वित्तीय सहायता का हिसाब रखा जाता है और अनुदान/वित्तीय सहायता जारी कर दिये जाने पर इन्हें व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है।

10. वर्ष 2011–12 के दौरान 25,16,935/– ₹ मूल्य के अनुप्रयोज्य वाहनों की बिक्री 1,75,615/– ₹ में की गई। इन वाहनों का मूल्यह्रास 15,45,713 ₹ है। स्थायी परिसंपत्ति का मूल्य 15,45,713 ₹ कम हो गया है। विक्रय से हुए घाटे को आय और व्यय लेखे में व्यय के तौर पर दिखाया गया है।

11. वर्ष 2011–12 के दौरान 2,32,600/– ₹ मूल्य के अनुप्रयोज्य फर्नीचर की बिक्री 13,591/– ₹ में की गई। इनका मूल्यह्रास 1,69,565/– ₹ था। स्थायी परिसंपत्ति का मूल्य 1,69,565/– ₹ कम हुआ है। विक्रय से हुए घाटे को आय और व्यय लेखे में व्यय के तौर पर दिखाया गया है।

12. अनुसूची 1 से 13 और अनुसूची 16 से 18 संलग्न हैं जो वर्ष 2011–12 के तुलन–पत्र तथा आय और व्यय लेखा के अभिन्न अंग हैं।

सदस्य (डब्ल्यूएस) कृते सदस्य सचिव

लेखापरीक्षा प्रमाण–पत्र

31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की लेखाओं पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2012 को राष्ट्रीय महिला आयोग के तुलन पत्र (संलग्न) तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष की आय और व्यय लेखा/प्राप्तियां और भुगतान लेखा की राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 12(2) के साथ पठित नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के तहत लेखापरीक्षा की है। यह वित्तीय विवरण तैयार करना आयोग के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में केवल वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखाकरण पद्धतियों, लेखा मानकों और प्रकटीकरण प्रतिमानों आदि से अनुरूपता के संबंध में अपनाई गई लेखा नीतियों पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां दी गई हैं। विधि, नियमों और विनियमों (औचित्य और विनियमितता) तथा दक्षता–सह निष्पादन पहलुओं आदि के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेनदेनों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां, यदि कोई हों, तो पृथक रूप से निरीक्षण रिपोर्ट/नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से दी जाती हैं।

3. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है। इन मानकों में अपेक्षा की जाती है कि हम लेखापरीक्षा इस प्रकार प्रायोजित और संचालित करें जिससे यह मालूम हो सके कि वित्तीय विवरणों में कोई स्थूल गलत बयानी तो नहीं है। लेखापरीक्षा में, वित्तीय विवरणों की राशियों और प्रकटीकरण के पक्ष में दिए गए साक्ष्यों की जांच करना सम्मिलित है। लेखापरीक्षा में प्रबन्धन द्वारा अपनाए गए लेखाकरण सिद्धांतों और किए गए महत्त्वपूर्ण प्राक्कलनों का जायजा लेना और वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी व्यक्त राय का एक उचित आधार है।

4. अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट देते हैं कि :

   अ) हमने वह सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे।

   ब) इस रिपोर्ट में जिन तुलन–पत्र, आय और व्यय लेखा/प्राप्तियां और भुगतान लेखा पर विचार किया गया है वे वित्त मंत्रलय द्वारा अनुमोदित प्रपत्र के अनुसार तैयार किये गये हैं।

   स) हमारे विचार से, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 12(2) के अनुसार खाता बहियों और अन्य संगत रिकार्डों का रखरखाव उपयुक्त रूप में किया गया है, जैसाकि इन बहियों की जांच से प्रतीत होता है।

ड) हमें यह भी रिपोर्ट करनी है :

क. तुलन–पत्र

क.1 परिसंपत्तियां

क.1.1 स्थायी परिसंपत्तियों की न्यूनोक्ति

अनुसूची संख्या 13 के अनुसार 39.23 लाख ₹ की राशि शीर्ष "दृश्य–श्रव्य प्रचार – स्पॉट डाकूमेंटरी फिल्म आदि" के अंतर्गत दर्शाई गई थी। 39.23 लाख ₹ में से 8.78 लाख ₹ आयोग द्वारा 3 डाकूमेंटरी फिल्मों के निर्माण पर खर्च किए गए थे। ये फ़िल्में आयोग की परिसंपत्तियां हैं, इसलिए इस राशि को राजस्व व्यय के तौर पर दिखाने के बजाय स्थायी परिसंपत्तियों के तौर पर दर्शाया जाना चाहिए था। इससे स्थायी परिसंपत्तियों के संबंध में न्यूनोक्ति हुई और व्यय के संबंध में 8.78 लाख ₹ की अत्योक्ति हुई।

ख. आय और व्यय

ख.1 व्यय

ख.1.1 व्यय में अत्योक्ति

अनुसूची 4 के अनुसार, 0.71 लाख ₹ की राशि 7.09 के भवन के मूल्यह्रास के लिए ली गई थी। यह राशि हुडको द्वारा तैयार की गई ड्राइंग और मॉडल के लिए है, भवन का निर्माण अभी प्रारम्भ भी नहीं हुआ है। चूंकि भवन था ही नहीं, इसलिए जो भवन था ही नहीं उसके लिए मूल्यह्रास लेना सही नहीं था। इससे मूल्यह्रास के संबंध में अत्योक्ति हुई और स्थायी परिसंपत्तियों के संबंध में 0. 71 लाख ₹ की न्यूनोक्ति हुई।

ग. सहायता अनुदान

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से प्राप्त हुए 1228.49 लाख ₹ के सहायता अनुदान (809.61 लाख ₹ योजनागत के अंतर्गत, 89.91 लाख ₹ योजनागत – पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंतर्गत, 328.97 लाख ₹ योजनेत्तर शीर्ष के अंतर्गत) में से 202.50 लाख ₹ योजनागत के अंतर्गत और 22.41 लाख ₹ योजनागत पूर्वोत्तर के अंतर्गत मार्च, 2012 में प्राप्त हुए थे। इसके अतिरिक्त, आयोग के पास 6.69 लाख ₹ (3.22 लाख ₹ योजनागत के अंतर्गत तथा 3.47 लाख ₹ योजनेत्तर के अंतर्गत) की आंतरिक प्राप्तियां भी हैं। उपलब्ध कुल निधि में से आयोग 1257.14 लाख ₹ (927.21 लाख योजनागत के अंतर्गत और 329.93 लाख ₹ योजनेत्तर के अंतर्गत) की राशि का ही उपयोग कर सका।

घ. **प्रबंधन पत्रः** जो कमियां लेखा परिक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं की गई हैं वे, उपचारी/शोधक कारवाई के लिए अलग से, प्रबंधन पत्र के माध्यम से आयोग के ध्यान में लाई गई हैं।

च) पूर्ववर्ती पैराओं में हमारी टिप्पणी के अध्याधीन हम यह जानकारी देते हैं कि इस रिपोर्ट में जिन तुलन–पत्र तथा आय और व्यय लेखा/प्राप्ति और भुगतान लेखा पर विचार किया गया है, वे खाता बहियों के अनुरूप हैं।

छ) हमारी राय में और हमारी पूरी जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखा नीतियों तथा लेखाओं पर टिप्पणों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण, उपरोक्त महत्वपूर्ण विषयों तथा इस लेखापरीक्षा के अनुबंध में उल्लिखित अन्य मामलों की एक सही और स्पष्ट तस्वीर पेश करते हैं जो भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप हैं।

(क) जहां तक इसका संबंध 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय महिला आयोग के क्रियाकलापों के संबंध में प्रस्तुत तुलन–पत्र से है; और

(ख) जहां तक इसका संबंध उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए घाटे के आय और व्यय लेखा से है।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक
के लिए तथा उनकी ओर से

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः

लेखापरीक्षा महानिदेशक
(केंद्रीय व्यय)

अनुलग्नक

1. आंतरिक लेखापरीक्षा व्यवस्था की पर्याप्तता

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आंतरिक लेखापरीक्षा प्रभाग द्वारा जुलाई, 2012 को 2010–11 तक की आंतरिक लेखापरीक्षा की गई।

2. आंतरिक नियंत्रण

आंतरिक नियंत्रण पर्याप्त पाए गए।

3. स्थायी परिसंपत्तियों के वास्तविक सत्यापन की व्यवस्था

वर्ष 2011–12 के लिए स्थायी परिसंपत्तियों के वास्तविक सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है।

4. वस्तुओं की सूची के वास्तविक सत्यापन की व्यवस्था

पुस्तकों और प्रकाशनों, लेखनसामग्री और अन्य उपभोज्य वस्तुओं के वर्ष 2011–12 के लिए वास्तविक सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है।

5. बकाया राशि के भुगतान में नियमितता

आय कर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमाशुल्क, उप–कर, अंशदायी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा जैसी सांविधिक देनदारियों के संबंध म 6 महीने से अधिक का कोई भुगतान बकाया नहीं है।

10 अनुलग्नक

अनुलग्नक–I

संगठनात्मक चार्ट

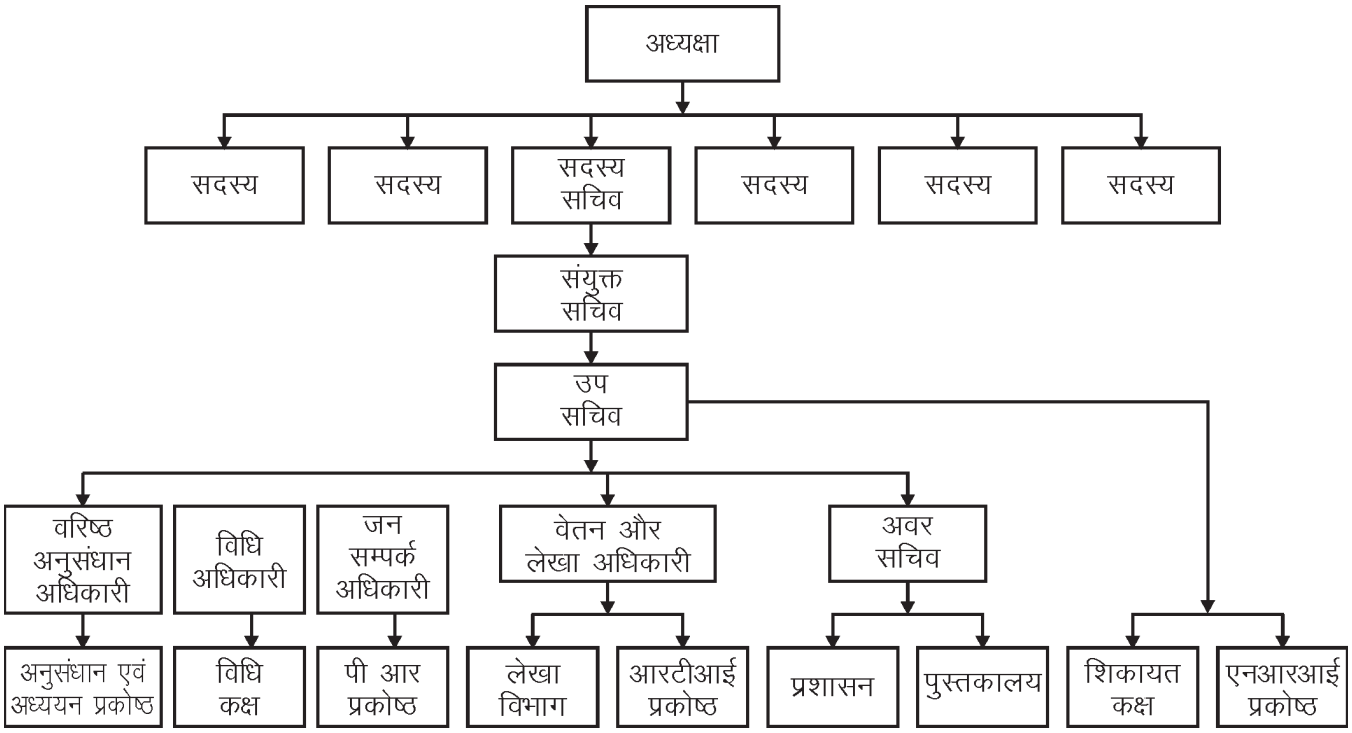

अनुलग्नक–II

राष्ट्रीय महिला आयोग (प्रक्रिया) विनियम, 2005
शिकायतों के निपटान के लिए प्रक्रिया

1. सामान्य

शिकायत को उस मामले के समस्त विवरणों का प्रकटीकरण करना चाहिए जिसके परिणामस्वरूप शिकायत की गई है। आयोग यथाआवश्यक समझे जाने पर मामले में आगे जानकारी/वचन–पत्र हासिल कर सकेगा।

2. सामान्यतः ग्रहण न की जाने वाली शिकायतें

आयोग निम्नलिखित प्रकृति की शिकायतों को सरसरी तौर पर खारिज कर देगाः

(i) अपठनीय या अस्पष्ट, अनाम या छद्मनाम वाली शिकायतें; या

(ii) उठाया गया मुद्दा पक्षों के बीच सिविल विवादों से संबंधित हो, जैसे संविदात्मक अधिकार दायित्व और इसी प्रकार के मामले;

(iii) उठाया गया मुद्दा सेवा मामलों से संबंधित हो और उसमें महिलाओं के अधिकारों का कोई वंचन अंतर्निहित न हो;

(iv) उठाया गया मुद्दा श्रम/औद्योगिक विवाद से संबंधित हो और उसमें महिलाओं के अधिकारों का कोई वंचन अंतर्निहित न हो;

(v) उठाया गया मुद्दा किसी न्यायालय/अधिकरण के समक्ष निर्णयाधीन हो;

(vi) आयोग किसी ऐसे मामलें की जांच नहीं करेगा जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सम्यक रूप से गठित किसी राज्य आयोग या किसी अन्य आयोग के समक्ष लंबित है;

(vii) आयोग द्वारा पहले ही निर्णित मामला; और

(viii) मामला किसी अन्य आधार पर आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर हो।

3. शिकायतों की प्राप्ति और पंजीकरण

क. आयोग को, इसके अध्यक्ष, सदस्य को या आयोग के अन्य अधिकारियों को संबोधित, चाहे नाम से या पदनाम से, लिखित में प्राप्त सभी संप्रेषणों/शिकायतों (चाहे वे किसी भी तरीके से प्राप्त हुई हों) को सीएंडआई (शिकायत और अन्वेषण) प्रकोष्ठ में प्राप्त किया जाएगा, जो शिकायतों की प्रविष्टि शिकायत रजिस्टर में

करेगा जिसमें निम्न प्रपत्र के अनुसार अनेक विवरण होंगे जैसे, प्राप्ति की तारीख, डायरी संख्या, भेजने वाले का नाम, पता, मामला संख्या और श्रेणी तथा राज्य :–

क्रम सं.	पंजीकरण की तारीख	फाइल सं.	परामर्श–दाता का नाम	सदस्य का नाम	वीआईपी/ एनआरआई अथवा संगठन	नाम	पता	शहर/ जिला	राज्य	शिकायत की प्रकृति	ए टी आर	अनुवर्ती कार्रवाई	टिप्पणियां

ख. शिकायत का ऐसा पंजीकरण शिकायत प्राप्त होने की तारीख से 24 घंटों के भीतर किया जाएगा।

ग. शिकायत प्राप्त होने के 3 दिन भीतर शिकायतकर्ता को एक पावती भेजी जाएगी।

घ. अध्यक्ष की अन्वेषण समिति गठित करने की शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी शिकायतों को, जिन पर संज्ञान लिया गया है, क्रम से नोट किया जाएगा और रोस्टर के अनुसार सदस्यों के मध्य आवंटित किया जाएगा तथा मामले में सदस्य की सहायता हेतु प्रत्येक मामले के लिए परामर्शदाता नियुक्त किए जाएंगे।

4. शिकायतों की संवीक्षा

(क) परामर्शदाता द्वारा शिकायत की प्राप्ति होने पर, वह बीटीआर (बिल संप्रेषण रिपोर्ट) तैयार करेगा और उसे उप–सचिव (डीएस) को प्रस्तुत करेगा,

(ख) बीटीआर अनुबंध–I के प्रपत्र के अनुसार तैयार की जाएगी। बीटीआर में शिकायत के लिए अपनाए जाने वाली कार्यवाही का विवरण प्रकट किया जाएगा। ऐसी बीटीआर शिकायत प्राप्त हाने की तारीख से 24 घंटे के भीतर डीएस के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। डीएस निर्णय लेगा कि शिकायत संज्ञेय है या नहीं तथा उस शिकायत को, जिसका उसने संज्ञान लिया है, यथाआवश्यक संपूर्ण जानकारी और रिपोर्ट प्राप्त करने के सदस्यों को अग्रेषित कर देगा। डीएस आयोग की ओर से संपूर्ण जानकारी और रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए आयोग की ओर से कार्यवाही करने वाला माना जाएगा।

(ग) उपर्युक्त उपबंधों के अध्यधीन, अविलंब ध्यान की अपेक्षा करने वाली शिकायतों और संप्रेषणों को, यथास्थिति, सदस्य अथवा अध्यक्ष के समक्ष तत्काल ही रखा जाएगा।

(घ) ऐसी सभी शिकायतों को और अन्य संप्रेषणों को, जो अंग्रेजी/हिंदी में नहीं हैं तथा जिन्हें आयोग के समक्ष रखा जाना अपेक्षित है, अति–तत्काल अंग्रेजी/हिंदी में अनूदित कराया जाएगा। परंतु यह कि यदि शिकायत ग्रहण किए जाने योग्य नहीं है अथवा यदि वह तात्कालिक प्रकृति की है, जिस पर तत्काल कार्यवाही की जानी अपेक्षित है, तो शिकायत का केवल सार ही अंग्रेजी में तैयार किया जाएगा।

(ड.) अध्यक्ष या किसी सदस्य को सीधे प्राप्त होने वाली शिकायत को सीएंडआई प्रकोष्ठ भेज दिया जाएगा, जो उपर्युक्त उपबंधित उपबंधों के अनुसार उसका प्रक्रमण करेगा।

(च) यदि अध्यक्ष या किसी सदस्य द्वारा स्वप्रेरणा से कोई कार्यवाही की गई है या की जानी प्रस्तावित है, तो, यथावर्णित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

5. शिकायतों को आयोग के समक्ष रखना

पंजीकृत की गई शिकायतों, चाहे उनका संज्ञान लिया गया हो अथवा नहीं, का एक संक्षिप्त डाटा आयोग की सूचना और उसके विचार के लिए आयोग के समक्ष रखा जाएगा।

कोई सदस्य/सदस्य सचिव, जिसे कोई शिकायत भेजी गई है और जिस पर संज्ञान लिया गया है, आयोग की ओर से कार्यवाही करने वाला माना जाएगा।

6. शिकायतों के निपटान की रीति

अध्यक्ष के ऐसे विशेष अथवा सामान्य आदेशों के अध्यधीन, सभी शिकायतों का निपटान आरंभ में आयोग के सदस्य द्वारा किया जाएगा। तथापि, अध्यक्ष मामले के महत्व को ध्यान में रखते हुए, विस्तृत जांच की अपेक्षा रखने वाले मामले/शिकायत को दो या अधिक सदस्यों या किसी इस संबंध में नियुक्त किसी समिति के समक्ष रख सकता है अथवा उक्त प्रयोजनार्थ गठित एक अन्वेषण समिति गठित कर सकता है।

7. शिकायतों की जांच

शिकायतों की जांच करते हुए आयोग –

(i) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या उसके अधीनस्थ किसी अन्य प्राधिकरण या संगठन से ऐसे समय, जो इसके द्वारा नियुक्त किया जाए, के भीतर सूचना या रिपोर्ट मंगवा सकेगा :

परंतु यदि सूचना या रिपोर्ट आयोग द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर प्राप्त नहीं होती है, तो वह स्वयं ही शिकायत का अन्वेषण करना आरंभ कर सकेगा;

(ii) यदि, सूचना या रिपोर्ट की प्राप्ति पर, आयोग का यह समाधान हो जाता है कि इसकी आगे जांच किए जाने की आवश्यकता नहीं है या यह कि अपेक्षित कार्यवाही संबंधित सरकार या प्राधिकरण द्वारा आरंभ कर दी गई है या की जा चुकी है, तो वह शिकायत पर आगे कार्यवाही नहीं करेगा और शिकायतकर्ता को तदनुसार सूचित करेगा।

(iii) खंड (क) में अंतर्विष्ट किसी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि वह शिकायत की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता समझता है, तो जांच आरंभ करेगा।

(iv) किसी व्यक्ति या प्राधिकरण से आगे अन्य विवरण या सूचना मंगवा सकेगा।

8. प्रारंभिक विचार, नोटिस जारी करना, आदि

(क) यदि शिकायत पर विचार करने पर, आयोग आरंभ में ही शिकायत को खारिज करता है, तो उक्त आदेश शिकायतकर्ता को संप्रेषित किया जाएगा और मामले को बंद हुआ समझा जाएगा।

(ख) यदि बीटीआर के साथ शिकायत पर विचार करने पर, डीएस शिकायत को स्वीकार करता है/उसका संज्ञान लेता है, तो वह शिकायतकर्ता सहित किसी प्राधिकारी को सूचना/रिपोर्ट प्रस्तुत करने या अन्य विवरण मंगवाने के लिए नोटिस जारी करने का निदेश दे सकेगा। यह अनुबंध–II के प्ररूप में जारी किया जाएगा जिसके साथ शिकायत की एक प्रति संलग्न की जाएगी। ऐसा नोटिस डीएस के हस्ताक्षर से जारी किया जाएगा।

(ग) तथापि, यदि आयोग कोई अन्य निदेश या आदेश जारी करता है, तो उस पर तदनुसार तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

(घ) यदि संबंधित प्राधिकारी से सूचना/जानकारी निश्चित समय पर प्राप्त नहीं होती है, या विलंब से प्राप्त होती है, या वह सभी प्रकार से पूर्ण नहीं है, तो मामले को आगे अनुदेशों के लिए सदस्य के समक्ष रखा जाएगा।

9. जांच संचालित करने की प्रक्रिया

(क) विनियम 7 या 8 के उपबंध के अनुसार मंगाई गई सूचना/रिपोर्ट प्राप्त होने पर अध्यक्ष या संबंधित सदस्य, यदि ऐसा आवश्यक समझे, इसमें इसके पश्चात उपबंधित रीति से शिकायत पर आगे कार्यवाही करेगा।

(ख) जहां आगे कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है, वहां शिकायत को :

(अ) शिकायतकर्ता को सूचित करते हुए बंद कर दिया जाएगा।

(आ) शिकायत को उसके विचार के लिए सरकार/अन्य प्राधिकारियों को भेजा जाएगा।

(इ) संबंधित राज्य पुलिस/राज्य सरकार को अग्रेषित कर दिया जाएगा।

परंतु यह कि जहां उपर्युक्त (आ) और (इ) पर कार्यवाही की गई है, उसकी तब तक मॉनीटरिंग की जाएगी, जब तक कि मुद्दे/मामले को निर्णित/उसका निपटान नहीं कर दिया जाता है।

(ग) जहां शिकायत का संज्ञान लिया गया है या स्वप्रेरणा से कार्यवाही की गई है –

– जांच के रूप में कार्यवाहियां आरंभ की जाएंगी।

– स्वप्रेरणा से या किसी तत्काल कार्रवाई के मामले में, अध्यक्ष अधिनियम की धारा 8 के अधीन अन्वेषण समिति गठित करने का निदेश दे सकेगा।

10. शिकायत की प्रारंभिक सुनवाई

(क) प्रारंभिक सुनवाई में, सदस्य शिकायतकर्ता से यह सुनिश्चित करेगा कि क्या वह उसके द्वारा लगाए गए आरोपों को स्वीकार करता/करती है।

(ख) ऐसे शिकायतकर्ता की जांच शपथ (अनुबंध–III) पर की जाएगी या वह एक वचन–पत्र दाखिल कर सकेगा जिसमें मामले के तथ्यों का वर्णित किया गया होगा या उसे अपने दावे के समर्थन के लिए निर्भर किए जाने वाले गवाहों/दस्तावेजों, यदि कोई हैं, की सूची प्रस्तुत करने का निदेश दिया जाएगा।

(ग) इसके पश्चात, शिकायतकर्ता की ओर से गवाहों की जांच की जाएगी तथा प्रतिपक्ष को गवाहों का प्रति–परीक्षण करने का अधिकार होगा।

(घ) प्रतिपक्ष, जिसके विरूद्ध शिकायत की गई है, से अपेक्षित होगा कि वह तब अपने बचाव का लिखित वक्तव्य प्रस्तुत करे, चाहे वह शपथ के रूप में हो या वचन–पत्र के रूप में और ऐसे दस्तावेजों/निर्भर किए जाने वाले गवाहों, यदि कोई हैं, की सूची प्रस्तुत करे।

(ड.) किसी शिकायत की जांच या अन्वेषण करने वाली समिति या कोई सदस्य दण्ड प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुरूप किसी गवाह की परीक्षा के लिए एक कमीशन जारी कर सकता है।

11. जब कोई शिकायत आयोग के समक्ष दायर की गई है, प्रतिपक्ष/प्रतिपक्षों को उस दिन, जो समन में निर्दिष्ट किया जाएगा, उपस्थित होने और दावे का उत्तर देने के लिए समन जारी (अनुबंध– IV/V के अनुसार) किए जाएंगे।

12. प्रतिपक्ष, जिन्हें समन जारी किए गए हैं, स्वयं उपस्थित हो सकते हैं या उनका प्रतिनिधित्व सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी प्लीडर द्वारा किया जा सकता है, यदि आयोग द्वारा ऐसी अनुमति दी जाती है तथा उन्हें शिकायत से संबंधित सभी तात्विक प्रश्नों का उत्तर देना होगा।

13. प्रत्येक समन के साथ शिकायत की प्रति अथवा उसके सार का विवरण संलग्न होगा। ऐसे समनों को डीएस अथवा विधि अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।

14. समन जारी करने के लिए परिस्थिति

– व्यक्तिगत रूप से सुने जाने और/अथवा शिकायत के समर्थन में साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान करना।

– अभिलेखों का प्रस्तुतीकरण कारित करना।

– गवाह के रूप में जांच करना।

– सुने जाने का अवसर प्रदान करना जबकि आयोग की यह राय हो कि उपर्युक्त कार्यवाहियों में आयोग द्वारा दिए जाने वाले निर्णय से उसकी प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

– सुने जाने का अवसर प्रदान करना क्योंकि उपर्युक्त कार्यवाहियों की विषय–वस्तु के संबंध में आपके आचरण की जांच की जा रही है। जहां आयोग बचाव पक्ष/प्रतिपक्ष की व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता के लिए कारण देखता हैं, वहां समन उसे उसमें निर्दिष्ट किए गए दिवस को व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत होने का आदेश देगा।

15. अन्वेषण

आयोग जांच से संबंधित किसी अन्वेषण के संचालन के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, केन्द्रीय या किसी राज्य सरकार की अनुमति से केन्द्रीय या किसी राज्य सरकार के किसी अधिकारी या किसी सेवानिवृत्त अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति की सेवा का उपयोग कर सकेगा और ऐसे अधिकारी या ऐसे व्यक्ति को अन्वेषण समिति के सदस्य के रूप में सहयोजित कर सकेगा।

16. जांच से संबंधित शक्तियां

(i) आयोग को अधिनियम के अधीन शिकायतों की जांच करते समय और विशेष रूप से निम्नलिखित मामलों के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन किसी वाद का विचारण कर रहे सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी, अर्थात –

(क) गवाहों की उपस्थिति को आहूत और प्रवर्तित करना तथा शपथ पर उनकी परीक्षा करना;

(ख) किसी दस्तावेज की खोज और उसका प्रस्तुतीकरण करवाना;

(ग) शपथ–पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से कोई सार्वजनिक अभिलेख या उसकी प्रति मंगवाना;

(ड.) गवाहों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना;

(च) कोई अन्य मामला, जो विहित किया जाए।

17. जांच के पश्चात कदम

आयोग इन विनियमों के अधीन संचालित किसी जांच की समाप्ति पर निम्नलिखित कदमों से कोई एक कदम उठा सकेगा, अर्थात –

(i) जहां जांच किसी लोक सेवक द्वारा किसी अधिकार का उल्लंघन या किसी अधिकार के उल्लंघन के निवारण में उल्लंघन किया जाना प्रकट करती है, तो वह संबंधित सरकार या प्राधिकरण को संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों के विरूद्ध अभियोजन के लिए कार्यवाहियां आरंभ करने या ऐसी अन्य कार्यवाही, जो आयोग उपयुक्त समझे, करने की सिफारिश कर सकेगा;

(ii) ऐसे निदेश, आदेश या रिट जारी करने के लिए उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय को संपर्क कर सकेगा, जो वह न्यायालय आवश्यक समझे;

(iii) संबंधित सरकार या प्राधिकरण को पीड़ित या उसके परिवार के सदस्यों को ऐसी तत्काल राहत, जो आयोग आवश्यक समझे, प्रदान करने की सिफारिश कर सकेगा;

(iv) उप–खण्ड (v) के उपबंधों के अध्यधीन जांच रिपोर्ट की एक प्रति याचिकाकर्ता या उसके प्रतिनिधि को उपलब्ध कराएगा;

(v) आयोग संबंधित सरकार या प्राधिकरण को अपनी सिफारिशों के साथ अपनी जांच रिपोर्ट की एक प्रति भेजेगा तथा संबंधित सरकार या प्राधिकरण, एक माह की अवधि या ऐसे समय, जैसाकि आयोग अनुमति दे, के भीतर रिपोर्ट पर आयोग को अपनी टिप्पणियां अग्रेषित करेगा जिसमें उस पर की–गई–कार्रवाई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई भी शामिल होगी;

(vi) आयोग अपनी जांच रिपोर्ट तथा उस पर संबंधित सरकार या प्राधिकरण की टिप्पणियों, यदि कोई हैं, और आयोग की सिफारिशों पर संबंधित सरकार या प्राधिकरण द्वारा की–गई–कार्रवाई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई को प्रकाशित करेगा।

प्रकीर्ण उपबंध

18. आदेशों/कार्यवाहियों को अभिलिखित किया जाना

आदेश पत्रक कार्यवाहियों का दर्पण है, अतः परामर्शदाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिकायत की प्राप्ति की तारीख से लेकर उसकी जांच/अन्वेषण और अंतिम निपटान तक कार्यवाहियों का सार आदेश–पत्रक में प्रतिबिंबित हो, अतः वह यह सुनिश्चित करेगा कि –

(क) मामले में जारी सभी आदेश, नोटिस, समन, दैनिक कार्यवाहियां आदि पठनीय लेख में आदेश पत्रक में अभिलिखित किए जा रहे हैं, परंतु यह कि ऐसे आदेश, जो बड़े हैं, अलग पत्रक पर अभिलिखित किए जाने चाहिए और उन्हें आदेश पत्रक के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।

(ख) आदेश पत्रक को, अनिवार्य रूप से, संचालित की गई कार्यवाहियों का सार परिलक्षित करना चाहिए जिस पर परामर्शदाता, संबंधित सदस्य/समिति और पक्षों, यदि कोई है, के हस्ताक्षर होने चाहिए।

(ग) कोई भी नेमी अंतर–कार्यालय पत्राचार या कोई अन्य अभिसाक्ष्य आदेश पत्रक में अभिलिखित नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा पत्राचार किसी संलग्न फाइल में अलग से किया जाना चाहिए।

19. संप्रेषण का तरीका

जब तक अन्यथा निर्देशित न हो, आयोग से सभी समन और नोटिस पंजीकृत डाक से भेजे जाएंगे।

20. स्वप्रेरणा से की गई कार्यवाही के बारे में प्रक्रिया

इस अध्याय में अंतर्विष्ट प्रक्रिया आयोग द्वारा स्वप्रेरणा से की गई किसी कार्यवाही पर यथाआवष्यक परिवर्तन सहित लागू होगी।

20. फाइलों का रखरखाव :–

मामलों की फाइलें निम्नानुसार रखी जाएंगी : –

फाइल क : रिकार्ड शीट

फाइल ख : शिकायतों/साक्षियों और दस्तावेजों का निक्षेपण

फाइल ग : आरोपी/साक्षियों और दस्तावेजों का निक्षेपण

फाइल घ : जांच रिपोर्ट

फाइल ङ : पत्राचार फाइल

अनुबंध–I

संक्षिप्त प्रेषण रिपोर्ट

मामला संख्या .....

1. डायरी संख्या :
2. शिकायतकर्ता का नाम :
3. पता :
4. आरोपी का नाम/पता
5. क्रिया/घटना घटित होने की तारीख
6. क्या सीधे आयोग को संबोधित है
   या
   आयोग को प्रति पृष्ठांकित की गई है ?
7. स्वतः संज्ञान लेकर की गई कार्रवाई – स्रोत का उल्लेख करें
8. शिकायत/रिपोर्ट का संक्षिप्त सार

   .....

   .....

   .....

   .....

9. (क) शिकायत विचार किए जाने योग्य है या नहीं — हां / नहीं

   (ख) यदि नहीं तो उसके कारण

   कृपया संबंधित कालम पर टिक करें

   (i) अपठनीय या अस्पष्ट, अनाम या छद्मनाम वाली शिकायतें; या ( )

   (ii) तुच्छ / ओछी प्रकृति की शिकायतें; ( )

(iii) उठाया गया मुद्दा पक्षों के बीच सिविल विवादों से संबंधित है, जैसे संविदात्मक अधिकार दायित्व और इसी प्रकार के मामले; ( )

(iv) उठाया गया मुद्दा सेवा मामलों से संबंधित है और उसमें महिलाओं के अधिकारों का कोई वंचन अंतर्निहित नहीं है; ( )

(v) उठाया गया मुद्दा श्रम/औद्योगिक विवाद से संबंधित है और उसमें महिलाओं के अधिकारों का कोई वंचन अंतर्निहित नहीं है; ( )

(vi) उठाया गया मुद्दा किसी न्यायालय/अधिकरण के समक्ष निर्णयाधीन है; ( )

(vii) आयोग किसी ऐसे मामलें की जांच नहीं करेगा जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सम्यक रूप से गठित किसी राज्य आयोग या किसी अन्य आयोग के समक्ष लंबित है; ( )

(viii) आयोग द्वारा, महिला के अधिकार के कथित उल्लंघन या वंचन का कार्य होने की तारीख से एक वर्ष बीत जाने के बाद किसी मामले की जांच नहीं की जाएगी। ( )

(ix) आयोग द्वारा पहले ही निर्णित मामला है; और ( )

(x) मामला किसी अन्य आधार पर आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर है; ( )
(संक्षेप में कारण, यदि कोई हों, बताएं)

(ग) यदि हां तो वांछित कार्रवाई की दिशा (जांच से पहले की औपचारिकताएं)

– और विवरण के लिए नोटिस

– किसी अधिकारी को जानकारी/रिपोर्ट भेजने के लिए नोटिस

– प्रतिपक्ष को आवश्यक स्पष्टीकरण देने के लिए नोटिस

– क्या मामला उपयुक्त अधिकारी/राज्य आयोग को भेजे जाने की आवश्यकता है

– क्या औपचारिक जांच/अन्वेषण की आवश्यकता है

– क्या शिकायत पैरा 9 के अनुसार अस्वीकार की जानी है

उप सचिव परामर्शदाता

अनुबंध–II

राष्ट्रीय महिला आयोग

4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, आई.सी.सी.डब्ल्यू भवन, नई दिल्ली–110002

मामला संख्या .....

नोटिस

सेवा में

.....

.....

.....

(जिस अधिकारी को नोटिस भेजने का निदेश हुआ है,
उसका नाम/पदनाम और पूरा पता)

जबकि (शिकायतकर्ता का नाम और पता) से प्राप्त शिकायत दिनांक.....को आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर दी गई थी;

और जबकि शिकायत पर विचार करने के बाद आयोग ने निम्नलिखित आदेश पारित किया है :

.....

.....

.....

(यहां आदेश/निदेश उद्धृत करें)

जबकि आयोग ने (यहां उस विषय – वस्तु का संक्षिप्त ब्यौरा दें जिस पर स्वतः संज्ञान लिया गया है) पर विचार करने के बाद स्वतः संज्ञान लिया है और दिनांक .....

.....

.....

..... को निम्नलिखित आदेश पारित किया है :

(यहां आदेश/निदेश उद्धृत करें)

"अतः अब ध्यान दें कि आपको दिनांक ..... को या उससे पहले आयोग के समक्ष अपेक्षित जानकारी/रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है ।

यह भी ध्यान दें कि चूक/अनुपस्थिति की स्थिति में, आयोग जो उचित समझेगा वही कार्रवाई करेगा।

..... (मास और वर्ष) के ..... दिन मेरे हस्ताक्षर और आयोग की मोहर के अंतरगत जारी।

(आदेशानुसार)
(हस्ताक्षर)
उप सचिव

संलग्नक : शिकायत की प्रति

अनुबंध–III

शपथ – प्रपत्र (साक्षी, इत्यादि)

सभी साक्षी जिनकी किसी न्यायालय या इस हेतु सक्षम व्यक्ति द्वारा या उनके समक्ष विधितः जांच की जाती है या जो गवाही देते हैं या जिनके द्वारा गवाही देना अपेक्षित होता हैः

"मैं भगवान की शपथ लेता हूं कि जो कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा।"

अतः अब आपको एतद्द्वारा (दिन और तारीख) को प्रातः 10.30 बजे या उसके बाद शीघ्र ही आयोग की सहूलियत के अनुसार आगे विचारार्थ व्यक्तिगत रुप से प्रस्तुत होने के लिए सम्मन किया जाता है।

यदि आप किसी वैध कारण के बिना इस आदेश का पालन नही करते हैं :

तो आपको कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के प्रावधानों के अनुसार अनुपस्थिति के परिणाम भुगतने होंगे।

..... (मास और वर्ष) के ..... दिन मेरे हस्ताक्षर और आयोग की मोहर के अंतर्गत जारी।

(आदेशानुसार)
(हस्ताक्षर)
उप सचिव

यदि आपको, केवल सम्मन में उल्लिखित रिकॉर्ड/दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया है न कि साक्ष्य देने के लिए तो यदि आप सम्मन में नियत दिन और समय पर उक्त रिकॉर्ड/दस्तावेज भिजवा देते हैं, तो आपके द्वारा सम्मन का अनुपालन किया माना जाएगा।

अनुबंध–V

राष्ट्रीय महिला आयोग

4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, आई.सी.सी.डब्ल्यू भवन, नई दिल्ली–110002

मामला संख्या .....

सम्मन

निम्न के मामले में :

(शिकायतकर्ता का नाम) द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत

या

आयोग द्वारा .....

(जिस विषय पर कार्रवाई की जानी है) का स्वतः संज्ञान लेकर की गई कार्रवाई :

सेवा में

.....

.....

.....

(सम्मन किए गए व्यक्ति का नाम/पदनाम और पता)

जबकि उपरिलिखित मामले में कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है, आयोग ने आपको सम्मन भेजने का निदेश दिया है:

(क) आपको, व्यक्तिगत रुप से सुने जाने और/या अपनी शिकायत के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने के लिए;

या

(ख) आपको व्यक्तिगत रुप से सुने जाने का अवसर प्रदान करने के लिए, क्योंकि आयोग की राय में, उपर्युक्त कार्यवाही के दौरान आयोग द्वारा दिए जाने वाले फैसले से आपकी प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है;

या

(ग) आपको इस मामले में व्यक्तिगत रुप से सुने जाने का अवसर प्रदान करने के लिए, क्योंकि उपर्युक्त कार्यवाही के विषय के संबंध में आपके आचरण की जांच की जा रही है।

अतः अब आपको एतद्द्वारा (दिन और तारीख) को प्रातः 10.30 बजे या उसके बाद शीघ्र ही आयोग की सहूलियत के अनुसार आगे विचारार्थ सम्मन किया जाता है।

यदि आप किसी वैध कारण के बिना इस आदेश का पालन नही करते हैं :

तो आपकी अनुपस्थिति में ही आयोग द्वारा उक्त कार्यवाही के दौरान अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा;

..... (मास और वर्ष) के ..... दिन मेरे हस्ताक्षर और आयोग की मोहर के अंतर्गत जारी।

(आदेशानुसार)
(हस्ताक्षर)
उप सचिव

अनुलग्नक–III

शिकायतों को बंद करने के लिए प्रक्रिया (आयोग द्वारा 20.04.2010 को अनुमोदित)

1. उद्देश्यः

शिकायत और अन्वेषण प्रकोष्ठ के पास बड़ी संख्या में लंबित पड़ी शिकायतें पिछले कुछ वर्षों में एक गंभीर चिंता का विषय बनी हुई हैं। इस तथ्य के संबंध में हमारे संरक्षक मंत्रालय अर्थात महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा साथ ही माननीय संसद द्वारा बार–बार गंभीर चिंता व्यक्त की गई है क्योंकि राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों/फीडबैकों/इनपुटों में बड़ी मात्रा में शिकायतों के लंबित रहने की ओर संकेत किया जाता है। ऐसी भी शिकायतें हैं, जो संबंधित प्राधिकारियों की ओर से उन पर की–गई–कार्रवाई संबंधी रिपोर्टों के प्राप्त होने के बावजूद भी कई वर्षों से लंबित पड़ी हैं। इस भाग का एकमात्र उद्देश्य एक सरल और स्पष्ट प्रक्रिया के माध्यम से की–गई–कार्रवाई संबंधी रिपोर्टों (जिसे इसमें इसके पश्चात 'एटीआर' निर्दिष्ट किया गया है) के प्राप्त होने के बाद शिकायतों को बंद करने के कार्य को सुकर बनाना है। यह प्रक्रिया **'शिकायतों को बंद करने के लिए प्रक्रिया (शिकायत और अन्वेषण प्रकोष्ठ)'** कहलाएगी और इसे राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 9 के अधीन आयोग को प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है।

2. लागू होना

यह प्रक्रिया उन सभी शिकायतों पर लागू होगी जिनमें आयोग को संबंधित प्राधिकारियों से एटीआर प्राप्त हो गई हैं (जिनमें ऐसे मामले, जिनमें आयोग ने राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 10(1) के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वप्रेरणा से संज्ञान लिया है, प्रेस मॉनीटर मामले, आदि भी शामिल हैं)।

3. शिकायतों को बंद करने की प्रक्रिया

एटीआर की प्राप्ति के पश्चात शिकायतों को बंद करने के लिए प्रक्रिया निम्नलिखित होगी –

(i) कि, ऐसी शिकायतों में, जहां आयोग ने विभिन्न प्राधिकारियों से की–गई–कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) मंगवाई है, आयोग में प्राप्त सभी एटीआर को इसमें नीचे वर्णित की गई रीति और प्रपत्र में शिकायत और अन्वेषण प्रकोष्ठ के पंजीकरण डेस्क में प्रविष्ट किया जाएगा :

क्रमांक	मामला संख्या	उस अधिकारी का नाम जिससे एटीआर प्राप्त हुई	एटीआर की तारीख

शिकायत और पंजीकरण प्रकोष्ठ का पंजीकरण डेस्क ऐसी शिकायतों का वर्षवार डाटाबेस अनुरक्षित करेगा जिनमें एटीआर प्राप्त हो गई हैं, जो अपेक्षित होने पर आयोग के संदर्भ के लिए उपलब्ध होगा। एटीआर की प्रविष्टि कर लेने के पश्चात उसे बिना किसी अन्य विलंब के संबंधित परामर्शदाता को अग्रेषित किया जाएगा।

(ii) कि, संबंधित परामर्शदाता द्वारा एटीआर की प्राप्ति के पश्चात वह इसे संबंधित फाइलों/शिकायतों के साथ संबद्ध कर देगा ताकि उसका आगे प्रक्रमण किया जा सके। परामर्शदाता की यह जिम्मेदारी होगी कि वह एटीआर की प्राप्ति से दो दिन के भीतर एटीआर को संबंधित मूल फाइलों के साथ संलग्न कर दे।

(iii) कि, एटीआर को उनकी संबंधित फाइलों के साथ संबद्ध करने के पश्चात, परामर्शदाता एटीआर संप्रेषण प्ररूप (जिसे इसमें इसके पश्चात 'एटीआरटी' निर्दिष्ट किया गया है) तैयार करेगा और उसमें उसके विवरणों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करेगा जिसमें मामले पर की–गई–कार्रवाई/उसके परिणाम के संबंध में एटीआर का सार भी शामिल होगा। एटीआर संप्रेषण प्ररूप का प्रपत्र इसमें संलग्न **अनुबंध क 1** में विनिर्दिष्ट प्रपत्र के अनुसार होगा। परामर्शदाता उसके द्वारा लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के साथ मामले में आगे की जाने वाली कार्यवाही का भी स्पष्ट रूप से वर्णन करेगा।

(iv) कि, परामर्शदाता भरे गए एटीआर प्रपत्र को संबंधित फाइलों के साथ समन्वयक, शिकायत और अन्वेषण प्रकोष्ठ को अग्रेषित करेगा, जो लिखित में अपनी टिप्पणियां अभिलेखित करने के पश्चात फाइलों को संयुक्त सचिव/उप–सचिव को अग्रेषित करेगा।

(v) कि, संयुक्त सचिव/उप–सचिव, राष्ट्रीय महिला आयोग (जिन्हें इसमें इसके पश्चात 'जेएस/डीएस' निर्दिष्ट किया गया है) एटीआरटी प्ररूप, उसके साथ प्रस्तुत उसकी रिपोर्ट और शिकायतकर्ता की शिकायत/व्यथा की परीक्षा करेगा, जहां, वह किसी मामला–विशेष में आगे की जाने वाली कार्यवाही का निर्णय लेगा और उसके कारणों का भी उल्लेख करेगा जिन्हें उसके द्वारा लिखित रूप में अभिलेखित किया जाएगा। जेएस/डीएस सदस्य के माध्यम से आगे की जाने वाली कार्यवाही का निर्णय लेने के लिए अंतिम और सक्षम प्राधिकारी होगा। सदस्य जेएस/डीएस की सिफारिशों को नामंजूर करने के लिए आगे विधिक राय प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(vi) कि, जेएस ऊपर निर्दिष्ट की गई रीति से उसके कार्यालय में अग्रेषित की गई शिकायत पर निर्णय लेते हुए शिकायतों को बंद करने के लिए निम्नलिखित दिशा–निर्देशों को ध्यान में रखेगा :–

क. ऐसी शिकायतें जहां एटीआर में दर्शाया गया है कि मामले के संबंध में पहले ही आरोप–पत्र दाखिल कर दिया गया है/उसे संबंधित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, उन्हें सामान्यतः न्यायालय के समझ निर्णयाधीन होने के रूप में बंद कर दिया जाएगा (इसके कारणों को लिखित रूप में अभिलेखित किया जाएगा)। ऐसी शिकायतों को बंद करने के विषय में शिकायतकर्ता को सूचित नहीं किया जाएगा।

ख. महिलाओं के विरूद्ध घृणित अपराधों जैसे, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, दहेज हत्या, तेजाब से हमला आदि के कथित कृत्यों से संबंधित शिकायतों में, प्राप्त हुई एटीआर की विस्तृत परीक्षा की जानी चाहिए और यदि आवश्यक हो, संबंधित प्राधिकारियों से आगामी स्थिति की रिपोर्ट मंगवाई जानी चाहिए (जब तक कि मामला अन्यथा रूप से निर्णयाधीन न हो)। ऐसे मामलों की आवश्यक रूप से तब तक मॉनीटरिंग की जानी चाहिए जब तक कि उन्हें संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जाता है। किसी भी प्रकार के किसी अन्य तथ्य पर ध्यान दिए बगैर, ऐसे मामलों में दिए गए निर्णय को एटीआर की प्राप्ति से 90 दिन के भीतर शिकायतकर्ता की राय प्राप्त करने के लिए उसे आवश्यक रूप से अग्रेषित किया जाना चाहिए। यदि निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई पत्राचार प्राप्त नहीं होता है, तो शिकायत को बंद कर दिया जाएगा।

ग. ऐसी शिकायतों में, जहां एटीआर में यह दर्शाया गया है कि शिकायतों में लगाए गए आरोप अन्वेषण करने पर सिद्ध नहीं हो पाए हैं या शिकायत मिथ्या या इसी प्रकृति की है, अस्पष्ट है आदि, तो ऐसी शिकायतों को शिकायतकर्ता को सूचित करते हुए बंद कर दिया जाएगा।

(vii) कि, ऐसी सभी शिकायतों, जिन्हें ऊपर निर्दिष्ट रीति से बंद कर दिया गया है, को उप–समन्वयक, शिकायत और अन्वेषण प्रकोष्ठ को वापस लौटा दिया जाएगा, जो इनके प्राप्त होने पर इन शिकायतों की प्रविष्टि शिकायत और अन्वेषण प्रकोष्ठ के डाटाबेस में करेगा तथा साथ ही उन एक्सेल शीटों पर भी करेगा, जिन्हें वह बंद की गई शिकायतों का अभिलेख रखने के लिए इस संबंध में आवश्यक रूप से अनुरक्षित करेगा। समन्वयक, शिकायत और अन्वेषण प्रकोष्ठ यह भी सुनिश्चित करेगा कि बंद की गई ऐसी सभी शिकायतें समुचित रूप से अभिलेख कक्ष में भेजी गई हैं तथा वह उनके समुचित अनुरक्षण का पर्यवेक्षण भी करेगा। ऊपर निर्दिष्ट रीति से बंद की गई ऐसी सभी शिकायतें, इन शिकायतों के बंद होने के 5 वर्ष बाद स्वतः ही छांट दी जाएंगी और इस संबंध में सूचना दर्ज कर ली जाएगी।

(viii) कि, ऊपर विनिर्दिष्ट रीति से किसी विशेष माह में बंद की गई ऐसी सभी शिकायतों की एक सूची अंतर्विष्ट करने वाली एक मासिक रिपोर्ट आयोग की बैठक में उसकी जानकारी के लिए रखी जाएगी। मासिक रिपोर्ट निम्नलिखित प्रपत्र पर तैयार की जाएगी :–

शिकायतों को बंद करने के लिए मासिक रिपोर्ट
(आयोग के समक्ष रखे जाने के लिए)

क्रमांक	बंद की गई शिकायतों की पंजीकरण संख्या	बंद करने का कारण	टिप्पणी, यदि कोई है
1.			
2.			
3.			
4.			
	बंद की गई शिकायतों की संख्या =		

अनुलग्नक–IV

राष्ट्रीय महिला आयोग में वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान पंजीकृत शिकायतों का श्रेणी–वार ब्यौरा

क्र.सं.	शिकायतों की श्रेणी/प्रकृति	कुल
1.	तेजाब से हमला	5
2.	व्यभिचार	1
3.	हत्या का प्रयास	5
4.	बलात्कार का प्रयास	263
5.	द्वि–विवाह	101
6.	जाति, समुदाय आधारित हिंसा	387
7.	ससुराल वालों की शिकायतें	689
8.	साइबर अपराध	2
9.	दयान प्रथा	10
10.	संपत्ति अधिकारों से वंचित करना	2
11.	महिला अधिकारों से वंचित करना	2
12.	पति द्वारा परित्याग	25
13.	तलाक	3
14.	घरेलू हिंसा	4029
15.	दहेज मृत्यु	505
16.	दहेज की मांग/दहेज के लिए उत्पीड़न	230
17.	भ्रूण/शिशु हत्या/लिंग चुनाव	4
18.	लिंग भेद	1
19.	कार्यस्थल पर उत्पीड़न	468
20.	विधवा उत्पीड़न	141
21.	अपहरण	39
22.	अपहरण/जबरन उठा लेना	118

क्र.सं.	शिकायतों की श्रेणी/प्रकृति	कुल
23.	शादी के बिना एक साथ रहना	1
24.	भरण पोषण दावा	46
25.	बच्चों की अभिरक्षा के मामले	3
26.	विविध	2343
27.	महिलाओं से छेड़छाड़	476
28.	हत्या	36
29.	भरण पोषण न देना	1
30.	पुलिस की उदासीनता	3699
31.	पुलिस द्वारा उत्पीडन	558
32.	शादी से पहले विश्वासघात	93
33.	संपत्ति	1221
34.	बलात्कार	635
35.	सेवा मामले	402
36.	कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न	91
37.	आत्म हत्या	2
	कुल	**16637**

अनुलग्नक–V

राष्ट्रीय महिला आयोग में वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान पंजीकृत शिकायतों का राज्य–वार ब्यौरा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह (संघ राज्य क्षेत्र)	5
आंध्र प्रदेश	126
अरुणाचल प्रदेश	2
असम	22
बिहार	463
चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	34
छत्तीसगढ़	71
दादर एवं नगर हवेली (संघ राज्य क्षेत्र)	1
दमन एवं दीव (संघ राज्य क्षेत्र)	2
दिल्ली	2390
गोवा	6
गुजरात	71
हरियाणा	997
हिमाचल प्रदेश	54
जम्मू एवं कश्मीर	26
झारखंड	225
कर्नाटक	63
केरल	32
मध्यप्रदेश	612
महाराष्ट्र	280
मणिपुर	2
मेघालय	7
नागालैण्ड	3

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल
उड़ीसा	61
पुडूचेरी (संघ राज्य क्षेत्र)	11
पंजाब	206
राजस्थान	1268
तमिलनाडु	115
त्रिपुरा	4
उत्तर प्रदेश (पू.)	1964
उत्तर प्रदेश (प)	7022
उत्तराखंड	342
पश्चिम बंगाल	150
कुल	**16637**

अनुलग्नक–VI

महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम

I. पृष्ठभूमि और तर्काधार

घरेलू हिंसा का मुद्दा

जाति, वर्ग, नस्ल, नृजातीयता, धर्म अथवा वैवाहिक स्थिति पर ध्यान दिए बगैर बड़ी संख्या में महिलाएं अंतरंग संबंधों में हिंसा का सामना करती हैं। यह विकृत हिंसा समाज के सामाजिक–सांस्कृतिक मानदण्डों में अत्यंत गहराई तक व्याप्त है। घरेलू हिंसा न केवल मानव अधिकारों का उल्लंघन है, अनेक अध्ययनों ने भी हिंसा के इस रूप के आर्थिक, स्वास्थ्य और सामाजिक परिणामों को प्रदर्शित किया है।[1] भारत में लगभग 40 प्रतिशत विवाहित महिलाओं ने अपने पतियों द्वारा उन पर की गई भावनात्मक अथवा शारीरिक अथवा लैंगिक हिंसा के विषय में सूचित किया है। लेकिन, ये आंकड़े भी अत्यंत रूढ़िवादी अनुमान ही हैं क्योंकि एक पितृसत्तात्मक समाज में अधिकांश महिलाएं उनके साथ होने वाली घरेलू हिंसा को 'स्वाभाविक' ही मानती हैं तथा इस संबंध में चुप्पी साधे रहती हैं। घरेलू क्षेत्र के भीतर महिलाओं द्वारा झेली गई हिंसा केवल उन महिलाओं तक ही सीमित नहीं है जो वैवाहिक संबंध स्थापित कर चुकी हैं। महिलाएं और बालिकाएं अपने पिता के घरों में हिंसा का सामना करती है और एकाकी महिलाएं[2] भी, जो सहयोगियों के साथ रहती हैं, अपने घरेलू क्षेत्र में हिंसा का सामना करती हैं।

घरेलू हिंसा से निपटने के लिए राज्य की भूमिका

भारत घरेलू हिंसा के विरूद्ध संघर्ष करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त वैधानिक एवं संस्थागत तंत्र सृजित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं क्योंकि यह महिलाओं के विरूद्ध सभी रूपों के भेदभाव के उन्मूलन संबंधी कन्वेंशन (सीईडीएडब्ल्यू) तथा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों संबंधी कन्वेंशन (ईएससीआर) का हस्ताक्षरकर्ता है। जबकि भारत में समानता, समता, गैर–भेदभाव और न्याय संविधान के मुख्य स्तंभ हैं, केवल 70 के दशक में ही घरेलू हिंसा की सार्वजनिक रूप से अपराध विधि अधिनियम (1983) में मान्यता प्रदान की गई और इसके पश्चात भारतीय दंड संहिता में धारा 498क को शामिल किया गया। शामिल किए गए अन्य उपबंध थे – दहेज हत्याओं को शामिल करने के लिए धारा 304ख (1986)

[1] राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के नवीनतम आंकड़े यह दर्शाते हैं कि पति और रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता महिलाओं के प्रति अपराधों के सभी रूपों का 44 प्रतिशत भाग है (एनसीआरबी, 2010)। एनसीआरबी के आंकड़े आईपीसी के अंतर्गत कुल अपराधों में से महिलाओं के प्रति किए गए अपराधों के अनुपातों में पिछले पांच वर्षों में निरंतर वृद्धि सूचित करते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (2005–06), जो घरेलू हिंसा के विभिन्न अपराधों को कवर करता है, के अनुसार यह बताया गया है कि भारत में, समग्र रूप से, 15–49 वर्ष की आयु की 35 प्रतिशत महिलाओं ने शारीरिक अथवा यौन हिंसा का अनुभव किया है। यह अनुपात विवाहित महिलाओं में 40 प्रतिशत है। आंकड़े यह भी दर्शाते हैं कि अधिकांश मामलों में विवाहित महिलाओं ने, जिन्होंने हिंसा का अनुभव किया, वह उनके पतियों द्वारा की गई थी।

[2] एकल महिला का आशय है विधवाएं, ऐसी महिलाएं जो पतियों से अलग हो गई हैं अथवा तलाकशुदा हैं तथा ऐसी महिलाएं जो अपनी मर्जी से अविवाहित हैं।

तथा महिला द्वारा आत्महत्या के मामलों में पति और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा आत्महत्या के लिए प्रेरित किए जाने को सिद्ध करने के लिए धारा 306 के प्रामाणिक नियमों में परिवर्तन।

हालांकि ये अत्यंत उल्लेखनीय घटनाक्रम थे, इनमें अनेकों सीमाएं भी अंतर्निहित थीं।[3] उदाहरण के लिए, जबकि धारा 498क को विवाहित महिलाओं का संरक्षण करने के लिए परिसीमित किया गया था, महिलाओं की अन्य श्रेणियों जैसे विवाह की प्रकृति वाले संबंधों में माताओं, बहनों और महिलाओं को भी कानून के क्षेत्राधिकार में शामिल किए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, इन उपबंधों ने महिलाओं द्वारा झेली जाने वाली हिंसा को नहीं रोका अथवा उन्हें उनके घरों से निकाले जाने से संरक्षित नहीं किया अथवा उनके बच्चों या स्वयं उनके लिए आर्थिक प्रावधान सुनिश्चित नहीं किए, उनके बालकों की अभिरक्षा सुनिश्चित नहीं की, अथवा क्षति/चोटों के लिए उन्हें प्रतिकर प्रदान नहीं किया। केवल एक नागरिक अधिकार ही इन आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता था तथा महिला अधिकारों के समूहों के एक दशक लंबे संघर्ष के पश्चात ही *महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण (पीडब्ल्यूडीएवी) अधिनियम* 26 अक्तूबर, 2006 को प्रवृत्त हुआ।

पीडब्ल्यूडीएवी के क्रियान्वयन में खामियां

पीडब्ल्यूडीएवी के अधिनियमन के छह वर्ष बाद भी इसके क्रियान्वयन में अभी तक खामियां विद्यमान हैं। विधान की सीमित पहुंच के लिए उत्तरदायी एक प्रमुख मुद्दा एक पर्याप्त तंत्र की अनुपस्थिति तथा वित्तीय संसाधनों का अभाव है।[4] लॉयर्स कलेक्टिव वुमेंस राइट्स इनिशिएटिव (डब्ल्यूआरआई) द्वारा उसकी आवधिक निगरानी और मूल्यांकन रिपोर्टों के माध्यम से तथा महिलाओं के प्रति हिंसा का निवारण करने के लिए कार्य कर रहे अन्य महिला समूहों द्वारा प्रकट की गई चिंताओं का नीचे वर्णन किया गया है।

विधि द्वारा जागरूकता

चाहे वे पीडब्ल्यूडीवीए के क्रियान्वयन में प्रत्यक्ष पणधारक हों (जैसे पुलिस, न्यायालय, वकील आदि) अथवा सहयोगी संरचनाएं हों (जैसे विधिक सेवा प्राधिकरण) अथवा आम जनता हो, पीडब्ल्यूडीवीए कानून और इसके उपबंधों के विषय में जागरूकता का स्तर अत्यंत निम्न है। भारत में बड़ी संख्या में महिलाएं विधान से तथा उसके अंतर्गत उनकी पात्रताओं से अभी भी परिचित नहीं हैं। अतः पीडब्ल्यूडीवीए के अंतर्गत दायर किए जाने वाले मामलों की संख्या बहुत कम बनी हुई है।

संरक्षण अधिकारियों (पीओ) की नियुक्ति

केवल सात राज्यों में ही पूर्णकालिक आधार पर पीओ नियुक्त किए गए हैं तथा मुद्दे की व्यापकता का समाधान करने के लिए उनकी संख्या अपर्याप्त है। जहां कहीं भी सरकारी तंत्र के विद्यमान अधिकारियों जैसे आईसीडीएस, सीडीपीओ, कल्याण अधिकारियों, परिवीक्षा अधिकारियों, दहेज प्रतिषेध अधिकारियों, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों आदि

[3] स्टैंडिंग अलाइव : महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम (2012) की मानीटरिंग और मूल्यांकन, 2012. लॉयर्स कलेक्टिव वुमेन्स राइट्स इनिशिएटिव्स एंड नेशनल फैमिली हैल्थ सर्वे (2005–06)

[4] बजट और शासन उत्तरदायित्व केन्द्र (2011), दि मिसिंग लिंक इन डोमेस्टिक वॉयलेंस एक्ट। इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल वीकली 13 अगस्त, 2011.

को पीओ का 'अतिरिक्त प्रभार' सौंपा गया है, वे पीओ के रूप में प्रभावशाली ढंग से कार्य करने में असमर्थ हैं क्योंकि वे पहले ही कार्य के बोझ से दबे हुए हैं और कभी–कभी वे उन्हें दिए गए कार्य के लिए पर्याप्ततः दक्ष नहीं हैं। इसके अलावा, पीओ के पास उनके कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के लिए अवसंरचना अथवा पर्याप्त धनराशि नहीं है।

सेवा प्रदाताओं (एसपी) की अधिसूचना

कुल 33 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में से, केवल 15 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने ही अधिनियम के अंतर्गत सेवा प्रदाता अधिसूचित किए हैं तथा उनकी संख्या भी अत्यंत कम है। एसपी को सूचीबद्ध करने, उनके कार्यों को परिभाषित करने तथा अन्य पणधारकों के साथ ही उनकी अभिसारिता के लिए कोई स्पष्ट दिशा–निर्देश तैयार नहीं किए गए है। एसपी को भी उनकी भूमिकाओं का निर्वहन करने के लिए कोई वित्तीय सहायता भी नहीं दी जा रही है।

कमजोर महिलाओं के लिए न्याय की पहुंच

पीडब्ल्यूडीवीए का आशय है घरेलू हिंसा का सामना कर रही महिलाओं के लिए न्याय सुनिश्चित करना। तथापि, अनेक कमजोर वर्ग, जो लिंग आधारित हिंसा का सामना कर रहे हैं, कानून तथा न्याय के अन्य मंचों तक पहुंच पाने में सक्षम नहीं हैं। इनमें शामिल हैं, समलिंगी और द्विलिंगी महिलाएं, लैंगिक संबंधों में शामिल विधवाएं, ऐसे संबंधों में शामिल महिलाएं जो जाति और धर्म की बाधाओं को पार कर देती हैं, यौन कार्यकर्ता, युवा विवाहित महिलाएं और परालिंगीय व्यक्ति। द्विविवाह के मामलों में, प्रायः पहली पत्नी के अधिकारों का ही संरक्षण किया जाता है तथा दूसरे पक्षों के अधिकार न्याय के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो जाते हैं। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए कोई विशेष उपंबध नहीं बनाए गए हैं कि निःशक्त महिलाएं कानून की सहायता ले सकती हैं तथा इस खामी का भी निवारण किए जाने की आवश्यकता है।

क्षमता निर्माण

वर्तमान में, लिंग और लैंगिकता के संदर्शों पर पीडब्ल्यूडीवीए के क्रियान्वयन में शामिल लोगों की क्षमता के निर्माण के संबंध में पर्याप्त खामियां विद्यमान हैं क्योंकि वे घरेलू हिंसा से संबंधित होते हैं। जहां पीओ नियुक्त किए गए हैं, वहां प्रशिक्षण की मात्रा और प्रकृति अपर्याप्त है। अन्य पणधारकों जैसे पुलिस, वकील और न्यायपालिका के लिए प्रशिक्षण भी समान रूप से आवश्यक है। इस संबंध में कुछ राज्यों ने पहल भी की है परंतु इसे सतत सहयोग दिए जाने की आवश्यकता है।

लिंग, हिंसा, पितृसत्ता और लैंगिकता की समझ के अभाव के कारण अन्य के अलावा, पीओ, एसपी, पुलिस, वकील और न्यायाधीश प्रायः 'पारस्परिक समझौते' जैसे परिणामों और निर्णयों को प्रोत्साहित करते हैं अथवा उत्तरजीवी महिलाओं पर 'बुरी महिलाओं' का ठप्पा लगा देते हैं। ये प्रवृत्तियां पीडब्ल्यूडीवीए के अंतर्गत कर्त्तव्य पालन करने वाली विद्यमान सामाजिक अभिवृत्तियों से उत्पन्न होती हैं। महिलाओं को हिंसा की सूचना देने, न्याय प्राप्त करने तथा उनकी अपनी आवश्यकताओं और रूचियों के आधार पर विकल्पों का प्रयोग करने में समर्थ बनाने के लिए उन अभिवृत्तियों का निवारण किया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः क्षमता निर्माण अभिवृत्तियों में इस परिवर्तन को आरंभ करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

समन्वय, निगरानी और मूल्यांकन

जबकि अधिनियम में महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के प्रति बहु–एजेंसी प्रतिक्रिया की परिकल्पना की गई है अनेक राज्यों ने समन्वय समितियों का गठन नहीं किया है। सरकार के भीतर पीडब्ल्यूडीवीए की सूचना देने और उसकी निगरानी के लिए कोई तंत्र नहीं है। इसमें पीडब्ल्यूडीवीए के क्रियान्वयन का प्रत्येक पहलू प्रभावित होता है जैसे जागरूकता सृजन, क्षमता निर्माण, नोटिस की सूचना देना, आदेशों का प्रवर्त्तन अथवा उल्लंघन आदि।

उत्तरजीवी को तत्काल सहायता प्रदान करना

पीडब्ल्यूडीवीए अधिनियम यह मान्यता देता कि हिंसा के उत्तरजीवियों को परामर्श, आश्रय, स्वास्थ्य सेवाओं और वित्तीय सहायता में की आवश्यकता होती है। इस संदर्भ में, परामर्शदाताओं का अभाव एक गंभीर समस्या बना हुआ है। इसके अलावा, घरेलू हिंसा के उत्तरजीवियों के लिए कोई अतिरिक्त आश्रय–गृह स्थापित नहीं किए गए हैं। देश में विद्यमान अत्यंत कम 260 स्वाधार गृह और अल्प–विश्राम गृह विपत्ति में घिरी उन महिलाओं की अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समर्थ नहीं हैं, जिन्हें आश्रय की आवश्यकता है। हिंसा की उत्तरजीवी महिलाओं को, विशेष रूप से वे जिनके पास आय का कोई स्थायी स्रोत नहीं है, जिनकी परिसंपत्तियां भी सीमित हैं, जो प्रायः एकाकी हैं और जिनके पास देखभाल करने के लिए अन्य आश्रित भी हैं, पीडब्ल्यूडीएवी के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले भरण–पोषण एवं आश्रय के लिए अंतरिम आदेशों के जारी होने से पूर्व उन्हें तत्काल किसी वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है। वस्तुतः उत्तरजीवियों को किसी भी प्रकार की वित्तीय राहत मिलने से पूर्व कभी–कभी अनेक माह और कभी–कभी अनेक वर्ष लग जाते हैं। कमजोर महिलाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक 'सतत निधि' का कोई प्रावधान किया जाना इन महिलाओं को न्याय प्रदान करने में एक बुनियादी आवश्यकता है।

संसाधन आवंटन

जैसाकि केन्द्र द्वारा बजट और शासन उत्तरदायित्व (2011) के लिए दर्शाया गया है, केन्द्रीय सरकार ने अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए अनन्य रूप से निधि प्रदान नहीं की है। केन्द्र की ओर से वित्तीय सहायता के अभाव में, कुछ राज्यों ने योजना स्कीमें आरंभ की हैं अथवा कुछ बुनियादी संसाधन आवंटित किए हैं (अर्थात कर्नाटक सरकार द्वारा 7 करोड़ ₹ का आवंटन)। तथापि, 19 राज्यों ने कोई भी ऐसी स्कीम आरंभ नहीं की है। अतः अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) तैयार करना आवश्यक बन जाता है।

II. <u>स्कीम के उद्देश्य</u>

स्कीम का प्राथमिक उद्देश्य महिलाओं का घरेलू हिंसा से सरंक्षण अधिनियम 2005 का इसकी समग्र भावना में प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना तथा घरेलू हिंसा से निपटने ओर पीड़ित महिलाओं को सामाजिक–विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए एक उपयुक्त और पर्याप्त संस्थागत तंत्र स्थापित करने और उसे मजबूत बनाने के लिए राज्यों को पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर महिलाओं की 'न्याय तक पहुंच' में वृद्धि करना है।

III. स्कीम के क्रियान्वयन के लिए तंत्र

इस बात को मान्यता देते हुए कि घरेलू हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं की विशेष आवश्यकताएं होती है, स्कीम में **संरक्षण अधिकारी (पीओ) की इकाई** के सृजन की परिकल्पना की गई है जोकि एक ऐसा स्थान होगा जहां पीड़ित महिलाओं की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। यह इकाई एक ऐसी स्पष्ट समझ के साथ कार्य करेगी कि महिलाओं के प्रति हिंसा, उसके और समाज, दोनों ही के प्रति एक अपराध है तथा राज्य का यह दायित्व है कि वह उसके निवारण को और अधिक नियंत्रित करे। महिला और बाल कल्याण विभाग/समाज कल्याण विभाग (जैसा भी मामला हो) पर इन इकाइयों के कार्यकरण तथा विभिन्न पणधारकों के साथ अभिसारिता सुनिश्चित करने की नोडल जिम्मेदारी होगी। पीओ इकाई का स्थान ऐसा होना चाहिए कि यह महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा के मुद्दों के प्रति सुव्यवस्थित और बहु–एजेंसी प्रतिक्रिया प्रदर्शित करने में समर्थ हो। पीओ की इकाई के लिए स्थान का निर्णय करते समय उसकी पहुंच एक प्रमुख नियंत्रण कारक होनी चाहिए। पीओ का स्थान केन्द्र में स्थित होना चाहिए जिसकी उन सेवाओं तक सुगम पहुंच हो जिनकी आवश्यकता महिलाओं को हो सकती है। राज्य सरकारें पीओ की इकाई स्थापित करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों पर विचार कर सकती हैं – मजिस्ट्रेट के कार्यालय का परिसर, सिविल अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्र, पुलिस कार्यालय/स्टेशन, कलक्टर/जिला परिषद/खंड विकास अधिकारी/महिला और बाल विकास विभाग का कार्यालय।

पीओ की इकाइयों को महिलाओं के लिए सुगम बनाने हेतु यह अनिवार्य है कि ये प्रशासन के सभी स्तरों पर स्थित हों।

राज्य स्तर
1 समन्वयक + 1 डाटा प्रविष्टि प्रचालक
प्रचालक + 1 लेखाकार + 1 लिपिक

↓

क्षेत्रीय स्तर (जिलों के प्रत्येक एक समूह में एक पीओ)
1 क्षेत्रीय समन्वयक + 1 डाटा प्रविष्टि प्रचालक प्रचालक–सह–लिपिक

↓

खंड स्तर
2 संरक्षण अधिकारी +
2 संदेशवाहक +
1 डाटा प्रविष्टि प्रचालक

प्रचालन की निम्नतम इकाई ग्रामीण क्षेत्रों में खंड तथा शहरी क्षेत्रों में वार्ड/अंचल होनी चाहिए। निम्नतम स्तर पर स्थित प्रत्येक इकाई में दो पूर्णकालिक स्वतंत्र संरक्षण अधिकारी होने चाहिए। महिलाओं की आवश्यकताओं के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए एक पीओ निम्न पृष्ठभूमि से तथा दूसरा सामाजिक कार्य की पृष्ठभूमि से रखना महत्वपूर्ण होगा। खंड स्तर पर दो संदेशवाहक तथा एक डाटा प्रविष्टि प्रचालक पीओ की सहायता करेंगे।

दूसरे स्तर का प्रशासन, जहां पर पीओ स्थित होगा, जिला होगा। राज्य सरकार एक पीओ और डाटा प्रविष्टि प्रचालक–सह–लिपिक को नियुक्त करेगी जो जिलों के समूह के लिए अधिनियम के कार्यकरण की निगरानी करेगा। क्षेत्रीय स्तर पर पीओ की संख्या जिलों के आकार, जनसंख्या, भूगोल और स्थलाकृति पर निर्भर करेगी। क्षेत्रीय स्तर पर पीओ के पास पर्यवेक्षी शक्तियों के अलावा पीओ की शक्तियां भी होंगी।

तीसरा स्तर जहां पर पीओ स्थित होगा, राज्य स्तर होगा। राज्य स्तर पर संरक्षण अधिकारी पीओ की शक्तियां रखने के अलावा अपने राज्य में खंडों और जिलों में पीओ के कार्यकलापों को भी समन्वित करेगा। राज्य समन्वयक को एक डाटा प्रविष्टि प्रचालक, एक लेखापाल और एक लिपिक द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।

क. राज्य, क्षेत्रीय और खंड स्तर के संरक्षण अधिकारियों की भूमिकाएं :

1. राज्य स्तर पर क्षेत्रीय समन्वयकों की भूमिका :

राज्य सरकार को क्षेत्रीय समन्वयकों के कार्य के पर्यवेक्षण के लिए एक पूर्णकालिक समन्वयक नियुक्त करना चाहिए। राज्य समन्यक नोडल विभाग के साथ परामर्श करके अधिनियम के प्रभावी क्रियान्यन के लिए स्कीम के अनुसार एक राज्य योजना तैयार करेंगे। राज्य समन्वयक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह जिला/क्षेत्रीय समन्वयकों के कार्य की निगरानी करे, राज्य निगरानी समितियां गठित करे तथा निगरानी संकेतक निर्धारित करे। **तथापि, राज्य स्तर पर कार्य के समन्वयन के अलावा राज्य समन्वयक संरक्षण अधिकारी के रूप में भी कार्य करेगें।**

राज्य स्तर पर संरक्षण अधिकारी की अर्हताएं

- महिलाओं के मुद्दों पर कार्य करने का न्यूनतम 7–10 वर्ष का अनुभव।
- सामाजिक कार्य/विधि/कला/लिंग अध्ययन अथवा संबंधित क्षेत्र में निष्णात डिग्री।
- पीओ एक महिला होनी चाहिए।

राज्य समन्वयक की प्रमुख भूमिकाओं में शामिल है :

- राज्य स्तर पर स्कीम का समग्र समन्वयन तथा राज्य स्तर पर अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी,
- स्कीम के प्रबंधन की समग्र जिम्मेदारी तथा वित्तीय उत्तरदायित्व,
- विभिन्न पणधारकों के बीच संपर्क स्थापित करने का दायित्व,
- राज्य स्तर पर क्षेत्रीय समन्वयकों तथा पणधारकों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यशालाएं आयोजित करना,
- राज्य स्तर पर अधिनियम/स्कीम के बारे में जागरूकता का सृजन,
- महिलाओं के प्रति हिंसा, विशेष रूप से घरेलू हिंसा के मुद्दों को क्षेत्रीय परियोजना समन्वयकों के साथ मिलकर विभिन्न मंचों और स्तरों पर उठाना,
- दैनिक कार्यों के लिए समिति, राज्य नोडल विभाग को सूचना देना,
- समूह–निष्पादन मूल्यांकन संचालित करना, संरक्षण अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विधि अधिकारियों की भर्ती करना, शिकायत निवारण करना, सामान्य प्रशासन एवं वित्त आदि,
- क्षेत्रीय रिपोर्टें समन्वित करना और,
- व्यस्थित हस्तक्षेप करना ताकि पणधारकों को घरेलू हिंसा के मुद्दों तथा पीडब्ल्यूडीएवी के विभिन्न उपबंधों से अवगत कराया जा सके।

2. क्षेत्रीय समन्वयक की भूमिका और अर्हता

यह सुनिश्चित करना क्षेत्रीय समन्वयक का कर्त्तव्य होगा कि राज्य योजना जिला और खंड स्तर पर क्रियान्वित की जा रही है तथा राज्य योजना द्वारा निर्धारित किए गए संकेतकों के अनुसार पीओ के कार्य की निगरानी करना और खंड स्तर पर पीओ के कार्य की आवधिक रिपोर्ट राज्य समन्वयक को प्रस्तुत करना। **तथापि, क्षेत्रीय स्तर पर कार्य के समन्वयन के अलावा क्षेत्रीय समन्वयन संरक्षण अधिकारी के रूप में भी कार्य करेगा।**

क्षेत्रीय समन्वयक की अर्हता

- महिलाओं के मुद्दों पर कार्य करने का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव।
- सामाजिक कार्य/विधि/कला/लिंग अध्ययन अथवा संबंधित क्षेत्र में निष्णात डिग्री।
- पीओ एक महिला होनी चाहिए।

क्षेत्रीय समन्वयन की भूमिकाओं में निम्न शामिल है :

- क्षेत्रीय स्तर पर स्कीम का समग्र समन्वयन तथा राज्य स्तर पर अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी,
- उसके क्षेत्राधिकार में आने वाले जिलों और ब्लॉकों के स्तर पर पीओ के कार्य का पर्यवेक्षण करना,
- क्षेत्रीय स्तर पर मानव संसाधन विकास, विशेष रूप से दल में कार्य करना,
- पीओ के लिए निगरानी संकेतक और निष्पादन मूल्यांकन तैयार करना,
- जिला और खंड स्तर से प्राप्त रिपोर्टों का समेकन करना,
- जागरूकता/प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आयोजना और समन्वय तथा इन्हें क्षेत्रीय स्तर पर क्रियान्वित करना,
- विभिन्न पणधारकों अर्थात पुलिस, न्यायपालिका आदि से संपर्क बनाना,
- उसके क्षेत्र के अंतर्गत जिलों में नियुक्त सेवा प्रदाताओं का पर्यवेक्षण करना,
- महिलाओं के प्रति हिंसा, विशेष रूप से घरेलू हिंसा के मुद्दे पर क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न पणधारकों को जागरूक बनाने के लिए व्यवस्थित हस्तक्षेप करना,
- अधिनियम के विषय में जागरूकता के लिए मीडिया अभियान तथा अन्य मुद्रित सामग्री तैयार करना।

3. खंड/तालुका स्तर पर संरक्षण अधिकारी की भूमिका और अर्हताएं

निम्नतम स्तर पर स्थापित प्रत्येक इकाई के लिए 3 पूर्णकालिक स्वतंत्र संरक्षण अधिकारी। महिलाओं की आवश्यकताओं के संबंध में प्रतिक्रिया करने में समर्थ होने के लिए एक पीओ विधि पृष्ठभूमि से तथा एक सामाजिक कार्य पृष्ठभूमि से रखना महत्वपूर्ण है।

संरक्षण अधिकारी की भूमिका, कृत्यों का वर्णन धारा 5, 6, 7, 9, 12, 13 तथा नियम 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 में किया गया है। जैसाकि अधिनियम और नियमों में निर्दिष्ट किया गया है, संरक्षण अधिकारी की भूमिका न केवल व्यापक है अपितु बहुआयामी है। संरक्षण अधिकारी की भूमिका में उसके लिए अपेक्षित है कि वह अनेक राज्य एजेंसियों तथा गैर–सरकारी संगठनों के साथ समन्वय करे।

खंड स्तर पर संरक्षण अधिकारी की अर्हता

- महिलाओं के मुद्दों पर कार्य करने का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव।
- पीओ अधिमानतः एक महिला होनी चाहिए। जिला अथवा खंड में दो पीओ के दल में, यह दोनों महिलाओं, एक महिला और एक पुरूष का दल होना चाहिए परंतु कभी भी यह दोनों पुरूषों का दल नहीं होना चाहिए।

सभी पीओ को राजपत्रित अधिकारियों का दर्जा दिया जाएगा।

ब्लॉक में संरक्षण अधिकारी (विधिक पृष्ठभूमि) की भूमिका और अर्हताएं

चूंकि पीओ को निर्दिष्ट किए गए विभिन्न कार्य न्यायालय से जुड़े हुए हैं तथा इनके लिए न्यायालय की प्रक्रियाओं और तंत्रों की व्यापक समझ रखने की आवश्यकता होती है, पीओ एक पूर्णकालिक समर्पित अधिवक्ता होना चाहिए जो न्यायालय की कार्यवाहियों में घरेलू हिंसा के पीड़ित की सहायता कर सके, न्यायालय के आदेशों को क्रियान्वित करा सके तथा मुकदमे से पूर्व विधिक सलाह दे सके। अपनी भूमिका के संबंध में, विधिक अधिकारी को महिला द्वारा अनुरोध किए जाने पर, उस महिला को कानूनी परामर्श प्रदान करने के अलावा न्यायालय में सभी स्तरों पर कार्यवाहियों के दौरान उसका प्रतिनिधित्व करना चाहिए।

पीओ के पास निम्न अर्हता होनी चाहिए :

- विधि में स्नातक डिग्री (एलएलबी)
- महिलाओं के मुद्दों पर कार्य करने का पर्याप्त अनुभव।

स्कीम के अंर्तगत, विधि अधिकारी की नियुक्ति अधिमानतः राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के वित्तीय संसाधनों का प्रयोग करते हुए की जानी चाहिए/की जा सकती है।

संरक्षण अधिकारी (सामाजिक कार्य पृष्ठभूमि) की भूमिका और अर्हताएं

पीडब्ल्यूडीवीए के अंतर्गत सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका पीओ को निर्दिष्ट किए गए विभिन्न कार्यों के निर्वहन में पीओ को सहायता प्रदान करना है जिनमें शामिल है – हस्तक्षेप के विभिन्न स्तरों पर साथ–साथ कार्रवाई करना तथा

पीड़ितों को अपेक्षित विभिन्न अन्य स्रोतों तक पहुंच बनाने में सहायता प्रदान करना। इन कार्यों के निर्वहन में, सामाजिक कार्यकर्ता एक प्रशिक्षित और अर्हक वृत्तिक होगा तथा उसकी निम्नलिखित अर्हताएं होंगी :

- सामाजिक कार्य/समाज–विज्ञान अथवा संबद्ध क्षेत्र में निष्णात डिग्री,
- संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव।

सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिकाओं में निम्नलिखित शामिल है:

- सामाजिक कार्यकर्ता भावनात्मक सहायता देने का प्रयास करेगा/करेगी तथा पीड़ित की मनोदशा को मजबूत बनाने का प्रयास करेगा/करेगी,
- वह हिंसा को समाप्त करने के लिए पीड़ित महिला के जीवन में शामिल विभिन्न पणधारकों के साथ बातचीत करेगा/करेगी,
- वह पीड़ित महिलाओं के लिए सहायता प्रणालियां बनाने के लिए हस्तक्षेप करेगा/करेगी,
- ऐसे मामलों में, जहां पीड़ित महिला न्याय–प्रणाली को अपनाने का निर्णय लेती है, सामाजिक कार्यकर्ता महिला को विधि अधिकारी/कानूनी सहायता के पास भेजेगा/भेजेगी,
- जहां कहीं आवश्यक हो, सामाजिक कार्यकर्ता उसे आश्रय प्रदान करने तथा यदि अपेक्षित हो, चिकित्सा सहायता प्राप्त करने में मदद करेगा/करेगी,
- सामाजिक कार्यकर्ता या तो उसके लिए किस रोजगार की तलाश करके या फिर उसके अधिकार की वस्तुएं उसके लिए पुनःप्राप्त करके उस महिला के उसकी आर्थिक परिसंपत्तियों के साथ संबंधों को पुनःस्थापित करने के लिए प्रयास करेगा/करेगी,
- वह महिलाओं को संसाधन उपलब्ध कराने के लिए अन्य संगठनों तथा सेवाओं के साथ नेटवर्क भी स्थापित करेगा/करेगी,
- महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सेवा प्रदाता के रूप में सामाजिक कार्यकर्ता डीआईआर भरेगा/भरेगी,
- सामाजिक कार्यकर्ता पीड़ित के घर पर अथवा किसी अन्य स्थान पर, जैसा कि मामले में अपेक्षित हो, दौरे आयोजित करेगा/करेगी ताकि उन्हें मामले की बेहतर समझ हासिल हो सके।

ख. <u>सेवा प्रदाताओं (एसपी) की भूमिकाएं और पात्रता शर्तें</u>

पीडब्ल्यूडीवीए, 2005 महिलाओं के लिए अनेक मंचों और मार्गों का उपबंध करता है जिनकी सहायता से वे अपने अधिकारों तक पहुंच सकती हैं तथा सेवा प्रदाता उनमें से एक ऐसा ही मंच है।

सेवा प्रदाता पीडब्ल्यूडीवीए के अंतर्गत स्थापित बहु–एजेंसी प्रतिक्रिया तंत्र का एक महत्वपूर्ण अवयव है। एसपी पीड़ित व्यक्ति और पीओ, न्यायालयों तथा अन्य ऐसी सेवाओं के बीच एक कड़ी का कार्य करता है जिसकी आवश्यकता पीड़ित व्यक्ति को हो सकती है। सेवा प्रदाता पीड़ित व्यक्ति को विनिर्दिष्ट सेवाएं सुलभ कराता है जैसे कानूनी सहायता, परामर्श, जीविकोपार्जन सहयोग, आश्रय, चिकित्सा सुविधाएं आदि।

एसपी के विनिर्दिष्ट भूमिकाएं धारा 5, 6, 7, 10, 12, 14 और नियम 5, 8, 9, 11, 16, 17 में वर्णित की गई हैं।

पात्रता और चयन मानदण्ड निम्नानुसार होने चाहिए:

- वे अधिनियम के अंतर्गत आवेदन करने से पूर्व उनके द्वारा पेश की जाने वाली सेवाएं कम–से–कम दो वर्षों से प्रदान कर रहे होने चाहिए।
- यदि सेवा प्रदाता कोई चिकित्सा सुविधा या कोई मनोवैज्ञानिक परामर्श केन्द्र या कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्था चला रहा है, तो पंजीकरण प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि आवेदक ऐसी सुविधा या संस्था चलाने के लिए विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं की पूर्ति करता है जैसीकि संबंधित व्यवसायों या संस्थाओं को विनियमित करने वाले विनियामक निकायों द्वारा विनिर्दिष्ट की गई हैं।
- यदि सेवा प्रदाता कोई आश्रय–गृह या कोई अन्य सुविधा चला रहा है, तो पंजीकरण प्राधिकारी आश्रय–गृहों का निरीक्षण करेगा, एक रिपोर्ट तैयार करेगा और रिपोर्ट का एक निष्कर्ष रिकार्ड करेगा जिसमें आश्रय लेने वाले व्यक्तियों के लिए उपलब्ध पर्याप्त स्थान और अन्य सुविधाओं का उल्लेख किया गया होगा।
- उसे अनुसूची 1 के प्ररूप सं0 पांच में यथानिर्दिष्ट सभी अपेक्षाओं की पूर्ति करनी होगी।

एसपी की संख्या और पारिश्रमिक

नियुक्त किए जा सकने वाले एसपी की संख्या की कोई सीमा नहीं है। इसका निर्णय पीड़ित व्यक्ति द्वारा अपेक्षित सेवाओं तथा उनकी सरल और समय पर प्राप्ति की परिकल्पित आवश्यकता के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः सेवा प्रदाताओं की संख्या क्षेत्र के आकार, भूगोल और जनसंख्या पर निर्भर करती है।

यह देखा गया है कि अनेक राज्यों में विभिन्न सहायतानुदान सुविधाओं को अधिनियम के अंतर्गत एसपी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। पीडब्ल्यूडीवीए के अंतर्गत नियुक्त सभी एसपी को उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए भुगतान किया जाना चाहिए चाहे उन्हें अन्य सहायतानुदान पहले से ही क्यों न प्राप्त हो रहे हों। एसपी के लिए वित्तीय सहायता विभिन्न सेवाओं के लिए प्रति व्यक्ति की लागत के अनुसार आकलित की जा सकती है। राज्य सरकारों को परामर्श दिया जाता है कि वे यह देखें कि एसपी की नियुक्ति खंड स्तरों पर परामर्श, कानूनी सहायता और चिकित्सा सहायता तथा प्रत्येक जिला स्तर पर आश्रय–गृहों के लिए की जा रही है। इसके अलावा, मानव संसाधनों के लिए भी एक राशि का भुगतान किया जाना चाहिए।

ग. समन्वय समिति

महिलाओं को समन्वित सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न पणधारकों के बीच समन्वय अनिवार्य है तथा सुधारात्मक उपाय करने के लिए नियमित निगरानी और मूल्यांकन किया जाना महत्वपूर्ण है। समन्वय समितियां दो स्तरों पर गठित की जाएंगी – जिला और राज्य तथा वे स्कीम के क्रियान्वयन की नियमित रूप से निगरानी करेंगी। इन समितियों का कार्य निम्नानुसार होगाः

- पीओ की इकाइयों द्वारा निपटाए जा रहे मामलों तथा उनके परिणामों की निगरानी करना।
- पीडब्ल्यूडीवीए के क्रियान्वयन में अंतर्विभागीय और पणधारक अभिसारिता एवं सुनिश्चित करना।
- यह सुनिश्चित करना कि पीओ इकाइयों के अंतर्गत समस्त पदाधिकारियों और साथ ही अन्य पणधारकों के लिए गुणवत्तापूर्ण क्षमता–निर्माण इनपुट उत्पन्न हो रहा है ।
- एमआईएस द्वारा तैयार की जा रही रिपोर्टों की निगरानी करना तथा उन मुद्दों का उल्लेख करना जो इससे उभरकर सामने आते हैं।
- प्रत्येक बैठक की समाप्ति के पश्चात क्षेत्रीय और/अथवा राज्य समन्वयकों को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
- शिकायत निवारण के लिए एक मंच के रूप में कार्य करना तथा अधिनियम की प्रशासनिक संरचना के भीतर संबंधित पक्षों के विरूद्ध तथा विलंब, गैर–अनुपालन अथवा पीडब्ल्यूडीवीए क्रियान्वयन में संवेदनशीलता के अभाव, गैर–निष्पादन, धोखे और सांठ–गांठ के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करना।
- ऐसी अन्य कार्रवाइयों और संसाधनों की वकालत करना जो पीडब्ल्यूडीवीए, 2005 के क्रियान्वयन में वृद्धि के लिए अपेक्षित हैं।

समन्वय समिति की संरचना : समन्वय समिति तालुका, जिला और राज्य स्तर पर गठित होगी

तालुका/खण्ड स्तर पर गठित समन्वय समिति निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगी :

अध्यक्ष – मजिस्ट्रेट/अपर मजिस्ट्रेट

सदस्य सचिव – कार्यक्रम अधिकारी – महिला और बाल विकास विभाग

अन्य सदस्य –

गृह विभाग से एक प्रतिनिधि, उप पुलिस अधीक्षक,

तालुका से संरक्षण अधिकारी,

एक क्षेत्रीय संरक्षण अधिकारी और समन्वयक,

स्वास्थ्य विभाग से एक प्रतिनिधि (चिकित्सा अधिकारी),

विधिक सेवा प्राधिकरण से एक प्रतिनिधि,

उन महिला अधिकार समूहों/महिलाओं के परिसंघों/सेवा प्रदाताओं के दो प्रतिनिधि जिन्हें हिंसा के मुद्दों पर कार्य करने का अनुभव है।

जिला स्तर पर समन्वय समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी :

अध्यक्ष – जिला मजिस्ट्रेट/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

सदस्य सचिव – कार्यक्रम अधिकारी – महिला और बाल विकास विभाग

अन्य सदस्य –

गृह विभाग का एक प्रतिनिधि (अर्थात जिला स्तर पर पुलिस अधीक्षक),

उक्त जिले के तालुका से बारी–बारी से दो संरक्षण अधिकारी,

एक क्षेत्रीय संरक्षण अधिकारी और समन्वयक,

स्वास्थ्य विभाग से एक प्रतिनिधि (अर्थात मुख्य चिकित्सा अधिकारी),

विधिक सेवा प्राधिकरण से एक प्रतिनिधि,

उन महिला अधिकार समूहों/महिलाओं के परिसंघों/सेवा प्रदाताओं के दो प्रतिनिधि जिन्हें हिंसा के मुद्दों पर कार्य करने का अनुभव है।

राज्य स्तर पर समन्वय समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी :

अध्यक्ष – सचिव, विधि और न्यायिक विभाग

सदस्य सचिव – सचिव, महिला और बाल विकास विभाग और सचिव, गृह विभाग

अन्य सदस्य –

मुख्य संरक्षण अधिकारी और राज्य समन्वयक,

बारी–बारी से दो क्षेत्रीय समन्वयक

स्वास्थ्य विभाग से एक प्रतिनिधि,

विधिक सेवा प्राधिकरण से एक प्रतिनिधि,

उन महिला अधिकार समूहों/महिलाओं के परिसंघों/सेवा प्रदाताओं के दो प्रतिनिधि जिन्हें हिंसा के मुद्दों पर कार्य करने का अनुभव है।

समिति के न्यूनतम पचास प्रतिशत सदस्य महिलाएं होनी चाहिए। समन्वय समितियों की सदस्यता की प्रत्येक दो वर्ष में समीक्षा की जानी चाहिए तथा नोडल विभाग द्वारा आवश्यक समझे जाने पर इसमें संशोधन किया जाना चाहिए।

जिला स्तर पर समन्वय समिति की तिमाही बैठकें आयोजित की जानी चाहिए तथा राज्य स्तर की समिति की एक वर्ष में एक बैठक अवश्य होनी चाहिए। क्षेत्रीय और राज्य समन्वयकों के पास इन बैठकों के आयोजन तथा इनकी कार्यवाहियों को सुकर बनाने की जिम्मेदारी है तथा वे सुनिश्चित करेंगे कि उनमें कुल सदस्यों में से कम–से–कम दो तिहाई सदस्य अवश्य भाग लें। समन्वय समितियां पीडब्ल्यूडीवीए के प्रभावी क्रियान्वयन का मूल्यांकन करने के लिए प्ररूपों और संकेतकों की निगरानी की प्रक्रिया तैयार करने के प्रयोजनार्थ क्षेत्रीय और राज्य समितियों की सहायता करेंगी।

खण्ड स्तर पर पीओ की इकाइयां तथा समन्वय समितियां उभरते मुद्दों तथा उन पर की गई कार्रवाई की एक संक्षिप्त रिपोर्ट जिला समितियों और क्षेत्रीय समन्वयकों को प्रेषित करेंगी। जिला समितियां अपनी रिपोर्ट क्षेत्रीय और राज्य समन्वयकों को सौंपेगी। पश्चातवर्ती बैठकों में, समन्वय समितियां की गई कार्रवाई की रिपार्टों के बारे में सूचित करेंगी।

इसके अलावा, महिला और बाल विकास मंत्रालय समन्वय समितियों और क्षेत्रीय एवं राज्य समन्वयकों की रिपोर्टों के आधार पर स्कीम के कार्यकरण का वार्षिक रूप से मूल्यांकन करेंगे। निगरानी और मूल्यांकन के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) की विषय–वस्तु और डिजाइन को शैक्षणिक संस्थाओं/गैर–सरकारी संगठनों के परामर्श से विकसित किया जाना चाहिए।

पीडब्ल्यूडीवीए परिषद

राष्ट्रीय स्तर पर, एक पीडब्ल्यूडीवीए परिषद स्थापित की जाएगी जो पीडब्ल्यूडीवीए के अंतर्गत स्कीम के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए अनन्य प्राधिकारी होगी। यह एक परामर्श निकाय होगी जिसका कार्य पीडब्ल्यूडीवीए के प्रभावी क्रियान्वयन पर राज्य रिपोर्टों की वार्षिक समीक्षा करना तथा यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करना होगा कि क्रियान्वयन में खामियों को दूर किया जा सके। परिषद एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी जिसमें श्रेष्ठ प्रक्रियाओं तथा आगामी वर्ष के लिए सिफारिशों के साथ निर्धारित किए गए संकेतकों के अनुसार प्रत्येक राज्य में क्रियान्वयन में खामियों को प्रलेखित किया जाएगा। राष्ट्रीय परिषद की सिफारिशें राज्य निगरानी समितियों के लिए आबद्धकर होंगी।

इस परिषद की अध्यक्षता महिला और बाल विकास मंत्री, भारत सरकार द्वारा की जाएगी। सचिव, महिला और बाल विकास विभाग इसके सदस्य–सचिव होंगे तथा इसके अन्य सदस्यों में राज्यों के चयनित महिला और बाल विकास सचिव, लिंग–आधारित हिंसा पर कार्य करने वाली सिविल सोसाइटियों के विशेषज्ञ तथा चयनित महिला संसद सदस्य शामिल होंगे। परिषद का आकार 11 सदस्यों से अधिक नहीं होगा और इसकी अवधि दो वर्ष होगी।

घ. <u>ग्राम न्यायालयों के सहभागिता:</u>

ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के उपबंध उन क्षेत्रों के लिए प्रवृत्त हुए हैं जिन तक इस अधिनियम को 2 अक्तूबर, 2009 से विस्तारित किया गया है। ग्राम न्यायालय अधिनियम को नागरिकों को उनके द्वार पर न्याय की पहुंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निचले स्तर पर ग्राम न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है।

ग्राम न्यायलय प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय है तथा इसके पीठासीन अधिकारी (न्यायाधिकारी) की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के साथ परामर्श से की जानी है।

ग्राम न्यायालय की स्थापना माध्यमिक स्तर पर प्रत्येक पंचायत के लिए अथवा किसी जिले में माध्यमिक स्तर पर संसक्त पंचायतों के समूह अथवा किसी राज्य में, जहां कोई पंचायत न हो, माध्यमिक स्तर पर संसक्त पंचायतों के समूह के लिए की जानी है।

ग्राम न्यायालय के पास आपराधिक मामलों, सिविल वादों, दावों और ऐसे विवादों का विचारण करने का अधिकार होगा जो अधिनियम की पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट किए गए हैं तथा महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, 2005 की पहली अनुसूची में शामिल हैं। ग्राम न्यायालय अधिनियम महिलाओं को साठ दिन के भीतर त्वरित न्याय उपलब्ध कराने में समर्थ है जैसाकि की पीडब्ल्यूडीवीए अधिनियम में परिकल्पित है।

ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 की धारा 4 के अनुसार, प्रत्येक ग्राम पंचायत का मुख्यालय माध्यमिक पंचायत के मुख्यालय में स्थित किया जा रहा है जिसमें ग्राम न्यायालयों की स्थापना की जा रही है।

ड. जागरूकता सृजन

प्रायः किसी स्कीम या कार्यक्रम का उसके विषय में जानकारी के अभाव में पूर्णतः उपयोग नहीं किया जाता है। स्कीम के बारे में और स्कीम के अंतर्गत महिलाओं की पात्रताओं के विषय में जन–जागरूकता सृजित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। पीओ की सूची, पीओ की इकाइयों के पते और एसपी के विवरण भी तत्काल सुलभ होने चाहिए और उनका व्यापक प्रसार किया जाना चाहिए ताकि महिलाओं के पास इनकी सरल पहुंच सुलभ हो। क्षेत्रीय और राज्य समन्वयकों के पास अन्य विभागों के सहयोग से स्कीम के संबंध में प्रचार सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व है। उन्हें स्कीम की व्याप्ति को और अधिक विस्तारित करने के लिए स्थानीय मीडिया का अन्वेषण करने की स्वतंत्रता है। इसके अलावा, एक राष्ट्रीय वेब–पोर्टल भी सृजित किया जाएगा जिसके पास समस्त आवश्यक जानकारी उपलब्ध होगी।

इस तथ्य पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए कि इन मीडिया माध्यमों द्वारा दिए जा रहे संदेश विद्यमान सामाजिक और नैतिक अभिवृत्तियों से मुक्त होने चाहिए, भाषा/चित्र/प्रतीक–चिह्न एक हिंसामुक्त समाज के प्रति महिलाओं के अधिकार के ढांचे के अनुरूप होने चाहिए तथा संदेशों द्वारा एक ऐसा परिवेश सृजित किया जाना चाहिए जो समर्थकारी हो और हिंसा की उत्तरजीवी महिलाओं को न्याय प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता हो।

च. प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

वास्तविक स्तर से प्राप्त साक्ष्य और अनुभव यह बताते हैं कि पीडब्ल्यूडीवीए में शामिल राज्यों और गैर–राज्यों, दोनों ही के प्रमुख कार्यकर्ता कानून में अंतर्निहित उद्देश्यों की प्राप्ति में मुख्य बाधा हैं। इससे संबंधित चुनौतियों के केन्द्र में लिंग और लैंगिकता से संबंधित अभिवृत्तियां और संदर्श विद्यमान हैं। इन संबंधों को पीडब्ल्यूडीवीए के क्रियान्वयन में पर्याप्त रूप से मान्यता नहीं दी गई है अथवा इनका निवारण नहीं किया गया है। न्याय की प्राप्ति के लिए महिलाओं की विद्यमान अभिवृत्तियों की गंभीर विविक्षाओं के बावजूद, पीडब्ल्यूडीवीए के क्रियान्वयनकर्ताओं के लिए क्षमता निर्माण इनपुटों की मात्रा और प्रकृति अभी भी निरंतर अत्यंत सीमित बनी हुई है। आशा है कि यह स्कीम इस अंतर को समाप्त करेगी।

यह परिकल्पना की गई है कि इन प्रशिक्षणों से हिंसा के सभी उत्तरजीवियों के लिए अधिक पहुंच और अधिक समर्थनकारी परिवेश सृजित होगा। इन प्रशिक्षणों को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रदान किया जाना चाहिए कि घरेलू हिंसा के मामलों में पीओ, पुलिस, वकीलों और न्यायाधीशों की प्रतिक्रियाएं नैतिक निर्णयों और 'मेल–मिलाप करने' के

विकल्पों द्वारा प्रभावित होने के स्थान पर महिला के अधिकार के ढांचे द्वारा और साथ ही लिंग और लैंगिकता के मुद्दों की जटिल प्रवृत्ति द्वारा संसूचित हो।

पीओ के लिए तथा पीओ की इकाई के सदस्यों के लिए प्रत्येक वर्ष 10 दिन की अवधि का अधिष्ठापन प्रशिक्षण आयोजित किया जाना चाहिए और साथ ही निरंतर पुनश्चर्या प्रशिक्षण भी संचालित किया जाना चाहिए। पीडब्ल्यूडीवीए के क्रियान्वयन में शामिल अन्य पणधारकों अर्थात् एसपी, पुलिस, वकील और न्यायाधीश के लिए प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 3 दिन का इनपुट कार्यक्रम भी आयोजित होना चाहिए। यह सुनिश्चित करना क्षेत्रीय और राज्य समन्वयकों का कार्य है कि गुणवत्तापूर्ण क्षमता–निर्माण इनपुट प्रदान किए जाते रहें तथा इस संबंध में अंतर्विभागीय अभिसारिता शामिल हो।

प्रशिक्षणों के लिए मॉड्यूल्स और पाठ्यक्रम विकसित किए जाएंगे। इन प्रशिक्षणों में शामिल किए जाने वाले बुनियादी न्यूनतम विषयों में लिंग के संबंध में कौशल और संदर्श निर्माण, लैंगिकता, पितृसत्ता, हिंसा और कानून को शामिल किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण मॉड्यूल्स को तैयार करने और उन्हें निरंतर अद्यतन बनाने के लिए ऐसी संस्थाओं और व्यक्तियों के साथ आवश्यक संपर्क स्थापित किए जाने चाहिए जिनके पास लिंग और लैंगिकता प्रशिक्षण में विशेष दक्षता हो जैसे शैक्षणिक संस्थाओं, गैर–सरकारी संगठन, न्यायिक अकादमियां और अन्य प्रासंगिक विशेषज्ञ।

च. <u>उत्तरजीवियों को तत्काल राहत के लिए एकीकृत निधियां</u>

जैसाकि पहले उल्लेख किया गया है, पीडब्ल्यूडीवीए की महत्वपूर्ण सीमाओं में आश्रय और चिकित्सा सुविधाओं में विलंब शामिल है। पीओ की प्रत्येक इकाई के पास 'एकीकृत निधि' (अथवा महिला का सहायता देने के लिए विपत्ति/आपातकालीन निधि) नामक समर्पित निधि होनी चाहिए जिसका प्रयोग भोजन, आवास, चिकित्सा सुविधा, यात्रा और अन्य तात्कालिक आवश्यकताओं के लिए उत्तरजीवियों की सहायता हेतु आकस्मिक निधि के रूप में किया जाना चाहिए। इस वित्तीय सहायता के लिए प्राथमिकता ऐसी महिलाओं को दी जानी चाहिए, जो एकल, निर्धन हैं तथा जिनके पास आय का कोई स्थायी स्रोत नहीं है, कोई सहायता प्रणाली नहीं है तथा जिनके पास देखरेख करने के लिए आश्रित भी है। पीओ की इकाई के पास उक्त संदर्भित व्यापक मानदण्डों के आधार पर इस निधि को वितरित करने का विवेक होना चाहिए।

छ. <u>स्कीम का वित्त–पोषण</u>

केन्द्रीय सरकार पीडब्ल्यूडीवीए के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी ***(अनुबंध– I देखें)***। यह केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित स्कीम होगी और इसे केन्द्रीय सरकार की ओर से एकमुश्त सहायता के साथ राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा। बारहवीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय और राज्य सरकार का हिस्सा 75:25 प्रतिशत होगा, सिवाय पूर्वोत्तर और जम्मू–कश्मीर के, जहां यह अनुपात 90:10 होगा। इसके अलावा, अन्य सभी गैर–आवर्ती व्ययों का पूर्णतः वित्त–पोषण केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा। केन्द्रीय सरकार से निधियां दो समान किश्तों में प्रदान की जाएगी।

बजट : अनुबंध I

अनुमानः

- खण्ड स्तर पर 2 संदेशवाहकों और एक डाटा प्रविष्टि प्रचालक की सहायता के साथ दो संरक्षण अधिकारी।
- जिलों के समूह के स्तर पर एक डाटा प्रविष्टि प्रचालक–सह–लिपिक की सहायता के साथ 1 संरक्षण अधिकारी (क्षेत्रीय पीओ)। बजट के आकलन के लिए औसतन प्रति पांच जिलों पर एक पीओ लिया गया है।
- राज्य स्तर पर एक प्रलेखन अधिकारी और एक लेखाकार की सहायता के साथ एक राज्य समन्वयक होगा।
- चूंकि पीओ की स्थिति के बारे में निर्णय लेना राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है, पीओ के लिए अवसंरचना तथा सहायता कार्मिकों हेतु बजट की संगणना की गई है।
- यह अनुमान लगाया गया है कि जिले में कम–से–कम एक सेवा प्रदाता अवश्य होगा।

पीडब्ल्यूडीवीए के क्रियान्वयन के लिए अनुमानित संसाधन

I. खंड स्तर पर पीओ की इकाई

बजट शीर्ष	विवरण	योग
क. गैर–आवर्ती व्यय		
1. फर्नीचर (टेबलें, कुर्सियां, अल्मारियां आदि)	75,000 ₹* 5924 ब्लॉक	444300000
2. कार्यालय उपस्कर (2 कम्प्यूटर और 1 प्रिंटर–सह–स्कैनर–सह–फोटोकॉपियर	35,000 ₹* 2 कम्प्यूटर + 1 प्रंटर–सह–स्कैनर–सह–फोटोकॉपियर के लिए 70,000 ₹* 5924 ब्लॉक	829360000
ख. आवर्ती व्यय		
1. वेतन		
1.1 संरक्षण अधिकारी 1	15,000 ₹ प्रति माह* 12 माह* 5924 ब्लॉक	1066320000
1.2 संरक्षण अधिकारी 2	15,000 ₹ प्रति माह* 12 माह* 5924 ब्लॉक	1066320000
1.3 संदेशवाहक	7,000 ₹ प्रति माह* 12 माह* 2 संदेशवाहक* 5924 ब्लॉक	995232000
1.4 डाटा प्रविष्टि प्रचालक	8,000 ₹ प्रति माह * 12 माह * 5924 ब्लॉक	568704000

बजट शीर्ष	विवरण	योग
2. कार्यालय व्यय		
2.1 किराया	8,000 ₹* 12 माह* 5924 ब्लॉक	568704000
2.2 टेलीफोन (लैंडलाइन और मोबाइल व्यय)	4,000 ₹* 12 माह* 5924 ब्लॉक	284352000
2.3 बिजली, पानी	1,500 ₹* 12 माह* 5924 ब्लॉक	106632000
2.4 लेखन–सामग्री (रिकार्ड बही, फोटोकॉपी आदि)	5,000 ₹* 12 माह* 5924 ब्लॉक	355440000
2.5 मुद्रण	5,000 ₹* 12 माह* 5924 ब्लॉक	355440000
2.6 ढुलाई भत्ता	20,000 ₹* 12 माह* 5924 ब्लॉक	1421760000
2.7 आकस्मिक	5,000 ₹* 12 माह* 5924 ब्लॉक	355440000
भाग (I) का योग		**8418004000**

II. जिला स्तर पर पीओ की इकाई

बजट शीर्ष	विवरण	योग
क. गैर–आवर्ती व्यय		
1. फर्नीचर (टेबलें, कुर्सियां, अल्मारियां आदि)	1,00,000 ₹* 128 जिले	12800000
2. कार्यालय उपस्कर (2 कम्प्यूटर और 1 प्रिंटर–सह–स्कैनर–सह–फोटोकॉपियर	35,000 ₹* 2 कम्प्यूटर + 1 प्रिंटर–सह–स्कैनर–सह–फोटोकॉपियर के लिए 70,000 ₹* 128 जिले	9035000
ख. आवर्ती व्यय		
1. वेतन		
1.1 जिलों के एक समूह के स्तर के लिए संरक्षण अधिकारी	30,000 ₹ प्रति माह* 12 माह* 128 जिले	46080000
1.2 डाटा प्रविष्टि प्रचालक	12,000 ₹ प्रति माह* 12 माह* 128 जिले	92160000
2. कार्यालय व्यय		
2.1 किराया	12,000 ₹* 12 माह* 128 जिले	18432000

बजट शीर्ष	विवरण	योग
2.2 टेलीफोन (लैंडलाइन और मोबाइल व्यय)	4,000 ₹* 12 माह* 128 जिले	6144000
2.3 बिजली, पानी	2,000 ₹* 12 माह* 128 जिले	9216000
2.4 लेखन–सामग्री (रिकार्ड बही, फोटोकॉपी आदि)	5,000 ₹* 12 माह* 128 जिले	7680000
2.5 मुद्रण	5,000 ₹* 12 माह* 128 जिले	7680000
2.6 ढुलाई भत्ता	30,000 ₹* 12 माह* 128 जिले	46080000
2.7 आकस्मिक	5,000 ₹* 12 माह* 128 जिले	7680000
भाग (II) का योग		**262987000**

III. राज्य स्तर पर समन्वयक

बजट शीर्ष	विवरण	योग
क. गैर–आवर्ती व्यय		
1. फर्नीचर (टेबलें, कुर्सियां, अल्मारियां आदि)	1,00,000 ₹* 35 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	3500000
2. कार्यालय उपस्कर (2 कम्प्यूटर और 1 प्रिंटर–सह–स्कैनर–सह–फोटोकॉपियर	35,000 ₹* 2 कम्प्यूटर + 1 प्रिंटर–सह–स्कैनर–सह–फोटोकॉपियर के लिए 70,000 ₹* 35 राज्य	4900000
ख. आवर्ती व्यय		
1. वेतन		
1.1 राज्य समन्वयक	40,000 ₹ प्रति माह* 12 माह* 35 राज्य	16800000
1.2 प्रलेखन अधिकारी	30,000 ₹ प्रति माह* 12 माह* 35 राज्य	12600000
1.3 लेखाकार	20,000 ₹ प्रति माह* 12 माह* 35 राज्य	8400000
2. कार्यालय व्यय		
2.1 किराया	20,000 ₹* 12 माह* 35 राज्य	8400000
2.2 टेलीफोन (लैंडलाइन और मोबाइल व्यय)	6,000 ₹* 12 माह* 35 राज्य	2520000

बजट शीर्ष	विवरण	योग
2.3 बिजली, पानी	2,000 ₹* 12 माह* 35 राज्य	840000
2.4 लेखन–सामग्री (रिकार्ड बही, फोटोकॉपी आदि)	5,000 ₹* 12 माह* 35 राज्य	2100000
2.5 मुद्रण	5,000 ₹* 12 माह* 640 जिले	2100000
2.6 ढुलाई भत्ता	50,000 ₹* 12 माह* 35 राज्य	21000000
2.7 आकस्मिक	10,000 ₹* 12 माह* 35 राज्य	4200000
भाग (III) का योग		**87360000**

IV. अन्य अवयव

बजट शीर्ष	विवरण	योग
क. सेवा प्रदाता		
1.1 उन एसपी के लिए जो कानूनी सहायता और परामर्श प्रदान करेंगे	2 एसपी * 30,000 ₹ * 12 माह * 640 जिले	768000000
1.2 उन एसपी के लिए जो सभी सेवाएं प्रदान करेंगे जिनमे आश्रय (5 महिलाओं के लिए आकलित) शामिल है	3 एसपी * 50,000 ₹ * 12 माह * 640 जिले	1152000000
ख. प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण		
2.1 खण्ड पीओ का अधिष्ठापन प्रशिक्षण	10,000 ₹ प्रति पीओ* 5924 ब्लॉक (5 दिनों के लिए प्रशिक्षण, लागत में शामिल है यात्रा, भोजन, रहना, संसाधन सामग्री और संसाधन विशेषज्ञ)	59240000
2.2 जिले स्तर पर पीओ को अधिष्ठापन प्रशिक्षण	15,000 ₹ प्रति पीओ* 640 जिले (5 दिनों के लिए प्रशिक्षण, लागत में शामिल है यात्रा, भोजन, रहना, संसाधन सामग्री और संसाधन विशेषज्ञ)	9600000
2.3 राज्य स्तर पर पीओ के लिए अधिष्ठापन प्रशिक्षण	20,000 ₹ प्रति पीओ* 35 राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	700000

बजट शीर्ष	विवरण	योग
2.4 विभिन्न पणधारकों के लिए आवधिक प्रशिक्षण	6 प्रशिक्षण* 1.5 लाख ₹ प्रति प्रशिक्षण* 640 जिले	576000000
2.5 संसाधन सामग्री तैयार करना	3 लाख ₹ * 35 राज्य	10500000
ग. विज्ञापन और प्रचार		
आईईसी	2 लाख ₹ * 640 जिले	128000000
घ. समन्वय समितियों की बैठकें		
खण्ड स्तर पर	5,000 ₹ प्रति बैठक * 3 * 5924 खण्ड	88860000
जिला स्तर पर	10,000 ₹ प्रति बैठक * 2 * 640 जिले	12800000
राज्य स्तर पर	30,000 ₹ प्रति बैठक * 35 राज्य	1050000
ड. निगरानी और मूल्यांकन		
वार्षिक निगरानी और मूल्यांकन	50,00,000 ₹	5000000
भाग (IV) का योग		**2811750000**
सकल योग (भाग I + भाग II + भाग III + भाग IV) = 1158 करोड ₹		

अनुलग्नक–VII

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 – पत्नी, बच्चों और माता–पिता के भरण–पोषण हेतु आदेश

वर्तमान उपबंध	प्रस्तावित संशोधन	प्रस्तावित विधेयक
125 (1) यदि पर्याप्त साधन संपन्न कोई व्यक्ति अवहेलना करता है या भरण–पोषण करने से इनकार करता है –		125 (1) यदि पर्याप्त साधन संपन्न कोई व्यक्ति अवहेलना करता है या भरण–पोषण करने से इनकार करता है –
(क) अपनी पत्नी को, जो स्वयं अपना भरण–पोषण करने में सक्षम नहीं है, या		(क) अपनी पत्नी को, जो स्वयं अपना भरण–पोषण करने में सक्षम नहीं है, या
(ख) अपनी वैध या अवैध अवयस्क संतान को, जो विवाहित हो अथवा नहीं और जो स्वयं अपना भरण–पोषण करने में सक्षम नहीं है।	"सौतेली संतान", "गोद ली गई संतान" शब्दों को शामिल किया जाए।	(ख) अपनी वैध या अवैध अवयस्क संतान, सौतेली संतान, गोद ली गई संतान को, जो विवाहित हो अथवा नहीं और जो स्वयं अपना भरण–पोषण करने में सक्षम नहीं है, या
(ग) अपनी वैध या अवैध संतान (जो विवाहित पुत्री न हो) को, जो वयस्कता की आयु प्राप्त कर चुकी हो जबकि वह संतान **किसी शारीरिक या मानसिक अपसामान्यता या क्षति के कारण** स्वयं अपना भरण–पोषण करने में सक्षम नहीं है, या	शब्दों **"किसी शारीरिक या मानसिक अपसामान्यता या क्षति के कारण"** का लोप किया जाए।	(ग) अपनी वैध या अवैध, सौतेली पुत्री, गोद ली गई संतान (जो विवाहित पुत्री न हो) को, **जो वयस्कता की आयु प्राप्त कर चुकी हो जबकि वह संतान स्वयं अपना भरण–पोषण करने में सक्षम नहीं है**, या
(घ) अपने पिता या माता को, जो स्वयं अपना भरण–पोषण करने में सक्षम नहीं है,	शब्द **"दादा–दादी"** शामिल किए जाएं।	(घ) अपने पिता या माता, दादा–दादी को, जो स्वयं अपना भरण–पोषण करने में सक्षम नहीं है,
	नया उपबंध	(ङ) कोई भी महिला **जो प्रत्यर्थी के साथ विवाह के स्वरूप के संबंध में रह रही हो या रही हो,**
प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट ऐसी अवहेलना या इनकार के संबंध में साक्ष्य प्राप्त हो	शब्दों **"प्रत्यर्थी की संपदा से"** शामिल किए जाएं।	प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट ऐसी अवहेलना या इनकार के संबंध में साक्ष्य प्राप्त हो

वर्तमान उपबंध	प्रस्तावित संशोधन	प्रस्तावित विधेयक
जाने पर ऐसे व्यक्ति को यह आदेश दे सकता है कि वह अपनी पत्नी या ऐसी संतान या पिता या माता को भरण–पोषण के लिए उतनी मासिक दर पर मासिक भत्ते का भुगतान करे, जो उस मजिस्ट्रेट के विचार से उपयुक्त समझा जाए और जिस व्यक्ति को भुगतान करने के संबंध में उस मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर निर्देश जारी किए जाएं: परंतु मजिस्ट्रेट खंड (ख) में उल्लिखित अवयस्क बालिका के पिता को ऐसे भत्ते का भुगतान उस बालिका द्वारा वयस्कता की आयु प्राप्त होने तक करे, यदि मजिस्ट्रेट को इस बात का समाधान हो जाए कि ऐसी अवयस्क बालिका, यदि विवाहित हो, के पति के पास पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं हैं।		जाने पर ऐसे व्यक्ति **या प्रत्यर्थी के नियोजक** को यह आदेश दे सकता है कि वह ऐसे व्यक्ति की पत्नी या ऐसी संतान या पिता या माता को भरण–पोषण के लिए **प्रत्यर्थी की संपदा से** उतनी मासिक दर पर मासिक भत्ते का भुगतान करे या **ऐसे व्यक्ति के नियोजक को प्रत्यर्थी के वेतन से उतनी राशि का विप्रेषण करने का निर्देश दे,** जो उस मजिस्ट्रेट के विचार से उपयुक्त समझा जाए और जिस व्यक्ति को भुगतान करने के संबंध में उस मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर निर्देश जारी किए जाएं: परंतु मजिस्ट्रेट खंड (ख) में उल्लिखित अवयस्क बालिका के पिता को ऐसे भत्ते का भुगतान उस बालिका द्वारा वयस्कता की आयु प्राप्त होने तक करे, यदि मजिस्ट्रेट को इस बात का समाधान हो जाए कि ऐसी अवयस्क बालिका, यदि विवाहित हो, के पति के पास पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं हैं।
125 का परंतुक परंतु यह भी कि मजिस्ट्रेट इस उप–धारा के अंतर्गत भरण–पोषण हेतु मासिक भत्ते के संबंध में कार्यवाही के लंबित रहने की अवधि के दौरान ऐसे व्यक्ति को अपनी पत्नी या ऐसी संतान, पिता या माता के अंतरिम भरण–पोषण और इस	शब्दों या **"ऐसे व्यक्ति के नियोजक"** को शामिल किया जाए।	**125 का परंतुक** परंतु यह भी कि मजिस्ट्रेट इस उप–धारा के अंतर्गत भरण–पोषण हेतु मासिक भत्ते के संबंध में कार्यवाही के लंबित रहने की अवधि के दौरान ऐसे व्यक्ति **या ऐसे व्यक्ति के नियोजक** को अपनी पत्नी या ऐसी संतान, पिता

वर्तमान उपबंध	प्रस्तावित संशोधन	प्रस्तावित विधेयक
संबंध में जारी कानूनी कार्यवाही के व्यय के संबंध में उतनी मात्रा में मासिक भत्ते की राशि, जो उस मजिस्ट्रेट के विचार में उपयुक्त हो और उस राशि को ऐसे व्यक्ति को भुगतान करने, जिसे इस संबंध में मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर निर्देश जारी किए जाएं, के संबंध में आदेश जारी कर सकता है:		या माता के अंतरिम भरण–पोषण और इस संबंध में जारी कानूनी कार्यवाही के व्यय के संबंध में उतनी मात्रा में मासिक भत्ते की राशि, जो उस मजिस्ट्रेट के विचार में उपयुक्त हो और उस राशि को ऐसे व्यक्ति को भुगतान करने, जिसे इस संबंध में मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर निर्देश जारी किए जाएं, के संबंध में आदेश जारी कर सकता है: **मजिस्ट्रेट प्रत्यर्थी की संपदा से एकमुश्त राशि जमा करने का भी निर्देश जारी कर सकता है।**
125 का दूसरा परंतुक परंतु यह भी कि दूसरे परंतुक के अंतर्गत अंतरिम भरण–पोषण और कानूनी कार्यवाही हेतु व्यय के लिए मासिक भत्ते के संबंध में आवेदन को, यथासंभव, ऐसे व्यक्ति को आवेदन के नोटिस जारी होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर निबटा दिया जाए।		**125 का दूसरा परंतुक** परंतु यह भी कि दूसरे परंतुक के अंतर्गत अंतरिम भरण–पोषण और कानूनी कार्यवाही हेतु व्यय के लिए मासिक भत्ते के संबंध में आवेदन को, यथासंभव, **ऐसे व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति के नियोजक** को आवेदन के नोटिस जारी होने की तारीख से **30 दिनों** के भीतर निबटा दिया जाए।
नया परंतुक		**तीसरा परंतुक** **नोटिस हस्तगत करने के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता में किसी बात के होते हुए भी, मजिस्ट्रेट ऐसे नोटिस को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, प्रोसेस सर्वर, कूरियर आदि किसी भी प्रकार से, जैसा वह उचित समझे, संबंधित व्यक्ति को नोटिस**

वर्तमान उपबंध	प्रस्तावित संशोधन	प्रस्तावित विधेयक
		हस्तगत कर सकता है या करवा सकता है
स्पष्टीकरणः इस अध्याय के प्रयोजनार्थ (क) "अवयस्क से आशय ऐसे व्यक्ति से है, जिसने भारतीय वयस्कता अधिनियम, 1875 (1975 का 9) के उपबंधों के अंतर्गत वयस्कता की आयु प्राप्त नहीं की हो;		**स्पष्टीकरणः** इस अध्याय के प्रयोजनार्थ (क) "अवयस्क से आशय ऐसे व्यक्ति से है, जिसने भारतीय वयस्कता अधिनियम, 1875 (1975 का 9) के उपबंधों के अंतर्गत वयस्कता की आयु प्राप्त नहीं की हो;
(ख) "पत्नी" से आशय ऐसी महिला से है, जिसे अपने पति द्वारा तलाक दे दिया गया हो या जिसने अपने पति से तलाक ले लिया हो और पुनर्विवाह नहीं किया हो।	(ख) "पत्नी" से आशय ऐसी महिला से है, जिसे अपने पति द्वारा तलाक दे दिया गया हो या जिसने अपने पति से तलाक ले लिया हो और पुनर्विवाह नहीं किया हो।	(ख) "पत्नी" से आशय ऐसी महिला से है, जिसे अपने पति द्वारा तलाक दे दिया गया हो या जिसने अपने पति से तलाक ले लिया हो और पुनर्विवाह नहीं किया हो।
	(ग) "भरण–पोषण करने में असमर्थ" का आशय दावाकर्ता द्वारा अर्जित की जाने वाली वास्तविक अलग आय न होने और न ही दावाकर्ता के द्वारा कोई रोजगार प्राप्त करके आय अर्जित करने की संभावना हो, से है।	**(ग) "भरण–पोषण करने में असमर्थ" का आशय दावाकर्ता द्वारा अर्जित की जाने वाली वास्तविक अलग आय न होने और न ही दावाकर्ता के द्वारा कोई रोजगार प्राप्त करके आय अर्जित करने की संभावना हो, से है।**
	(घ) "संपदा" में व्यक्तिगत आय, परिसंपत्ति, मियादी जमा, शेयरों और डिमेट खाता ब्योरों, किराया और कमीशन, बांड, खरीद–बिक्री के ब्योरों, स्वयं के स्वामित्व के अधीन संपत्तियों, पारिवारिक संपत्तियों सहित अचल संपत्ति शामिल है।	**(घ) "संपदा" में व्यक्तिगत आय, परिसंपत्ति, मियादी जमा, शेयरों और डिमेट खाता ब्योरों, किराया और कमीशन, बांड, खरीद–बिक्री के ब्योरों, स्वयं के स्वामित्व के अधीन संपत्तियों, पारिवारिक संपत्तियों सहित अचल संपत्ति शामिल है।**

औचित्यः

(1) धारा 125 की उप–धारा (ग) में संशोधन, जिसमें यह कहा गया है कि "अपनी वैध या अवैध संतान (जो विवाहित पुत्री न हो) को, जो वयस्कता की आयु प्राप्त कर चुकी हो जबकि वह संतान **किसी शारीरिक या मानसिक अपसामान्तया या क्षति के कारण** स्वयं अपना भरण–पोषण करने में सक्षम नहीं है"..... यह एक अवरोधक उपबंध है तथा विशेष तौर पर समर्थ संतान तथा वयस्कता की आयु प्राप्त कर चुकी ऐसी संतान, विशेषकर बालिका संतान के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। पर्याप्त साधन संपन्न माता–पिता द्वारा भरण–पोषण प्राप्त करने का अधिकार सभी अविवाहित पुत्रियों को उनके द्वारा वयस्कता की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात भी यदि वे स्वयं का भरण–पोषण करने में असमर्थ हों, उपलब्ध कराया जाए। इससे बालिका संतान को इधर–उधर भटकने और अकिंचन व्यवस्था को प्राप्त करने से रोका जा सकेगा जो भरण–पोषण के उपबंध के द्वारा प्राप्त किए जाने वाला एक मुख्य उद्देश्य है।

राज कुमारी अवस्थी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार – 2008 सी आर आई एल जे 2539 के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की है कि धारा 125 (1)(ग) – उपर्युक्त उपबंध के सामान्य अध्ययन पर, यह स्पष्ट है कि पर्याप्त साधन–संपन्न किसी व्यक्ति के लिए अपनी वयस्क लड़की (अर्थात जब वह 18 वर्ष की आयु पार कर चुकी हो) जो अविवाहित हो, का भरण–पोषण करना तभी आवश्यक है यदि वह लड़की किसी प्रकार की शारीरिक अथवा मानसिक अपसामान्यता या क्षति के कारण अपना स्वयं का भरण–पोषण करने में असमर्थ हो – इसके अतिरिक्त, अन्य किसी भी स्थिति में उसे अपने माता–पिता से भरण–पोषण प्राप्त करने का अधिकार उपलब्ध नहीं है। इस उपबंध के अंतर्गत स्थिति यह है कि 18 वर्ष की आयु की कोई कालेज जाने वाली लड़की, जो अभी अविवाहित है, जब तक वह किसी शारीरिक अथवा मानसिक अपसामान्यता या क्षति के कारण अपना स्वयं का भरण–पोषण करने में असमर्थ न हो, उसे उसके पिता द्वारा जो पर्याप्त साधन संपन्न है, भरण–पोषण उपलब्ध कराने के लिए अस्वीकार किया जा सकता है। किंतु यह अपेक्षा करना कि एक ऐसी अविवाहित लड़की जो अभी कालेज जा रही है या जो घर में रह रही है किंतु जिसका अभी विवाह नहीं हुआ है, और जिसके पास अपना स्वयं का भरण–पोषण करने के लिए स्वतंत्र आय का कोई साधन नहीं है, को उसके पर्याप्त साधन–संपन्न पिता द्वारा केवल इस आधार पर भरण–पोषण उपलब्ध कराने से इनकार किया जा सके कि संहिता की धारा 125(1)(ग) में जैसाकि अपेक्षित है, स्वयं का भरण–पोषण करने में उस लड़की की असमर्थता उसकी किसी शारीरिक अथवा मानसिक अपसामान्यता के कारण नहीं है, अत्यधिक अमानवीय और उत्पीड़क होगा और ऐसा करना सभी प्रकार से भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन होगा। यह उपबंध विशेष रूप से त्रूटिपूर्ण और भेदभावपूर्ण प्रतीत होता है क्योंकि धारा 125(1) के अन्य खंडों, अर्थात खंड (क), (ख) और (घ) में, पर्याप्त साधन–संपन्न किसी व्यक्ति के लिए अपनी पत्नी, अपने वैधानिक या अवैधानिक अवयस्क बच्चों, जो विवाहित हों अथवा न हों या अपने माता–पिता जो अपना स्वयं का भरण–पोषण करने में समर्थ न हों, को भरण–पोषण उपलब्ध कराना अपेक्षित है तथा इन श्रेणियों के व्यक्तियों को यह सिद्ध करने की कोई भी अतिरिक्त आवश्यकता नहीं है कि वे इस सम्मानजनक सामाजिक विधायन का लाभ प्राप्त करने के लिए शारीरिक अथवा मानसिक अपसामान्यता अथवा क्षति के कारण अपना स्वयं का भरण–पोषण करने में असमर्थ हैं। यह उपबंध भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(3) और 39(ड.) और (च) की भावना के भी विरुद्ध प्रतीत होता है जिसमें राज्यों से यह कहा गया है कि वे महिलाओं और बच्चों के कल्याण हेतु तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि बच्चों और युवाओं का नैतिक और भौतिक दृष्टि से परित्याग करने से संरक्षण प्रदान करने के लिए कानून बनाएं। मामले के इस पहलू को दृष्टिगत रखते

हुए, यह सहमति हुई कि विधायिका द्वारा उप–धारा 125(1)(ग) में संशोधन किया जाए तथा पर्याप्त साधन–संपन्न माता–पिता से भरण–पोषण प्राप्त करने का बच्चों/लड़कियों का अधिकार ऐसी सभी अविवाहित लड़कियों को उपलब्ध कराया जाए जो वयस्कता की आयु प्राप्त करने के बाद भी स्वयं का भरण–पोषण करने में असमर्थ हों। यही एकमात्र उपाय है जिससे बालिका संतान को इधर–उधर भटकने और अकिंचन व्यवस्था को प्राप्त करने से रोका जा सकेगा जो भरण–पोषण के उपबंध जो इस संहिता के अध्याय–9 में उल्लिखित है, के द्वारा प्राप्त किए जाने वाला एक मुख्य उद्देश्य है।

अतः, मैं यह निर्देश देता हूं कि भारत के अटार्नी जनरल के जरिए भारत संघ को तथा महाधिवक्ता के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार को यह नोटिस जारी किया जाए और उनसे दो माह के भीतर कारण बताने के लिए कहा जाए कि वे उक्त उपबंध, जो वयस्कता की आयु प्राप्त कर चुकी अविवाहित बालिका जो अपना भरण–पोषण स्वयं करने में असमर्थ है, पर इस आशय की एक अतिरिक्त अपेक्षा आरोपित करता है कि वह यह सिद्ध करे कि वह अपना स्वयं का भरण–पोषण करने में किसी शारीरिक या मानसिक अपसामान्यता या रोग के कारण असमर्थ है, के संबंध में संहिता की धारा 125(1)(ग) की कानूनी वैधता को किस प्रकार समर्थन प्रदान करते हैं।

इस आदेश की प्रति भारत और उत्तर प्रदेश के विधि आयोग तथा राष्ट्रीय और उत्तर प्रदेश महिला आयोगों को इस संबंध में उपयुक्त हस्तक्षेप करने के लिए प्रेषित की जाए। रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया जाता है कि वे भारत के अटार्नी जनरल और उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता को उक्त नोटिस जारी करें और भारत तथा उत्तर के विधि आयोगों तथा राष्ट्रीय महिला आयोग एवं उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग को इस आदेश से अवगत कराएं।

शीर्ष न्यायालय ने भी नानक चंद बनाम चंद्र किशोर अग्रवाल एमएएनयू/एससी/0481/1969 : 1970: सीआरआईजे 522 मामले में इसी स्थिति पर पूरा बल देते हुए कहा है कि "बालिका" शब्द की परिभाषा में आयु की सीमा नहीं होनी चाहिए तथा किसी भी आयु की बालिका को भरण–पोषण प्राप्त करने का पात्र बनाया जाना चाहिए, यदि वह बालिका स्वयं अपना भरण–पोषण करने में असमर्थ हो और माता–पिता पर्याप्त साधन संपन्न हों।

2. धारा 125(1(ङ) – एक नया उपबंध है। प्रश्न यह है कि पहले से विवाहित किसी पुरुष द्वारा अपने जाल में फंसा ली गई किसी महिला को कष्टकारी जीवन क्यों व्यतीत करना चाहिए जबकि उसका स्वयं का कोई दोष नहीं है? इस उपबंध का मुख्य उद्देश्य अनाथ महिला को इधर–उधर घूमने या भटकने से रोकना है, तथापि, इन उपबंधों के अंतर्गत पत्नी शब्द की परिभाषा को व्यापक बनाकर उसमें ऐसी महिला को भी शामिल किया जाए जो प्रत्यर्थी के साथ विवाह जैसे स्वरूप के संबंध में रही हो और नियमित या अमान्यकरणीय विवाह के अंतर्गत रह रही पत्नी हो। जबकि अवैध संतान को भरण–पोषण का अधिकार प्रदान किया जाता है तो यह अत्यधिक अनुचित बात है कि उसी अवैध संतान की माता को भरण–पोषण प्रदान न किया जाए।

यमुना बाई बनाम अनंतराव 1998 (1) एससीसी 5309 – इस मामले में पहले से वैधानिक रूप से विवाहित पत्नी के होने के बावजूद श्री 'ए' ने सुश्री 'बी' से शादी की। 1955 के अधिनियम के अधिनियमित हो जाने के पश्चात – क्या सुश्री 'बी' द्वारा धारा 125 की संहिता के अंतर्गत दिया गया भरण–पोषण हेतु आवेदन ध्यान देने योग्य है – 1955 के अधिनियम के अधिनियमन के पश्चात हिंदू पुरुष मात्र एक पत्नी रख सकता है – अपनी जीवित पत्नी के होते हुए पुरुष द्वारा दूसरी शादी करना अवैध है – इस कानून के द्वारा पति पर ऐसी किसी पत्नी को भरण–पोषण प्रदान करने दायित्व आरोपित नहीं

होता। **यह देखा जा सकता है कि किसी तलाकशुदा पत्नी और अवैध संतान के लिए इस धारा के लाभ को विस्तारित करने के प्रयोजन से संसद ने इस धारा में उस आशय का विशिष्ट उपबंध शामिल करना आवश्यक समझा, किंतु वैधानिक तरीके से विवाह नहीं करने वाली महिला के संबंध में संसद ने ऐसा नहीं किया है।**

सविता बेन के मामले में आपराधिक अपील संख्या 2005 का 399 {2004 की विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 4688 से उत्पन्न} – वैधानिक रूप से विवाह नहीं करने वाली महिलाओं द्वारा भरण–पोषण हेतु दावा – इस अपील में न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया कि चूंकि वह महिला कानूनी रूप से विवाहित "पत्नी" नहीं है, अतः उसे भरण–पोषण से संबंधित दावा करने का हक नहीं है – तथापि, उसकी संतान धारा 125(1)(ग) के अंतर्गत भरण–पोषण प्राप्त करने की पात्र है – अपीलकर्ता ने प्रत्यर्थी संख्या 2 से तब विवाह किया जबकि उसकी पहली पत्नी जीवित थी और प्रत्यर्थी संख्या 2 का प्रथम विवाह संबंध बना हुआ था। अतः इस संबंध में भरण–पोषण की कोई पात्रता नहीं बनती तथा यह भी कि कानून ऐसी महिलाओं के साथ अत्यधिक कठोरतापूर्ण व्यवहार करता है जो बिना कुछ सोचे–समझे किसी विवाहित पुरुष के साथ विवाह बना लेती हैं और संहिता की धारा 125 ऐसी महिलाओं को कोई संरक्षण प्रदान नहीं करती। यह कानून की पर्याप्तता–अपर्याप्तता हो सकती है, किंतु इसका समाधान केवल विधानमंडल द्वारा ही किया जा सकता है। किंतु जैसाकि वर्तमान में कानून की स्थिति है, इस निष्कर्ष से बचा नहीं जा सकता कि संहिता की धारा 125 के अनुसार "पत्नी" अभिव्यक्ति केवल कानूनी रूप से विवाहत पत्नी के संदर्भ में ही है। यह उपबंध सामाजिक न्याय प्रदान करने और विशेषकर महिलाओं और बच्चों और साथ ही वृद्ध एवं अशक्त निर्धन माता–पिता को संरक्षण प्रदान करने के लिए है और यह भारत के संविधान, 1950 (जिसे संक्षेप में "संविधान" कहा गया है) के अनुच्छेद 39 द्वारा पुनर्बलित अनुच्छेद (3) के अंतर्गत आता है। इस उपबंध के द्वारा पुरुष के द्वारा अपना स्वयं का भरण–पोषण करने में अपनी पत्नी, संतान और माता–पिता को भरण–पोषण प्रदान के सहज और मौलिक कर्त्तव्य की घोषणा की गई है।

शीर्ष न्यायालय ने आपराधिक अपील संख्या 1990 का 664 **विमला (के) बनाम वीरास्वामी (के) के** मामले में यह पाया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत अपीलकर्ता ने प्रत्यर्थी से भरण–पोषण की मांग की – प्रत्यर्थी ने इस आधार पर अपना दावा पंजीकृत किया कि अपीलकर्ता उसकी विवाहिता नहीं है क्योंकि वह पहले से ही किसी अन्य महिला से विवाहित है – जब तक पहला विवाह विद्यमान है, तब तक दूसरी पत्नी को भरण–पोषण प्राप्त करने का कोई हक नहीं है – प्रत्यर्थी दूसरी महिला के साथ कानूनी और वैध विवाह को सिद्ध नहीं कर पाया, अतः अपीलकर्ता को भरण–पोषण प्रदान करने का निर्देश जारी किया गया।

हाल में ऐसे अनेक मामले प्रकाश में आए हैं, जिनमें न्यायालय द्वारा "पत्नी" शब्द की व्यापक व्याख्या की गई है, जिसमें अपने पति द्वारा तलाकशुदा या तलाक प्राप्त करने वाली ऐसी महिलाओं को शामिल किया गया है जिसने पुनर्विवाह नहीं किया हो या **प्रत्यर्थी के साथ विवाह जैसे स्वरूप के संबंध में रही हो, एक नियमित या अमान्यकरणीय विवाह के अंतर्गत पत्नी के रूप में रही हो** (विद्युत प्रभा दीक्षित बनाम द्वारका प्रसाद सतपथि; शीबा चौधरी बनाम डॉ. अमितत्व मुखर्जी)।

उपर्युक्त निर्णय महिलाओं की घरेलू हिंसा से संरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जारी किए गए हैं जिसके अंतर्गत विवाह जैसे स्वरूप के संबंध को मान्यता प्रदान की गई है किंतु इसके अंतर्गत आगे यह भी कहा गया है कि ऐसे संबंध में **ऐसी महिलाओं द्वारा जो व्यभिचार के लिए या जानबूझकर किसी पुरुष के साथ बनाया गया संबंध जिसकी वैवाहिक स्थिति में वह पहले से ही जानती हों,** शामिल नहीं किया जाएगा।

3. धारा 125 के स्पष्टीकरण (ग) में यह संस्तुत किया गया है कि "**भरण–पोषण करने में असमर्थ"** की व्याख्या इस अर्थ में की जाए कि दावा करने वाले द्वारा वास्तव में अलग से कोई आय अर्जित नहीं की जा रही है और दावेदार द्वारा भविष्य में भी कोई रोजगार प्राप्त करके आय अर्जित करने की कोई संभावना नहीं है। इस व्याख्या से इस संबंध में कोई भी संदेह नहीं रह जाता कि कौन स्वयं का भरण–पोषण करने में असमर्थ है।

4. धारा 125 की नई व्याख्या (घ) – के अंतर्गत परिभाषित **"संपदा"** में व्यक्तिगत आय, परिसंपत्ति, मियादी जमा, शेयरों और डिमेट खाता ब्योरों, किराया और कमीशन, बांड, खरीद–बिक्री के ब्योरों, स्वयं के स्वामित्व के अधीन संपत्तियों, पारिवारिक संपत्तियों सहित अचल संपत्ति शामिल है। यह देखा गया है कि प्रत्यर्थी प्रायः अपनी आय की विवरणी भरना बंद कर देते हैं और स्वयं को बेकार सिद्ध करने पर तुल जाते हैं ताकि वे भरण–पोषण प्रदान करने के अपने दायित्व से बच सकें। यदि प्रत्यर्थी की संपदा का लेखा–जोखा प्राप्त हो जाए तो प्रत्यर्थी की कुल आय की मात्रा के संबंध में जानकारी हासिल करना सुविधाजनक हो जाएगा और ऐसे मामलों में भी संभव होगा, जिसमें प्रत्यर्थियों द्वारा आय कर विवरणी जमा नहीं कराई जाती हो या यदि प्रत्यर्थी बेरोजगार हो या उसके पास आय का कोई निर्धारित स्रोत न हो (भरत हेगडे बनाम सरोज चौधरी 140) 2007 डीएलटी 16; राजेश चौधरी बनाम निर्मला चौधरी।

5. **'नियोजक'** शब्द को शामिल किया जाना – यह प्रस्ताव किया जाता है कि मजिस्ट्रेट द्वारा भरण–पोषण का भुगतान करने के लिए उत्तदायी पाए गए व्यक्ति के नियोजक को, यदि कोई हो, कर्मचारी के मासिक वेतन में से मासिक भत्ते की कटौती करके पीड़ित पक्ष को उस रूप में भुगतान कर देने का, जिस रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो, का निर्देश जारी करने की शक्तियां दी जाएं। यह पीड़ित व्यक्ति के लिए लाभकारी और उसकी शिकायत के शीघ्र समाधान में सहायक सिद्ध होगा।

वर्तमान उपबंध	प्रस्तावित संशोधन	प्रस्तावित विधेयक
125 (2) भरण–पोषण हेतु या अंतरिम भरण–पोषण हेतु ऐसे किसी भी भत्ते और व्यय **आदेश की तारीख से या यदि आदेशित किया गया हो तो** भरण–पोषण या अंतरिम भरण–पोषण और अदालती कार्यवाही पर होने वाले व्यय, जैसा भी मामला हो, के संबंध में आवेदन करने की तारीख से देय होगा।		लोप कर दिया गया – संक्षिप्त कार्यवाही का हिस्सा बनाया जाए।

वर्तमान उपबंध	प्रस्तावित संशोधन	प्रस्तावित विधेयक
125 (3) यदि जिस व्यक्ति को इस आशय का आदेश जारी किया गया है, वह बिना किसी पर्याप्त कारण के इस आदेश के अनुपालन में विफल रहता हो तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट, आदेश के प्रत्येक बार उल्लंघन के लिए, जुर्माना वसूल करने के लिए निर्धारित तरीके से उस राशि की वसूली के लिए वारंट जारी कर सकता है, वारंट जारी करने के पश्चात ऐसे किसी व्यक्ति को भरण–पोषण या अंतरिम भरण–पोषण और कानूनी कार्यवाही पर होने वाले व्यय, जैसा भी मामला हो, के संबंध में प्रत्येक माह के संपूर्ण या किसी हिस्से से संबंधित भत्ते का भुगतान नहीं करने पर एक माह तक की अवधि या यदि भुगतान शीघ्र कर दिया गया हो तो भुगतान किए जाने की अवधि तक कारावास की सजा से दंडित कर सकता है।		

धारा 125 मूल कानून का उपबंध है। उप–खंड (2) और (3) के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रियात्मक पहलू पर धारा 126 के अंतर्गत विचार किया गया है, जिसमें क्रियाविधि निर्धारित की गई है।

वर्तमान उपबंध	प्रस्तावित संशोधन	प्रस्तावित विधेयक
125 (4) ऐसी कोई भी पत्नी इस धारा के अंतर्गत अपने पति से भरण–पोषण या अंतरिम भरण–पोषण और कानूनी कार्यवाही हेतु व्यय, जैसी भी स्थिति हो, प्राप्त करने की पात्र नहीं होगी, यदि वह	**संपूर्ण उप–धारा (4) का लोप किया जाए।** **अब धारा 126 (5)**	संक्षिप्त कार्यवाही के हिस्से के रूप में संपूर्ण उप–धारा (4) का लोप कर दिया जाए।

वर्तमान उपबंध	प्रस्तावित संशोधन	प्रस्तावित विधेयक
किसी दूसरे पुरुष के साथ रह रही हो (व्यभिचार), या बिना किसी पर्याप्त कारण के वह अपने पति के साथ रहने से इनकार कर देती हो या यदि पति पत्नी आपसी सहमति से अलग–अलग रह रहे हों।		
125 (5) यदि इस संबंध में प्रमाण प्राप्त हो जाए कि ऐसी कोई पत्नी, जिसके पक्ष में इस धारा के अंतर्गत कोई आदेश जारी किया गया हो और वह महिला किसी दूसरे पुरुष के साथ रह रही हो (व्यभिचार), या बिना किसी पर्याप्त कारण के वह अपने पति के साथ रहने से इनकार कर देती हो या यदि पति पत्नी आपसी सहमति से अलग–अलग रह रहे हों तो मजिस्ट्रेट द्वारा पूर्व में जारी किए गए आदेश को रद्द कर दिया जाएगा।	**अब धारा 126 (6)**	संक्षिप्त कार्यवाही के हिस्से के रूप में संपूर्ण उप–धारा (5) का लोप कर दिया जाए।

धारा 125 मूल कानून का उपबंध है। उप–खंड (4) और (5) के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रियात्मक पहलू पर धारा 126 के अंतर्गत विचार किया गया है, जिसमें क्रियाविधि निर्धारित की गई है।

धारा 126 – कार्यवाही के स्थान पर **संक्षिप्त कार्यवाही** शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं।

वर्तमान उपबंध	प्रस्तावित संशोधन	प्रस्तावित विधेयक
126 (क) धारा 125 के अंतर्गत कार्यवाही किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे किसी भी जिले में शुरू की जा सकती है: (क) जिसमें वह रह रहा हो	शब्दों **या ऐसी संतान या पिता या माता रहती हो**	126 (क) धारा 125 के अंतर्गत कार्यवाही किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे किसी भी जिले में शुरू की जा सकती है: (क) जिसमें वह रह रहा हो

वर्तमान उपबंध	प्रस्तावित संशोधन	प्रस्तावित विधेयक
(ख) जिसमें वह या उसकी पत्नी रह रही हो, या		(ख) जिसमें वह या उसकी पत्नी **या ऐसी संतान या पिता या माता** रह रही हो, या
(ग) जिसमें वह पिछली बार अंतिम तौर पर अपनी पत्नी के साथ रहा हो, या जैसी भी स्थिति हो, वैध संतान की मां के साथ रहा हो		(ग) जिसमें वह पिछली बार अंतिम तौर पर अपनी पत्नी के साथ रहा हो, या जैसी भी स्थिति हो, वैध संतान की मां के साथ रहा हो

धारा 126(क) में प्रस्तावित संशोधनों का औचित्य

आपराधिक अपील संख्या 2004 का 431 विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 3151/2003 से उत्पन्न) विजय कुमार प्रसाद बनाम बिहार सरकार और अन्य – दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 – धारा 125, 126 – स्थानांतरण याचिका – प्रादेशिक क्षेत्राधिकार – पिता द्वारा पुत्र के विरुद्ध भरण–पोषण हेतु आवेदन – भरण–पोषण प्राप्त करने की योग्यता – प्रत्यर्थी द्वारा सिवान जिले में अपने पुत्र के विरुद्ध भरण–पोषण का आवेदन दायर करना – आवेदक पुत्र द्वारा मामले को सिवान से पटना स्थानांतरित करने का आवेदन देना – आवेदन में यह बात कहना कि सिवान स्थित न्यायालय का उक्त भरण–पोषण हेतु आवेदन पर कार्यवाही करने का क्षेत्राधिकार नहीं है क्योंकि आवेदक पटना में रह रहा है और वहां वकील के रूप में काम कर रहा है – वैधता – चूंकि धारा 126 की उप–धारा (1) के खंड (ख) और (ग) संहिता की धारा 125 के अंतर्गत पत्नी और बच्चों से संबंधित हैं और चूंकि पत्नी और बच्चों को अपने निवास स्थान पर अदालती कार्यवाही शुरू करने का लाभ दिया गया है और यह लाभ माता–पिता को नहीं दिया गया है, अतः यह पाया गया कि भरण–पोषण का दावा करने के संबंध में माता या पिता द्वारा आवेदन उसी न्यायालय में दायर किया जाए, जिसके क्षेत्राधिकार में वह व्यक्ति रहता है जिससे भरण–पोषण प्राप्त करने का दावा किया जा रहा है– चूंकि सिवान स्थित न्यायालय का इस याचिका पर कार्यवाही करने का क्षेत्राधिकार नहीं था, अतः मामले को पटना न्यायालय में अंतरित करने से संबंधित निर्देश दिए गए।

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में दायर की गई 1992 की आपराधिक याचिका संख्या 1292 भिक्षु बनाम आंध्र प्रदेश सरकार और अन्य का मामला – वाद दाखिल करने का स्थान – दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 126 और 126 (1) – प्रत्यर्थी पिता द्वारा याचिकाकर्ता पुत्र से भरण–पोषण का दावा – याचिकाकर्ता द्वारा क्षेत्राधिकार निर्धारित करने की मांग करना – याचिकाकर्ता का यह कहना कि पत्नी के संबंध में वह जहां निवास कर रही हो, उसी स्थान पर भरण–पोषण हेतु अभियोजन शुरू करने से संबंधित सुविधा पिता के संबंध में लागू नहीं है– प्रत्यर्थी के संबंध में प्रयोज्य एकमात्र खंड धारा 126 की उप–धारा (1) का खंड (क) है– धारा 126 में यह उल्लेख किया गया है कि पिता जिस स्थान पर रहता हो, उस स्थान पर भरण–पोषण हेतु याचिका दायर नहीं कर सकता – याचिकाकर्ता की बात स्वीकार की गई– पिता को उस स्थान पर अपनी याचिका दायर करने का निर्देश दिया गया, जहां उसका पुत्र रहता है।

वर्तमान उपबंध	प्रस्तावित संशोधन	प्रस्तावित विधेयक
126 (2) भरण–पोषण या अंतरिम भरण–पोषण और न्यायालय की कार्यवाही हेतु खर्चों के संबंध में किसी भी भत्ते का भुगतान आदेश की तारीख से या भरण–पोषण या अंतरिम भरण–पोषण और न्यायालय की कार्यवाही हेतु खर्चों, जैसी भी स्थिति हो, के संबंध में आवेदन की तारीख से किया जाएगा।	धारा 126 के अंतर्गत नई उप–धारा और शब्दों **आवेदन की तारीख से** को शामिल किया जाए।	126 (2) भरण–पोषण या अंतरिम भरण–पोषण और न्यायालय की कार्यवाही हेतु खर्चों के संबंध में किसी भी भत्ते का भुगतान भरण–पोषण या अंतरिम भरण–पोषण और न्यायालय की कार्यवाही हेतु खर्चों, जैसी भी स्थिति हो, के संबंध में **आवेदन की तारीख से** किया जाएगा।

नई धारा 126 (2) में प्रस्तावित संशोधन का औचित्यः

इस बात की जोरदार सिफारिश की जाती है कि दावाकर्ता को जिस तारीख को याचिका दाखिल की गई, उस तारीख से भरण–पोषण प्राप्त करने का न्यायोचित हक है और इसके दृष्टिगत इस उपबंध में उपयुक्त रूप में संशोधन किए जाने की आवश्यकता है।

वर्तमान उपबंध	प्रस्तावित संशोधन	प्रस्तावित विधेयक
(3) यदि जिस व्यक्ति को इस आशय का आदेश जारी किया गया है, वह बिना किसी पर्याप्त कारण के इस आदेश के अनुपालन में विफल रहता हो तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट, आदेश के प्रत्येक बार उल्लंघन के लिए, जुर्माना वसूल करने के लिए निर्धारित तरीके से उस राशि की वसूली के लिए वारंट जारी कर सकता है, वारंट जारी करने के पश्चात ऐसे किसी व्यक्ति को भरण–पोषण या अंतरिम भरण–पोषण और कानूनी कार्यवाही पर होने वाले व्यय, जैसा भी मामला हो, के संबंध में प्रत्येक माह के संपूर्ण या किसी हिस्से से संबंधित भत्ते का भुगतान नहीं करने पर	यह पहले धारा 125 में शामिल किया गया था और अब इसे धारा 126 के अंतर्गत कार्रवाई का हिस्सा बनाया गया है।	125 (3) यदि जिस व्यक्ति को इस आशय का आदेश जारी किया गया है, वह बिना किसी पर्याप्त कारण के इस आदेश के अनुपालन में विफल रहता हो तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट, आदेश के प्रत्येक बार उल्लंघन के लिए, प्रति वर्ष 15 प्रतिशत की दर से ब्याज, जो ऐसी चूक की तारीख से देय होगा, तथा जुर्माना वसूल करने के लिए निर्धारित तरीके से उस राशि की वसूली के लिए वारंट जारी कर सकता है, वारंट जारी करने के पश्चात ऐसे किसी व्यक्ति को भरण–पोषण या अंतरिम भरण–पोषण और कानूनी कार्यवाही पर होने वाले व्यय, जैसा भी मामला हो, के संबंध में

वर्तमान उपबंध	प्रस्तावित संशोधन	प्रस्तावित विधेयक
एक माह तक की अवधि या यदि भुगतान शीघ्र कर दिया गया हो तो भुगतान किए जाने की अवधि तक कारावास की सजा से दंडित कर सकता है।		प्रत्येक माह के संपूर्ण या किसी हिस्से से संबंधित भत्ते का भुगतान नहीं करने पर एक माह तक की अवधि या यदि भुगतान शीघ्र कर दिया गया हो तो भुगतान किए जाने की अवधि तक कारावास की सजा से दंडित कर सकता है।
परंतु यह कि इस धारा के अंतर्गत भुगतान की देय तारीख से **एक वर्ष की अवधि** के भीतर ऐसी राशि की वसूली के लिए यदि न्यायालय में आवेदन नहीं किया जाता तो देय राशि की वसूली के लिए कोई वारंट जारी नहीं किया जाए।		परंतु यह कि इस धारा के अंतर्गत भुगतान की देय तारीख से **तीन वर्ष की अवधि** के भीतर ऐसी राशि की वसूली के लिए यदि न्यायालय में आवेदन नहीं किया जाता तो देय राशि की वसूली के लिए कोई वारंट जारी नहीं किया जाए।
परंतु यह भी कि यदि ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी को इस शर्त पर भरण–पोषण देने के लिए प्रस्ताव करता है कि वह उसके साथ रहे और उसकी पत्नी उसके साथ रहने से इनकार कर देती हो तो मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसी पत्नी द्वारा उल्लिखित इनकार के कारणों की जांच की जाएगी तथा इस धारा के अंतर्गत पति द्वारा ऐसे प्रस्ताव के होते हुए भी आदेश जारी किया जाएगा, यदि उसे इस बात का समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए उपयुक्त आधार है।		परंतु यह भी कि यदि ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी को इस शर्त पर भरण–पोषण देने के लिए प्रस्ताव करता है कि वह उसके साथ रहे और उसकी पत्नी उसके साथ रहने से इनकार कर देती हो तो मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसी पत्नी द्वारा उल्लिखित इनकार के कारणों की जांच की जाएगी तथा इस धारा के अंतर्गत पति द्वारा ऐसे प्रस्ताव के होते हुए भी आदेश जारी किया जाएगा, यदि उसे इस बात का समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए उपयुक्त आधार है।
स्पष्टीकरण : यदि पति ने किसी दूसरी महिला के साथ विवाह अनुबंध किया हो या उसने कोई रखेल रख ली हो, तो		**स्पष्टीकरण** : यदि पति ने किसी दूसरी महिला के साथ विवाह अनुबंध किया हो या उसने कोई रखेल रख ली

वर्तमान उपबंध	प्रस्तावित संशोधन	प्रस्तावित विधेयक
इसे उसकी पत्नी द्वारा उसके साथ रहने से इनकार करने का एक उपयुक्त कारण माना जाएगा।	शब्दों **या महिला को घरेलू हिंसा का शिकार बना रहा हो** शामिल किए जाएं।	हो, **या महिला को घरेलू हिंसा का शिकार बना रहा हो** तो इसे उसकी पत्नी द्वारा उसके साथ रहने से इनकार करने का एक उपयुक्त कारण माना जाएगा।

औचित्यः एक वर्ष की अवधि काफी कम समय है और सर्वसम्मति से इस बात पर सहमति हुई कि यह अवधि तीन वर्ष होनी चाहिए।

वर्तमान उपबंध	प्रस्तावित संशोधन	प्रस्तावित विधेयक
126 (2) ऐसी कार्यवाहियों के लिए सभी प्रकार के साक्ष्य उस व्यक्ति की उपस्थिति में या यदि उसे निजी तौर पर उपस्थित होने से छूट दी गई हो, तो उसके वकील की उपस्थिति में लिए जाएंगे और समन मामलों के लिए निर्धारित तरीकों से इस कार्यवाही को रिकार्ड किया जाएगाः किंतु यदि मजिस्ट्रेट को इस बात का समाधान हो जाए कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध भरण–पोषण के भुगतान से संबंधित आदेश प्रस्तावित किया जाना है, वह जानबूझकर न्यायालय में आने से कतरा रहा है तो मजिस्ट्रेट संबंधित मामले में कार्यवाही और सुनवाई कर सकता है और एकपक्षीय निर्णय कर सकता है तथा इस बात प्रकार किया गया कोई भी ओदश उसकी तारीख से	उपबंध को 126 (4) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया गया।	126 (4) ऐसी कार्यवाहियों के लिए सभी प्रकार के साक्ष्य उस व्यक्ति की उपस्थिति में या यदि उसे निजी तौर पर उपस्थित होने से छूट दी गई हो, तो उसके वकील की उपस्थिति में लिए जाएंगे और समन मामलों के लिए निर्धारित तरीकों से इस कार्यवाही को रिकार्ड किया जाएगाः किंतु यदि मजिस्ट्रेट को इस बात का समाधान हो जाए कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध भरण–पोषण के भुगतान से संबंधित आदेश प्रस्तावित किया जाना है, वह जानबूझकर न्यायालय में आने से कतरा रहा है तो मजिस्ट्रेट संबंधित मामले में कार्यवाही और सुनवाई कर सकता है और एकपक्षीय निर्णय कर सकता है तथा इस बात प्रकार किया गया कोई भी ओदश उसकी तारीख से

वर्तमान उपबंध	प्रस्तावित संशोधन	प्रस्तावित विधेयक
तीन माह के भीतर आवेदन प्रस्तुत करके आवेदन में उल्लिखित कारणों के आधार पर निरस्त कराया जा सकता है, जो इस शर्त और मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायोचित और उपयुक्त समझे जाने वाली प्रतिपक्ष हेतु अदालती कार्यवाही की लागत के भुगतान से संबंधित शर्तों के अध्यधीन होगा।		तीन माह के भीतर आवेदन प्रस्तुत करके आवेदन में उल्लिखित कारणों के आधार पर निरस्त कराया जा सकता है, जो इस शर्त और मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायोचित और उपयुक्त समझे जाने वाली प्रतिपक्ष हेतु अदालती कार्यवाही की लागत के भुगतान से संबंधित शर्तों के अध्यधीन होगा।
	शब्दों **यदि आरोप यह हो कि महिला पर पुरुष के साथ रह रही हो (व्यभिचार) तो मजिस्ट्रेट बंद कमरे में विचारण की कार्यवाही शुरू करेगा** को शामिल किया जाए। मौजूदा धारा 125 (4)	126 (5) ऐसी कोई भी पत्नी इस धारा के अंतर्गत अपने पति से भरण–पोषण या अंतरिम भरण–पोषण और कानूनी कार्यवाही हेतु व्यय, जैसी भी स्थिति हो, प्राप्त करने की पात्र नहीं होगी, यदि वह किसी दूसरे पुरुष के साथ रह रही हो (व्यभिचार), या बिना किसी पर्याप्त कारण के वह अपने पति के साथ रहने से इनकार कर देती हो या यदि पति पत्नी आपसी सहमति से अलग–अलग रह रहे हों। **यदि आरोप यह हो कि महिला पर पुरुष के साथ रह रही हो (व्यभिचार) तो मजिस्ट्रेट बंद कमरे में विचारण की कार्यवाही शुरू करेगा।** 126 (6) यदि इस संबंध में प्रमाण प्राप्त हो जाए कि ऐसी कोई पत्नी, जिसके पक्ष में इस धारा के अंतर्गत कोई ओदश जारी किया गया हो और वह महिला किसी दूसरे पुरुष के साथ रह रही हो (व्यभिचार), या बिना किसी पर्याप्त

वर्तमान उपबंध	प्रस्तावित संशोधन	प्रस्तावित विधेयक
	मौजूदा धारा 125 (5) शब्दों **यदि "पर पुरुष के साथ रहने (व्यभिचार) के संबंध में पत्नी पर लगाया गया आरोप सिद्ध नहीं होता हो तो पति द्वारा पत्नी को क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाएगा"** को शामिल किया जाए।	कारण के वह अपने पति के साथ रहने से इनकार कर देती हो या यदि पति पत्नी आपसी सहमति से अलग–अलग रह रहे हों तो मजिस्ट्रेट द्वारा पूर्व में जारी किए गए आदेश को रद्द कर दिया जाएगा। **यदि "पर पुरुष के साथ रहने (व्यभिचार) के संबंध में पत्नी पर लगाया गया आरोप सिद्ध नहीं होता हो तो पति द्वारा पत्नी को क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाएगा"।**

धारा 126 (5) के संबंध में स्पष्टीकरण : बंद कमरे में विचारण महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह पति और पत्नी के बीच एक अत्यधिक संवेदनशीलत मामला है और ऐसे मामले का विचारण बंद कमरे में करके उसे निजी बनाए रखा जाना चाहिए।

धारा 126 (6) के संबंध में स्पष्टीकरण : "व्यभिचार या दूसरे पुरुष के साथ रहना" से संबंधित आरोप काफी गंभीर आरोप हैं और इसका इस्तेमाल पत्नी को बदनाम करने के लिए और उसे भरण–पोषण से इनकार करने के लिए किया जाता है। तथापि, यदि पति इस आरोप को सिद्ध करने में असमर्थ रहता है तो उसे अपनी पत्नी को जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए।

वर्तमान उपबंध	प्रस्तावित संशोधन	प्रस्तावित विधेयक
126 (3) न्यायालय को धारा 125 के अंतर्गत किए गए आवेदनों पर विचार करते समय अदालती कार्यवाही के संबंध में उपयुक्त समझे जाने वाला आदेश जारी करने का अधिकार होगा।	धारा 126 (7) के रूप में पुनर्संख्यांकित।	126 (7) न्यायालय को धारा 125 के अंतर्गत किए गए आवेदनों पर विचार करते समय अदालती कार्यवाही के संबंध में उपयुक्त समझे जाने वाला आदेश जारी करने का अधिकार होगा।
	नया उपबंध 126 (8)	126 (8) मजिस्ट्रेट आरोपित व्यक्ति को अपना बचाव करने की अनुमति प्रदान करने के समय प्रत्यर्थी (प्रतिवादी) अथवा नियोजक, जैसा भी मामला हो, को ऐसे व्यक्ति **या ऐसे व्यक्ति के नियोजक** को अपनी पत्नी या ऐसी

वर्तमान उपबंध	प्रस्तावित संशोधन	प्रस्तावित विधेयक
		संतान, पिता या माता के भरण–पोषण और इस संबंध में जारी कानूनी कार्यवाही के व्यय के संबंध में उतनी मात्रा में मासिक भत्ते की राशि, जो उस मजिस्ट्रेट के विचार में उपयुक्त हो, के संबंध में आदेश जारी कर सकता है: मजिस्ट्रेट प्रत्यर्थी को एकमुश्त राशि जमा करने का भी निर्देश दे सकता है **तथा प्रत्यर्थी का यह कर्त्तव्य होगा कि वह अपनी संपदा के संबंध में ब्योरे प्रस्तुत करे।**
	इन उपबंधों को लागू करने से संबंधित प्रायोजन और उद्देश्य प्रत्यर्थी द्वारा बार–बार स्थगन की मांग किए जाने के कारण न्यायालय की कार्यवाही में विलंब होने से विफल हो जाते हैं। इन उपबंधों को शामिल किए जाने से बार–बार स्थगन आदेश जारी करने पर रोक लगेगी और दूसरे पक्ष को अदालती लागत के भुगतान के संबंध में आदेश जारी करने से बार–बार स्थगन की मांग करने पर रोक लगेगी। दोनों पक्षों द्वारा मांग की गई।	**126 (9) किसी भी पक्ष के अनुरोध पर कोई भी स्थगन नहीं दिया जाएगा बशर्ते कि यदि परिस्थितियां संबंधित पक्ष के नियंत्रण से बाहर हों तथा इस प्रकार का कोई भी स्थगन आदेश दिया जाना मजिस्ट्रेट द्वारा उपयुक्त समझी जाने वाली राशि के रूप में दूसरे पक्ष को लागत का भुगतान किए जाने के अध्यधीन होगा, परंतु आवेदन की सुनवाई के दौरान किसी भी पक्ष को तीन बार से अधिक इस प्रकार का कोई स्थगन मंजूर नहीं किया जाएगा।**
	यह उपबंध सरकारी सेवक और निजी क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों दोनों के लिए लागू होगा। इस प्रकार मजिस्ट्रेट के आदेश के क्रियान्वयन से संबंधित	**126 (10) प्रत्यर्थी का नियोजक, जिसके पास प्रत्यर्थी लाभ के किसी पद पर सेवारत हो, उसके वेतन से कटौती करके उस राशि को**

वर्तमान उपबंध	प्रस्तावित संशोधन	प्रस्तावित विधेयक
	समस्या का प्रभावी रूप में समाधान हो सकता है। यदि प्रत्यर्थी स्वरोजगार में लगा हो तो अधिनियम की धारा 125 और 126 के अनुसार प्रत्यर्थी की संपदा को जब्त करने की कार्यवाही शुरू की जा सकती है और ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी द्वारा केंद्रीय सरकार (या किसी भी निर्धारित अधिकारी) के आदेश द्वारा उसकी पत्नी या वैध या अवैध संतान के भरण–पोषण हेतु अथवा उक्त सरकार द्वारा उक्त पत्नी या बच्चों या संतान को दी जाने वाली किसी भी राहत की लागत के संदर्भ में भुगतान किया जाएगा।	**दावेदार के सुपुर्द करेगा। की गई कटौती की राशि मासिक भत्ते के रूप में भुगतान के संबंध में मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार यथापेक्षित राशि होगी।**

सीईआरसी बनाम राष्ट्रीय जलविद्युत ऊर्जा निगम (उच्चतम न्यायालय)

दिनांक 26 जुलाई, 2010 के आदेश द्वारा निर्णित

विभिन्न न्यायालयों में, सांख्यिकीय आंकड़े यह दर्शाते हैं कि तामील किए जाने की कार्यवाही में विलंब होने के कारण बकाया राशि में निरंतर वृद्धि होती रहती है। स्वयं दिल्ली में ही, इनपुट दर्शाते हैं कि न्यायालयों में लंबित बकाया राशि का पचास प्रतिशत, विशेष रूप से वाणिज्यिक मामलों में, तामील किए जाने की कार्यवाही में विलंब के कारण ही लंबित पड़ा है।

उक्त कारणों से, निम्नलिखित निर्णय लिए जा रहे हैं :–

(1) तामील किए जाने के अन्य तरीकों के अलावा, नोटिसों को ई–मेल से भी भेजना आरंभ किया जाए जिसके लिए रिकार्ड में दर्ज अधिवक्ता अपनी याचिका/अपील दायर करते समय समस्त याचिका/अपील की सॉफ्ट प्रति पीडीएफ फार्मेट में उपलब्ध कराएगा;

(2) रिकार्ड में दर्ज अधिवक्ता इसके साथ–साथ प्रतिवादियों, कंपनियों/विभागों के ई–मेल पते भी रजिस्ट्री के फाइलिंग काउंटर पर प्रस्तुत करेगा। ऐसी कार्रवाई याचिका/अपील की हार्डप्रति प्रदान करने के अलावा की जाएगी।

(3) यदि न्यायालय नोटिस जारी करता है, तो केवल इसी स्थिति में, रजिस्ट्री ऐसा एक अतिरिक्त नोटिस प्रतिवादियों, कंपनियों/निगमों के ई–मेल पते पर ई–मेल द्वारा भेजेगी।

(4) रजिस्ट्री प्रतिवादियों, कंपनियों/निगमों के उन अधिवक्ताओं, जिन्होंने याचिका दायर की है, के ई–मेल पते पर भी नोटिस भेजेगी। याचिका दायर करने वाले रिकार्ड में दर्ज अधिवक्ता तामील को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए अपने ई–मेल पते उपलब्ध कराएं।

(5) आज से दो सप्ताह के भीतर, मंत्रिमंडल सचिवालय तामील की कार्यवाही के प्रयोजनार्थ विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/विनियामक प्राधिकरणों के केन्द्रीयकृत ई–मेल पते तथा साथ ही नोडल अधिकारियों, यदि पहले से ही नियुक्त किए गए हैं, के नाम भी उपलब्ध कराएगा।

(6) स्पष्टीकरण : उक्त सुविधा विद्यमान उच्चतम न्यायालय नियमों में उल्लिखित तामील कराए जाने वाले तरीकों के अलावा अलग से आरंभ की जा रही है। यह सुविधा फिलहाल, वाणिज्यिक वाद के लिए तथा उन मामलों के लिए ही विस्तारित की जा रही है जहां रिकार्ड में दर्ज अधिवक्ता तत्काल अंतरिम सहायता का अनुरोध करते हैं।

अनुलग्नक–VIII

प्रो0 पी.जी. कुरियन, संसद सदस्य द्वारा राज्य सभा में 5 अगस्त, 2011 को पुरःस्थापित विवाह पर अत्यधिक और असीमित व्यय का निवारण विधेयक, 2011

राष्ट्रीय महिला आयोग को उक्तसंदर्भित विषय पर विधि और न्याय मंत्रालय, विधि विभाग का एक पत्र प्राप्त हुआ है। पत्र के साथ 'विवाह पर अत्यधिक और असीमित व्यय का निवारण विधेयक, 2011' विषय पर उक्त विधेयक की प्रति भी संदर्भ के लिए संलग्न की गई है। मंत्रालय ने राष्ट्रीय महिला आयोग से अनुरोध किया है कि वह विधेयक के उपबंधों पर अपनी टिप्पणियां प्रेषित करे जिससे विभाग विधेयक के संबंध में एक संभावित नीति तैयार कर सके।

विधेयक देश के विभिन्न भागों में विवाहों तथा अन्य संबंधित समारोहों पर किए जा रहे अत्यधिक और असीमित व्यय के निवारण और प्रतिषेध तथा उससे संसक्त और उसके आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने के लिए है।

2(ख) **'विवाह पर व्यय'** में वे व्यय शामिल हैं जो विवाह समारोहों और संबंधित आयोजनों से पूर्व, उनके दौरान और उनके पश्चात निमंत्रण–पत्रों, यथास्थिति, पंडालों, बैंकेट हॉल, होटल, बारातघर या ऐसे अन्य स्थानों को किराए पर लेने और उनकी सजावट, रोशनी और पटाखों, दूल्हे की बारात, अतिथियों को परोसे जाने वाले मध्याहन–भोज या रात्रिभोज और अन्य जलपान, विवाह के वस्त्रों, गहनों, आभूषणों, मालाओं, दहेज या किसी अन्य स्थानीय प्रथा के रूप में नकद या वस्तु के रूप में दिए जाने वाले किसी प्रकार के उपहार पर उपगत किए गए हैं।

टिप्पणी : विवाह पर किए जाने वाले खर्च की मात्रा का अनुमान लगाना अत्यंत कठिन है विशेष रूप से तब, जब दुल्हन अथवा दूल्हे के अभिभावक किए गए व्यय को प्रकट नहीं करते हैं। तथापि, यदि उसमें उपगत किए गए बजट की घोषणा की जानी अधिदेशित की जाएगी, तो इस संबध में एक ऊपरी सीमा लगाना संभव हो सकेगा।

धारा 3 : धर्म, समुदाय, जनजाति या पंथ में विद्यमान किसी परंपरा या प्रथा के होते हुए भी, समुचित सरकार संबंधित स्थान के भौगोलिक विवरणों और परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात उस व्यय की एक ऊपरी सीमा करेगी जिसे किसी युगल के विवाह या उससे संबंधित समारोहों में खर्च किया जा सकता है, परंतु यह कि समुचित सरकार, यदि आवश्यक समझे, ठोस कारणों तथा ऐसी शिथिलता के लिए औचित्यों के आधार पर अपवाद स्थापित कर सकती है, तथा वैयक्तिक मामलों में कुल व्यय की सीमा में शिथिलता दे सकती है।

टिप्पणी : अपवाद का और अधिक वर्णन किया जाना चाहिए जिसमें वैयक्तिक मामलों के मानदण्डों और **'ठोस कारणों'** को विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

धारा 5 : कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के उपबंधों या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों या जारी किए गए अनुदेशों का उल्लंघन करता है, ऐसी अवधि, जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा, के कारावास से और जुर्माने, जिसे एक लाख ₹ तक बढ़ाया जा सकेगा या दोनों का दायी होगा।

टिप्पणी : 'कोई व्यक्ति' का और अधिक वर्णन किए जाने की आवश्यकता है कि क्या इसमें दुल्हन या दूल्हे के माता–पिता/अभिभावक भी शामिल हैं।

भारत में विवाह अत्यधिक खर्चीले और तड़क–भड़क के क्रियाकलाप बन गए हैं जिनमें अतिथियों और समारोहों पर लाखों अथवा करोड़ों रूपयों का फिजूल खर्च कर दिया जाता है। ऐसे आडम्बरपूर्ण विवाहों में किसी भी अनिर्दिष्ट नकद राशि, महंगे उपहारों, आभूषणों तथा अन्य सामान का 'दहेज' के रूप में आदान–प्रदान कर दिया जाता है। प्रो0 पी.जे. कुरियन द्वारा भेजे गए विधेयक के उद्देश्य और कारण सरकार से अनुरोध करते हैं कि वह विवाहों के नाम पर खर्च की जा रही असीमित फिजूल राशि की निगरानी करने, उसके विनियमन और नियंत्रण के लिए एक उपयुक्त विधान अधिनियमित करके विवाहों और उससे संबंधित समारोहों में फिजूल खर्च करने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए सक्रिय कदम उठाए।

माननीय सांसद द्वारा प्रस्तावित विधेयक इस समस्या का निवारण करेगा परंतु विधेयक को परिवारों की आय के आधार पर उच्चतम सीमा का निर्णय करने, व्यक्तियों को अपवाद का लाभ प्रदान करने के लिए आधारों, शास्ति की परिधि में शामिल होने वाले व्यक्तियों के बारे में अधिक वर्णन करने की आवश्यकता है।

अनुलग्नक–IX

प्रो0 एम.एस. स्वामीनाथन, संसद सदस्य का महिला कृषक अधिकार विधेयक, 2011

लिंग–संबंधी मानदण्ड कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा है। पुरूषों और महिलाओं के मध्य संसाधनों का वितरण उत्पादकता की अपर्याप्तता से जुड़ा हुआ है, फिर भी अल्प कृषि भूमि वाले कृषकों पर लक्षित हस्तक्षेप प्रायः महत्वपूर्ण कृषि संसाधनों तक महिलाओं की पहुंच अथवा उन पर नियंत्रण रखने के अभाव का निवारण करने में असफल रहते हैं। महिलाओं को प्रायः भूमि, जल तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों; समकालीन इनपुटों जैसे बीज और उर्वरक; नई किस्मों और तकनीकों; कृषीय विस्तारों; श्रम; ऋण; बाजार और सामाजिक पूंजी तक पहुंच बनाने और उन पर नियंत्रण करने से बाधित किया जाता है। प्रायः हस्तक्षेप मात्र एक ही बाधा का निवारण करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं जिनमें इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता है कि लिंग–संबंधी मानदण्ड अथवा अन्य संसाधनों में बाधाएं अधिक महत्वपूर्ण हैं तथा ये हस्तक्षेपों के परिणाम को प्रभावित कर सकती हैं।

विधेयक की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :

- महिलाओं की कम संख्या भारतीय किसानों के 50 प्रतिशत से भी अधिक है तथा कृषि क्षेत्र में शामिल श्रमिकों में इनकी संख्या लगभग 60 प्रतिशत है।
- विधेयक का उद्देश्य महिला कृषकों की लिंग संबंधी विशिष्ट आवश्यकताओं का उपबंध करना है ताकि उनकी वैध आवश्यताओं और पात्रता का संरक्षण किया जा सके तथा उन्हें सशक्त बनाया जा सके और वे समान कार्य के बदल समान मजदूरी प्राप्त करें। यह महिला कृषकों को भूमि और जल अधिकार भी प्रदान करता है।
- मसौदा विधेयक 'महिला कृषकों' को ऐसी महिलाओं के रूप में परिभाषित करता है जो किसान हैं (भले ही उनकी वैवाहिक स्थिति अथवा भूमि का स्वामित्व कुछ भी क्यों न हो)। ग्राम सभा के अनुमोदन तथा ग्राम प्रशासनिक अधिकारी या किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणन के पश्चात महिला कृषक प्रमाण–पत्र जारी किए जा सकते हैं।
- मसौदा विधेयक प्रस्ताव करता है कि प्रत्येक महिला के पास उसके पति के परिवार में कृषि भूमि पर समान स्वामित्व और विरासत अधिकार होंगे (धारा 5)।
- महिला कृषकों के पास ऐसी कृषि भूमि से संबंधित सभी जल अधिकारों के संबंध में समान अधिकार होंगे जिसकी वह स्वामी है या धारक है या जिसका प्रयोग वह कृषि क्रियाकलापों के लिए करती है (धारा 5)।
- महिला कृषकों को सशक्त बनाने के लिए केन्द्रीय कृषि विकास निधि (सीएडीएफडब्ल्यूएफ) की स्थापना की जाएगी जिसमें प्रोत्साहन, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण आदि शामिल होगा।

- निधि का प्रचालन केन्द्रीय, राज्य और जिले के स्तर पर किया जाएगा तथा निधि में केन्द्रीय और राज्य सरकार द्वारा स्थापित किए जाने वाले प्राधिकारियों की जिम्मेवारियों को भी मसौदा विधेयक में निर्दिष्ट किया गया है।
- केन्द्रीय सरकार अधिनियम के समग्र कार्यान्वयन और निगरानी के लिए उत्तरदायी होगी तथा राज्य सरकार और राज्य सरकार द्वारा स्थापित किए जाने वाले प्राधिकारियों की जिम्मेदारियों को भी मसौदा विधेयक में निर्दिष्ट किया गया है।
- इस अधिनियम के गैर–अनुपालन के लिए शास्तियां धारा 19 में विनिर्दिष्ट की गई हैं।

टिप्पणियां :

विश्लेषण आरंभ करने से पूर्व, दो प्रारंभिक टिप्पणियां किए जाने की आवश्यकता है। पहली, विभिन्न देशों में प्राकृतिक संसाधन अधिकारों की जांच में, यह अवश्य ध्यान में रखा जाना चाहिए कि इन अधिकारों की प्रकृति और विषय–वस्तु विभिन्न देशों में अत्यंत भिन्न हो सकती है (उदाहरण के लिए वैयक्तिक फ्रीहोल्ड संपत्ति, राज्य के स्वामित्व वाली भूमि में अधिकारों का प्रयोग तथा वैधानिक रूप से मान्यताप्राप्त प्रथागत अधिकार)। यहां पर ध्यान इस बात पर केन्द्रित किया गया है कि क्या ये अधिकार, भले ही इनकी प्रकृति और विषय–वस्तु कुछ भी क्यों न हो, लिंग/जेंडर के आधार पर भिन्न–भिन्न हैं।

दूसरी, जहां कहीं औपचारिक विधान लिंग–तटस्थ भी हैं, महिलाओं को सामाजिक–सांस्कृतिक प्रथाओं द्वारा प्राकृतिक संसाधन अधिकार अर्जित करने और उनका प्रयोग करने से निवारित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जहां भूमि संबंधी विधान लिंग–तटस्थ हैं, वहां महिलाओं के भूमि अधिकारों को परिवार कानून (अर्थात किसी विवाहित महिला की संपत्ति को प्रशासित करने की कानूनी क्षमता को निर्बंधित करना) और उत्तराधिकार कानून (विशेष रूप से वहां, जहां भूमि का क्रय दुर्लभ है तथा उत्तराधिकार ही भूमि अर्जन का मुख्य रूप है) के भेदभावपूर्ण मानदण्डों द्वारा सीमित कर दिया जाता है।

प्रासंगिक अंर्तराष्ट्रीय कानूनः–

- **लातिन अमेरिका** : ग्रामीण महिला कानूनी और सामाजिक–सांस्कृतिक, दोनों ही बाधाओं के कारण विरले ही भूमि का स्वामित्व धारण करती है और उसे प्रशासित करती है।
- **मैक्सिको** : महिला सदस्य भूमि सुधार के अंतर्गत प्रत्यक्ष भूमि आवंटन के स्थान पर अपने पतियों से उत्तराधिकार के माध्यम से अपनी स्थिति हासिल करती है।
- **ब्राजील** : महिलाओं ने भूमि की पहुच के लिए संघर्ष करने वाले कृषि आंदोलनों में सक्रियता के साथ भाग लिया है। महिलाओं को प्रत्यक्ष भूमि अर्जन प्रदान किया जाता है।
- **दक्षिण अफ्रीका** : इस भेदभावरहित भूमि सुधार विधान के बावजूद सामाजिक–सांस्कृतिक प्रथाएं प्रायः भूमि हक धारण करने से महिलाओं को रोकती हैं।

जहां तक प्राकृतिक संसाधनों का संबंध है, **भारतीय संविधान** राज्यों को भूमि, जल (अंतर्राज्यीय नदियों का छोड़कर) और मात्स्यिकी संबंधी विशिष्ट उत्तरदायित्व प्रदान करता है। अतः प्राकृतिक संसाधन विधान प्रत्येक राज्य में अलग–अलग हैं। भूमि सुधार कार्यक्रमों की कुछ विशेषताएं लिंग में भेदभाव करती हैं। भूमि सीमा विधान में परिवार की भूमि के आकलन के संबंध में भेदभावपूर्ण मानदण्ड अंतर्निहित हो सकते हैं। जहां तक आकलन का संबंध है, विधान सामान्यतः पांच सदस्यों के प्रत्येक कुटुंब के लिए भूमि सीमाएं निश्चित करता है, बड़े कुटुंबों के लिए अतिरिक्त भूमि की अनुमति देता है तथा वयस्क बालकों पर पृथक इकाइयों के रूप में विचार करता है। तथापि, अनेक राज्यों में (उदाहरण के लिए बिहार और आंध्र प्रदेश) केवल वयस्क पुत्रों को ही (पुत्रियों को नहीं) पृथक इकाई के रूप में गिना जाता है। केरल इसका एक अपवाद है क्योंकि यह अविवाहित वयस्क पुत्रों तथा पुत्रियों, दोनों ही पर पृथक इकाइयों के रूप में विचार करने की अनुमति प्रदान करता है।

सामाजिक पक्षपात और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि महिलाएं भारतीय कृषकों के 50 प्रतिशत से अधिक तथा कृषि क्षेत्र में कुल श्रमिकों के लगभग 60 प्रतिशत भाग का निर्माण करती हैं, मसौदा विधेयक, जो भारत में महिला कृषकों के अधिकारों को एक प्रासंगिक क्षेत्र के रूप में मानता है, उनके अधिकारों को प्राप्त करने के लिए एक अच्छी पहल है।

तथापि इस संबंध में कुछ टिप्पणियां इस प्रकार हैं :–

- धारा 13 वर्णित करती है कि केन्द्रीय सरकार अधिनियम के समग्र क्रियान्वयन और निगरानी के लिए उत्तरदायी होगी। लेकिन केन्द्रीय सरकार के लिए समग्र निगरानी कर पाना कठिन काम होगा। अतः इसके स्थान पर राज्य सरकार निगरानी करे और केन्द्र सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करे।
- शास्ति की अवधि निर्दिष्ट नहीं की गई है (धारा 19)।
- यदि शास्ति अधिरोपित की जाती है तो किसे दंडित किया जाएगा – बोर्ड, समिति या कोई अन्य समुचित प्राधिकारी।
- धारा 8 जो महिला कृषकों या महिला कृषकों के समूह को 'किसान क्रेडिट कार्ड' प्राप्त करने का हकदार बनाती है, के परिणामस्वरूप मुद्दों की पुनरावृत्ति ही होगी।

महिला कृषक पात्रता पर विधेयक महिला कृषकों के समग्र विकास के लिए सभी पहलुओं को कवर करता है तथा यह कृषि समुदाय में एक वर्ग को सशक्त बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है जो कृषि के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

अनुलग्नक–X

उन गैर–सरकारी संगठनों/संगठनों की राज्यवार सूची जिन्हें राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा वर्ष 2011–12 के दौरान जागरूकता कार्यक्रम/लोक सुनवाई प्रायोजित की गई

क्रमांक	एनजीओ/संगठन का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
	दिल्ली		
1.	लोक कला परिषद, पी–26, डीआईजैड एरिया, गोल मार्किट, नई दिल्ली	एचआईवी/एड्स पर तीन जागरूकता कार्यक्रम	90,0000/– ₹
2.	भारतीय प्रौढ़ शिक्षा, 17–बी, आईपी एस्टेट, रिंग रोड, नई दिल्ली–02	5 विधि जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना जिनमें से 2 झादोल (फलासिया), जादोल (सर्दा), सलुमवेर, मवाली, राजसमुन्द में आयोजित होंगे तथा आंध्र प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और प. बंगाल में क्षेत्रीय सम्मेलनों का आयोजन।	1,50,000/– ₹
3.	नई भोर डॉन ऑफ लाइफ, 39–डी, पॉकेट–ए, सुखदेव विहार, नई दिल्ली	उत्तर प्रदेश के चार जिलों अर्थात गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़ और मेरठ में महिला अधिकारों तथा महिलाओं के अन्य संबद्ध मुद्दों पर दस जागरूकता कार्यक्रम।	3,00,000/– ₹
	राजस्थान		
4.	दीप विद्या मंदिर समिति (डीवीएमएस), गायत्री नगर, दौसा (राजस्थान)	बाल विवाह पर दो जागरूकता सृजन शिविर।	60,000/– ₹
5.	नव निर्माण महिला मंडल समिति, नहारी का नाका, जयपुर, राजस्थान	10 जागरूकता सृजन कार्यक्रम।	3,00,000/– ₹
	उत्तर प्रदेश		
6.	पुष्पांजलि, ई–200, सेक्टर–एफ, एलडीए कालोनी, कानपुर रोड, लखनऊ (उ0प्र0)	महिला सशक्तिकरण जागरूकता शिविर आयोजित करने के लिए परियोजना प्रस्ताव।	30,000/– ₹

क्रमांक	एनजीओ/संगठन का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
	पश्चिम बंगाल		
7.	गंध्रपुकुर श्री रामकृष्ण आश्रम, कुशाबाड़िया, डाकघर बरबारिया, जिला – नादिया, पश्चिम बंगाल	महिलाओं को निःशुल्क कानूनी सलाह के बारे में जागरूकता कार्यक्रम।	60,000/– ₹
	लोक सुनवाई		
	चण्डीगढ़		
8.	माया फाउंडेशन, 2064, सेक्टर 15–सी, चण्डीगढ़	एनआरआई विवाहों पर एक दिन की लोक सुनवाई।	1,00,000/– ₹
	दिल्ली		
9.	भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन, डी–45, प्रथम तल, अमर प्लाजा, हसनपुर, मेन रोड, आई.पी. एक्सटेंशन, दिल्ली–110092	ग्रामीण महिलाओं के उत्पीड़न पर लखनऊ, उ0प्र0 में एक दिन की लोक सुनवाई।	1,00,000/– ₹

अनुलग्नक–XI

उन गैर–सरकारी संगठनों/संगठनों की राज्यवार सूची जिन्हें राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा वर्ष 2011–12 के दौरान राज्य स्तर/क्षेत्रीय स्तर/राष्ट्रीय स्तर के संगोष्ठियां प्रायोजित की गईं

क्रमांक	एनजीओ/संगठन का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
	असम		
1.	असम राज्य महिला आयोग, उजानबाजार, गुवाहाटी (असम)	दिसपुर, गुवाहाटी में 15 जुलाई, 2011 को महिलाओं के अवैध व्यापार पर सम्मेलन।	5,00,000/– ₹
2.	पूर्वोत्तर नेटवर्क, गुवाहाटी, असम	निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रतिनिधित्व पर संगोष्ठी।	4,50,000/– ₹
3.	दुकुटिया चैरिटेबल ट्रस्ट, उदलगुड़ी जिला, बीटीएडी, असम	असम में महिलाओं और बालिकाओं के अवैध व्यापार पर संगोष्ठी–सह–कार्यशाला।	1,00,000/– ₹
4.	अग्निकर, हरबाला रोड, उलाबाड़ी हाई स्कूल के सामने, बोरा सर्विस, जिला कामरूप, गुवाहाटी (असम)	घरेलू हिंसा पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी।	1,00,000/– ₹
5.	असम राज्य महिला आयोग, गुवाहाटी (असम)	बाल विवाह और इसके प्रभावों पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी।	1,00,000/– ₹
	अरूणाचल प्रदेश		
6.	हयांग मेमोरियल एग्रो इंडस्ट्री एंड एजुकेशन ट्रस्ट, डाकघर एवं पुलिस थाना सेप्पा, जिला पूर्व केमेंग, अरूणाचल प्रदेश	पूर्वोत्तर क्षेत्र की महिलाओं और बालिकाओं पर क्षेत्र स्तरीय संगोष्ठी।	1,00,000/– ₹
	आंध्र प्रदेश		
7.	राष्ट्रीय सेवा समिति, सेवा निलयम, अन्नामलई मार्ग, तिरूपति (आं.प्र.)	महिला कानूनी अधिकारों और महिलाओं पर अत्याचार तथा एनजीओ की भूमिका पर संगोष्ठी।	1,00,000/– ₹

क्रमांक	एनजीओ/संगठन का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
8.	एकेडमी ऑफ ग्रासरूट्स स्टडीज एंड रिसर्च ऑफ इंडिया, 2–3–375, वेंकटरमना लेआउट, तिरूपति (आं.प्र.)	भारत के अंतर्विष्ट विकास के लिए निर्णय लेने में महिलाओं की राजनीतिक प्रतिभागिता : नीतिगत पहलें और कार्यान्वयन पर क्षेत्रीय संगोष्ठी।	2,00,000/– ₹
	दिल्ली		
9.	मातृ भूमि फाउंडेशन, 49–जी, पॉकेट बी–5, मयूर विहार, फेज–III, दिल्ली–96	प्रवासी महिला श्रमिकों के अधिकारों का संरक्षण तथा उन्हें उपलब्ध सरकारी स्कीमों, राशन कार्डो आदि के लाभों को उन्हें प्रदान करने की सिफारिशों पर तीन क्षेत्रीय संगोष्ठियां।	6,00,000/– ₹
10.	भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन, 45–डी, हसनपुर, मेन रोड, आई.पी. एक्सटेंशन, दिल्ली–92	सतत एकीकृत विकास के लिए निर्वाचित महिला सरपंचों के लिए दृष्टिकोण पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी।	1,00,000/– ₹
11.	भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन, 45–डी, हसनपुर, मेन रोड, आई.पी. एक्सटेंशन, दिल्ली–92	महिला और राजनीतिक भागीदारी पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी।	1,00,000/– ₹
12.	भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन, 45–डी, हसनपुर, मेन रोड, आई.पी. एक्सटेंशन, दिल्ली–92	मुस्लिम महिलाओं के समक्ष चुनौतियों पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी।	1,00,000/– ₹
13.	भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन, 45–डी, हसनपुर, मेन रोड, आई.पी. एक्सटेंशन, दिल्ली–92	कानूनी अधिकारों और घरेलू हिंसा पर उत्तर प्रदेश (कानपुर देहात और बांदा) तथा मध्य प्रदेश (इंदौर) में तीन राज्य स्तरीय संगोष्ठियां।	3,00,000/– ₹
14.	वुमेन पावर कनेक्ट, ए–1/125, प्रथम तल, संफदरजंग एंक्लेव, नई दिल्ली–110029	हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में 5 अगस्त, 2011 को महिलाओं को पेश आने वाली चिंताओं का प्रभावी निवारण करने के लिए कार्यनीति बनाने पर एक राज्य स्तरीय संगोष्ठी।	1,00,000/– ₹

क्रमांक	एनजीओ/संगठन का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
15.	वुमेन पावर कनेक्ट, ए–1/125, प्रथम तल, संफदरजंग एंक्लेव, नई दिल्ली–110029	पुणे, महाराष्ट्र में 16.09.2011 को महिलाओं को पेश आने वाली चिंताओं का प्रभावी निवारण करने के लिए कार्यनीति बनाने पर एक राज्य स्तरीय संगोष्ठी।	1,00,000/– ₹
16.	महिला शिशु स्वास्थ्य एवं उत्थान समिति, 308, जीआई ब्लॉक, दाल मिल रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली	मादा भ्रूण – लोगों की मानसिकता बदलने की आवश्यकता पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी।	1,00,000/– ₹
17.	महिला कल्याण और शैक्षणिक विकास सोसाइटी, रोहिणी, नई दिल्ली	दिल्ली में एचआईवी/एड्स से पीड़ित लोगों से संबंधित एचआईवी/एड्स विधेयक, 2006 पर दो दिवसीय राज्य स्तरीय संगोष्ठी।	1,00,000/– ₹
18.	मिरांडा हाउस, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी–सह–संसदीय वाद–विवाद प्रतियोगिता, मंगर 2012 : हमारे समय में संदर्श, विश्व व्यवस्था और शासन में परिवर्तन।	1,00,000/– ₹
19.	विकासशील देश अनुसंधान केन्द्र, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	दक्षिण एशिया में महिलाओं के संघर्ष पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी।	3,00,000/– ₹
20.	भागीदारी जन सहयोग समिति, अशोक रोड, दिल्ली	अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह – 2012 के विशेष अवसर पर 3.3.2012 को संगोष्ठी।	1,00,000/– ₹
	गुजरात		
21.	गुजरात राज्य महिला आयोग, डा0 जीवराज मेहता भवन, गांधी नगर, गुजरात	प्रवासी भारतीय विवाह और त्यागी गई महिलाओं पर संगोष्ठी।	2,00,000/– ₹
	हरियाणा		
22.	एसकेओसीएच, डेवलपमेंट फाउंडेशन, ए–222, सुशांत लोक, फेज़– I, गुड़गांव–122001 (हरियाणा)	लिंग संबंधी मुद्दों पर क्षेत्रीय स्तर की संगोष्ठी।	2,00,000/– ₹

क्रमांक	एनजीओ/संगठन का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
23.	पहल कल्याण सोसाइटी, नं0 11, दूसरा तल, किसान भवन, असांध रोड, पानीपत, हरियाणा	जिला करनाल में महिलाओं के विरूद्ध अत्याचारों पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी।	1,00,000/– ₹
24.	पर्यावरणीय और सामाजिक कार्य संस्थान, 61, होप अपार्टमेंट, गुड़गांव (हरियाणा)	राजस्थान के अरावली क्षेत्र में जनजातीय महिलाओं, स्वास्थ्य और शिक्षा पर क्षेत्रीय स्तरीय संगोष्ठी।	2,00,000/– ₹
25.	कुंदन वेलफेयर सोसाइटी, 61, होप अपार्टमेंट, सेक्टर–15, भाग–II, गुड़गांव–122001 (हरियाणा)	सवाईमाधोपुर, राजस्थान में 3.10.2011 को महिला विकास मुद्दों तथा चुनौतियों पर कार्यशाला।	1,00,000/–₹
26.	जी.वी.एम. कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मुरथल रोड, सोनीपत (हरियाणा)	देश में प्रजनन और मातृत्व स्वास्थ्य देखरेख – गर्भावस्था के दौरान औशधियों का सुरक्षित प्रयोग पर दो दिवसीय संगोष्ठी।	1,00,000/– ₹
	झारखंड		
27.	झारखंड राज्य महिला आयोग, इंजीनियर्स होस्टल नं0 2, धुरवा, रांची, झारखंड–634004	रांची में 19.12.2011 को डायन प्रथा पर राष्ट्रीय स्तर की जागरूकता कार्यशाला।	3,00,000/– ₹
	मणिपुर		
28.	मणिपुर राज्य महिला आयोग, लमफेलपट इम्फाल मणिपुर	राज्य अतिथि गृह, संजेनथोंग, इम्फाल में महिलाओं और बालकों पर एचआईवी/एड्स के प्रभाव पर एक दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला।	2,00,000/– ₹
29.	सामाजिक कार्य और विकास संस्थान (आईएसआरडी), लमसंग बाजार, इम्फाल पश्चिमी जिला, मणिपुर	मणिपुर में लैंगिक प्रजनन स्वास्थ्य और महिलाओं के अधिकारों पर संगोष्ठी।	1,00,000/– ₹
30.	मणिपुर महिला समन्वय परिषद, बालगृह परिसर, मणिपुर विश्वविद्यालय के सामने, चांचीपुर, इम्फाल (मणिपुर)	मणिपुर में घरेलू कर्मकार कल्याण और सामाजिक सुरक्षा अधिनियम तथा सुझाए गए उपायों पर कार्यशाला।	1,00,000/– ₹

क्रमांक	एनजीओ/संगठन का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
31.	न्यू इंटीग्रेटेड रूरल मैनेजमेंट एजेंसी (निरमा), नुंगफू बाजार, जिला थोबल, मणिपुर	मणिपुर में तलाकशुदा, एकल और अशक्त महिलाओं पर राज्य स्तरीय कार्यशाला।	1,00,000/– ₹
32.	कुकुम्बी अपुम्बा नुपी लुप (कुनल)	महिलाओं और बालिकाओं के अवैध व्यापार पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी।	1,00,000/– ₹
	मेघालय		
33.	निदेशक, समाज कल्याण, मेघालय सरकार, शिलांग (मेघालय)	गारो हिल्स, वेस्ट गारो हिल्स और तुरा जिले में महिलाओं के विरूद्ध घरेलू हिंसा पर तीन 'चलो गांव की ओर' कार्यक्रम।	3,00,000/– ₹
34.	अमतसारा किरोन, लोअर जेल रोड, शिलांग, मेघालय	असम में महिला अधिकारों और संबंधित मुद्दों पर एक राज्य स्तरीय संगोष्ठी।	1,00,000/– ₹
35.	निदेशक समाज कल्याण, मेघालय सरकार, शिलांग, मेघालय	मेघालय के जयंतीहिल्स जिले में महिलाओं के कानूनी अधिकारों और उनकी अधिकारिता संबंधी जागरूकता पर 'चलो गांव की ओर' कार्यक्रम।	2,00,000/– ₹
36.	नोंगक्रेम युवा विकास एसोसिएशन, डाकघर नोंगक्रेम, शिलांग ईस्ट खासी हिल्स, मेघालय	मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में 'बलात्कार और यौन उत्पीड़न की महिला पीड़ितों के लिए न्याय' पर दो दिन की संगोष्ठी।	1,00,000/– ₹
37.	समाज सेवा केन्द्र, डब्ल्यूआईएसई (महिलाओं के लिए एकीकृत सतत सशक्तिकरण), मैरीज़ कॉन्वेंट, लेतुमखराह, शिलांग, मेघालय	जल्दी विवाह के महिलाओं के स्वास्थ्य और जीविकोपार्जन पर प्रतिकूल प्रभाव पर जागरूकता।	1,00,000/– ₹
	मध्य प्रदेश		
38.	सरस्वती शिक्षा प्रसार समिति, शक्ति नगर, मध्य प्रदेश	पंचायतों में महिलाओं की भूमिका पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी।	1,00,000/– ₹
39.	आशा कला केन्द्र, 330, मेन स्ट्रीट, महो कैंट, डीटी, इंदौर (म.प्र.)	महिला अधिकारिता और आत्म–निर्भरता पर सम्मेलन।	1,00,000/– ₹

क्रमांक	एनजीओ/संगठन का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
40.	परिक्रमा महिला समिति, 1234, जे.पी. नगर, आधारतल, जबलपुर, मध्य प्रदेश	महिलाओं और उनकी राजनीतिक प्रतिभागिता पर संगोष्ठी।	1,00,000/– ₹
	महाराष्ट्र		
41.	साईंनाथ बहुउद्देशीय ग्रामीण विकास संस्था, जिला औरंगाबाद, महाराष्ट्र	औरंगाबाद में 30.09.2011 को पंचायतों में महिलाओं की प्रभावी भूमिका पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी।	1,00,000/– ₹
42.	सुमन सेवाभावी संस्था, परभनी, खांडोबा निवास, विवेक नगर, नांदेड, महाराष्ट्र	परभनी, महाराष्ट्र में लिंग–संबंधी भेदभाव और कृषि उत्पादकता/निर्धन महिला कृषकों के लिए किफायती और विविध कृषि तकनीकों पर 6 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला।	1,00,000/– ₹
43.	चिखाली विकास प्रतिष्ठान, डाकघर चिखाली, तालुक श्रीगोंडा, जिला अहमदगर, महाराष्ट्र	घरेलू हिंसा पर तीन दिन की संगोष्ठी–सह–कार्यशाला।	1,00,000/– ₹
44.	आईएलएस विधि महाविद्यालय, लॉ कॉलेज रोड, पुणे, महाराष्ट्र	आईएलएस विधि महाविद्यालय में 10 से 12 फरवरी, 2012 को नारीत्व और कानून पर संगोष्ठी।	3,00,000/– ₹
45.	दलित महिला विकास मंडल, मुतंगन 490/ए गुरूवारपेठ, सतारा, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र राज्य में बालक लिंग अनुपात में गिरावट पर राज्य स्तरीय परामर्श।	1,00,000/– ₹
46.	दलित महिला विकास मंडल, मुतंगन 490/ए गुरूवारपेठ, सतारा, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र राज्य में 'चलो गांव की ओर' की ही तर्ज पर पीसीपीएनडीटी अधिनियम पर एक जागरूकता कार्यक्रम।	1,00,000/– ₹
47.	श्रीमती मीरान सी. बोरवांकर पुलिस आयुक्त, पुणे शहर, 2, साधु वस्वांज रोड, कैम्प, पुणे, महाराष्ट्र	महिला दक्षता समिति और पुलिस कार्मिकों के सदस्यों के कौशलों में वृद्धि पर राज्य स्तरीय कार्यशाला।	1,00,000/– ₹

क्रमांक	एनजीओ/संगठन का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
48.	श्री मुक्ति संगठन, मुंबई, महाराष्ट्र	ग्रामीण महिलाओं के लिए कानूनी साक्षरता जागरूकता पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी।	1,00,000/– ₹
	उड़ीसा		
49.	पुष्पांजलि सांस्कृति एसोसिएशन (पीसीए), तिकरापारा यू.पी. विद्यालय के पीछे, डाकघर/जिला बोलनगीर, उड़ीसा	बोलगीर जिले, उड़ीसा में 23.01.2012 को प्रवासी महिला कर्मकारों के संरक्षण के लिए कानून पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय संगोष्ठी।	1,00,000/– ₹
50.	त्याग, थाकपाली, डाकघर चिंदागुड़ा, वाया खरियार, जिला नौपाड़ा, उड़ीसा	उड़ीसा में पीसी एवं पीएनडीटी अधिनियम, 1994 के कार्यान्वयन और कार्यकरण पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी।	1,00,000/– ₹
51.	नेताजी मेमोरियल क्लब, केन्द्रपाड़ा, उड़ीसा	महिला हिंसा रोके पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला।	1,00,000/– ₹
52.	सोशल एजेंसी फॉर फार्मर्स एम्पावरमेंट (सेफ) हलादी बसंता, डाकघर बनगुडियागांव, जिला पुरी, उड़ीसा	निर्धन महिला कृषकों पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला।	1,00,000/– ₹
53.	उड़ीसा युवा सांस्कृति संसद, कॉन्वेंट स्कूल लेन, वीआईपी रोड, पुरी, उड़ीसा	महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के कारण और उसका प्रतिषेध पर सम्मेलन।	1,00,000/– ₹
54.	विजया, 417 शाहिद नगर, भुवनेश्वर, उड़ीसा	'चलो गांव की ओर' की तर्ज पर एक दिवसीय ग्रामीण महिला जागरूकता कार्यक्रम।	1,00,000/– ₹
55.	धरती फाउंडेशन, कुसूरिया, डाकघर जरादोबरा, मदनपुर रामपुर, जिला कालाहांडी, उड़ीसा	जनजातीय महिलाओं के अधिकारों पर परामर्श।	2,00,000/– ₹
	पंजाब		
56.	महिला कल्याण समिति, मनसा, पंजाब	गिरते हुए लिंग अनुपात (मादा भ्रूणहत्या के कारण) पर संगोष्ठी।	1,00,000/– ₹

क्रमांक	एनजीओ/संगठन का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
	राजस्थान		
57.	ग्रामीण उत्थान मानव संस्थान, बीकानेर, राजस्थान	बाल विवाह के निवारण पर संगोष्ठी।	1,00,000/– ₹
58.	अरिहंत महिला एवं बाल विकास समिति, कोटा, राज0	झालावाड़ में घरेलू हिंसा और इससे संबंधित मुद्दों पर एक राज्य स्तरीय संगोष्ठी।	1,00,000/– ₹
59.	आस्था महिला विकास एवं पर्यावरण समिति, 99, तिलक मार्ग, कोटा, राजस्थान	उत्पीड़न से संबंधित कानूनों और महिलाओं के समान अधिकरों पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी।	1,00,000/– ₹
60.	सेंटर ऑफ दि स्टडी वैल्यूज़, उदयपुर, राजस्थान	कढ़ाई और हस्तशिल्प उद्योग में महिलाओं की स्थिति पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी।	99,500/– ₹
61.	नव निर्माण महिला मंडली, चन्द्र शेखर की बगीची, नहारी का नाका, जयपुर, राजस्थान	महिलाओं अधिकारों पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी।	1,00,000/– ₹
62.	कस्तूरबा महिला शिक्षा समिति, ए–133, बस्सी सीतारामपुरा, डाकघर शास्त्री नगर, जयपुर, राजस्थान	गिरते हुए लिंग अनुपात (मादा भ्रूणहत्या के कारण) पर ग्रामीण क्षेत्र में कार्यशाला।	1,00,000/– ₹
63.	जागृति सेवा संस्थान, 25, पार्वती उद्यान के पीछे, मधुबन, चित्तौड़गढ़, राजस्थान	देश के पश्चिमी क्षेत्र को महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, 2005 की अधिक पहुंच प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय संगोष्ठी।	2,00,000/– ₹
64.	अविल ग्रामीण विकास संस्थान, पार्वती उद्यान के पीछे, मधुबन, सेंथी, चित्तौड़गढ़, राजस्थान	देश के पश्चिमी क्षेत्र को महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, 2005 की अधिक पहुंच प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय संगोष्ठी।	2,00,000/– ₹
65.	कुंदन कल्याण सोसाइटी, मार्फत श्री अनिल शर्मा, 170/91, प्रताप नगर, टोंक रोड, जयपुर, राजस्थान	राजस्थान के जयपुर विश्वविद्यालय, बीकानेर, तिजारा, अल्वर, बागरू में महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा और घरेलू हिंसा अधिनियम की भूमिका पर पांच राज्य स्तरीय संगोष्ठियां।	5,00,000/– ₹

क्रमांक	एनजीओ/संगठन का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
66.	श्रीमती हेलेना कौशिक महिला (स्नात्कोत्तर) महाविद्यालय, मार्फत डा0 सुरेन्द्र कौशिक विद्या निकेतन, मलसीसार–331028, जिला झुंझुनू, राजस्थान	ग्रामीण क्षेत्रों में उच्चतर षिक्षा के माध्यम से महिला अधिकारिता पर राष्ट्रीय संगोष्ठी।	3,00,000/– ₹
	त्रिपुरा		
67.	नॉर्थ ईस्ट इंडिया सेंटर फॉर मास कम्युनिकेशन एंड कल्चरल रिसर्च, अगरतला, त्रिपुरा	अगरतला में महिलाएं और घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के प्रभाव – त्रिपुरा का संदर्श पर कार्यशाला।	1,00,000/– ₹
	तमिलनाडु		
68.	शिक्षा और ग्रामीण विकास सोसाइटी, विल्लूपुरम, तमिलनाडु	दलित महिलाओं के विरूद्ध हिंसा पर संगोष्ठी।	1,00,000/– ₹
	उत्तर प्रदेश		
69.	श्री सरदार सेवा संस्थान, ऐटा, उत्तर प्रदेश	भारत में वंचित समुदायों में बाल विवाह पर कार्यशाला।	1,00,000/– ₹
70.	श्री गिरिराज जी महाराज शिक्षा एवं समाज उत्थान समिति, उरैया, उत्तर प्रदेश	उरैया जिला, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के विरूद्ध अत्याचारों का निवारण पर राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी।	1,00,000/– ₹
71.	सामाजिक अनुसंधान एवं मानव विकास संस्थान, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश	घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के प्रभावी कार्यान्वयन पर कार्यशाला।	2,00,000/– ₹
72.	जन कल्याण सेवा संस्थान, देवरिया, उत्तर प्रदेश	देवरिया में नष्ट होते भ्रूण पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी।	1,00,000/– ₹
73.	अविलंब सेवा निकेतन, रायबरेली, उत्तर प्रदेश	लिंग समानता पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी।	1,00,000/– ₹
74.	ग्रामोद्योग सेवा निकेतन, साधना वैशाली, जिला गाजियाबाद, उ0प्र0	भारत में निर्धनतम राज्यों में मुस्लिम और दलित महिलाओं की विकास संबंधी चिंताओं पर क्षेत्रीय संगोष्ठी।	2,00,000/– ₹

क्रमांक	एनजीओ/संगठन का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
75.	नव प्रभात जन सेवा संस्थान, मोह. गोलाघाट, सिविल लाइन, नं0 2, डाक एवं तहसील सदर, जिला सुलतानपुर, उ0प्र0	सुलतानपुर जिले, उ0प्र0 में नष्ट होते भ्रूण पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी।	1,00,000/– ₹
76.	विप्रो फाउंडेशन, वार्ड नं0 11, भारतीय स्टेट बैंक के समीप, डाकघर आनंदनगर, जिला महाराजगंज, उ0प्र0	गिरते हुए लिंग अनुपात – मादा भ्रूणहत्या के कारण पर संगोष्ठी।	1,00,000/– ₹
77.	पूजा जन सेवा समिति, जे 13/93, कॉटनमिल कालोनी, चौकघाट, वाराणसी, उ0प्र0	हथकरघा बुनाई क्षेत्र में महिलाएं पर संगोष्ठी।	1,00,000/– ₹
78.	कलिका स्मारक शिक्षण सेवा संस्थान, ग्राम बर्जी, डाकघर खादरपुर, आजमगढ़, उ0प्र0	आजमगढ जिले में घरेलू हिंसा पर संगोष्ठी।	1,00,000/– ₹
79.	मानव स्वास्थ्य सेवा संस्थान, मथुरा, उ0प्र0	भारत के पूर्वोत्तर भाग में गिरते हुए महिला अनुपात पर कार्यशाला।	1,00,000/– ₹
80.	संकल्प सेवा संस्थान, मोह. पचघारा, तहसील फतेहपुर, जिला बाराबंकी, उ0प्र0	बहराइच, उ0प्र0 में महिला अधिकारों पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी।	1,00,000/– ₹
81.	अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं समाज कल्याण परिषद, मथुरा, उ0प्र0	शीघ्र बाल विवाह और इसके प्रभावों पर संगोष्ठी।	1,00,000/– ₹
82.	सर्वभूम संस्कृत संस्थानम, मथुरा, उ0प्र0	अल्पसंख्यक महिलाओं के शैक्षणिक विकास पर कार्यशाला।	1,00,000/– ₹
83.	महिला अध्ययन केन्द्र, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़, उ0प्र0	महिलाए एवं आधुनिक राजनीतिक प्रणाली पर संगोष्ठी।	3,00,000/– ₹
84.	भारत भूमि सेवा संस्थान, वाराणसी, उ0प्र0	महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा और उन पर अत्याचार पर संगोष्ठी।	1,00,000/– ₹

क्रमांक	एनजीओ/संगठन का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
85.	ओम साईं सेवा संस्थान, बाराबंकी, उ0प्र0	महिला अधिकारों पर संगोष्ठी।	1,00,000/– ₹
86.	राष्ट्रीय युवा फाउंडेशन, लखनऊ, उ0प्र0	भारत में महिलाएं और राजनीतिक भागीदारी पर संगोष्ठी।	1,00,000/– ₹
87.	राधाकृष्ण शिक्षण संस्थान एवं सेवा संगठन, देवरिया, उ0प्र0	उत्तर प्रदेश के ग्रामीण संदर्भ में महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा पर संगोष्ठी।	98,500/– ₹
88.	सागर खादी ग्रामोद्योग समिति, कुशीनगर, उ0प्र0	उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति हिंसा पर संगोष्ठी।	1,00,000/– ₹
89.	भारतीय बाल और महिला कल्याण समिति, रायबरेली, उ0प्र0	रायबरेली में 27.03.2012 से 28.3.2012 तक राजनीति में महिलाओं पर संगोष्ठी।	1,00,000/– ₹
90.	नवनीत फाउंडेषन, रायबरेली, उ0प्र0	राजनीति में महिलाओं पर संगोष्ठी।	1,00,000/– ₹
91.	शहीद अशफक उल्ला खां स्मारक सोसाइटी, प्रतापगढ़, उ0प्र0	गिरते हुए लिंग अनुपात (मादा भ्रूणहत्या के कारण) पर संगोष्ठी।	1,00,000/– ₹
92.	जन कल्याण कुटीर ग्रामोद्योग संस्था, नराई, आगरा, उ0प्र0	ईदगाह, आगरा में महिलाओं और बालिकाओं का अवैध व्यापार पर कार्यशाला।	1,00,000/– ₹
93.	अखिल भारतीय सर्व उत्थान चैरिटेबल सोसाइटी, बस्ती, उ0प्र0	उत्तर प्रदेश में वैश्वीकरण और इसके महिला वेंडरों/व्यापारियों पर प्रभाव पर संगोष्ठी।	1,00,000/– ₹
94.	नेहरू युवा मंडल, ग्राम बरवाला, मुरादाबाद, उ0प्र0	भ्रूण एवं मादा भ्रूण का लिंग निर्धारण और समाज और महिला स्वास्थ्य पर उसके प्रभाव पर संगोष्ठी।	1,00,000/– ₹
95.	सर्विस एजुकेशन एंड वेलफेयर एसोसिएशन (सेवा), वाराणसी, उ0प्र0	वाराणसी में महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा पर संगोष्ठी।	1,00,000/– ₹
96.	अखिल भारतीय विकलांग सेवा संस्था, गोरखपुर, उ0प्र0	महिलाओं के लिए सरकारी स्कीमें और अधिनियम पर संगोष्ठी।	1,00,000/– ₹

क्रमांक	एनजीओ/संगठन का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
97.	सुधार सेवा एवं कल्याण समिति, जिला लखनऊ, उ0प्र0	उत्तर प्रदेश में बाल विवाह और इसके प्रभाव पर संगोष्ठी–सह–कार्यशाला।	1,00,000/– ₹
98.	गंगोत्री फाउंडेशन, लखनऊ	बाल विवाह पर संगोष्ठी।	1,00,000/– ₹
99.	मंडलीय विकास संस्थान, मुफ्ती स्ट्रीट, लाल मस्जिद, जिला बिजनौर, उ0प्र0	मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक चुनौतियों पर जागरूकता कार्यक्रम।	1,00,000/– ₹
100.	सीमा सेवा संस्थान, इंदिरा नगर, लखनऊ, उ0प्र0	दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 पर संगोष्ठी।	1,00,000/– ₹
101.	महिला जागृति समिति, सुलतानपुर, उ0प्र0	उत्तर प्रदेश में मुस्लिम महिलाओं की स्थिति पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी।	1,00,000/– ₹
	उत्तराखण्ड		
102.	स्वाबलम्बन कल्याण समिति, देहरादून, उत्तराखण्ड	महिला अधिकारिता पर संगोष्ठी।	1,00,000/– ₹
	पश्चिम बंगाल		
103.	आसरा, 20 मार्किस स्ट्रीट, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	कोलकाता में 'महिलाओं का सशक्तिकरण राष्ट्र का सशक्तिकरण है' पर राष्ट्रीय संगोष्ठी।	3,00,000/– ₹

अनुलग्नक–XII

उन गैर–सरकारी संगठनों/संगठनों की राज्यवार सूची जिन्हें राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा वर्ष 2011–12 के दौरान अनुसंधान अध्ययन प्रायोजित किए गए

क्रमांक	एनजीओ/संगठन का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
	आंध्र प्रदेश		
1.	नोबल सोशल एंड एजुकेशनल सोसाइटी, 303, अखिल अपार्टमेंट्स, नेहरू नगर, आं.प्र.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन अधिनियम : आंध्र प्रदेश में महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण का एक अध्ययन पर अनुसंधान अध्ययन।	2,30,475/– ₹
	दिल्ली		
2.	श्राइन सोसाइटी, 76/4, स्ट्रीट नं0 12, ईस्ट आजाद नगर, कृष्णा नगर, दिल्ली	घरेलू हिंसा अधिनियम पर अनुसंधान अध्ययन।	2,36,250/– ₹
3.	सामाजिक अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली	मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के प्रभावी कार्यान्वयन पर अध्ययन।	3,79,500/– ₹
4.	पूर्वोत्तर अध्ययन केन्द्र (एमएमएजे एकेडमी ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़), मौलना मोहम्मद अली जौहर मार्ग, जामिया इस्लामिया, नई दिल्ली	पूर्वोत्तर भारत की महिलाओं के साथ भेदभाव और उनके समक्ष चुनौतियों पर अध्ययन : नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरू के चार महानगरों से मामला अध्ययन।	4,05,500/– ₹
	हरियाणा		
5.	पर्यावरण और सामाजिक कार्य संस्थान, गुड़गांव, हरियाणा	राजनीति में महिलाओं की भूमिका और स्थिति पर अनुसंधान अध्ययन : अलवर, भरतपुर और जयपुर का अध्ययन।	2,68,800/– ₹
	उड़ीसा		
6.	हैल्प, डाकघर – डाला बरास्ता जयपुर, जिला – जाजपुर,	महिलाओं के लिए स्वास्थ्य देखरेख प्रणाली की पहुंच और जाजपुर उड़ीसा में दलित महिलाओं द्वारा मैला उठाने के प्रभाव पर अनुसंधान अध्ययन।	2,19,450/– ₹

क्रमांक	एनजीओ/संगठन का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
7.	एसोसिएशन ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च एंड सोशियों–इकॉनामिक एक्टिविटी (आदर्श), उड़ीसा	किशोरी शक्ति योजना स्कीम के मूल्यांकन पर अनुसंधान अध्ययन।	2,25,000/– ₹
	पंजाब		
8.	फगवाड़ा पर्यावरण एसोसिएशन, लोक अस्पताल, रेलवे रोड, फगवाड़ा, पंजाब	पंजाब में कृषकों की विधवाओं के लिए सशक्तिकरण परियोजना पर अनुसंधान अध्ययन तथा उन कृषकों की स्थिति पर संगोष्ठी जिन्होंने कपूरथला, पंजाब में आत्महत्या की है।	1,99,500/– ₹
	राजस्थान		
9..	श्री असरा विकास संस्थान, छा–16, विनायक मार्ग, हिरन मागरी, सेक्टर–5, उदयपुर, राजस्थान	राज्य संरक्षण की विधान उपलब्धता और पीड़ितों के लिए सहायता सेवाओं के संदर्भ में घरेलू हिंसा के मूल्यांकन पर अनुसंधान अध्ययन।	3,03,450/– ₹
10.	डा0 एल.एन. दधीच, 41, हिरन मागरी, सेक्टर–3, उद्यान के निकट, उदयपुर, राजस्थान	दक्षिणी राजस्थान के जनजातीय उप–योजना क्षेत्र में जनजातीय बालिकाओं द्वारा स्कूल छोड़ने पर अनुसंधान अध्ययन।	3,85,350/– ₹
11.	सेंटर फॉर स्टडी वैल्यूज़, उदयपुर, राजस्थान	दक्षिणी राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में हस्तशिल्प क्षेत्र में महिला श्रमिकों की स्थिति पर अनुसंधान अध्ययन।	2,28,900/– ₹
	तमिलनाडु		
12.	मूसा राजा दक्षिण भारत शिक्षा न्यास, चेन्नई, तमिलनाडु	भारत में महिलाओं के प्रति हिंसा के अत्याचार को नियंत्रित करने के लिए पद्धतियों का अध्ययन।	3,33,900/– ₹
13.	मूसा राजा दक्षिण भारत शिक्षा न्यास, चेन्नई, तमिलनाडु	तमिलनाडु की महिलाओं के गरीबी अधिकारों पर अध्ययन।	3,33,900/– ₹
14.	मूसा राजा दक्षिण भारत शिक्षा न्यास, चेन्नई, तमिलनाडु	भारत में स्व–सहायता समूहों का व्यापक अध्ययन।	3,33,900/– ₹

क्रमांक	एनजीओ/संगठन का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
15.	मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय, कोडईकनाल, डिंडीगुल जिला, तमिलनाडु	तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में दहेज समस्याओं के विशेष संदर्भ में महिलाओं के प्रति हिंसा पर अनुसंधान अध्ययन।	2,24,700/– ₹
	उत्तर प्रदेश		
16.	सामाजिक अनुसंधान एवं मानव विकास संस्थान, कुशीनगर, उ0प्र0	पूर्वी उत्तर प्रदेश में घरेलू महिला नौकरों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति पर अनुसंधान अध्ययन।	3,26,550/– ₹
17.	भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान और सामाजिक विकास परिषद, एस–9/193, ए.के. पांडेपुर, नईबस्ती, वाराणसी, उ0प्र0	महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्यों में महिलाओं और बालिकाओं के लिए स्वाधार गृह की केन्द्रीय सेक्टर स्कीम पर अनुसंधान अध्ययन।	3,25,500/– ₹
18.	नागरिक विकास समिति, अमेठी, उ0प्र0	महिला सरपंचों और पंचो द्वारा सामना की जा रही समस्याओं और मुद्दों पर अनुसंधान अध्ययन।	2,99,500/– ₹
19.	लक्ष्मी नारायण ग्रामोद्योग विकास समिति, बदायूं, उ0प्र0	महिला पीड़ितों (दहेज प्रतिषेध, घरेलू हिंसा अधिनियम) की स्थिति पर अध्ययन।	2,16,300/– ₹
	पश्चिम बंगाल		
20.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर, पश्चिम मिदनापुर, पश्चिम बंगाल	भारत के शहरी स्लम निवासियों के बीच महिलाओं के प्रति हिंसा पर अनुसंधान अध्ययन।	3,20,250/– ₹

अनुलग्नक–XIII

उन गैर–सरकारी संगठनों/संगठनों की राज्यवार सूची जिन्हें राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा वर्ष 2011–12 के दौरान विधिक जागरूकता कार्यक्रम (एलएपी) प्रायोजित किए गए

क्रमांक	एनजीओ/संगठन का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
	अरूणाचल प्रदेश		
1.	अरूणाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग, ईटानगर, अरूणाचल प्रदेश	**एल ए पी** – विधिक जागरूकता कार्यक्रम।	660000/– ₹
2.	महिला और बाल कल्याण विकास सोसाइटी, पापुम पारे, अरूणाचल प्रदेश	**एल ए पी** – महिलाओं के प्रति हिंसा पर जागरूकता कार्यक्रम।	60000/– ₹
3.	हिमो ओहो मी एन्की सा सोसाइटी, लोअर सुबांसिरि, अरूणाचल प्रदेश	**एल ए पी** – विधिक जागरूकता कार्यक्रम।	60000/– ₹
4.	अबू तारियांग सामाजिक–आर्थिक विकास सोसाइटी, कोलोरियांग, अरूणाचल प्रदेश	**एल ए पी** – विधिक जागरूकता कार्यक्रम।	660000/– ₹
	असम		
5.	असम राज्य महिला आयोग, गुवाहाटी, असम	**एल ए पी** – असम राज्य के भीतर विधिक जागरूकता कार्यक्रम।	320000/– ₹
6.	वॉलेन्टीयर्स गिल्ड, गुवाहाटी, असम	**एल ए पी** – ''महिलाओं पर दो दिवसीय विधिक जागरूकता कार्यक्रम'' ''जागो महिला जागो अपने अधिकारों के प्रति जागो''।	120000/– ₹
7.	एट बदर्स वेलफेयर सोसाइटी, कामरूप, असम	**एल ए पी** – विधिक जागरूकता कार्यक्रम।	120000/– ₹

क्रमांक	एनजीओ/संगठन का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
8.	इंटरनेशनल कम्प्यूटर्स, राहा नूतन चरियाली, राहा, नगांव, असम	**एल ए पी** – महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम।	60000/– ₹
	आंध्र प्रदेश		
9.	सेंटर फॉर एक्शन ऑन डिसेबल्ड राइट्स एंड एम्पावरमेंट – सीएडीआरई, खामम, आंध्र प्रदेश	**एल ए पी** – खामम के जनजातीय क्षेत्रों में विधिक अधिकार।	30000/– ₹
10.	सोसाइटी फॉर नरचरिंग एजुकेशन हैल्थ एंड अवेयरनैस, कुर्नूल, आंध्र प्रदेश	**एल ए पी** – महिलाओं पर स्वास्थ्य और विधिक जागरूकता कार्यक्रम।	60000/– ₹
11.	चैतन्य ग्रामीण विकास समाज सेवा सोसाइटी, कुर्नूल, आंध्र प्रदेश	**एल ए पी** – महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम।	60000/– ₹
12.	नेबल सोशल एंड एजुकेशन सोसाइटी, तिरूपति, आंध्र प्रदेश	**एल ए पी** – महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम।	60000/– ₹
	बिहार		
13.	नव आंचल, नालन्दा, बिहार, नालन्दा, बिहार	**एल ए पी** – ग्रामीण महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम।	50000/– ₹
14.	ग्रामोधार कल्याण समिति, भागलपुर, बिहार	**एल ए पी** – महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम।	30000/– ₹
15.	डेवलेपमेंट इंटीग्रेटेड सोसाइटी फॉर ह्यूमन एक्शन (दिशा), नालंदा, बिहार	**एल ए पी** – महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम।	60000/– ₹
16.	विकास संगठन, दरभंगा, बिहार	**एल ए पी** – महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम।	30000/– ₹
17.	बिहार ग्राम्य सेवा संस्थान, समस्तीपुर, बिहार	**एल ए पी** – महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता शिविर।	60000/– ₹
18.	नवांचल, नालंदा, बिहार	**एल ए पी** – महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता शिविर।	30000/– ₹

क्रमांक	एनजीओ/संगठन का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
	छत्तीसगढ़		
19.	मां डिंडेश्वरी शिक्षा समिति, बिलासपुर, छत्तीसगढ़	**एल ए पी** – महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता शिविर।	60000/– ₹
	दिल्ली		
20.	एसबीएस फाउंडेशन, दिल्ली	**एल ए पी** – महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम।	60000/– ₹
21.	ऑल इंडिया ग्रेजुएट्स एसोसिएशन (एआईजीए), नई दिल्ली	**एल ए पी** – अलीगढ़ में मुस्लिम महिलाओं की स्थिति पर दो दिवसीसय विधिक जागरूकता शिविर।	60000/– ₹
22.	सूर्य प्रकाश चैरिटेबल एसोसिएशन, नई दिल्ली	**एल ए पी** – दहेज प्रतिषेध अधिनियम की पीड़ित महिलाओं पर विधि जागरूकता शिविर।	60000/– ₹
23.	संकल्प, द्वारका, दिल्ली	**एल ए पी** – विधि जागरूकता कार्यक्रम।	60000/– ₹
24.	माया केयर फाउंडेशन, दिल्ली	**एल ए पी** – उत्तर प्रदेश की महिलाओं और बालिकाओं के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम।	60000/– ₹
25.	श्री श्री मारूति नन्दन सेवा संस्था, दिल्ली	**एल ए पी** – महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम।	30000/– ₹
26.	हील इंडिया, दिल्ली	**एल ए पी** – विवाह विधि, पृथ्थकरण, तलाक, पोषण, अंगीकरण, संपत्ति और उत्तराधिकार अधिकार तथा परिवार विधियों से संबंधित विधिक जागरूकता शिविर।	60000/– ₹
27.	बेसिक फाउंडेशन, दिल्ली	**एल ए पी** – महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम।	90000/– ₹
	गुजरात		
28.	एन. जे. मराठा विद्या प्रसारक समाज, सूरत, गुजरात	**एल ए पी** – पारंपरिक पद्धतियां और परिवार में महिलाओं का व्यावहारिक जीवन पर जागरूकता कार्यक्रम।	50000/– ₹

क्रमांक	एनजीओ/संगठन का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
	हरियाणा		
29.	श्री गुनन राम जन कल्याण मानव सेवा समिति, रोहतक, हरियाणा	**एल ए पी** – ग्रामीण महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम	30000/– ₹
30.	जन कल्याण सेवा समिति, फरीदाबाद, हरियाणा	**एल ए पी** – महिलाओं और बालिकाओं के लिए विधिक सहायता जागरूकता कार्यक्रम।	30000/– ₹
31.	बाल विकास शिक्षा सोसाइटी, फरीदाबाद, हरियाणा	**एल ए पी** – घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 पर विधिक जागरूकता शिविर।	60000/– ₹
32.	रितिका समाज और कल्याण सोसाइटी, पानीपत, हरियाणा	**एल ए पी** – महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता शिविर	30000/– ₹
33.	शिव कल्याण सोसाइटी, पानीपत, हरियाणा	**एल ए पी** – महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम।	30000/– ₹
34.	शिव शक्ति शिक्षा सोसाइटी, जींद, हरियाणा	**एल ए पी** – घरेलू हिंसा पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम।	90000/– ₹
35.	नया सवेरा, जींद, हरियाणा	**एल ए पी** – महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता शिविर।	90000/– ₹
36.	जागरूकता और कल्याण के लिए ग्रामीण संगठन (रोड), रोहतक, हरियाणा	**एल ए पी** – ग्रामीण क्षेत्रों में मादा भ्रूण के बचाव के लिए विधिक जागरूकता शिविर।	30000/– ₹
37.	बुनियाद शिक्षा सोसाइटी, एच.एन. 1560, सेक्टर–2, रोहतक, हरियाणा	**एल ए पी** – हरियाणा के फरीदाबाद जिले में महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम।	30000/– ₹
38.	मानव कल्याण एवं सुरक्षा समिति, महेन्द्रनगर, हरियाणा	**एल ए पी** – ग्रामीण महिलाओं के विरूद्ध समाजिक बुराइयों के निवारण के विषय पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम।	30000/– ₹
39.	श्री गणेश शिक्षा समिति, महेन्द्रनगर, हरियाणा	**एल ए पी** – महिलाओं के विधिक अधिकारों पर जागरूकता के विषय पर विधिक जागरूकता शिविर।	30000/– ₹

क्रमांक	एनजीओ/संगठन का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
40.	श्री जनकल्याण समिति, जुलाना, हरियाणा	**एल ए पी** – महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम।	60000/– ₹
	हिमाचल प्रदेश		
41.	उदय भारती, सीता निवास, ग्राम–कथिआरा, डाकघर–गुगा सलोह, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश	**एल ए पी** – कांगड़ा जिला, हिमाचल प्रदेश में विधिक जागरूकता शिविर।	60000/– ₹
	कर्नाटक		
42.	सुरक्षित विविदोदेशा समस्ते, हसन, कर्नाटक	**एल ए पी** – 'महिलाओं के प्रति हिंसा' पर विधिक जागरूकता शिविर।	200000/– ₹
	मध्य प्रदेश		
43.	कादम्बिनी शिक्षा एवं समाज कल्याण सेवा समिति, भोपाल, मध्य प्रदेश	**एल ए पी** – 'जागो महिला जागो अपने अधिकार के प्रति जागो' पर महिलाओं के लिए दो दिवसीय विधिक जागरूकता शिविर।	30000/– ₹
44.	ग्राम भारती संस्थान, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	**एल ए पी** – महिलाओं और बालिकाओं के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम।	60000/– ₹
45.	मुक्ति ममता महिला मंडल, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	**एल ए पी** – महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता शिविर।	60000/– ₹
46.	प्रगति महिला मंडल, भिंड, मध्य प्रदेश	**एल ए पी** – चलो गांव की ओर पर विधिक जागरूकता शिविर।	100000/– ₹
47.	सतविंदर शिक्षा समिति, भोपाल, मध्य प्रदेश	**एल ए पी** – विधिक जागरूकता शिविर।	150000/– ₹
48.	ग्राम सेवा ट्रस्ट (जीएसटी), बालाघाट, मध्य प्रदेश	**एल ए पी** – बालाघाट में अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम।	30000/– ₹
49.	श्री बालाजी शिक्षा प्रसार समिति, भिंड, मध्य प्रदेश	**एल ए पी** – महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम।	60000/– ₹

क्रमांक	एनजीओ/संगठन का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
	महाराष्ट्र		
50.	संत गडकेबाबा बहुजन विकास प्रतिष्ठान, नारायण नगर, लातूर, महाराष्ट्र	**एल ए पी** – महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम।	30000/– ₹
51.	गुरूभक्ति शैक्षणिक और सेवाभावी संस्था, परभनी, महाराष्ट्र	**एल ए पी** – महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम।	30000/– ₹
	मणिपुर		
52.	सामाजिक–आर्थिक विकास संगठन, थोउबल, मणिपुर	**एल ए पी** – विधिक जागरूकता कार्यक्रम।	60000/– ₹
53.	इंटीग्रेटेड प्रोग्रेसिव रूरल डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन, थोउबल, मणिपुर	**एल ए पी** – विधिक जागरूकता कार्यक्रम।	60000/– ₹
54.	लेयेबी मेमोरियल ट्रस्ट (लेरिक येमा बिरेन्द्र मैमोरियल ट्रस्ट) थोयूबल, मणिपुर	**एल ए पी** – महिला अधिकारिता – स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर विधिक जागरूकता शिविर।	120000/– ₹
55.	नाओतोमे रूरल डेवलपमेंट एसोसिएशन, सेनापति, मणिपुर	**एल ए पी** – विधिक जागरूकता कार्यक्रम।	60000/– ₹
56.	सेंटर फॉर ह्यूमन रिसोर्स एंड इकॉनॉमिक डेवलपमेंट, इंफाल, मणिपुर	**एल ए पी** – महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम।	60000/– ₹
57.	सेंटर फॉर यूनाइटेड ब्रदरहुड एसोसिएशन (क्यूबा), इंफाल, मणिपुर	**एल ए पी** – महिलाओं और बालिकाओं के लिए विधिक जागरूकता अभियान।	60000/– ₹
58.	लामजिंग थावन एसोसिएशन (लामथा), इम्फाल, मणिपुर	**एल ए पी** – महिला शिक्षा पर दो दिवसीय के लिए विधिक जागरूकता शिविर।	120000/– ₹
59.	एसोसिएशन फॉर रूरल एडवांसमेंट (अराडा), इंफाल, मणिपुर	**एल ए पी** – महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम।	30000/– ₹

क्रमांक	एनजीओ/संगठन का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
60.	ग्रामीण समुदाय विकास सोसाइटी, इंफाल, मणिपुर	**एल ए पी** – विधिक जागरूकता कार्यक्रम।	60000/– ₹
61.	लाइफ केयर फाउंडेशन, थोउबल, मणिपुर	**एल ए पी** – महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम।	60000/– ₹
62.	एलांगबम तोंदोन्बी सिंह मैमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट (ईटीएमसी), थोउबल, मणिपुर	**एल ए पी** – महिला और बाल शिक्षा पर विधिक जागरूकता शिविर।	120000/– ₹
	मिजोरम		
63.	मिजोरम राज्य महिला आयोग, ऐजवाल, मिजोरम	**एल ए पी** – विधिक जागरूकता कार्यक्रम।	320000/– ₹
	उड़ीसा		
64.	महिला और शिशु कल्याण समिति, बोलनगीर, उड़ीसा	**एल ए पी** – मीरा दीदी से पूछो – महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता शिविर।	60000/– ₹
65.	उड़ीसा मल्टीपर्पस डेवलपमेंट सेंटर, भुवनेश्वर, उड़ीसा	**एल ए पी** – महिलाओं के लिए तीन दिवसीय विधिक जागरूकता शिविर।	60000/– ₹
66.	जतिया कुशक समुख्या, भुवनेश्वर, उड़ीसा	**एल ए पी** – महिलाओं के लिए तीन दिवसीय विधिक जागरूकता शिविर।	60000/– ₹
67.	संप्रतीक, कटक, उड़ीसा	**एल ए पी** – महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम।	60000/– ₹
68.	आजाद सामाजिक–सांस्कृतिक संगठन, जाजपुर, उड़ीसा	**एल ए पी** – तीन दिवसीय विधिक जागरूकता शिविर।	60000/– ₹
69.	एसोसिएशन फॉर सोशल एंड ह्युमैनिटेरियन एक्शन (आशा), नौपाड़ा, उड़ीसा	**एल ए पी** – महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम।	60000/– ₹
70.	श्रद्धा (सोशल एसोसिएशन फॉर रूरल डेवलेपमेंट एंड हैल्थ एक्शन), रायगढ़, उड़ीसा	**एल ए पी** – महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता शिविर।	60000/– ₹

क्रमांक	एनजीओ/संगठन का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
	पंजाब		
71.	जन कल्याण संस्थान, पठानकोट, पंजाब	**एल ए पी** – महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता शिविर।	50000/– ₹
	राजस्थान		
72.	रिचमंड्स कला साहित्य एवं शिक्षण सोसाइटी, बूंदी, राजस्थान	**एल ए पी** – महिला अधिकार अभियान के साथ एलएपी।	100000/– ₹
73.	उदय संस्थान, बूंदी, राजस्थान	**एल ए पी** – बूंदी, राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में महिला अधिकार अभियान के साथ दो विधिक जागरूकता शिविर	100000/– ₹
74.	हधोती उत्सव आयोजन समिति, कोटा, राजस्थान	**एल ए पी** – महिला अधिकार अभियान के साथ एलएपी।	150000/– ₹
75.	श्री शक्ति सेवा संस्था, कोटा, राजस्थान	**एल ए पी** – महिला अधिकार अभियान के साथ विधिक जागरूकता कार्यक्रम।	150000/– ₹
76.	त्रि संस्थान सुंदरी, सवाई माधोपुर, राजस्थान	**एल ए पी** – विधिक जागरूकता कार्यक्रम।	50000/– ₹
77.	लक्ष्य विनर्स शिक्षण संस्थान, श्रीगंगानगर, राजस्थान	**एल ए पी** – महिलाओं के लिए दो दिवसीय विधिक जागरूकता शिविर।	30000/– ₹
78.	युवा संस्थान, श्रीगंगानगर, राजस्थान	**एल ए पी** – महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता शिविर।	60000/– ₹
79.	श्री गोविंद मानव सेवा संस्थान, भरतपुर, राजस्थान	**एल ए पी** – महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता शिविर।	60000/– ₹
80.	जागृति सेवा संस्थान, चित्तौडगढ़, राजस्थान	**एल ए पी** – महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम।	30000/– ₹
81.	उम्मीद समिति, चित्तौगढ़, राजस्थान	**एल ए पी** – महिलाओं के लिए निःशुल्क विधिक जागरूकता शिविर।	60000/– ₹
82.	महिला एवं बाल उत्थान समिति, जयपुर, राजस्थान	**एल ए पी** – महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम।	30000/– ₹

क्रमांक	एनजीओ/संगठन का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
83.	गांधी स्मृति संस्थान, राजसमंद, राजस्थान	**एल ए पी** – महिलाओं और बालिकाओं के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम।	60000/– ₹
84.	मदालसा सेवा संस्थान, 3/155, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, उदयपुर, राजस्थान	**एल ए पी** – महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम।	30000/– ₹
85.	पर्वत सागर ज्ञान विकास संस्थान, उदयपुर, राजस्थान	**एल ए पी** – ग्रामीण और निर्धन महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम।	60000/– ₹
86.	राजस्थान, एकीकृत विकास सोसाइटी, बांसवाड़ा, राजस्थान	**एल ए पी** – महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम।	60000/– ₹
87.	बाल शिक्षा सोसाइटी, भीलवाड़ा, राजस्थान	**एल ए पी** – महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम।	60000/– ₹
88.	ग्रामीण उत्थान मानव संस्थान, बीकानेर, राजस्थान	**एल ए पी** – महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम।	60000/– ₹
89.	संकल्प संस्था अकोला, चित्तौडगढ़, राजस्थान	**एल ए पी** – महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम।	60000/– ₹
90	कस्तूरबा महिला शिक्षा समिति, जयपुर, राजस्थान	**एल ए पी** – ग्रामीण क्षेत्रों में विधिक जागरूकता कार्यक्रम।	60000/– ₹
91.	श्री झारखण्ड महिला गृह उद्योग सहकारी समिति, जयपुर, राजस्थान	**एल ए पी** – महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम।	30000/– ₹
92.	चेतना बाल शिक्षा समिति, करौली, राजस्थान	**एल ए पी** – महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम।	60000/– ₹
93.	श्री आसरा विकास संस्थान, उदयपुर, राजस्थान	**एल ए पी** – 'महिला अधिकार अभियान'।	1,50,000/– ₹
94.	सेंटर ऑफ द स्टडी ऑफ वैल्यूज, उदयपुर, राजस्थान	**एल ए पी** – 'महिला अधिकार अभियान'।	1,50,000/– ₹
	तमिलनाडु		
95	सस्टेनेबल हैल्थ एंड मैनपावर डेवलपमेंट, तिरूवनामलई, तमिलनाडु	**एल ए पी** – महिलाओं के लिए विधिक साक्षरता जागरूकता शिविर।	100000/– ₹

क्रमांक	एनजीओ/संगठन का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
96.	मक्कल वलारची संगम (एमवीएस), तिरूवनामलई, तमिलनाडु	**एल ए पी** – महिलाओं के लिए दो दिवसीय विधिक जागरूकता शिविर।	60000/– ₹
	त्रिपुरा		
97.	एसएएनजीएचडीआईपी, धर्मानगर, त्रिपुरा	**एल ए पी** – विधिक जागरूकता कार्यक्रम।	40000/– ₹
98.	त्रिपुरा राज्य महिला आयोग, अगरतला, त्रिपुरा	**एल ए पी** – विधिक जागरूकता कार्यक्रम।	160000/– ₹
	उत्तर प्रदेश		
99	सावित्री बाई फूले जन सेवा समिति, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश	**एल ए पी** – महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम।	50000/– ₹
100.	युवा जागृति एवं विकास संस्थान, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश	**एल ए पी** – महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम।	50000/– ₹
101.	संतराम वर्मा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेवा समिति, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश	**एल ए पी** – महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम।	50000/–₹
102.	छात्र सामाजिक संगठन, देवरिया, उत्तर प्रदेश	**एल ए पी** – महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम।	50000/– ₹
103.	सर्वोदय विकास संस्थान, महामायानगर, उत्तर प्रदेश	**एल ए पी** – ग्रामीण महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम।	50000/– ₹
104.	बेन्सन कम्प्यूटर एजुकेशन सोसाइटी, बदायूं, उत्तर प्रदेश	**एल ए पी** – महिलाओं के लिए विधिक सहायता और जागरूकता कार्यक्रम।	50000/– ₹
105.	जगदेव सिंह शतरोहन सिंह स्मारक ग्राम्य विकास संस्थान, रायबरेली, उत्तर प्रदेश	**एल ए पी** – मुस्लिम और दलित महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम।	50000/– ₹
106.	भारतीय शैक्षिक प्रसार संस्थान, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश	**एल ए पी** – देश में विधिक सहायता पर संगोष्ठी।	50000/– ₹
107.	आगरा जन कल्याण समिति, आगरा, उत्तर प्रदेश	**एल ए पी** – विधिक जागरूकता कार्यक्रम 'चलो गांव की ओर'।	50000/– ₹

क्रमांक	एनजीओ/संगठन का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
108.	परमार्थ सेवा संस्थान, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	**एल ए पी** – पांच विधिक जागरूकता शिविर।	50000/– ₹
109.	पूर्वांचल शैक्षिक एवं सामाजिक विकास संस्थान, बलिया, उत्तर प्रदेश	**एल ए पी** – महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम।	50000/– ₹
110.	क्षेत्रीय महिला एवं बाल विकास समिति, बिजनौर, उत्तर प्रदेश	पी एम एल ए – बिजनौर जिले में तीन दिवसीय परिवारिक महिला लोक अदालत शिविर।	60000/– ₹
111.	महिला उत्थानम, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश	**एल ए पी** – महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम।	50000/– ₹
112.	मनोज ग्रामोद्योग संस्थान, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश	**एल ए पी** – फैजाबाद जिले में महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम	50000/– ₹
113.	अजय ग्रामोद्योग सेवा समिति, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश	**एल ए पी** – महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम	50000/– ₹
114.	मार्सी कल्याण सोसाइटी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश	**एल ए पी** – महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम	100000/– ₹
115.	शारदा देवी समृति सेवा संस्थान, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश	**एल ए पी** – ग्रामीण महिलाओं के प्रति हिंसा पर विधिक जागरूकता शिविर।	50000/– ₹
116.	अखिल भारतीय ग्रामीण विकास संस्थान, हाथरस, उत्तर प्रदेश	**एल ए पी** – ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता शिविर।	50000/– ₹
117.	विवेकानंद अभिनव शिक्षण संस्थान, जौनपुर, उत्तर प्रदेश	**एल ए पी** – 'चलो गांव की ओर' के अंतर्गत महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता शिविर।	50000/– ₹
118.	पराग सर्वोदय समिति, जौनपुर, उत्तर प्रदेश	**एल ए पी** – ग्रामीण महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम।	50000/– ₹
119.	महिला कल्याण एवं विद्या विकास सेवा समिति, कानपुर, उत्तर प्रदेश	**एल ए पी** – महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम।	50000/– ₹
120	श्री बासुमाता नारी संस्थान, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश	**एल ए पी** – ग्रामीण महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता शिविर।	50000/– ₹

क्रमांक	एनजीओ/संगठन का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
121	बहिन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	**एल ए पी** – महिला अधिकार जागरूकता कार्यक्रम।	50000/– ₹
122.	अखिल भारतीय सामाजिक विकास समिति, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	**एल ए पी** – लखनऊ में ग्रामीण महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता शिक्षा कार्यक्रम।	50000/– ₹
123.	तुलसी ग्रामोद्योग सेवा समिति, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	**एल ए पी** – महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न पर राज्य स्तरीय शिविर।	50000/– ₹
124.	आदर्श महिला कल्याण समिति, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	**एल ए पी** – विधिक जागरूकता कार्यक्रम	50000/– ₹
125.	गंगोत्री फाउंडेशन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	**एल ए पी** – महिलाओं के लिए दो दिवसीय विधिक जागरूकता कार्यक्रम।	50000/– ₹
126	शहीद अशफकउल्ला खान मैमोरियल सोसाइटी, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश	**एल ए पी** – महिलाओं के लिए तीन विधिक जागरूकता कार्यक्रम।	50000/– ₹
127	समग्र जनकल्याण समिति, वाराणसी, उत्तर प्रदेश	**एल ए पी** – विधिक जागरूकता कार्यक्रम।	50000/– ₹
128.	पूर्वांचल विकास समिति, पंजीकृत, वाराणसी, उत्तर प्रदेश	**एल ए पी** – विधिक जागरूकता षिविर	50000/– ₹
129.	सुभाषित जन सेवा संस्था, वाराणसी, उत्तर प्रदेश	**एल ए पी** – महिला अधिकार जागरूकता पर विधिक जागरूकता शिविर।	50000/– ₹
130.	भारतीय जूनियर हाई स्कूल समिति, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश	**एल ए पी** – 'मुस्लिम महिलाओं की स्थिति पर विधिक जागरूकता शिविर।	60000/– ₹
131.	इंडो नेपाल महिला कल्याण सोसाइटी, बहराइच, उत्तर प्रदेश	**एल ए पी** – बहराइच जिले, उत्तर प्रदेश के दो भिन्न स्थानों पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम।	30000/– ₹
132.	मां भगवती शिशु शिक्षा समिति, बहराइच, उत्तर प्रदेश	**एल ए पी** – महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम।	30000/– ₹
133.	ग्रामीण जन कल्याण सेवा समिति, गोंडा, उत्तर प्रदेश	**एल ए पी** – महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम।	60000/– ₹

क्रमांक	एनजीओ/संगठन का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
134.	विद्या कला संस्थान, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश	**एल ए पी** – महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम।	60000/– ₹
135.	सुधार सेवा एवं कल्याण समिति, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	**एल ए पी** – महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम।	30000/– ₹
136.	शांति शैक्षिक एवं सामाजिक कल्याण संस्थान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	**एल ए पी** – महिलाओं के लिए दो दिवसीय विधिक जागरूकता शिविर।	30000/– ₹
137.	उदायनिकी, कृषि अनुसंधान समिति, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	**एल ए पी** – महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम।	30000/– ₹
138.	मानव सेवा कल्याण संस्थान, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश	**एल ए पी** – महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम।	30000/– ₹
139.	अभ्युदय सेवा संस्थान, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश	**एल ए पी** – महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम।	30000/– ₹
140.	संकल्प सेवा संस्थान, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश	**एल ए पी** – महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम।	30000/– ₹
141.	ग्रामीण औद्योगिक विकास समिति, लखीमपुर, खीरी, उत्तर प्रदेश	**एल ए पी** – महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम।	30000/– ₹
142.	भारतवासी सेवा संस्थान, महामायानगर, उत्तर प्रदेश	**एल ए पी** – सासनी में 'पुलिस कर्मियों और एनजीओ' के लिए विधिक जागरूकता शिविर।	60000/– ₹
143.	कमला मानव सेवा समिति, रायबरेली, उत्तर प्रदेश	**एल ए पी** – महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम	60000/– ₹
144.	श्री लक्ष्मी नारायण बद्री विशाल सुकी स्मारक सेवा संस्थान, रायबरेली, उत्तर प्रदेश	**एल ए पी** – ग्रामीण महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता शिविर।	60000/– ₹
145.	लोक कला सांस्कृतिक संस्थान, बस्ती, उत्तर प्रदेश	**एल ए पी** – महिलाओं और बालिकाओं (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और पिछड़ों) के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम।	50000/– ₹

क्रमांक	एनजीओ/संगठन का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
146.	दीन दयाल सेवा संस्थान, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश	**एल ए पी** – महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम।	50000/– ₹
147.	श्री अंबिकेश्वर सेवा संस्थान, गोंडा, उत्तर प्रदेश	**एल ए पी** – महिलाओं के लिए दो दिवसीय विधिक जागरूकता शिविर।	50000/– ₹
148.	ग्रामीण महिला बाल विकास समिति, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	**एल ए पी** – विधिक जागरूकता कार्यक्रम।	50000/– ₹
149.	श्री हंस शैक्षणिक एवं सेवा संस्थान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	**एल ए पी** – विधिक जागरूकता कार्यक्रम।	50000/– ₹
150.	श्रीकृष्ण शैक्षणिक सोसाइटी, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश	**एल ए पी** – अपने अधिकारों के बारे में महिलाओं की अधिकारिता के बारें में विधिक जागरूकता शिविर।	50000/– ₹
151.	ग्रामीण महिला शिल्प कला केन्द्र, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश	**एल ए पी** – विधिक जागरूकता कार्यक्रम।	50000/– ₹
152.	मदर टेरेसा फाउंडेशन, देवरिया, उत्तर प्रदेश	**एल ए पी** – उत्तर प्रदेश के ग्रामीण संदर्भ में महिला विधिक जागरूकता कार्यक्रम।	50000/– ₹
153.	एमिटी लॉ स्कूल, नोएडा, उत्तर प्रदेश	**एल ए पी** – एमिटी लॉ स्कूल का विधिक जागरूकता कार्यक्रम।	60000/– ₹
154.	निर्बल विकास परिषद, बरेली, उत्तर प्रदेश	**एल ए पी** – महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता शिविर।	60000/– ₹
155.	महिला जन जागृति संस्थान, बस्ती उत्तर प्रदेश	**एल ए पी** – महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम।	30000/– ₹
156.	श्याम कवि लोक कल्याण संस्थान, देवबंद, उत्तर प्रदेश	**एल ए पी** – विधिक जागरूकता कार्यक्रम के लिए प्रस्ताव।	90000/– ₹
157.	एमआईडीटी (मैन्स इंस्टिट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड टेनिंग), गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश	**एल ए पी** – महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम।	60000/– ₹
158.	ग्रामोद्योग सेवा निकेतन, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश	**एल ए पी** – मुजफ्फरनगर के पांच ग्रामीण गांवों में लिंग समानता पर विधिक जागरूकता शिविर।	60000/– ₹

क्रमांक	एनजीओ/संगठन का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
159.	मानव सेवा कल्याण संस्थान, जौनपुर, उत्तर प्रदेश	**एल ए पी** – जौनपुर जिले, उ0प्र0 में महिलाओं के लिए दो दिवसीय विधिक जागरूकता कार्यक्रम।	30000/– ₹
160.	महिला विकास समिति, देवरिया, उत्तर प्रदेश	**एल ए पी** – महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम।	60000/– ₹
161.	आनंदी देवी जन कल्याण शिक्षा समाजुत्थान समिति, महामायानगर, उत्तर प्रदेश	**एल ए पी** – ग्रामीण महिलाओं के लिए दो दिवसीय विधिक जागरूकता शिविर।	60000/– ₹
162.	बाल एवं महिला कल्याण समिति, फतेहपुर, उत्तर प्रदेश	**एल ए पी** – महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन।	30000/– ₹
163.	आइडियल रूरल डेवलपमेंट एंड इनवायरमेंटल प्रोटेक्शन सोसाइटी, कानपुर, उत्तर प्रदेश	**एल ए पी** – रायबरेली जिले में ग्रामीण महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता।	30000/–₹
164.	महिला कल्याण एवं विद्या विकास सेवा समिति, कानपुर, उत्तर प्रदेश	**एल ए पी** – महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम।	60000/– ₹
165.	सार्वजनिक शिक्षण संस्थान, कानपुर, उत्तर प्रदेश	**एल ए पी** – 'उपभोक्ता अधिकारों पर महिलाओं की अधिकारिता' पर विधिक जागरूकता शिविर।	60000/– ₹
166.	श्री सत्य साईं शिक्षा एवं ग्राम्य विकास संस्थान, मथुरा, उत्तर प्रदेश	**एल ए पी** – महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम।	30000/– ₹
167.	श्री स्मारक निधि (महिला एवं ग्राम्य विकास संस्थान), रायबरेली, उत्तर प्रदेश	**एल ए पी** – 'महिला जागो और अपने अधिकार जानो' पर ग्रामीण महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता शिविर।	60000/– ₹
168.	तत्सत शैक्षणिक एसोसिएशन, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश	**एल ए पी** – बाराबंकी में विधिक जागरूकता शिविर।	60000/– ₹
	उत्तराखण्ड		
169.	श्री सिद्धदेव ग्रामोद्योग संस्थान, नैनीताल, उत्तरांचल	**एल ए पी** – महिलाओं और बालिकाओं के अवैध व्यापार पर दो दिवसीय विधिक जागरूकता कार्यक्रम।	50000/– ₹

क्रमांक	एनजीओ/संगठन का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
170.	हिमालयन ग्रामोद्योग विकास संस्थान, पिथौरागढ़, उत्तरांचल	**एल ए पी** – विधिक जागरूकता कार्यक्रम।	50000/– ₹
171.	उत्तराखंड राज्य महिला आयोग, देहरादून, उत्तरांचल	**एल ए पी** – विधिक जागरूकता कार्यक्रम	250000/– ₹
172.	अम्बिका विकास समिति, देहरादून, उत्तरांचल	**एल ए पी** – विधिक जागरूकता कार्यक्रम।	50000/– ₹
173.	राणा जाविक ग्रामीण एवं कृषि सेवा, उधमसिंह नगर, उत्तरांचल	**एल ए पी** – विधिक जागरूकता कार्यक्रम।	50000/– ₹
174.	पर्वतीय महिला विकास समिति, नैनीताल, उत्तरांचल	**एल ए पी** – महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम सृजित करना।	30000/– ₹
175.	जन हितैषिणी कल्याण समिति, पौड़ी, उत्तरांचल	**एल ए पी** – महिलाओं और बालिकाओं के लिए दो दिवसीय विधिक जागरूकता शिविर।	90000/– ₹
176.	स्वालंबन कल्याण सोसाइटी, पंजीकृत, देहरादून, उत्तरांचल	**एल ए पी** – विधिक जागरूकता षिविर।	50000/– ₹
	पश्चिम बंगाल		
177.	मकरामपुर मनीषा जुबा कल्याण संघ, मिदनापुर, पश्चिम बंगाल	**एल ए पी** – महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम।	90000/– ₹

अनुलग्नक–**XIV**

उन गैर–सरकारी संगठनों/संगठनों की राज्यवार सूची जिन्हें राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा वर्ष 2011–12 के दौरान पारिवारिक महिला लोक अदालतें प्रायोजित की गई

क्रमांक	एनजीओ/संगठन का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
	अरूणाचल प्रदेश		
1.	समाज कल्याण प्रबंधन और संवर्धन संगठन, लोअर डिबांग, ईटानगर, अरूणाचल प्रदेश	पी एम एल ए – पारिवारिक महिला लोक अदालतें	120000/– ₹
	बिहार		
2.	मगध उद्योग केन्द्र, नालंदा, बिहार	पी एम एल ए – पारिवारिक महिला लोक अदालतें	120000/– ₹
3.	डीआईएसए (डेवलपमेंट इंटीग्रेटेड सोसाइटी फॉर ह्यूमन एक्शन), बिहार शरीफ, बिहार	पी एम एल ए – पारिवारिक महिला लोक अदालत	60000/– ₹
4.	नव आंचल, नालन्दा, बिहार	पी एम एल ए – पारिवारिक महिला लोक अदालत	60000/– ₹
	दिल्ली		
5.	युवा चेतना समाज कल्याण समिति, सुभाष पार्क नवीन शाहदरा, दिल्ली	पी एम एल ए – पारिवारिक महिला लोक अदालत	90000/– ₹
6.	नई भोर, डॉन ऑफ लाइफ, सुखदेव विहार, दिल्ली	पी एम एल ए – पारिवारिक महिला लोक अदालत	60000/– ₹
	महाराष्ट्र		
7.	आशा महिला जनकल्याण प्रतिष्ठान, औरंगाबाद, महाराष्ट्र	पी एम एल ए – पारिवारिक महिला लोक अदालत	60000/– ₹
	उत्तर प्रदेश		
8.	श्री आनंद विकास समिति, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	पी एम एल ए – पारिवारिक महिला लोक अदालत	90000/– ₹

क्रमांक	एनजीओ/संगठन का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
9.	सैनिक महिला प्रतिष्ठान संस्थान, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश	पी एम एल ए – पारिवारिक महिला लोक अदालत	30000/– ₹
10.	स्वर्णिम संस्थान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	पी एम एल ए – पारिवारिक महिला लोक अदालत	60000/– ₹
	अहाररिश सेवा संस्थान, भतीन, जिला–देवरिया, उत्तर प्रदेश	पी एम एल ए – पारिवारिक महिला लोक अदालत	1,20,000/– ₹
	उत्तराखंड		
11.	मावन कल्याण समिति, अल्मोड़ा, उत्तरांचल	पी एम एल ए – पारिवारिक महिला लोक अदालत	60000/– ₹
	पश्चिम बंगाल		
12.	पंचला रिलायंस सोसाइटी, हावड़ा, पश्चिम बंगाल	पी एम एल ए – पारिवारिक महिला लोक अदालतें	60000/– ₹

अनुलग्नक–XV

भारत में, अन्य बातों के साथ–साथ, अनैतिक मानव व्यापार को रोकने के संबंध में हुई संगोष्ठी पर सिफारिशें तथा प्रेक्षण

23 नवंबर, 2011 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग तथा एनएचआरसी द्वारा, संयुक्त रुप से, 'अनैतिक मानव व्यापार को रोकने' विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, राज्य महिला आयोगों के अध्यक्षों और गैर सरकारी संगठनों ने भाग लिया ।

अन्य बातों के साथ–साथ सिफारिशें

क. अनैतिक मानव व्यापार के शिकार व्यक्तियों, विशेषकर बच्चों का पुनर्वास, पुनर्सम्मिलन और प्रत्यावासन।

ख. साक्षी सुरक्षा तथा पीड़ितों को सहायता।

ग. सभी पणधारियों का प्रशिक्षण, सुग्राहिता, शिक्षा और जागरुकता।

घ. विभिन्न पणधारियों की और अभिमुखीकरण की आवश्यकता।

ड. अंतर–राज्यीय परीक्षण तथा स्रोत और गंतव्य के मानचित्रण की आवश्यकता।

च. एक राष्ट्रीय नोडल एजेंसी की आवश्यकता।

छ. अतिसंवेदनशील क्षेत्रों में समस्या की प्रकृति का जायज़ा लेने के लिए केंद्रीय डेटाबेस स्थापित करने और क्षेत्रीय संगोष्ठियां आयोजित करने की आवश्यकता।

ज. एकीकृत कार्य योजना का पुनरीक्षण होना चाहिए और उसके प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से अनुरोध किया जाए।

झ. फास्ट ट्रैक न्यायालय स्थापित किए जाएं।

झ. संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के सहयोग से अभियोजकों के लिए एक प्रशिक्षण नियमावली तैयार की जा सकती है।

ट. पर्याप्त लिंग बजट होना चाहिए।

प्रेक्षण

पीड़ित की आयु कम होती जा रही है।

अनैतिक मानव व्यापार अधिक लाभ और कम जोखिम वाला कार्य बन गया है जिससे अवैध व्यापारियों तथा वैश्यालयों की बहुत कमाई होती है।

जागरूकता, बेहतर प्रलेखन और सुग्राहिता पर अधिक कार्यक्रमों की आवश्यकता है।